

उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम
Transform to Outperform



वार्षिक रिपोर्ट

2015-2016

हमें गर्व है इनसे जुड़कर
Proud to be associated with



यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

Take a Selfie
and open a bank
account instantly.



Simply follow these steps and save time
when opening your bank account.

1



Download the Union Selfie
App in your mobile

2



Select your nearest Branch

3



Take your Selfie through the app
and a photo of your Aadhaar Card

4



Enter your DOB and other details

Congratulations! Receive account number instantly.

Visit your registered branch and collect your Welcome Kit.

Download app from



Proud to be associated with



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2015-16 की प्रमुख बातें.....	13
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक.....	15
सूचना.....	17
निदेशकों की रिपोर्ट.....	24
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	29
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	47
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	76
तुलन-पत्र	78
लाभ एवं हानि लेखा.....	79
अनुसूचियां 1 से 18	80
नकदी प्रवाह विवरण	112
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	114
समेकित तुलन-पत्र.....	116
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	117
समेकित अनुसूचियां 1 से 18.....	118
समेकित नकदी प्रवाह विवरण.....	139
जोखिम प्रबंधन	141
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2015-16	142

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2015-16	14
Key Financial Indicators.....	158
Notice	160
Directors' Report	168
Management Discussion and Analysis.....	173
Corporate Governance Report	193
Independent Auditors Report	222
Balance Sheet.....	224
Profit & Loss Account	225
Schedules 1 to 18	226
Cash Flow Statement.....	258
Independent Auditors Report	260
Consolidated Balance Sheet	262
Consolidated Profit & Loss Account.....	263
Consolidated Schedules 1 to 18	264
Consolidated Cash Flow Statement	284
Risk Management	286
Business Responsibility Report 2015-16	287

प्रधान कार्यालय

यूनियन बँक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बँक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बँक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

BOARD OF DIRECTOR



श्री अरुण तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Arun Tiwari
Chairman &
Managing Director

श्री अरुण तिवारी 26 दिसंबर, 2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त श्री तिवारी को बैंकिंग एवं वित्त तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विविध क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान है। एक जिज्ञासु पाठक तथा सतत ज्ञानार्जक श्री तिवारी ने आर्थर डी'लिटिल, बोस्टन, यूएसए, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री तिवारी ने विश्व बैंक के तत्वावधान में भारत में निर्यातानुमुखी लघु उद्योगों के लिए यूएसए तथा यूरोप में अध्ययन कार्य किया।

श्री अरुण तिवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना करियर आरंभ किया, जहां उन्होंने शाखाओं व अंचलीय कार्यालय में बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर तथा कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक- एमएसएमई, वेल्थ मैनेजमेंट एवं होलसेल बैंकिंग के रूप में कार्य किया। बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक केन्द्रों तथा कुआलालम्पूर तथा सिंगापुर में संबंधित क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य किया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य ग्रहण करने से पूर्व श्री तिवारी 18 जून, 2012 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे।

वर्तमान में श्री अरुण तिवारी, बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी- यूनियन के.बी.सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं। वे बैंक की जीवन बीमा संयुक्त उद्यम कंपनी स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं। वे बैंक की ओवरसीज सहायक कंपनी 'यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड' के भी चेयरमैन हैं। वे जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी आरई) के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं।

श्री अरुण तिवारी जोखिम प्रबंधन तथा बॉसेल कार्यान्वयन पर इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की स्थायी समिति के चेयरमैन, जोखिम प्रबंधन पर आईबीए ज्ञान संगम वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन, बैंकिंग 2016-17 पर सीआईआई नैशनल कमिटी के सह-चेयरमैन, भारत सरकार द्वारा गठित 'वित्तीय समावेशन कोष' के सलाहकारी निदेशक मंडल के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस (आईआईबीएफ), मुंबई की संचालन समिति (निदेशक) के सदस्य तथा उच्च स्तरीय गैर निष्पादक ऋणों से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सदस्य हैं।

Shri Arun Tiwari is the Chairman and Managing Director of Union Bank of India since December 26th, 2013.

A postgraduate in Chemistry, Shri Tiwari has extensive knowledge in areas as diverse as banking & finance and computer programming. Shri Tiwari, a voracious reader and continuous learner, has undergone training at prestigious institutions, like Arthur D'Little, Boston, USA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, Indian School of Business, Hyderabad, etc. Shri Tiwari did a study assignment in USA and Europe for export oriented Small Scale Industries in India under aegis of World Bank.

Shri Arun Tiwari started career as a Probationary Officer in Bank of Baroda, where he worked in almost all key segments of Banking, in various capacities – at Branches, Zonal Office, and at Corporate Office as General Manager – MSME & Wealth Management, Whole Sale Banking. His tenure in the Bank spanned various geographies of the country and overseas centres at Kuala Lumpur and Singapore, as Chief Executive of the respective territories.

Before joining Union Bank of India, Shri Tiwari was Executive Director in Allahabad Bank from June 18th, 2012.

Presently, Shri Tiwari is also Chairman of Union KBC Asset Management Company Limited, an Asset Management Company of the Bank. He is a Director on the Board of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Bank's Life Insurance Joint Venture Company. He is the Chairman of Bank's overseas subsidiary i.e. Union Bank of India (UK) Ltd. He is also Ex-Officio Director on the Board of General Insurance Corporation of India (GIC Re) and also a director on the board of The New India Assurance Company Ltd.

Shri Arun Tiwari is the Chairman of IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation, Chairman of IBA - Gyan Sangam Working Group on Risk Management, Co-Chairman of CII National Committee on Banking 2016-17, Member of Advisory Board of "Financial Inclusion Fund" constituted by Govt. of India, a Member of Governing Council (Director) of Indian Institute of Banking & Finance, Mumbai (IIBF), a Member of the Committee constituted by Govt of India, Ministry of Finance to look into the issues of High Level of Non Performing Loans.



श्री राकेश सेठी

कार्यपालक निदेशक

Shri Rakesh Sethi
Executive Director

श्री राकेश सेठी 05 अगस्त, 2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

श्री राकेश सेठी बी.कॉम, एलएल.बी तथा पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारक हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एवं फाइनेंस के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में 1978 में अपना करियर आरंभ किया तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालन-दोनों ही स्तरों पर बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का 38 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

श्री सेठी बैंक ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ अंचल के प्रमुख रहे, जिसमें उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ शामिल हैं। महाप्रबंधक के रूप में वे नेशनल बैंकिंग- दक्षिण के प्रमुख रहे, जिसमें दक्षिण भारत के सभी 6 अंचल, जिनमें कुल 565 शाखाएं आती हैं, शामिल हैं। वह बैंक के केंद्रीय कार्यालय में खुदरा बैंकिंग परिचालन के भी प्रमुख रहे। बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकाल के दौरान उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र एमएसएमई, खुदरा एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रहा तथा ग्राहक वालेट में बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाने पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया।

अपने घरेलू बैंकिंग अनुभव के अतिरिक्त श्री सेठी जर्सी-चैनल द्वीप(1987-89), जाम्बिया(1997-2001) तथा अंत में बैंक ऑफ इंडिया के यूरोपीय संचालनों के मुख्य कार्यपालक के रूप में लंदन(2012-13) सहित तीन विदेशी पदस्थियों पर भी रहे हैं।

श्री सेठी को 5 अगस्त, 2013 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा तब से वह ट्रेजरी (घरेलू एवं फारेक्स) कारोबार, मानव संसाधन, लार्ज कार्पोरेट, ऋण नीति एवं एमएसएमई, एनपीए प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग एवं विपणन, डिजिटल बैंकिंग तथा केंद्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग आदि जैसे प्रमुख विभागों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओवरसीज परिचालनों का भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं, जिसकी हांगकांग, दुबई तथा एंटवर्प, बेल्जियम में शाखाएं एवं यूके में सहायक कंपनी तथा बिजिंग, शंघाई, सिडनी एवं अबू धाबी में प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं,

इसके अतिरिक्त श्री राकेश सेठी बैंक की यूके सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के नामित निदेशक तथा म्यूचुअल फंड कारोबार में बैंक की संयुक्त उद्यम कंपनी यूनियन के.बी.सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक हैं। वह यूनियन बैंक सोशल फाउन्डेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। इससे पूर्व श्री सेठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नामित निदेशक रहे हैं।

Shri Rakesh Sethi is working as an Executive Director of Union Bank of India since August 05th, 2013.

Shri Rakesh Sethi is Bachelor of Commerce, LLB and Diploma holder in Personal Management. He is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking. He has vast experience spanning over more than 38 years in various facets of Banking, both in domestic and international operations, having started his career with Bank of India during 1978.

Shri Sethi headed Chandigarh Zone of Bank of India which covers the northern states of Himachal Pradesh, Haryana & U.T. Chandigarh. As a General Manager he headed the National Banking – South covering all the six zones of Southern India having 565 branches. He has also headed Retail Banking operations of the Bank at Head Office. During his tenure in Bank of India, he has handled core areas viz. MSME, International Banking and Retail, with a focus on increasing the bank's share in the customer wallet.

In addition to his domestic banking experience, Shri Sethi has also three overseas stints during his career at Jersey – Chanel Island (1987-89), Zambia (1997-2001) and lastly in London (2012-13) as Chief Executive of European operation of Bank of India.

Shri Sethi was elevated to the position of Executive Director of Union Bank of India on 05th August 2013 and since then he has been overseeing operations of key departments viz Treasury (Domestic & Forex) Business, HR, Large Corporate, Credit Policy & MSME, NPA Management, Retail Banking & Marketing, Digital Banking, Central Audit & Inspection Dept etc. He also supervises the overseas operations of Union Bank of India having Branches in Hongkong, Dubai and Antwerp, Belgium and a subsidiary in UK besides representative offices in Beijing, Shanghai, Sydney and Abu Dhabi.

Additionally, Shri Sethi is the Nominee Director on the Board of Bank's UK Subsidiary Union Bank of India (UK) Ltd. and a member of the Board of Union KBC Asset Management Company which is Bank's JV in Mutual Fund Business. He is also Vice Chairman of the Board of Trustee of Union Bank Social Foundation Trust. Earlier Shri Sethi had served as Nominee Director on the Board of Joint Venture Star Union Dai-ichi Life Insurance Company on behalf of Bank of India.



श्री विनोद कथूरिया
कार्यपालक निदेशक

Shri Vinod Kathuria
Executive Director

श्री विनोद कथूरिया ने 22 जनवरी, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री विनोद कथूरिया दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। 1983 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और इन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कथूरिया 2 वर्षों से अधिक समय तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मुंबई में ट्रेजरी प्रभाग के प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं निवेश पर ध्यान देते हुए कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार एवं ट्रेजरी कारोबार को भी संभाला। यूनियन बैंक में पदभार संभालने से पूर्व श्री कथूरिया पंजाब नेशनल बैंक के आगरा अंचल के प्रमुख रहे, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य क्षेत्र को कवर करता है।

ट्रेजरी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट के क्षेत्र में श्री कथूरिया की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के गठन का कार्य सौंपा था, जिसमें वे कोर मैनेजमेंट टीम के सदस्य थे। इसी प्रकार श्री कथूरिया वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा गठित बासल III मानदंडों के अंतर्गत टीयर-I पर्फेक्चुअल बांड्स की समिति के सदस्य भी थे। विपणन परिचालनों में क्षमता के कारण श्री कथूरिया ने एमसीएक्स-एसएक्स के बोर्ड के कार्यों के प्रबंधन हेतु सेबी द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं।

वे प्रिंसिपल ट्रस्टी कं. प्रा. लि. के बोर्ड में निदेशक, इंडिया फैक्ट्रिंग एण्ड फाइनेन्स सोल्यूशन प्रा. लि. में नामित निदेशक और पीएनबी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. में प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

Shri Vinod Kathuria has joined Union Bank of India as an Executive Director on 22nd January, 2016.

Shri Vinod Kathuria is Masters in Commerce from Delhi University and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He joined Punjab National Bank as a Management Trainee in 1983 and has gained vast experience spanning over more than 32 years in various facets of Banking.

During his tenure at Punjab National Bank, Mr Kathuria headed the Treasury Division at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai for 2 years plus. He has also handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury with a focus on Corporate Credit & Investment. Before joining Union Bank of India, Shri Kathuria headed the Agra Zone of Punjab National Bank which covers the Central Region of Uttar Pradesh State.

With knowledge and experience gained by Shri Kathuria in the field of Treasury and Corporate Credit, he was entrusted the assignment of formation of Bhartiya Mahila Bank by the Ministry of Finance (MoF) wherein he was member of the Core Management Team. Similarly, Shri Kathuria was also member of the Committee of Tier I Perpetual Bonds under Basel III Norms, the initiative taken by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India. Having niche in market operations, Shri Kathuria also served as the member of the committee formed by SEBI overseeing working of the Board of MCX-SX.

He was a Director on the Board of Principal Trustee Co. Pvt. Ltd., a Nominee Director on the Board of India Factoring and Finance Solutions Private Ltd. and Managing Director of PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.



श्री मिहिर कुमार

सरकार द्वारा नामित निदेशक

Shri Mihir Kumar
Govt. Nominee Director

दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं विधि में स्नातक श्री मिहिर कुमार ने 1997 में भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएस) ग्रहण की. अपने 19 वर्षों से अधिक के सेवा काल में श्री मिहिर कुमार ने सशस्त्र बलों के भुगतान, लेखा परीक्षा एवं वित्तीय सलाह के अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है. लोकतान्त्रिक गणराज्य कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल एमओएनयूसी में भारतीय शांति सुरक्षा ब्रिगेड के पहले वित्त अधिकारी के रूप में वे कार्यरत रहे. श्री कुमार आईडीएस अकादमी-राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन अकादमी (एनएडीएफएम), पुणे में संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण थे. वह रक्षा, विदेश, तेल तथा अन्य सभी केंद्रीय सरकारी खरीदों, जिसमें लगभग ₹ 50,000 करोड़ का रक्षा बजट भी शामिल है, के आडिट एवं भुगतान का कार्य संभालने वाले कार्यालय के द्वितीयक कमांडर रहे. 25 अक्टूबर, 2012 से वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं.

An Economics and Law graduate from Delhi University, Shri Mihir Kumar joined Indian Defence Accounts Service (IDAS) in 1997. In his service career of over nineteen years, Shri Mihir Kumar, has held a number of assignments relating to payment, audit and financial advice of Armed Forces. He was the first Finance Officer of Indian peace keeping Brigade in UN peace keeping force MONUC in Democratic Republic of Congo. Shri Kumar was Joint Director, Training in IDAS Academy-National Academy of Defence Financial Management (NADFM), Pune. He was second in command of the office handling audit and payment of all defence, foreign, oil and other central procurement items involving Defence Budget of about ₹ 50000 Cr. Since October 25, 2012 he is a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.



श्री अनिल कुमार मिश्रा
भारिबैं नामित निदेशक

Shri Anil Kumar Misra
RBI Nominee Director

केन्द्रीय बैंकर के रूप में करियर आरम्भ करने वाले तथा भारतीय रिजर्व बैंक में मुख्य महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार मिश्रा का लगभग 3 दशकों का वित्तीय क्षेत्र का अंतर-कार्यात्मक अनुभव है, जिसमें भारतीय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग ऋण मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियम एवं पर्यवेक्षण संबंधी अनुभव विशेष उल्लेखनीय है, जहां इन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कार्य किया।

इनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों में आरबीआई से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी), जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बासेल, स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित जी-20 की वित्तीय नियंत्रक इकाई है, में साढ़े चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। एफएसबी सचिवालय के सदस्य तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता के प्रचार हेतु एफएसबी द्वारा सौंपे गए विशेष जी-20 कार्य में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समन्वयक के रूप में उन्हें अनेक वैश्विक प्रणालीगत मामलों के एक्सपोजर के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रगत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों के मूल्यांकन व उन्हें सुलझाने का अवसर मिला। वह एफएसबी आउटरीच स्ट्रेटजी के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जी-20 द्वारा समर्थित प्रमुख वैश्विक पहल के प्रसार में बारीकी से सम्मिलित थे। इसमें 65 से अधिक देशों (एफएसबी के 24 सदस्य देशों के अतिरिक्त) में फैले हुए 6 सलाहकार समूह, जिनमें कई उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल थीं, में इन्होंने एफएसबी के जी-20 आदेशित गवर्नेंस सुधार प्रक्रिया को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं।

As a career central banker, Shri Anil Kumar Misra, a Chief General Manager with the Reserve Bank of India (RBI), Central Office, Mumbai, has over three decades of cross-functional financial-sector experience, with significant exposure to regulation and supervision of the Indian banking and non-banking credit intermediaries, an area where he spent over a decade.

His international experience includes four-and-a-half years' secondment from the RBI to the Financial Stability Board (FSB), which is the financial regulatory arm of the G20 and is hosted by the Bank for International Settlements, Basel, Switzerland. As a Member of Secretariat of the FSB and given the unique G20-mandated role of the FSB in coordinating the work of the international standard setters for promoting global financial stability, he gained rich exposure to a range of global systemic issues and the evolution of various cross-sectoral international financial standards to address them. He was closely involved in disseminating the major G20-endorsed global initiatives for financial sector reforms through the FSB's outreach strategy via its world-wide six Regional Consultative Groups, comprising over 65 countries (apart from the 24 member countries of the FSB) including many emerging market and developing economies. He also made critical contribution to evolving and implementing the G20-mandated governance reforms of the FSB, which led to structural changes in the FSB.

He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).



श्री जग मोहन शर्मा
सनदी लेखाकार निदेशक

**Shri Jag Mohan
Sharma**
C. A. Director

दिल्ली निवासी 66 वर्षीय श्री जगमोहन शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.काम (आनर्स) किया है। उन्हें 36 वर्षों से अधिक का चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है तथा उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये विशेष रूप से कार्य किया है। पिछले 36 वर्षों में उन्होंने बैंकों की शाखाओं की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा करने के साथ ही प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बड़े कारपोरेट देशीय उधारकर्ताओं की समुचित सावधानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया है। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के सीडीआर कक्ष के अंतर्गत अनुश्रवण संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीडीआर तंत्र के अधीन बड़े उधारकर्ताओं का संगामी लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया था। श्री शर्मा ग्रामीण तथा निचले तबके के लोगों के कल्याण के प्रति सतत समर्पित रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पीएनबी फार्मर्स वेल्फेयर ट्रस्ट के नाम से एक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी ट्रैक्टरों के लिए व्यापक बीमा कवर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया तथा इससे बचाये गए धन का उपयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि तकनीक में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा, किसानों के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, किसान परिवार की महिला सदस्यों को सिलाई मशीन प्रदान करना था। वह इसके प्रारम्भ से पांच वर्षों तक सांविधिक लेखापरीक्षक रहे। उपर्युक्त के अलावा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लाईज वेल्फेयर ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिना किसी लाभ के उद्देश्य या किसी धार्मिक समुदाय या जाति विशेष को बिना किसी लाभ के पंजाब नेशनल बैंक के सदस्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक सेन्टेनरी वेल्फेयर ट्रस्ट की स्थापना भी की। उन्होंने भारत तथा विश्व का व्यापक भ्रमण किया है।

Shri Jag Mohan Sharma from New Delhi aged 66 years has done B.Com (Hons) from Delhi University and is a practicing Chartered Accountant with more than 36 years of experience and has exclusively worked for the Public Sector Banks. In the long span of 36 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal Inspection, Concurrent audit, Statutory audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large corporate borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution, Punjab National Bank under CDR cell of RBI. Shri Sharma has a deep commitment for the welfare of the rural people and the down trodden. In this regard he has formulated and implemented a scheme under the name of PNB Farmer Welfare Trust under which requirement of comprehensive insurance policy was waived for all the tractors financed by the Punjab National Bank and money saved from this has been utilized in setting off the training centers in various parts of the country. It also aimed at improvement of farming technology, adult education, computer education for the wards of the farmers, provision of sewing machines to the female members of the farmer's families and remained statutory auditor for five years since its inception. Besides above he has created Punjab National Bank Employees Welfare Trust for the welfare of existing as well as retired employees under the Corporate Social responsibility. He has also created Punjab National Bank Centenary Welfare Trust for the purpose of the welfare of the members of Punjab National Bank without there being any profit motive and/or benefits to any particular religious community or caste. He has widely travelled in India and abroad.



श्री गोपाल कृष्ण लाठ
शेयरधारक निदेशक

Shri Gopal Krishan Lath
Shareholder Director

लखनऊ निवासी 64 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल सहित वाणिज्य में स्नातक हैं तथा उन्हें 36 वर्षों से अधिक का चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है। वे 29 वर्षों से अधिक समय से मेसर्स ए.सचदेव एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंध भागीदार हैं। श्री लाठ आईसीएआई द्वारा 'पीअर रिव्यूवर' के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनियमों के अनुरूप विभिन्न सीए फर्मों की समकक्ष समीक्षा की है। बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त, उन्होंने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कई निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा एवं अन्य कार्य किया है। श्री लाठ 'श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार' द्वारा नामित 'स्थायी त्रिपक्षीय समिति' तथा न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड' के भी सदस्य थे। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उ.प्र. में निजी इंजीनियरिंग कालेजों में फीस निर्धारण' के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी नामित किया गया था।

Shri Lath from Lucknow aged 64 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 36 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since more than 29 years. Shri Lath is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects. Shri Lath was also a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labour and Employment, Government of India". He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for "fixation of fees of private engineering colleges in U.P."



डॉ. के.रमेश
अंशकालिक गैर सरकारी
निदेशक

Dr. K. Ramesha
Part time Non-Official
Director

डॉ. के.रमेश ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एण्ड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में 4 वर्ष प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पश्चात 1986 में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने संकाय सदस्य के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल बैंकिंग में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान(एनआईबीएम) में कार्य ग्रहण किया। एनआईबीएम में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध/परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं। पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश ने व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/ एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित अनेक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। डॉ. रमेश ने एनआईबीएम में डीन, एज्यूकेशन के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे डीन, शोध के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने बैंकों के लिए अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों की रूपरेखा तैयार कर इनका सफल आयोजन किया है। एनआईबीएम में कार्य ग्रहण करने से पूर्व एवं पश्चात उन्होंने शोध एवं परामर्शी परियोजनाओं में सहभागिता एवं उनके समन्वय का कार्य किया है। वर्तमान में डॉ. रमेश सदरन इंडियन बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के बोर्ड में कार्यरत हैं।

Dr. K. Ramesha, after serving the Department of Post Graduate Studies and Research in Economics, University of Mysore as a Lecturer for 4 years, joined Kerala Agricultural University as an Assistant Professor in 1986. Subsequently, he worked for National Institute of Rural Banking as a member of faculty. He joined National Institute of Bank Management in 1996. As a Professor at NIBM, Dr. Ramesha is engaged in post graduate teaching, corporate training and research/consulting activities. Apart from guiding Ph.D,

students of University of Pune in the area of banking and finance, Dr. Ramesha has published several research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of general banking, SME finance, micro credit /SHGs, co-operative banking and retail finance. Dr. Ramesha has served as Dean – Education in the past and currently serving as Dean – Research at NIBM. He has designed and organised several top/senior level training programmes, workshops and seminars for bankers. He has also participated and coordinated several research/consultancy assignments before and after joining NIBM. Currently, Dr. Ramesha is also serving on the Board of Southern Indian Banks Staff Training College.



डॉ रवीन्द्रराय हर्षदराय

ढोलकिया

शेयरधारक निदेशक

**Dr. Ravindrara
Harshadrai Dholakia**
Shereholder Director

63 वर्षीय अहमदाबाद निवासी डॉ ढोलकिया आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं और उन्हें 37 वर्षों का अनुभव है. वे मास्टर ऑफ आर्ट्स (गोल्ड मेडलिस्ट), पीएचडी अर्थशास्त्र (एमएसयू, बड़ौदा) तथा पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो) हैं. वे एयर इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं. वे छठे केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार एवं गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया है. उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीतियों के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं.

Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 63 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 37 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Univ. of Toronto). He is a Director on the Boards of Air India, Adani Enterprises Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited. He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of economic development and policies.



डॉ उत्तम कुमार सरकार

शेयरधारक निदेशक

**Dr. Uttam Kumar
Sarkar**
Shereholder Director

डॉ. उत्तम कुमार सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. एक बहुराष्ट्रीय डिजाइन ऑटोमेशन कंपनी में उच्च पद पर रहने तथा आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के उपरांत वर्ष 1997 से वे आईआईएम कलकत्ता में कार्यरत हैं, जहां वर्तमान में वे मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम ग्रुप में प्रोफेसर तथा न्यू इनिशिएटिव्स एण्ड एक्स्टर्नल रिलेशंस के डीन भी हैं. उन्होंने 4 वर्ष तक फ्लोरिडा, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया है. उनकी मूल अध्यापन रुचियों में डाटा माइनिंग तथा बिजनेस एनालिटिक्स शामिल हैं. उनके शोध पत्र कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं. उन्होंने शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तथा ऑटोमेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के कई परामर्शी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है.

Dr. Uttam Kumar Sarkar did his B.Tech, M.Tech, and Ph.D in the department of Computer Science and Engineering of IIT Kharagpur. Having served a Design Automation multinational industry in a senior position and IIT Delhi as an Assistant Professor he is with IIM Calcutta since 1997 where he is presently a Professor in Management Information System Group and also the Dean of New Initiatives and External Relations. He had spent four years as a visiting faculty in a University in Florida, USA. His primary teaching interests include data mining and business analytics. His research publications appeared in major international journals and he carried consulting assignments for the Government of India in areas including education, food processing, agriculture, and automation.

मुख्य सतर्कता अधिकारी - Chief Vigilance Officer

श्री अतुल कुमार

Shri Atul Kumar

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1	श्री एच के बेहेरा	Shri H K Behera
2	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
3	श्री देबज्योति गुप्ता	Shri Debajyoti Gupta
4	श्रीमती रेखा पी नायक	Smt Rekha P Nayak
5	श्री के चंद्रशेखर	Shri K Chandrashekar
6	श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
7	श्री आर के चौधरी	Shri R K Choudhary
8	श्री जी आर पाडलकर	Shri G R Padalkar
9	श्री एल डी रेवतकर	Shri L D Rewatkar
10	श्री एस के गुप्ता	Shri S K Gupta
11	श्रीमती हेमलता राजन	Smt Hemalatha Rajan
12	श्री ए के दीक्षित	Shri A K Dixit
13	श्री डी डी मिस्त्री	Shri D D Mistry
14	श्री ए के मित्तल	Shri A K Mittal
15	श्री एस के जैन	Shri S K Jain
16	श्री जी एस रावत	Shri G S Rawat
17	श्री पी सी पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi
18	श्री आर कंडासामी	Shri R Kandasamy
19	श्री ए के जैन	Shri A K Jain
20	श्री एस के परीडा	Shri S K Parida
21	श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma
22	श्री वी वी शेनाय	Shri V V Shenoy
23	श्री आर आर मोहंती	Shri R R Mohanty
24	श्री वी एच कामत	Shri V H Kamath
25	श्री एच एन सक्सेना	Shri H N Saxena
26	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt Monika Kalia
27	श्री पी आर राजगोपाल	Shri P R Rajagopal
28	श्री वी पी उसारिया	Shri V P Usharia

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1. श्री के.सी.चरमन्ना	Shri K C Charmana	48. श्री एम वेंकटेश	Shri M Venkatesh
2. श्री रवि कुमार गुप्ता	Shri Ravi Kumar Gupta	49. श्री आई विश्वनाथन	Shri I Viswanathan
3. श्री एस सी चितकारा	Shri S C Chitkara	50. श्री वी एम जैन	Shri V M Jain
4. श्री वी के चावला	Shri V K Chawla	51. श्री पी सत्यनारायण	Shri P Satyanarayana
5. श्री एस एच कंधारिया	Shri S H Kantharia	52. श्री भोला प्रसाद	Shri Bhola Prasad
6. श्री वी के गाबा	Shri V K Gaba	53. श्री आर सेंधील	Shri R Sendhil
7. श्री बी बी जोशी	Shri B B Joshi	54. श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh
8. कैप्टन आर राजाराम	Capt. R Rajaram	55. श्री आर के जगलान	Shri R K Jaglan
9. श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril	56. श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma
10. श्री वी एम काथवटे	Shri V M Kathavate	57. श्री वी.के सिंघल	Shri V K Singhal
11. श्री एम के डोंगरे	Shri M K Dongre	58. श्री एस के चन्द्र	Shri S K Chandra
12. श्री आर नेलियप्पन	Shri R Nellaippan	59. श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar
13. श्रीमती एल एम पै	Smt L M Pai	60. श्री वी डी वाला	Shri V D Vala
14. श्री पी के साहा	Shri P K Saha	61. श्री एस के अग्रवाल	Shri S K Agrawal
15. श्री डी शिवगुरु	Shri D Sivaguru	62. श्री के एस एन मूर्ति	Shri K S N Murthy
16. श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan	63. श्री अश्वनी के शर्मा	Shri Ashwani K Sharma
17. श्री केशव बैजल	Shri Keshav Baijal	64. श्री ए के धर्बाई	Shri A K Dhabhai
18. श्री वी के जैन	Shri V K Jain	65. श्री आशुतोष के शर्मा	Shri Ashutosh K Sharma
19. श्री आर पी बेरी	Shri R P Berry	66. श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
20. श्री आर पी वायकुल	Shri R P Waykul	67. श्री आशीष पांडे	Shri Asheesh Pandey
21. श्री बी एस नागेन्द्र नाथ	Shri B S Nagendra Nath	68. श्री तपन चक्रवर्ती	Shri Tapan Chakraborty
22. श्री एस एन कौशिक	Shri S N Kaushik	69. श्री एस के गर्ग	Shri S K Garg
23. श्री सी आर पात्रा	Shri C R Patra	70. श्री डी बी कांबले	Shri D B Kambale
24. श्री एस के डे	Shri S K De	71. श्री ए एल नेरुरकर	Shri A L Nerurkar
25. श्री आई ए खान	Shri I A Khan	72. श्री सी बी झा	Shri C B Jha
26. श्री के पी आचार्य	Shri K P Acharya	73. श्रीमती आर ई ईरानी	Smt R E Irani
27. श्री ए कृष्णास्वामी	Shri A Krishnaswamy	74. श्री बी एस वेंकटेश	Shri B S Venkatesha
28. श्री एस के महापात्रा	Shri S K Mohapatra	75. श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh
29. श्री डी सी चौहान	Shri D C Chauhan	76. श्री एस के पाणिग्रही	Shri S K Panigrahi
30. श्री आर के कश्यप	Shri R K Kashyap	77. श्री सी एम गुप्ता	Shri C M Gupta
31. श्री ए के सिंह	Shri A K Singh	78. श्री एस सी तेली	Shri S C Teli
32. श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma	79. श्री आर गणेशन	Shri R Ganesan
33. श्री डी ए कामत	Shri D A Kamath	80. श्रीमती एस के नारकर	Smt S K Narkar
34. श्री के एल राजू	Shri K L Raju	81. श्री पी के दास	Shri P K Das
35. श्री आर रामनाथन	Shri R Ramanathan	82. श्री टी वी वेणुगोपाल	Shri T V Venugopal
36. श्री वी के श्रीवास्तव	Shri V K Srivastava	83. श्री आर मुरली	Shri R Murali
37. श्री डी के नायक	Shri D K Naik	84. श्रीमती एम आर खन्ना	Smt M R Khanna
38. श्री वी वी टेम्भूर्ने	Shri V V Tembhurne	85. श्री एच सी मित्तल	Shri H C Mittal
39. श्री आर एस बंसल	Shri R S Bansal	86. श्री आई ए नारायणन	Shri I A Narayanan
40. श्री सी एस सुलगंटे	Shri C S Sulgante	87. श्री कल्याण कुमार	Shri Kalyan Kumar
41. श्रीमती सी एस नारायणी	Smt C S Narayani	88. श्री ए वी कृष्ण मोहन	Shri A V Krishna Mohan
42. श्री एन के श्रीवास्तव	Shri N K Srivastava	89. श्री एस एस सरोया	Shri S S Saroya
43. श्री बी एस राव	Shri B S Rao	90. श्री एन आर सामल	Shri N R Samal
44. श्री पी एस राजन	Shri P S Rajan	91. श्री पी के सोनी	Shri P K Soni
45. श्री ओ पी निगम	Shri O P Nigam	92. श्री अशोक कुमार	Shri Ashok Kumar
46. श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh	93. श्री बी बालकृष्ण	Shri B Balakrishna
47. श्री डी डी संघवी	Shri D D Sanghavi		

वर्ष 2015-16 की प्रमुख बातें

- ❑ 31 मार्च, 2016 को बैंक का कुल कारोबार 7.04% की वृद्धि के साथ ₹ 6,20,445 करोड़ रहा.
- ❑ 31 मार्च, 2016 को बैंक की कुल जमाराशियां 8.16% की वृद्धि के साथ ₹ 3,42,720 करोड़ रहीं.
- ❑ 31 मार्च, 2016 को बैंक के कुल अग्रिम 5.70% की वृद्धि के साथ ₹ 2,77,725 करोड़ रहे.
- ❑ कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश 31 मार्च, 2015 के 29.24% से सुधरकर 31 मार्च, 2016 को 32.35% हो गया.
- ❑ 31 मार्च, 2016 को अग्रिमों में रैम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई) क्षेत्र में 10.97% की वृद्धि हुई तथा घरेलू ऋण बही में इसका योगदान 52% से अधिक हो गया.
- ❑ गैर ब्याज आय 3.09% की वृद्धि के साथ ₹ 3,523 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,632 करोड़ हुई.
- ❑ कोर शुल्क आय ₹ 1,872 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,879 करोड़ हुई.
- ❑ 31 मार्च 2016 को बासल- III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9.00% की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 10.56% रहा. सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 7.95% रहा.
- ❑ प्रस्तावित लाभांश 19.50%.
- ❑ संपूर्ण भारत में उपस्थिति-31 मार्च, 2016 को 4,200 शाखाओं (4 ओवरसीज शाखाओं सहित) तथा 6,883 एटीएमों का नेटवर्क.

Highlights for FY 2015-16

- ❑ Total Business of ₹ 6,20,445 crore as on March 31, 2016, an increase of 7.04%.
- ❑ Total Deposits of ₹ 3,42,720 crore as on March 31, 2016, an increase of 8.16%.
- ❑ Gross Advances of ₹ 2,77,725 crore as on March 31, 2016, an increase of 5.70%.
- ❑ Share of CASA deposit in total deposits improved to 32.35% as on March 31, 2016 from 29.24% as of March 31, 2015.
- ❑ In Advances as of March 31, 2016, RAM sector (Retail, Agriculture & MSME) increased by 10.97% and contributes more than 52% of domestic loan book.
- ❑ Non Interest Income increased by 3.09% from ₹ 3,523 crore to ₹ 3,632 crore.
- ❑ Core Fee Income increased from ₹ 1,872 crore to ₹ 1,879 crore.
- ❑ Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel III stood at 10.56% as on March 31, 2016 against the minimum regulatory requirement of 9.00%. Common equity tier 1 ratio stood at 7.95%.
- ❑ Proposed dividend at 19.50%
- ❑ Pan India presence- Network of 4200 (including 4 overseas branches) and 6883 ATMs as on March 31, 2016.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण (प्रतिशत में)	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62
6	लागत आय अनुपात	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49
8	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84
9	अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33
10	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35
11	अग्रिमों पर प्रतिफल	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63
12	जमा राशियों की लागत	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00
13	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95
14	ऋण जमा अनुपात	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69
15	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91
16	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II)	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74	11.14
	टियर - I	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60	8.23
	टियर - II	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14	2.91
17	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56
	टियर - I	-	-	-	-	-	-	-	7.54	7.50	8.14
	टियर - II	-	-	-	-	-	-	-	3.26	2.72	2.42

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	कर्मचारी (संख्या)	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473
2	शाखाएं (संख्या)	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	: कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटाये
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	: परिचालन व्यय/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	: सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	: कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)	
- जमाराशि अनुपात	: कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें
प्रति शेयर बही मूल्य	: नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक **सोमवार, दिनांक 27 जून, 2016** को **प्रातः 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2016** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष **2015-16** के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

मद क्र. 3

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("**योजना**") तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय- समय पर संशोधित (विनियम), भारतीय रिजर्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2009 (**आईसीडीआर विनियम**) यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय- समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("**लिस्टिंग विनियम**") संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "**दि बोर्ड**" कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाय एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) तक के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो ₹ 687.44 करोड़ (रुपये छह सौ सत्तासी करोड़ एवं चवालीस लाख मात्र) की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित ₹ 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र), जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का

अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार से कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("**एनआरआई**"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (**क्यूआईबी**), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("**एफआईआई**"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक की इक्विटी/ प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन (निश्चित आवंटन और / या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधिआवंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आवंटन, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, आईसीडीआर विनियम, लिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं.

"पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजारों के साथ किये गये लिस्टिंग करार, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी

निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखा/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय- समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में उल्लेख है, के अनुसार आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य, ऐसे तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी के 51% से कम न हो."

“पुनः संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में

- ए) प्रतिभूतियों का आवंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी."

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आवंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा."

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई हैं, का निर्गम और आवंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन परंतु अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होगा."

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित नये इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई हो, के लिये पात्र होंगे."

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य,

निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हैं, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अभिगोपक, डिपाजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंसी, जो इक्विटी एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है."

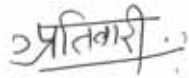
“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

“पुनः संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

“**पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक (कों) या निदेशकों की समिति को प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाए या एवं एतद्वारा किया जाता है.”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 12 मई, 2016

नोट:

1. व्याख्यात्मक वृत्तांत

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 03 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तान्त इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में **उप महाप्रबंधक को संबोधित, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021** के पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 22 जून, 2016** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में, उक्त पते पर, बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 22 जून, 2016** को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग- इन आई डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली वोटिंग प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान यदि कोई है तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए.

5. अंतरण दायर करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अंतरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाना चाहिए.

6. बुक क्लोजर

यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित होता है, तो वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं वित्त वर्ष 2015-16 हेतु शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता निश्चित करने के लिए शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **मंगलवार, दिनांक 21 जून, 2016 से सोमवार दिनांक 27 जून, 2016 तक (दोनों दिन मिलाकर)** बंद रहेगा.

7. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक **27 जून, 2016** को दर्ज हैं तथा डिमैट के रूप में रखे गए शेयरों के मामलों में, दिनांक **20 जून, 2016** को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर हितकारी स्वामित्व (बेनपोस) के आधार पर प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान **5 जुलाई, 2016** को किया जाएगा. बैंक द्वारा लाभांश की राशि शेयरधारकों के खातों में यूनियन बैंक खातों में सीधे जमा/ एनएसआईएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस, जो भी संभव हो के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी.

8. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से

संपर्क करें. डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधित) अधिनियम 2006 द्वारा बैंकिंग कम्पनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 में संशोधन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व वर्षों और उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात घोषित अदावाकृत/ अदत्त लाभांश की शेष राशि को 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित करें.

उक्त 'अशोधित लाभांश खाते' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (सी) के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में बैंक अथवा निधि से भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 तक अदत्त लाभांश राशि को आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2008-09 से अशोधित लाभांश राशि को शेयरधारकों द्वारा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर देखा जा सकता है.

9. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैन्डेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है. ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,

एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल

अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400 093

सी) बैंक का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को.

ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें.

10. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट- डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले नहीं दिया गया हो.

11. फोलियो का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को प्रेषित करें.

12. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेज दी गई हैं तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10%** से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन तथा विनियम के नियम 68 के अनुसार कोई शेयरधारक, जो **कट-ऑफ तारीख अर्थात सोमवार 20 जून, 2016** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तो वह हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और

मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी

विनियम के नियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा।

14. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे।

15. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारक, अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डि-मैट खाता संचालित कर रहे हैं।

16. ई-वोटिंग

- I. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक सामान्य बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर एलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक सामान्य बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा **नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL)** द्वारा प्रदान की जा रही है।
- II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरहोल्डर अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- III. जिन शेयरहोल्डरों ने वार्षिक सामान्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक **24 जून 2016 (प्रातः 9.00 बजे)** से प्रारम्भ होकर **26 जून 2016 (सायं 5.00 बजे)** तक रहेगी। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख **20 जून, 2016** को फिजिकल या डि-मैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट

करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

V. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है

- ए. नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) से शेयरहोल्डर को ई-मेल मिलने की दशा में (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है):
 - (i) ई-मेल खोलें और अपने ग्राहक आई.डी.या फोलिओ नम्बर के द्वारा पी.डी.एफ. फाइल अर्थात "remote e-voting.pdf" खोलें। इस पी.डी.एफ.फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड/पिन रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड केवल आरम्भिक पासवर्ड है।
 - (ii) निम्न यू.आर.एल.टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरम्भ करें <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें - लॉगइन
 - (iv) उपर्युक्त मद क्र.(i) के अनुसार आरम्भिक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। लॉगइन क्लिक करें।
 - (v) पासवर्ड बदलने के लिए मेनू दिखेगा। अपनी पसन्द का नया पासवर्ड/ पिन परिवर्तित करें जो 8 अंकों/ कैरेक्टर्स या दोनों मिलाकर हो सकता है। नया पासवर्ड नोट करें। यह सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।
 - (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलता है। रिमोट ई-वोटिंग: पर क्लिक करें। एक्टिव वोटिंग साइकल (Active Voting Cycles)।
 - (vii) "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के "EVEN" को चुनें।
 - (viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वोट करने के लिए पेज खुल गया है।
 - (ix) यथोचित विकल्प का चयन कर वोट डाल दें और "Submit" तथा उसके बाद "Confirm" पर क्लिक करें।
 - (x) पुष्टि (Confirmation) के बाद यह संदेश दिखेगा "Vote cast successfully"।
 - (xi) संकल्प पर एक बार आपके द्वारा वोट करने के बाद आपके वोट में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
 - (xii) संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, गैर निवासी भारतीयों आदि के अलावा) द्वारा वोट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षरों के सत्यापन के साथ, संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रतियां (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा snv@snaco.net तथा evoting@nsdl.co.in पर भेजना होगा।

बी. यदि शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना फिजिकल कापी द्वारा मिलती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं हैं या फिजिकल कापी की मांग की है):

(i) आरम्भिक पासवर्ड वार्षिक सामान्य बैठक की उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में दिया गया है.

(ii) वोट करने के लिए, उपर्युक्त मद क्रमांक (ii) से (xii) का पालन करें.

VI. किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल में देखा जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है.

VII. रिमोट वोटिंग के लिए यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप वोट करने के लिए अपना विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड/ पिन का प्रयोग कर सकते हैं.

VIII. यूजर प्रोफाइल विवरण के फोलियो में आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य के संवादों के लिए किया जा सकता है.

IX. यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और **कट-ऑफ तारीख सोमवार अर्थात 20 जून 2016** को शेयरधारक रहता है, निम्नांकित ई-मेल आई पर अनुरोध प्रेषित कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

evoting@nsdl.co.in या

investorservices@unionbankofindia.com या

ubiinvestors@dfssl.com

तथापि, यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" विकल्प से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं.

X. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ की तारीख को, शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक सामान्य बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग के लिए पात्र होगा.

XI. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

XII. अध्यक्ष द्वारा जांचकर्ता की सहायता से वार्षिक सामान्य बैठक में संकल्पों पर चर्चा के अंत में उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान करेंगे, जो इस बैठक में उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XIII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम तीन दिनों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी.

XIV. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से परिणामों की घोषणा होने के तुरन्त बाद, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) पर रखा जाएगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) को भेजे जाएंगे.

17. वोटिंग व चुनावों के परिणाम

ई-वोटिंग व चुनावों के समेकित परिणाम बैठक के अंत में घोषित किये जाएंगे और इसे बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

18. मतदान के पर्यवेक्षक

जैसाकि ई-वोटिंग के लिए पहले ही संकेत किया जा चुका है कि कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ), सभी एजेंडा आइटम के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

व्याख्यात्मक विवरण

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम :

बॉसल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक के लिए 31 मार्च, 2017 तक कॉमन इक्विटी टियर-1(सीईटी1) रूप में न्यूनतम 5.5%, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 1.25%, इक्विटी शेयर पूंजी टियर 1 के रूप में 8.25% और समस्त सीआरएआर के रूप में 10.25% की प्राप्ति करनी है. बॉसल-III की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बैंक के भविष्य की विस्तार योजनाओं और तदनुसार पूंजी की आवश्यकता के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किये जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू), और/या राइट इश्यू और/या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जायेगा.

बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) सहित पब्लिक इश्यू (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या भारत सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से

इक्विटी पूंजी को ₹ 3700 करोड़ (रुपये तीन हजार सात सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त की थी, जो कि 25 जून, 2016 तक वैध है। सितंबर, 2015 में बैंक को भारत सरकार से ₹ 1080 करोड़ (रुपये एक हजार अस्सी करोड़ मात्र) की पूंजी प्राप्त हुई। तथापि, प्रतिकूल बाजारी स्थितियों के कारण अन्य तरीकों से पूंजी जुटाने पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया गया। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दस सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने की योजना है।

इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख वहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे। इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाय, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि:-

- i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII और/ या अन्य लागू विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि को अधिनियम की धारा 81(1-ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल/ या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।
- ii. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि यह आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा।

- iii. पूर्णतः चुकता शेयरों का निर्गम एवं आवंटन केवल अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जायेगा तथा आवंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जायेगा।
- iv. प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अभिगोपकों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।
- v. अधि आवंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के 5 गुने से अधिक नहीं होगी।
- vi. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के तहत समय- समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आवंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी।
- vii. आवंटित किये गये इक्विटी शेयर लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैठक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिवारी

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 12 मई, 2016

निदेशकों की रिपोर्ट

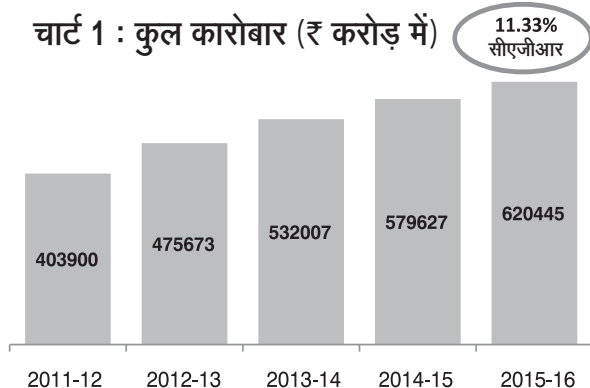
प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2015-16 का “लेखापरीक्षित तुलनपत्र”, “लाभ एवं हानि खाता”, “नकद प्रवाह विवरण” और “प्रबंधकीय चर्चा व विश्लेषण” पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 97वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एवं कारोबारी दायित्व रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 का एक भाग है.

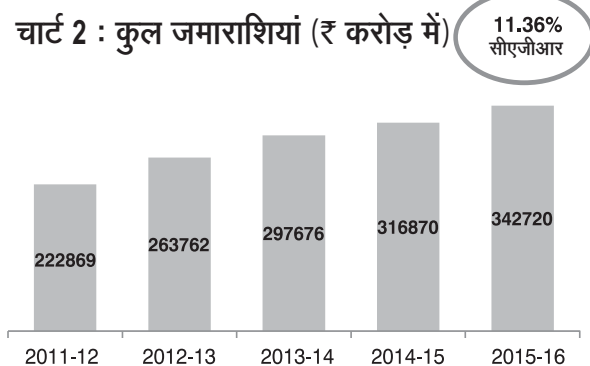
1. वित्तीय आंकड़े एक दृष्टि:

- 1.1. चालू वित्त वर्ष 2015-16 के आरंभ में आपके बैंक ने संस्थागत दक्षता के जरिये आय वृद्धि पर ध्यान देते हुए बाजार के साथ चलने पर विचार किया था. प्रक्रियागत आस्ति पुनर्संतुलन अवधारणा के साथ आपका बैंक मार्जिन में सुधार तथा जोखिम आधारित आस्तियों के बेहतर उपयोग हेतु ऋण संविभाग के संतुलन पर निरन्तर ध्यान केंद्रित कर रहा है. आस्ति पक्ष में रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) तथा देयता पक्ष में बचत बैंक तथा रिटेल मीयादी जमा राशियां बैंक के वरीयता वाले क्षेत्र रहे हैं.
- 1.2. डिजिटलीकरण के युग में आपका बैंक ग्राहकों की अपेक्षा के अनुसूच नवोन्मेषित डिजिटल उत्पाद व सॉल्युशनों के द्वारा संव्यवहार बैंकिंग जगत में अच्छे खिलाड़ी के स्तर में उभरा है. समग्र लेनदेनों में डिजिटल चैनलों के जरिये संव्यवहारों का हिस्सा बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 66.7 प्रतिशत हो गया है.
2. **कारोबार:** निम्नांकित ग्राफ में दर्शाए गए कारोबारी आंकड़े संतुलित संवृद्धि की रणनीतिक अवधारणा दर्शाते हैं:

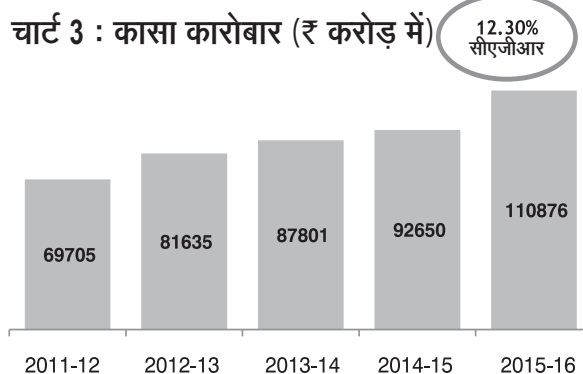
चार्ट 1 : कुल कारोबार (₹ करोड़ में)



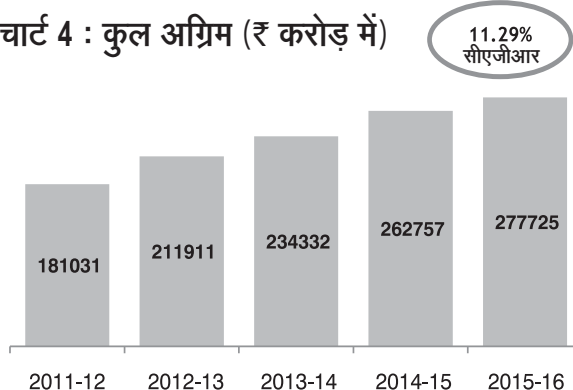
चार्ट 2 : कुल जमा राशियां (₹ करोड़ में)



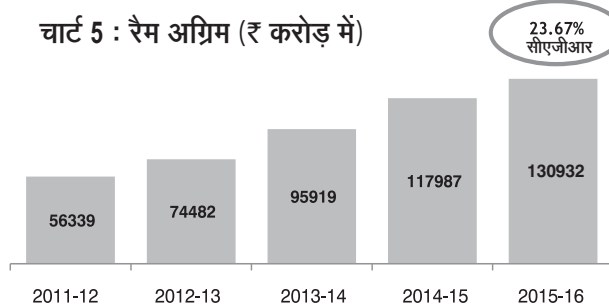
चार्ट 3 : कासा कारोबार (₹ करोड़ में)



चार्ट 4 : कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)



चार्ट 5 : रैम अग्रिम (₹ करोड़ में)



- 2.1 आपके बैंक का वैश्विक कारोबार 7.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2016 को ₹6,20,445 करोड़ हो गया है. बैंक ने पहले से कार्यरत 3 ओवरसीज शाखाओं हांगकांग, डीआईएफसी(दुबई), एंटवर्प (बेल्जियम) तथा हाल ही में खोली गयी सिडनी आस्ट्रेलिया शाखा के माध्यम से ओवरसीज कारोबार में अपनी उपस्थिति बनाये रखी है. गत वर्ष की तुलना में ओवरसीज कारोबार में 25.4 प्रतिशत (रूपये में) वृद्धि हुई है.
- 2.2 कासा(चालू व बचत बैंक खातों) में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल जमा राशियों में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. घरेलू जमा राशियों में 7.6 प्रतिशत व ओवरसीज जमा राशियों में 43 प्रतिशत (रूपये में) वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान चालू जमा राशियों में 41 प्रतिशत तथा बचत जमा राशियों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस प्रकार कासा का भाग गत वर्ष के 29.2 प्रतिशत से 310 बीपीएस(बेसिस पाइंट) सुधरकर 32.3 प्रतिशत हो गया है. जमा राशियों की लागत 31 बीपीएस की उल्लेखनीय

गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2014-15 के 7.31 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में 7.0 प्रतिशत हो गयी है।

- 2.3 सकल अग्रिम 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2016 को ₹2,77,725 करोड़ हो गया। ओवरसीज अग्रिम में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च, 2016 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को कुल ऋणों में आपके बैंक का बाजार हिस्सा 3.12 प्रतिशत रहा है। आपका बैंक अपने ऋण संविभाग का रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई(रैम) की ओर विविधीकरण करता रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल अग्रिमों में रैम की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014-15 के 48.9 प्रतिशत से बढ़कर 52.0 प्रतिशत हो गयी। फलस्वरूप, ऋण जोखिम भारित आस्तियां(आरडब्ल्यूए) वित्त वर्ष 2014-15 के 75.7 प्रतिशत से घटकर 74.3 प्रतिशत हो गयी हैं।

चार्ट 6 : ऋणों में आरडब्ल्यूए ऋण अनुपात (%)



3. आय एवं व्यय:

तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण				
(₹करोड़)				
	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वार्षिक संवृद्धि	
			वास्तविक	%
अर्जित ब्याज	32198.8	32084.0	114.8	0.4
अन्य आय	3631.7	3523.0	108.7	3.1
कुल आय(1+2)	35830.5	35607.0	223.6	0.6
व्यय किया गया ब्याज	23885.7	23640.1	245.6	1.0
शुद्ध ब्याज आय(1-4)	8313.1	8443.9	-130.8	-1.5
परिचालन व्यय	6222.8	6143.4	79.4	1.3
जिसमें से स्थापना व्यय	3620.0	3786.0	-166.0	-4.4
कुल व्यय(4+6)	30108.5	29783.5	325.0	1.1
परिचालन लाभ(3-7)	5722.0	5823.5	-101.5	-1.7
प्रावधान	4291.0	4041.8	249.2	6.2
शुद्ध लाभ	1351.6	1781.6	-430.0	-24.1
प्रति शेयर आय(₹)	20.4	28.1	-7.6	-27.2

- 3.1 मौद्रिक नीति में की गयी प्रमुख दरों में कटौती की राहत के अनुसार आपके बैंक ने भी अपनी ऋण दरों में कटौती की है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध ब्याज आय में संतुलन की स्थिति बनी है। ब्याज आय, गत वर्ष से मामूली बढ़ोतरी

के साथ वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 32,198.8 करोड़ हो गयी है तथा शुद्ध ब्याज आय ₹ 8,313.1 करोड़ हो गई।

- 3.2 कोर शुल्क आधारित आय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आपके बैंक ने 3.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जहां वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 3632 करोड़ की गैर ब्याज आय अर्जित की है, वहीं व्यय पक्ष में स्थापना व्यय में 4.4 प्रतिशत की कमी आयी है। वित्त वर्ष 2015-16 में परिचालन व्यय ₹ 5,722.0 करोड़ रहा है। प्रावधानों की राशि वित्त वर्ष 2014-15 के ₹4,041.8 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 4,291.0 करोड़ हो गयी है।

4. लाभप्रदता एवं दक्षता:

- 4.1 प्रतिकूल व्यापक आर्थिक परिदृश्य में, जहां संपत्ति की गुणवत्ता एक प्रमुख चुनौती बनी रही, आपके बैंक ने परिचालन क्षमता के संबंध में वित्तीय सुदृढ़ता को बनाए रखा है। वर्ष 2015-16 के दौरान औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.35 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ 6.84 प्रतिशत रहा। लागत आय अनुपात 52.10 प्रतिशत पर थी।

तालिका 2: दक्षता अनुपात		
मानदंड (%)	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.35	0.49
इक्विटी पर प्रतिलाभ	6.84	9.73
लागत लाभ अनुपात	52.1	51.34

- 4.2 गैर निष्पादक आस्तियों पर प्रावधानों के कारण शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2014-15 के ₹1781.6 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹1351.6 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं:

तालिका 3: उत्पादकता अनुपात		
मानदंड	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़)	15.5	14.5
प्रति शाखा औसत कारोबार(₹ करोड़)	131.0	125.8
प्रति कर्मचारी सकल लाभ(₹ लाख)	16.1	16.4
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ(₹ लाख)	3.8	5.0
प्रति शाखा शुद्ध लाभ(₹ लाख)	32.2	43.7

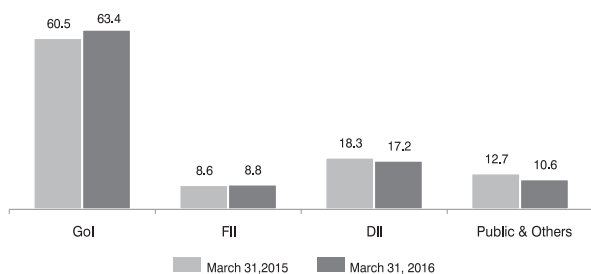
5 लाभांश:

- 5.1 बैंक का कार्यनिष्पादन, बासल III विनियामक पूंजी अपेक्षा तथा बैंक के शेयर में शेयरधारकों के विश्वास पर विचार करते हुए निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2015-2016 के लिए 19.5 प्रतिशत लाभांश अर्थात ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य पर ₹1.95 लाभांश का प्रस्ताव किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश भुगतान अनुपात(लाभांश कर को छोड़कर) 9.9 प्रतिशत होगा।

6. शेयरधारकों को प्रतिफल:

- 6.1 आपके बैंक की शुद्ध संपत्ति गत वर्ष के ₹18312 करोड़ से 7.9 प्रतिशत सुधरकर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹19764 करोड़ हो गयी है तथा इस प्रकार मार्च 2016 में प्रति शेयर पुस्तक मूल्य ₹287.51 तथा प्रति शेयर अर्जन ₹20.42 बना रहा।

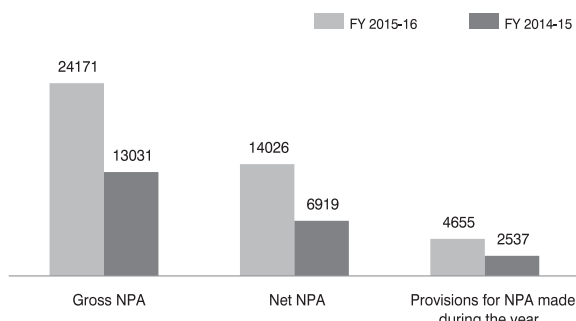
चार्ट 7: वि. व. 2014-15 एवं 2015-16 के लिए शेयरधारिता (%) पैटर्न



7. आस्ति गुणवत्ता:

- 7.1 ऋण संविभाग में बढ़ते दबाव ने भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित किया है। गत एक वर्ष में भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने सामान्य स्तर से भारी ऋण चूक मामलों का सामना किया। बंद परियोजनाओं में संकुचित नकदी प्रवाह के कारण विभिन्न कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा अपना ऋण चुकाना मुश्किल हो गया है, जिसके फलस्वरूप ऋण रीस्ट्रक्चरिंग या भुगतान में चूक की स्थिति हो गयी है। फलस्वरूप सकल एनपीए 8.70 प्रतिशत तथा शुद्ध एनपीए 5.25 प्रतिशत रहा है। एनपीए पर प्रावधान वित्त वर्ष 2014-15 के ₹2537 करोड़ से 83.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2015-16 में ₹4655 करोड़ हो गया है।

चार्ट 8: सकल एनपीए, शुद्ध एनपीए तथा एनपीए पर प्रावधान (रु. करोड़ में)



8. क्रेडिट रेटिंग:

- 8.1 आपके बैंक के ऋण उत्पाद उच्च स्तरीय सुरक्षा वाले उत्पाद माने जाते हैं, जिनमें वित्तीय दायित्वों को समय से पूरा करने के संबंध में काफी कम ऋण जोखिम शामिल है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी रेटिंग निम्नानुसार है:

तालिका 4: रेटिंग				
रेटिंग एजेंसी	शाश्वत बांड	उच्चतर टियर 2 बांड	न्यूनतम टियर 2 बांड	टियर 2 (बासल III अनुपालन)
क्रिसिल	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
इकरा (ICRA)	ICRA AA	----	ICRA AA+	----
केयर (CARE)	----	CARE AA+	CARE AAA	----
इंडिया रेटिंग	IND AA	IND AA	IND AA+	IND AA+
ब्रिकवर्क	BWR AAA	BWR AAA	----	----

- 8.2 क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता: अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बैंक के दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता को पुनः स्थापित किया है, जो देश की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग ग्रेड के बराबर है। स्टैंडर्ड एंड पूर्स ने बैंक को स्टेबल आउटलुक के साथ की 'BBB-' रेटिंग दी है जबकि मूडीज़ द्वारा पॉजिटिव

आउटलुक के साथ रेटिंग 'Baa3' रेटिंग दी है। इन रेटिंग से यह ज्ञात होता है कि बैंक के पास अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता है।

9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

- 9.1 बासल III मानदंडों के अनुसार, मार्च 31, 2016 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.56 प्रतिशत रहा। बैंक की कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी मार्च, 2016 को बढ़कर 7.95 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2015 में 7.24 प्रतिशत थी।

तालिका 5: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल- III (₹ करोड़ में)			
मानदंड	भारिबैं न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2016	वि. व. 2015-16	वि. व. 2014-15
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं.	273791	253162
कुल पूंजीगत निधियां		28932	25885
सीईटी1 पूंजी		21768	18320
टियर1 पूंजी		22296	18992
सीआरएआर (%)	9.625	10.56	10.22
सीईटी 1 (%)	6.125	7.95	7.24
टियर 1 (%)	7.625	8.14	7.50
टियर 2 (%)	2.00	2.42	2.72

- 9.2 आपके बैंक ने आंतरिक पूंजी सृजन के जरिये पूंजी आधार बढ़ाने पर जोर दिया है। मार्च, 2019 तक 0.625% प्रतिवर्ष अतिरिक्त पूंजी संरक्षण बफर (31 मार्च, 2016 से प्रभावी) की शुल्कात के चलते कोर इक्विटी आधार बढ़ाने पर और जोर रहेगा। बैंक कम पूंजी मॉडल पर कार्य कर रहा है जिसमें कम पूंजी प्रभार देय होगा।

- 9.3 भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का प्रिफरेंशियल आवंटन: सितंबर, 2015 में आपके बैंक द्वारा भारत सरकार को ₹10 प्रति शेयर मूल्य वाले 5,16,62,281 इक्विटी शेयर जारी व आबंटित किये गये। भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का यह प्रिफरेंशियल आवंटन ₹209.05 (₹199.05 प्रति शेयर प्रीमियम सहित) निर्गम मूल्य पर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप, बैंक में सरकार की शेयर होल्डिंग पूर्व के 60.47 प्रतिशत से बढ़कर 63.44 प्रतिशत हो गई है। बैंक की अभिदत्त इक्विटी पूंजी भी ₹636 करोड़ से बढ़कर ₹687 करोड़ हो गई है, जबकि ₹1028 करोड़ शेयर प्रीमियम निधियों में जोड़ा गया है।

- 9.4 टियर 2 बांड जारी करना: आपके बैंक ने 29 मार्च, 2016 को निजी स्थापन के आधार पर प्रत्येक ₹10,00,000/- अंकित मूल्य के 10,000 बासल III अनुपालन वाले टियर- 2 बांड्स सममूल्य पर जारी कर ₹1000 करोड़ की टियर-2 पूंजी जुटाई है। ये बांड्स 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा 8.61% प्रति वर्ष की दर से सालाना देय कूपन के स्तर में एवं 5 वर्ष बाद काल ऑप्शन के साथ जारी किए गए हैं। इंडिया रेटिंग्स द्वारा इन बांडों 'IND AA+' रेटिंग की गयी है।

10. ब्रांड रेटिंग:

आपके बैंक द्वारा ग्राहक व संस्था के बीच संबंधों को अगले स्तर तक ले जाते हुए अपने ब्रांड मूल्य में सुधार हेतु भरसक प्रयास किए गए हैं। "ब्रांड्स टॉप 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2015" की रिपोर्ट के अनुसार आपके बैंक ने सफल डिजिटलीकरण के प्रयासों विशेषकर आईएमपीएस के लेन-देन के सफल प्रयासों के कारण अपने ब्रांड मूल्य में 72% सुधार किया है। वित्तीय मानदंडों तथा प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग संबंधी अपने सतत कार्यनिष्पादन के कारण आपके बैंक की "ब्रांड फाइनेन्स बैंकिंग 500" रैंकिंग में सुधार हुआ है।

चार्ट 9: 'ब्रांड फाइनेन्स बैंकिंग 500' द्वारा ब्रांड रैंकिंग



स्रोत: ब्रांड फाइनेन्स बैंकिंग 500, 2016.

11. नेटवर्क:

- 11.1 आपके बैंक का संपूर्ण देश में 4,196 शाखाओं तथा विदेश में 4 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में 124 नई शाखाएं तथा एक शाखा सिडनी(ऑस्ट्रेलिया) में खोली गयी।
- 11.2 वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-शाखा नेटवर्क अर्थात डिजिटल चैनल, जिसमें एटीएम, मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली आदि शामिल हैं, बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

12. नई कारोबारी पहल:

- 12.1 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक द्वारा यूनियन 24x7 कम्फर्ट लॉबी, एमपासबुक, मोबाइल वॉलेट्स, सेल्फी द्वारा खाता खोलना, बिजनेस डेबिट कार्ड, सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड तथा यूसीक्योर क्रेडिट कार्ड्स आरंभ करने जैसे अनेक नये कदम उठाए गए हैं।
- 12.2 आपके बैंक द्वारा यूनियन उत्कर्ष के नाम से कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन की यात्रा आरंभ की गयी है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत संबंधित ग्राहक अनुभव, बेहतर प्रक्रिया कार्य-दक्षता तथा कर्मचारी उत्पादकता में सुधार जैसे अपने प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करके आपका बैंक इसके जरिये अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

13. पुरस्कार एवं सम्मान

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न अग्रणी डिजिटल पहलों, संभाव्य संवृद्धि की दिशा में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका, कार्मिकों के मध्य सहभागी सतर्कता कार्यवाई को सुदृढ़ बनाते हुए नये आयाम स्थापित किये हैं तथा साथ ही जस्तरतमंदों को आत्म-विश्वास एवं गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया। इस प्रक्रिया में, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को इन प्रयासों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- 13.1 **प्रौद्योगिकी पुरस्कार:** आपका बैंक, भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रदान किये जाने सभी 6 बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों यथा 'वर्ष का सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी बैंक', 'डिजिटल व चैनल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम प्रयोग, ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम प्रयोग, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी व साइबर सुरक्षा', 'सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी पहल' तथा 'सर्वोत्तम भुगतान पहल' का विजेता रहा है। नेशनल पेमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बैंक को शाखाओं के जरिये आईएमपीएस के क्रियान्वयन हेतु विशेष संवर्ग अवार्ड तथा स्ले कार्ड जारी करने हेतु विशेष रिकॉग्निशन अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया है। दि स्कॉच द्वारा ई-केवाईसी क्रियान्वयन; वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी संवर्गों के अधीन अवार्ड तथा केंद्रीय विद्यालय फीस संग्रहण हेतु मेरिट अवार्ड से

सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल डाटा कार्पोरेशन (आईडीसी) द्वारा एमपासबुक(मोबाइल आधारित खाता पासबुक) के क्रियान्वयन हेतु बैंक को 'एक्सीलेंस इन इन्नोवेशन अवार्ड' 2015 से सम्मानित किया गया है। एसोचैम(एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया) से आपके बैंक को टैबुलस बैंकिंग, ईकेवाईसी क्रियान्वयन तथा एम पासबुक एप्लीकेशन हेतु डेवलपमेंट अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आपके बैंक के बहु-चैनल भुगतान सॉल्युशन(इमीडिएट पेमेन्ट सर्विस-आईएमपीएस) हेतु एलीट्स टेक्नोमीडिया प्रा.लि. द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

13.2 सतर्कता:

आपके बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद द्वारा प्रतिष्ठित 'कॉर्पोरेट संवर्ग में प्रथम सर्वश्रेष्ठ सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार (2015-16)' प्रदान किया गया है। बैंक के 'मुख्य सतर्कता अधिकारी' को भी व्यक्तिगत श्रेणी में 'उत्कृष्ट सतर्कता पुरस्कार' (2015-16) से सम्मानित किया गया है।

- 13.3 **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस द्वारा एबीपी न्यूज के समन्वय से यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन को सर्वश्रेष्ठ सीएसआर प्रैक्टिसेज अवार्ड, शारीरिक स्तर से विकलांगों के लिए रोजगार प्रोत्साहन हेतु सीएसआर लीडरशीप अवार्ड, बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर प्रथाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर लीडरशीप पुरस्कार, 'उत्कृष्ट बैंकिंग' (सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में) तथा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज व इश्योरेंस श्रेणी के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड प्रदान किया गया है।

- 13.4 **मानव संसाधन प्रबंधन:** इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया।

14. निदेशक: वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

- 14.1 श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक, 31 जुलाई, 2015 को सेवानिवृत्त हो गए।
- 14.2 श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक FNo.4/2/2015-Bo.I.GOI.MOF दिनांक 14 अगस्त, 2015 के अनुसार आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।
- 14.3 श्री विनोद कथूरिया को भारत सरकार की अधिसूचना क्र.F. No. 4/5/2015-Bo.I दिनांक 22 जनवरी, 2016 के अनुसार यूनियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
- 14.4 वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा द्वारा पत्र क्र. F.NO.6/3/2011-Bo.I दिनांक 6 जुलाई 2015 के अनुसार श्री दीपक सिंघल के स्थान पर श्री अनिल कुमार मिश्रा को 6 जुलाई, 2015 से भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के स्तर में नामित किया गया है।
- 14.5 श्री दीपांकर चटर्जी, श्री जी. के. लाठ और डॉ. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशकों ने 26 जून, 2015 को अपना कार्यकाल पूरा किया। डॉ.

आर.एच.ढोलकिया तथा श्री जी.के.लाठ को 27 जून, 2015 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में तीन वर्ष की नई अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया तथा श्री दीपांकर चटर्जी के स्थान पर डॉ. उत्तम कुमार सरकार को तीसरे शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।

- 14.6 नए निदेशकों का स्वागत करते हुए निदेशक मंडल श्री के.सुब्रह्मण्यम, श्री किशोर खरात, श्री दीपक सिंघल तथा श्री दीपांकर चटर्जी द्वारा प्रदान की गयीं बहुमूल्य सेवाओं को रेखांकित करता है।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाये जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की गयी है;

- 15.1 लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- 15.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति का पूर्ण पालन किया गया है।
- 15.3 तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के क्रियाकलाप एवं मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक लाभ सही व उचित रहें।
- 15.4 भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव में पर्याप्त समुचित सावधानी रखी गयी, और
- 15.5 निरंतर चल रही प्रक्रिया के अनुसार खाते तैयार किये गये हैं।

16. कार्पोरेट गवर्नेंस:

- 16.1 बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है। वर्ष 2015-16 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं है।

17. **कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** आपका बैंक समाज के लिए योगदान के द्वारा अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए समर्पित है। इस क्षेत्र में आपके बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के विस्तार हेतु 'यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट' का गठन किया है। इस ट्रस्ट के माध्यम से बैंक, समाज का जीवन स्तर सुधारने हेतु अपनी गतिविधियां संचालित करता है।

- 17.1 एमबीए फाउंडेशन के प्रमुख प्रोजेक्ट 'ए लाइफ फॉर सेल्फ एस्टीम एंड डिग्नटी फॉर दि डिफरेंटली एबल' को वित्तीय सहायता प्रदान कर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा विश्वस्तरीय समन्वित विकलांग पुनर्सुधार केंद्र की शुरुआत की गई है। बैंक द्वारा पात्र विकलांग व्यक्तियों को बचपन से ही रोजगार से संबंधित सम्पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

- 17.2 वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक द्वारा दान के रूप में कुल ₹1.22 करोड़ खर्च किये गये। इसमें स्वच्छ भारत के अंतर्गत दी गई ₹1 करोड़ की राशि शामिल है। आपके बैंक द्वारा कार्पोरेट सामाजिक कार्यों के माध्यम से अनेक सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, भुखमरी, कौशल उन्नयन, सामुदायिक विकास तथा सामाजिक न्याय जैसी बड़ी समस्याओं में सहभागिता की जा रही है। यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के साथ मिलकर सामाजिक उद्देश्यों की स्थायी संवृद्धि व विकास की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास आदि के अंतर्गत 47 परियोजनाओं के लिए ₹9.41 करोड़ की राशि अनुमोदित की गयी तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹5.76 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

- 17.3 असामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों के आत्म सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कुल ₹ 30 लाख की 700 से अधिक ट्राइसाइकलें तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। आपके बैंक द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व निभाया गया, जिससे 23 गांवों के लगभग 12000 से अधिक लोगों को राहत प्रदान की गई है। सुविधाविहीन कैसर पीड़ितों को सहारा देने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कैसर समितियों को ₹ 19.94 लाख की राशि दान में दी गई है।

18. आभार

- 18.1 निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है। बोर्ड अपने माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से,

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 13 मई, 2016

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर वस्तुओं के कम मूल्यों, नियंत्रित वैश्विक व्यापार, धीमे पूंजी प्रवाह तथा विनिमय दरों में अस्थिरता जैसे मुद्दों के बीच फंसी रही; जिससे विकास की संभावनाएं प्रभावित होती रहीं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान एक ओर जहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ठोस राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतिगत दृष्टिकोण के कारण विकास की गति सामान्य रही, वहीं उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मंदी का दौर स्पष्ट दिखाई दिया। उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर रोक का प्रमुख कारण विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में पुनर्संतुलन का दृष्टिकोण रहा। व्यापार चैनलों तथा वित्तीय बाजार में बढ़ी अस्थिरता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था पर दिये गये विशेष जोर ने तरंगित प्रभाव डाला।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के नवीनतम प्रकाशन में वर्ष 2016 तथा 2017 में वैश्विक विकास की दर, पूर्व के अनुमानों से कुछ कम आंकते हुए क्रमशः 3.2 तथा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2016 के दौरान यूएस अर्थव्यवस्था का विकास अनुमान भी घटाकर 2.4 प्रतिशत किया गया है। यूरो क्षेत्र में वर्ष 2016 के दौरान 1.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा चीन के दीर्घकालिक विकास मार्ग के दृष्टिकोण पर विश्वास व्यक्त करते हुए वर्ष 2016 तथा 2017 के लिए उसके विकास पूर्वानुमान को (वर्ष 2016 तथा 2017 दोनों के लिए 0.2 प्रतिशत) बढ़ाकर क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत किया गया है।

1.3 वस्तुओं के कम मूल्यों, विशेषकर कच्चे तेल के मूल्यों (जो फरवरी, 2016 में गिरकर 13 साल के सबसे निचले स्तर अर्थात् यूएस डॉलर 30 प्रति बैरल से नीचे) का पूरे वित्त वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलबाला रहा। व्यापारिक स्थितियों के कारण एक ओर जहां तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वहीं तेल आयातक देश चालू खातों में बचत के कारण इससे लाभान्वित हुए। तेल उत्पादक देशों की मुद्राओं पर लगातार दबाव के कारण उनके विदेशी मूल्यवर्गित ऋणों में भी वृद्धि हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त निराशाजनक परिदृश्य के बावजूद व्यापक आधार पर नीतिगत सुधार के माध्यम से निजी क्षेत्र के ऋण विस्तार, कमजोर ऋण प्रसार तथा उत्पादकता में धीमी वृद्धि जैसी कमियों को दूर करने के प्रयास किये गये, जो वित्तीय बाजार की भावी अशांति के जोखिम को कम करेंगे।

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुदृढ़ व्यापक मौलिक सिद्धांतों तथा समर्पित नीतिगत सुधारों के माध्यम से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के स्तर में उभरी है तथा चमकते सितारे की तरह है। बीबीबी निवेश ग्रेड वाले समकक्ष देशों में भारत तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है तथा कार्य-निष्पादन में ए-ग्रेड देशों के समतुल्य है।

2.2 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर, वित्त वर्ष 2014-15 के 7.2 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रही।

वास्तविक जीडीपी विकास दर पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सांकेतिक जीडीपी दर में 8.6 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। क्षेत्रवार आधार पर लगातार पिछली दो अवधियों में मानसून में कमी के कारण कृषि की विकास दर में गिरावट बनी रही। विनिर्माण क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के कारण औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन उल्लेखनीय रहा। चालू वर्ष में कोयला उत्पादन के गहन विस्तार, जिसमें खनन गतिविधि एवं बिजली उत्पादन दोनों शामिल हैं, के कारण विनिर्माण क्षेत्र में सुधार जारी है। कमजोर मांग तथा आयात की प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कमजोर रहा। इसके अलावा सरकार द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक खर्चों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के कैपेक्स (CAPEX) चक्र के पुनर्जीवित करने के प्रयासों से क्षेत्र में राहत की उम्मीद जगी है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र का वर्ष के दौरान तेजी से विस्तार हुआ है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा लोक प्रशासन, रक्षा व संबंधित सेवाएं विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।

तालिका 1: जीडीपी तथा उसके घटकों की विकास दर (%)

	वित्त वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान	वित्त वर्ष 2015-16 के अग्रिम अनुमान
वास्तविक जीडीपी	7.2	7.6
कृषि	-0.2	1.1
उद्योग	5.9	7.3
जिसमें - निर्माण	5.5	9.5
सेवाएं	10.3	9.2

सौजन्य: सीएसओ

3. मूल्य परिदृश्य:

कच्चे तेल की सस्ती कीमतों के कारण विशेषकर लागत मूल्य कम रहने से कीमतें सामान्य रहीं। सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन नीतियों जैसे पर्याप्त स्टॉक भंडार, खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति तथा दालों के आयात के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सीमित वृद्धि के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च, 2016 में 4.8 प्रतिशत आकलित की गई, जो मार्च, 2015 में 5.2 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर, वित्त वर्ष 2014-15 के 6.00 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। मार्च 2016 में कोर मुद्रास्फीति (खाद्य व ईंधन मदों को छोड़कर), मार्च 2015 के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत रही। उपभोक्ता मांग की वजह से कोर सीपीआई में बढ़ोत्तरी हुई।

चार्ट 1: सीपीआई, कोर सीपीआई एवं सीएफपीआई की स्थिति (%)



Source: CSO

4. बाहरी क्षेत्र:

4.1 वैश्विक आर्थिक विकास की मंदी का असर बाहरी क्षेत्रों के भी प्रदर्शन पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत के व्यापारिक माल का निर्यात पिछले वर्ष से 15.9 प्रतिशत घटकर 261.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2015-16 में 15.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ आयात 379.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। तेल तथा गैर-तेल दोनों ही आयातों में क्रमशः 40.2 तथा 4.1 प्रतिशत की कमी की वजह से आयात में गिरावट आई। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2014-15 के 137.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 118.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। न्यूनतम व्यापार घाटा, अदृश्य मदों में सामान्य प्रगति तथा अप्रवासी भारतीय जमाराशियों में वृद्धि के कारण अप्रैल-दिसंबर 2015 में चालू खाते का घाटा (सीएडी) 1.4 प्रतिशत तक सीमित रहा, जो 2014-15 की समान अवधि के दौरान 1.7 प्रतिशत था। अप्रैल-फरवरी, 2016 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), पिछले वर्ष की इसी अवधि के 29.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 34.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। मौजूदा बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बाजार में अस्थिरता बनी रही। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत का विदेशी विनियम संचय भी बढ़कर 14.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। (सौजन्य से: वाणिज्य और वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)

5. तरलता संबंधी स्थितियाँ:

वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी छमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की तरलता संबंधी स्थिति सरकार द्वारा नियंत्रित व्ययों तथा त्योहारों के लिए मुद्रा की सामयिक मांग के कारण संकुचित रही। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी मौद्रिक नीति के रख में उदार रहा तथा नीतिगत रेपो दर में उनके द्वारा 125 बीपीएस की कटौती की गई। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) तथा खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दैनिक तरलता परिस्थितियों को संचालित करने के लिए चल रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर नीलामियों का सहारा लिया गया। तदनुसार, औसत भारित कॉल दर, नीतिगत रेपो दर के आसपास रही। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय 7.5 से 8 प्रतिशत के बीच रही।

6. बैंकिंग परिदृश्य :

6.1 बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में गिरावट एवं कमजोर कार्पोरेट मांग की चुनौती बनी रही। मार्च 2016 के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाराशियों तथा अग्रिमों में क्रमशः 9.9 प्रतिशत तथा 11.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश 5.9 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा। इन बैंकों का अग्रिम-जमा अनुपात 77.6 प्रतिशत रहा।

6.2 31 मार्च, 2016 को गैर-खाद्य अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में 9.1 प्रतिशत बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि के कारण रही; जबकि औद्योगिक ऋण में उठान कमजोर बनी रही। बैंक के सकल ऋण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अंशदान में गिरावट के कारण औद्योगिक ऋण उठान में कमी आई। सेवा क्षेत्र के अग्रिमों में 31 मार्च,

2015 को हुई 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मार्च 2016 को 9.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वैयक्तिक ऋण एवं रिटेल ऋण परिदृश्य में सुधार हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की समुद्र मांग की स्थिति को प्रदर्शित करती है।

7 शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन:

7.1. वर्ष 2015-16 के दौरान बेंचमार्क एसएंडपी सेंसेक्स 9.4 प्रतिशत गिरावट पर बंद होने के साथ इक्विटी बाजार में नकारात्मक स्थिति रही। घरेलू एवं वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष के दौरान निफ्टी में भी 8.9 प्रतिशत गिरावट आयी। बैंकिंग क्षेत्र के सूचकांक- बैंकेक्स में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, फरवरी 2016 के मध्य से बाजार के रुख में सुधार परिलक्षित हो रहा है। पूरे विश्व में श्रम बाजार की स्थिति मजबूत होने तथा ईएमई क्षेत्र में विकास की गति शुरू होने पर आने वाले वर्षों में इक्विटी बाजार परिदृश्य में स्थिरता आने की आशा है। अमेरिका में ब्याज दरों की अनिश्चितता, चीन में मूलभूत परिवर्तन, अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों, उपभोग मांग में गिरावट तथा कार्पोरेट ऋणों में बढ़ोतरी जैसे संकट बने हुए हैं, जो विकासशील बाजारों के समक्ष चुनौती पैदा कर सकते हैं।

तालिका 2: वित्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान बाजार विचलन (वर्ष दर वर्ष)		
सूचकांक	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2015-16
सेंसेक्स	24.9	-9.4
बैंकेक्स	43.2	-11.9
सीएनएक्स निफ्टी	26.7	-8.9
सीएनएक्स पीएसयू बैंक	-33.3	-28.2

8. वर्ष 2015-16 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनिष्पादन

8.1 आपके बैंक ने विकास के तीन स्तंभों यथा एचडीआर- मानव संसाधन, डिजिटल बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन के सहारे स्थायी प्रगति की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं। बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के बैनर तले कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन (बीपीटी) की शुष्कात की है तथा कारोबार आसूचना इकाई (बीआईयू) की स्थापना की है। ग्राहक आधार बढ़ाने एवं बेहतर कारोबार की प्राप्ति हेतु कारोबार प्रक्रियाओं यथा 'सरल' (गैर-रिटेल क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर) एवं यूनियन लोन पाइंट (यूलपी; रिटेल क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर) के पुनर्गठन, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन की दृष्टि से शेयर्ड सेवा केन्द्र तथा ऑन लाइन शिकायत निवारण सिस्टम की शुष्कात जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नया स्वस्व देने व सर्वोत्तम को कार्यान्वित करने की ओर विशेष जोर दिया जाना है।

8.2 डिजिटल फ्रंट पर आपके बैंक ने विद्यमान एवं नये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को सुविधा एवं बेहतर संतुष्टि प्रदान करने की दृष्टि से अनेक पहलों की शुष्कात की है। ग्राहकों की मांगों की पूर्ति हेतु आपका बैंक ग्राहकों को उपयुक्त उत्पाद, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है तथा हमेशा समकक्ष बैंकों से एक कदम आगे रहा है।

8.3 आपके बैंक ने बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। आपका बैंक आस्तियों के जोखिम भार का सटीक विश्लेषण कर तथा पूंजी के प्रत्येक स्मरे के अधिकतम उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता दर्शा कर जोखिम भार को कम

करने में सफल रहा है।

- 8.4 ऋण संविभाग का अनुकूलतम प्रबंधन : आपके बैंक ने रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) क्षेत्र, जिनमें तुलनात्मक स्तर से कम पूंजी लगती है तथा अधिक मार्जिन होता है, की पहचान विशेष जोर दिये जाने वाले क्षेत्र के स्तर में करके ऋण संविभाग प्रबंधन (एलएमपी) में व्यावहारिक एवं लचीला दृष्टिकोण अपनाया है।
- 8.5 एनालीटिक्स : आपके बैंक ने कोर कारोबार निष्पादन में तेजी लाने हेतु विश्लेषण (एनालीटिक्स) के महत्व को पहचाना है। बैंक ने ग्राहक व्यवहार तथा उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन के आधार पर उत्पाद एवं संविभाग के अनुकूलतम उपयोग, परिष्कृत जोखिम माडलिंग के लिए एनालीटिक्स के कार्यान्वयन का प्रयास किया है।
- 8.6 डिजिटलीकरण : परिचालनों के डिजिटलीकरण की ओर तेजी से अग्रसर होने से समूचा बैंकिंग उद्योग प्रभावित हुआ है। अतः नये डिजिटल उत्पाद एवं कारोबार माडल की शुष्कात, डिजिटल रणनीति एवं परिवर्तन आदि बैंक की सर्वाच्च प्राथमिकताएं हो गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नयन से बैंकिंग उद्योग की संरचना में भी परिवर्तन हो रहे हैं। विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई डिजिटल पहलों के कार्यान्वयन में आपका बैंक सदा आगे रहा है। आज बैंकिंग जगत में आपके बैंक की पहचान प्रौद्योगिक सुविधा सम्पन्न बैंक के स्तर में है।

9. नए कदम :

- 9.1. आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अनेक नई पहलों की शुष्कात की, जिसमें यूनियन 24x7 कम्फर्ट लॉबी, एमपासबुक, मोबाइल वॉलेट, सेल्फी द्वारा खाता खोलना, बिजनेस डेबिट कार्ड, सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और यूसिक्योर क्रेडिट कार्ड की शुष्कात शामिल है।
- 9.2. आपके बैंक ने कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन के अधीन प्रोजेक्ट उत्कर्ष की शुष्कात की है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के द्वारा बैंक प्रमुख उद्देश्यों यथा वर्धित ग्राहक अनुभव, श्रेष्ठ प्रक्रिया कौशल और बेहतर कर्मचारी उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हो पाएगा।

10. संसाधन प्रबंधन :

- 10.1. बैंक ने अपने संसाधनों में वृद्धि को कायम रखने की दृष्टि से कम लागत वाली जमाराशियों के संग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वैश्विक जमाराशियां 31 मार्च, 2015 के ₹ 3,16,870 करोड़ की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2016 को ₹ 3,42,720 करोड़ हो गईं। बैंक द्वारा बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप बचत जमाराशियों (एसबी) में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कासा (चालू खाता और बचत बैंक खाता) जमाराशियों ने ₹ 1 लाख करोड़ के ऐतिहासिक कीर्तिमान को पार कर लिया और 31 मार्च 2015 के ₹ 92,650 करोड़ की तुलना में 19.7% की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2016 को ₹ 1,10,876 करोड़ हो गईं। कुल जमाराशियों में कासा का शेयर 310 बीपीएस से बढ़ा और 31 मार्च, 2015 के 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 32.3 प्रतिशत हो गया है। बैंक अपनी नई डिजिटल पहल एवं ग्राहकों के लिए नई योजनाएं लाकर इस दिशा में तेजी से प्रगति की आशा करता है।

तालिका 3: जमाराशि संमिश्र (₹ करोड़ में)

पैरामीट	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
कुल जमाराशियाँ	342720	316870	25850	8.2
कासा जमाराशियाँ	110876	92650	18226	19.7
बचत जमाराशियाँ	81133	71558	9575	13.4
चालू जमाराशियाँ	29743	21092	8651	41.0
सावधि जमाराशियाँ	231844	224220	7624	3.4

11. अग्रिम प्रबंधन :

- 11.1. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान क्रेडिट ऑफ़टेक धीमा रहा और आपके बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने ऋण संविभाग में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,77,725 करोड़ के स्तर को प्राप्त किया। घरेलू अग्रिम में रैम का हिस्सा 52.0 प्रतिशत बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 48.9 प्रतिशत था। समग्र घरेलू अग्रिम में रैम क्षेत्र की वृद्धि अधिक रही। टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार, त्वरित ऋण दस्तावेजीकरण प्रक्रिया और समुचित डाटाबेस के रखरखाव की दिशा में अपने प्रयास के जरिए बैंक निश्चय ही अग्रिम प्रबंधन परिदृश्य में सुधार ला पाएगा ?

तालिका 4: अग्रिम (₹ करोड़ में)

पैरामीट	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
सकल अग्रिम	277725	262757	14968	5.7
खुदरा अग्रिम	36589	31657	4932	15.6
कृषि अग्रिम	38819	31574	7245	22.9
एमएसएमई अग्रिम	55524	54755	769	1.4
रैम क्षेत्र	130932	117987	12945	11.0
देशी अग्रिम के सापेक्ष रैम का हिस्सा	52.0	48.9	310 बीपीएस	

12. खुदरा अग्रिम

- 12.1. अर्थव्यवस्था में विद्यमान वर्तमान मांग परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आपका बैंक सुदृढ़ खुदरा ऋण संविभाग वृद्धि को बनाए रखने में कामयाब रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान बैंक का खुदरा अग्रिम संविभाग 23.2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा। विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान खुदरा ऋणों में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप घरेलू अग्रिम में खुदरा ऋणों के शेयर में 31 मार्च, 2015 के 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 31 मार्च, 2016 को 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि मुख्यतः आवास ऋण और जमानती बंधक ऋणों के कारण हुआ है। आवास ऋण कारोबार में तेजी लाने की दृष्टि से आपके बैंक ने प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट(डीएसए) को सूचीबद्ध करना प्रारम्भ किया है। बड़े कार खरीदारों से व्यवसाय प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक ने अधिकतम ऋण सीमा को ₹ 1.25 करोड़ बढ़ा दिया है और

चुकोती की उम्र 70 वर्ष कर दी है। यूनिजन मोर्टगेज और यूनिजन माइल्स योजना के अधीन ऋणों के त्वरित प्रोसेसिंग हेतु क्षेत्र स्तर पर प्रत्यायोजित अधिकारों को बढ़ाया गया है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अधीन आपका बैंक अपने तकनीकी स्तर को समुन्नत बनाने हेतु प्रयासरत है; ताकि बाजार के अधिकतम शेयर पर अपना अधिकार हो सके। ग्राहकों को उत्तम ग्राहक सेवा की अनुभूति की दृष्टि से यूएलपी का पुनर्गठन किया गया है।

तालिका 5: खुदरा ऋण (₹ करोड़ में)				
योजनाएँ	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
आवास ऋण	21739	18783	2956	15.7
ऑटो ऋण	3008	2642	366	13.9
शिक्षा ऋण	2739	2482	257	10.4
अन्य	9103	7750	1353	17.5
कुल खुदरा ऋण	36589	31657	4932	15.6

- 12.2. भारत सरकार ने 2022 तक 'सभी के लिए आवास' योजना की शुल्कात वर्ष 2015 में की, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय परिवार को आवास प्रदान करना है। क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के जरिए आर्थिक स्तर से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना लक्ष्य है। 28 सितम्बर, 2015 को आपके बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया, जिसमें बैंक मुख्य लेंडिंग संस्था (पीएलआई) है और इस तरह से सरकार की पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

- 13.1. बैंक के घरेलू अग्रिमों में एमएसएमई का हिस्सा 22.1 प्रतिशत रहा। कुल एमएसएमई संविभाग में सूक्ष्म वृद्धि हुई है। व लघु उद्यम का हिस्सा 74.6 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर आपके बैंक का एमएसएमई संविभाग ₹ 55,524 करोड़ रहा एवं 1.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2016 को एमएसई संविभाग ₹ 41,446 करोड़ रहा, जो 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है:

तालिका 6: एमएसएमई संविभाग की स्थिति (₹ करोड़ में)				
योजनाएँ	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
सूक्ष्म अग्रिम	15921	14109	1812	12.8
लघु अग्रिम	25525	25922	-397	-1.5
मध्यम अग्रिम	14078	14724	-646	-4.4
एमएसएमई अग्रिम	55524	54755	769	1.4

- 13.2. आपके बैंक ने एमएसएमई ऋण में आने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के पूर्ण प्रयास किए हैं; क्योंकि रोजगार सृजन और जीडीपी वृद्धि के ये प्रमुख घटक हैं। आपके बैंक के पास एमएसएमई ऋण प्रदान करने हेतु 320 समर्पित कारोबार बैंकिंग शाखाएं (बीबीबी) हैं और एमएसएमई ऋणों

के शीघ्र मूल्यांकन और मंजूरी हेतु 20 सरल हैं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत सरल की संरचना का व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण और पुनर्गठन किया गया है।

- 13.3 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई अग्रिमों को प्रोत्साहित करने हेतु 13 नई समूह विशिष्ट योजनाएं प्रतिपादित की हैं, जो निम्नानुसार हैं :

तालिका 7: समूह योजनाएं		
क्र.	समूह योजना का नाम	स्थान
1	टेक्सटाइल इकाई को वित्तपोषण	सूरत
2	ग्रेनाइट इकाई को वित्तपोषण	हैदराबाद
3	टेक्सटाइल इकाई को वित्तपोषण	कोयमबतूर
4	आइरन और स्टील ट्रेडर-1 को वित्तपोषण	दिल्ली
5	आइरन और स्टील ट्रेडर- 2 को वित्तपोषण	
6	ऑटो एंसिलरी इकाई	नासिक
7	टेक्सटाइल इकाई को वित्तपोषण	नासिक
8	ऑटो एंसिलरी इकाई	पुणे
9	टेक्सटाइल वीविंग इकाई को वित्तपोषण (कांचीपुरम साड़ी)	चेन्नई
10	चमड़े की इकाई को वित्तपोषण	चेन्नई
11	प्रिंटिंग और पैकिंग इकाई	चंडीगढ़
12	ऑटो रिक्शा को वित्तपोषण	मुंबई
13	टिंबर ट्रेडर	हैदराबाद

- 13.4. कारपोरेट ऋण :

कारपोरेट अग्रिम 31 मार्च, 2016 को ₹ 80,583 करोड़ अर्थात घरेलू अग्रिम का 32 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आपके बैंक ने उन खातों, जहां रेटिंग नीचे हो गयी थी, में रियायतों का पुनः अवलोकन कर अग्रिमों में आय सुधार के लिए प्रयास किए .

तालिका 8: एमएसएमई संविभाग की स्थिति (₹ करोड़ में)				
योजनाएँ	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
मिड एवं लार्ज कारपोरेट अग्रिम	116578	120471	-3893	-3.2
जिसमें से आईएफबी अग्रिम	80583	78901	1682	2.1

14. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

- 14.1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम हमेशा से फोकस क्षेत्र रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण मार्च, 2015 की तुलना में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,02,596 करोड़ रहा, जो बैंक के कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.6 प्रतिशत है। इस प्रकार

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत एएनबीसी के 40.00 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क को पार कर लिया है।

तालिका 9: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (₹ करोड़)					
मद	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वर्ष दर वर्ष (%)	एएनबी सी से %	भारिबैं बैंच मार्क मार्च, 2016 (%)
एएनबीसी	246613	218562	--	--	--
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जिसमें से	102596	87387	17.4	41.6	40.0
अ) कृषि क्षेत्र	45417	35175	29.1	18.4	18.0
- लघु एवं सीमांत किसान	21727	17631	23.2	8.8	7.0
ब) एमएसएमई प्राथमिकता प्राप्त	40237	33610	19.7		
अन्य	16942	14464	17.1		
प्राप्ति के अन्तर्गत शेष	0	4138			
अ) कमजोर वर्ग को ऋण	28849	23069	25.1	11.7	10.0
ब) महिला लाभार्थियों को ऋण	16042	14263	12.5	6.5	5.0

14.2 **कृषि** : कृषि अग्रिम मार्च, 2015 की तुलना में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2016 को ₹45417 करोड़ रहा। कृषि अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.4 प्रतिशत रहा, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) के 18 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से अधिक है। लघु एवं सीमांत कृषकों को अग्रिम यथा 31.03.2016 को ₹21727 करोड़ रहा, जो एएनबीसी के 7 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क की तुलना में 8.8 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा 2.0 लाख नए किसानों को वित्तीय किया गया एवं ₹3145 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधा के साथ 2.2 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 5.4 लाख किसानों को मार्च, 2016 तक एटीएम सुविधायुक्त केसीसी जारी किए गए। विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लक्ष्य ₹18500 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹21132 करोड़ का संवितरण किया गया।

14.3 किसानों की सहायता हेतु पहल :

14.3.1 विपरीत जलवायु परिस्थितियों का सामना करने रहे किसानों की सहायता के लिए आपका बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। बटाईधारक एवं किराए पर खेती करने वाले किसानों सहित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले सभी किसान योजना के दायरे में आते हैं।

14.3.2 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किसानों के लाभार्थ 33 क्षेत्र विशेष योजनाएं संबंधित क्षेत्रों के लिए बनायी गईं।

14.3.3 भौगोलिक संभावनाओं के आधार पर कृषि ऋणों पर फोकस करने के लिए 709 कृषि फोकस शाखाओं की पहचान की गयी है।

14.3.4 ग्रामीण विकास अधिकारियों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी व निरन्तर अनुश्रवण के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है।

14.3.5 आपके बैंक ने लाईव स्टॉक एंड क्राप रजिस्ट्री इंडिया लिमिटेड (एलसीआरआई) के साथ टाई-अप व्यवस्था की है, जो पशुधन (यूआईडी के साथ) एवं फसलों के लिए अधिप्रमाणित पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। इसके माध्यम से बैंक वित्तपोषित पशु, क्रय मूल्य एवं सही नस्ल व वंशजों का रिकार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

14.3.6 किसानों/ व्यापारियों/ संसाधकों/ आदतियों को गोदाम की रसीद के पेटे वित्त प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने मेसर्स एडलविस इंटिग्रेटेड कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड (ईआईसीएमएल) के साथ संपार्थिक प्रतिभूतियों के प्रबंधन सेवाओं के लिए टाई-अप व्यवस्था की है।

14.4 **सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रीन इनर्जी पर फोकस** : आपका बैंक 'निर्माण-संचालन-स्वामित्व आधार' अर्थात किराया मॉडल के अन्तर्गत बैंक की शाखाओं एवं एटीएम के लिए सौर ऊर्जा को एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर रहा है। यह परियोजना लगातार चलने वाली है एवं अगले 5 वर्षों के लिए 3000 से अधिक शाखाओं एवं 1500 से अधिक एटीएमों को कवर करने की योजना है।

14.5 विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण :

14.5.1 **कमजोर वर्ग** : समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीयन में आपका बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है। कमजोर वर्गों में बैंक का वित्तीयन 25.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत सरकार/ भारिबैं द्वारा निर्धारित एएनबीसी के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के बेंचमार्क के सापेक्ष 11.7 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करते हुए 2015 के ₹23069 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2016 में ₹28849 करोड़ हो गया है।

14.5.2 **महिला लाभार्थी** : महिला लाभार्थियों हेतु आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने 31 मार्च, 2016 तक 10.2 लाख महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। महिला लाभार्थियों को कुल ऋण बकाया मार्च, 2015 के ₹14263 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2016 को ₹16042 करोड़ हो गया अर्थात भारत सरकार/ भारिबैं द्वारा निर्धारित 5.00 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क के पेटे 6.5 प्रतिशत रहा।

14.5.3 **स्वयं सहायता समूह** : ज़रूरतमंदों को नियमित ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्ध कार्यक्रम हेतु पारदर्शी एवं लोचदार दृष्टिकोण अपनाया है। आपके बैंक ने 44662 स्वयं सहायता समूह गठित किए हैं एवं 41042 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ा है। 31 मार्च, 2016 तक स्वयं सहायता समूहों का ऋण बकाया ₹2019 करोड़ रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अन्तर्गत भी आपका बैंक 105 चिह्नित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों

(डब्ल्यूएसएचजी) के लाभार्थ ब्याज अनुदान योजना कार्यान्वित कर रहा है। 4 चिह्नित जिलों यथा रीवा, सीधी, चंदौली और जौनपुर में भी आपके बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह योजना कार्यान्वित की है। इससे इस वर्ग में बचत एवं ऋण गतिविधियों शुरुहोगी और आर्थिक आजादी बढ़ेगी।

तालिका 10: एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम		
मद	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15
एसएचजी गठित (संख्या)	360293	315631
एसएचजी लिंकेज (संख्या)	293197	252155
ऋण राशि (₹ करोड़)	2019	1707
जमा राशि (₹ करोड़)	921	840

14.5.4 **अल्प संख्यक समुदाय :** अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने एवं स्व रोजगार के लिए रियायती दर पर वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से आपका बैंक अल्प संख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अल्प संख्यक समुदाय को विगत वर्ष के ₹1223 करोड़ की वित्तीय सहायता की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹11605 करोड़ हो गई। 31 मार्च, 2016 को अल्प संख्यक समुदायों को दिया गया ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 11.3 प्रतिशत रहा।

14.6 **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने एवं कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण में योगदान करने के लिए आपके बैंक ने उन 14 जिलों में आरसेटी की स्थापना की है, जहां यह अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मार्च, 2016 को हमारे इन आरसेटी ने कुल 40904 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया, जिनमें से 23393 प्रतिभागियों को रोजगार मिला अर्थात सेटलमेंट दर 57.2 प्रतिशत रही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आंकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, हमारे 14 आरसेटी में 11 आरसेटी ने 'एए' ग्रेड, 2 आरसेटी ने 'ऐबी' ग्रेड, जबकि 1 आरसेटी ने 'बीबी' ग्रेड प्राप्त किया। अन्तिम ग्रेड ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुष्टि हेतु प्रेषित की गयी हैं।

14.7 **अग्रणी बैंक योजना :** बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में पहुंच बनाने के अपने अभियान के तहत आपका बैंक 4 राज्यों के 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है, जो निम्नानुसार हैं :

तालिका 11: अग्रणी जिला योजना की स्थिति		
क्र.	राज्य	जिले
1	बिहार	खगड़िया, समस्तीपुर
2	केरल	एर्णाकुलम, इडुक्की
3	मध्य प्रदेश	रीवा, सीधी एवं सिंगरौली
4	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ एवं वाराणसी

14.7.1. इन अग्रणी जिलों में आपके बैंक की 650 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है। 31 मार्च, 2016 को जमाराशियां 12.1 प्रतिशत की वृद्धि

दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2015 के ₹31125 करोड़ से ₹34902 करोड़ हो गई। अग्रिम भी विगत वर्ष के ₹10760 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2016 को ₹11138 करोड़ हो गये।

14.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

14.8.1 अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को सुविधा देने के लिए आपके बैंक ने समर्पित प्रयास किए हैं। बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी का प्रवर्तक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही एवं अम्बेडकर नगर में 415 सीबीएस शाखाओं के नेटवर्क के साथ आपका बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेवा कर रहा है। 31 मार्च, 2016 को केजीएसजीबी का करोबार विगत वर्ष से 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹11084 करोड़ हो गया। जमाराशियां, जिसमें कासा जमाराशियों का भाग 60.5 प्रतिशत हैं, ₹8498 करोड़ रही। 31 मार्च, 2016 को कुल अग्रिम ₹2586 करोड़ रहा, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का भाग 79.8 प्रतिशत है। कुल अग्रिमों में कृषि अग्रिमों का योगदान 49.2 प्रतिशत रहा।

14.8.2 31 मार्च, 2016 को केजीएसजीबी के 41 एटीएम थे, जिनमें बोलने वाले एटीएम शामिल हैं। आरआरबी ने किसानों के लाभार्थ एटीएम सुविधायुक्त केसीसी प्रारम्भ किए हैं। त्वरित गति से सेवा प्रदान करने के लिए केजीएसजीबी ने आरटीजीएस/ एनईएफटी सेवाएं एवं डिजिटल अथार्टी चेक प्रणाली भी प्रारम्भ की हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लक्ष्यों को पूरा करने के अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष में समर्पित दृष्टिकोण से तेज गति के साथ ग्रामीण आधार बढ़ने की आशा है।

14.9. **वित्तीय समावेशन (एफआई)- सुविधाओं से वंचितों को समर्थ बनाना:** आपके बैंक ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की वहनयोग्य ऋण तक पहुंच बनाना सुनिश्चित किया है। जाम (जनधन, आधार, मोबाइल) तीन सुविधाओं के साथ नवोन्मेष बैंकिंग पद्धति के द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में वित्तीय अंतरणों में क्षरण को कम करने एवं छोटी-छोटी बचतों के प्रभावी उपयोगी निवेश का बैंक का लक्ष्य रहा है। ₹1882 करोड़ की जमाराशि के साथ बैंक के 240.1 लाख एफआई खाते (बीसी मॉडल एवं शाखा रहित खातों सहित) हैं जिनमें 58.2 लाख खाते प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अन्तर्गत खोले गये हैं।

तालिका 12: प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) यथा 31 मार्च, 2016	
पैरामीटर	बैंक की उपलब्धियां
कवर किये गये गाँवों की संख्या	18396
उप-सर्विस क्षेत्र (एस एस ए)	5407
शहरी वार्ड	2581
31 मार्च, 2016 तक खोले गये खातों की संख्या	58.2 लाख
वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जोड़े गए	12.2 लाख
जमाराशियां	₹ 858 करोड़

जारी स्मे कार्ड	55.3 लाख
ईकेवाईसी के माध्यम से खोले गए खाते	1.3 लाख
आधार अंकन	16.43 लाख

14.10 सूक्ष्म ऋण- छोटी बचतों का प्रभावी नियोजन : बिजनेस करेसपॉण्डेंस (बीसी) मॉडल के माध्यम से संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी)/ स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) को संचयी संवितरण ₹2593 करोड़ रहा. 31 मार्च, 2016 को बीसी मॉडल के अन्तर्गत बकाया सूक्ष्म ऋण ₹1010 करोड़ रहा, जो विगत वर्ष के ₹972 करोड़ से अधिक है. बीसी मॉडल के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में बैंक ने एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी एवं जेएलजी को ऋण के लिए दो उत्पाद तैयार किए हैं :

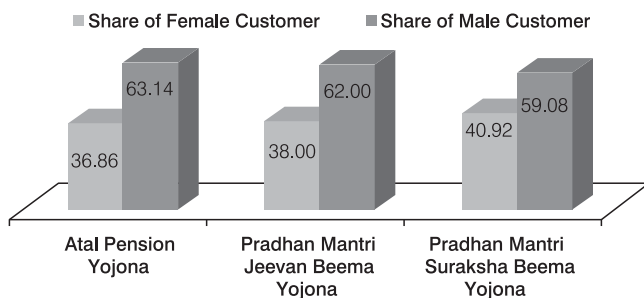
14.10.1 श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (एसकेडीआरडीपी), स्वयं सहायता समूह : यह विशेष योजना चार क्षेत्रों- बेलगांव, बंगलूरु मंगलोर एवं कोझीकोड में परिचालित है. 31 मार्च, 2016 को इस योजना के अन्तर्गत ₹1009 करोड़ रहा. कुल संवितरण ₹1937 करोड़ के साथ अब 74309 समूहों को लिंक किया जा चुका है.

14.10.2 प्रगति (महिला जेएलजी समूह): महिला सशक्तीकरण की दिशा में अपने प्रयासों के तहत बैंक ने इस योजना को फिनो की सहायता से 13 क्षेत्रों में परिचालित किया है. 31 मार्च, 2016 तक बैंक ने 103687 महिला जेएलजी को ₹655 करोड़ का ऋण प्रदान किया है.

15 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति - सरकार के वित्तीय समावेशन मिशन में सहयोग :

15.1 सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की दिशा में आपके बैंक ने बड़ा विजन बनाया है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषकों एवं कम आय वाले परिवारों को लागत कम करने के लिए विश्वसनीय तकनीक के साथ मुनासिब लागत पर बचत, प्रेषण, सरकार समर्थित बीमा एवं पेंशन उत्पादों को प्रदान करना शामिल है. इस प्रकार आपका बैंक प्रत्येक कदम के साथ 2021 तक सुविधाओं से वंचित 90 प्रतिशत लोगों के निकट पहुंच जाएगा, जैसाकि वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि पाथ में उल्लिखित है.

चार्ट 2: विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति



15.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): सामाजिक भुगतानों के अन्तरणों की क्षमता में सुधार के लक्ष्य से, 14वें वित्त आयोग ने डीबीटी के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की संस्तुति की है. आपके बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग पहुंच, लाभार्थियों के खातों में आधार लिंक करने

एवं संबंधित ढांचागत चुनौतियों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभायी है. आपके बैंक ने 113 जिलों में उपस्थिति दर्ज करायी है एवं वित्त वर्ष 2015-16 के लिए डीबीटी के अन्तर्गत किए गए संव्यवहारों से ₹58.2 लाख आय/कमीशन प्राप्त किया है. 31 मार्च, 2016 तक योजना के अन्तर्गत संवितरण निम्नानुसार रहा :

तालिका 13: डीबीटी एवं डीबीटीएल की प्रगति						
अवधि	यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा किये गये संव्यवहार			अन्य बैंकों से प्राप्त धनराशि		
	प्रयोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	सफल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	लक्ष्य बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख में (₹)
वि.व. 2015-16	36,839	1547	15,208	552	2,20,35,238	53,330

15.3. मुद्रा योजना : सूक्ष्म इकाइयों के विकास एवं पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने मुद्रा योजना प्रारम्भ की है. समेकित, स्थायी एवं मूल्य आधारित उद्यमिता के वातावरण को निर्मित करने के लिए आपके बैंक ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत कुल ₹1997 करोड़ स्वीकृत किए हैं.

तालिका 14: मुद्रा ऋण के अंतर्गत प्रगति यथा 31.03.2016 (₹करोड़ में)				
	स्वीकृत		संवितरित	
ऋण संवर्ग	खाते	राशि	खाते	राशि
शिशु	135380	365	103009	340
किशोर	62871	1154	58736	1073
तरुण	6478	478	6061	428
कुल	204729	1997	167806	1841

16. वित्तीय साक्षरता उपाय - समेकित वृद्धि की दिशा में एक कदम :

16.1. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ने से होने वाले लाभ एवं बीसी की भूमिका के बारे में साक्षर करने के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं. बैंक ने जून, 2015 में इंडियन स्कूल फार माइक्रोफायनांस फार वोमेन (आईएसएमडब्ल्यू, अहमदाबाद) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों में महिलाओं के लिए 60 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए एवं लगभग 15000 लोगों को सम्पूर्ण वित्तीय साक्षरता प्रदान की. बैंक के वित्तीय साक्षरता प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के अग्रणी जिलों में 116 जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए ₹17.4 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की .

16.2. समेकित विकास दृष्टिकोण में बीसी की आवश्यकताओं की पहचान के लिए आपके बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग एवं भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार अक्टूबर, 2015 से बीसी के पारिश्रमिक ढांचे को संशोधित किया है. आपके बैंक ने बैंक मित्रों (वित्तीय समावेशन मिशन को करने के लिए नियुक्त बैंक के एजेंट का पर्यायवाची) को इसक्रो तकनीक के माध्यम से पारिश्रमिक की उपलब्धता करायी. अन्तिम छोर पर खड़े हुए ग्राहक को बाधारहित सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए आपके बैंक ने बैंक मित्र की दैनिक गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए डैशबोर्ड भी विकसित किया है.

16.3. आपके बैंक ने एटीएम एवं मोबाइल के माध्यम से पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत स्वतः ओवरड्राफ्ट संवितरित होने वाली तकनीक बनायी है. बैंक ने आधार

आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) एवं से आधारित संव्यवहारों को करने में सक्षम 5407 सूक्ष्म एटीएम लगाए हैं।

- 16.4. आपके बैंक ने वाराणसी, जौनपुर एवं आजमगढ़ में माह अगस्त, 2015 में वित्तीय समावेशन सम्मेलन आयोजित किया। इसने वित्तीय समावेशन मिशन के रास्ते में आ रही चुनौतियों पर सरकार एवं नियामकों को फीडबैक दिया।

17. अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग :

- 17.1. आपके बैंक ने वैश्विक वित्तीय बाजार एवं संभावित संसाधनों के संग्रहण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गहन भूमिका निभायी है। वर्ष के दौरान बैंक ने सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में चौथी विदेशी शाखा खोली है। यूके में एक सबसीडियरी, आबूधाबी(यूएई), बीजिंग एवं शंघाई (चीन) में तीन प्रतिनिधि कार्यालयों सहित हांगकांग, दुबई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी), एंटवर्प (बेल्जियम) में अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा चुका है।
- 17.2. रिपोर्टिंग मानकों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) एवं सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) कार्यान्वित किए हैं। एफएटीसीए/सीआरएस के अन्तर्गत रिपोर्ट किए जाने वाले आवश्यक डाटा को प्राप्त करने के लिए प्रणाली को उचित स्तर से संशोधित किया गया है। निर्यात ऋण 31 मार्च, 2015 के ₹9982 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2016 को ₹9507 करोड़ रहा। बैंक की एनआरआई जमाराशियां 7.1 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2015 के ₹18236 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2016 को ₹19535 करोड़ रही। विदेशी विनिमय की कारोबारी गैर-ब्याज आय में 8.1 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी नोट की गयी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने एक और शाखा को अधिकृत डीलिंग (एडी) शाखा में वर्गीकृत किया। इस प्रकार बैंक की कुल 92 एडी शाखाएं हो गयी हैं। 2016-17 के दौरान 6 और शाखाएं अधिकृत डीलिंग शाखा में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

17.3. विदेशी कारोबार :

- 17.3.1. हांगकांग, दुबई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी)- दुबई, एंटवर्प (बेल्जियम) एवं सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) स्थित विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार 18.2 प्रतिशत बढ़ा है एवं 31 मार्च, 2016 को यह 4,954 मिलियन यूएस डालर रहा।

तालिका 15: विदेशी परिचालन (राशि यूएस डालर मिलियन)				
मद	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
विदेशी जमाराशियां	1001	742	259	34.9
विदेशी अग्रिम	3953	3448	505	14.7
कुल विदेशी कारोबार	4954	4190	764	18.2

- 17.3.2. विश्व बाजार में अपनी सुदृढ़ उपस्थिति बनाए रखने के लिए आपके बैंक की महत्वाकांक्षी भावी योजना है। वित्त वर्ष 2016-17 में शंघाई में स्थित वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालय को पूर्णरूपेण शाखा में परिवर्तित कर परिचालन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2016-17 में

कनाडा के टोरंटो एवं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का बैंक का प्रस्ताव है।

18. ट्रेजरी परिचालन :

- 18.1 वर्तमान वित्तीय बाजार की परिस्थितियों, व्यापक पूँजी ढांचे, दीर्घकालिक सावधि निवेशों की तरलता एवं कार्यशील पूँजी प्रबंधन में उत्साहजनक गति बनाए रखने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बैंक का एक समर्पित ट्रेजरी अनुभाग है, जो पूरे देश में फैले अपने ग्राहकों को ट्रेजरी सेवाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा आधुनिक तकनीकी प्लेटफार्म से बैंक के ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय उत्पाद जैसे वायदा, विकल्प, ब्याज दर स्वेप एवं मुद्रा स्वेप आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- 18.2 ट्रेजरी अनुभाग में घरेलू ट्रेजरी परिचालन, विदेशी परिचालन, स्थायी आय, डिरेक्टिव उत्पाद, इक्विटी एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति वर्गों का कार्य होता है। संवैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) एवं गैर-एसएलआर बनाए रखने के लिए निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी शेयर, कारपोरेट ऋण पत्र, पीएसयू बांड, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड, उपक्रम पूँजी कोष, सबसीडियरी एवं संयुक्त उपक्रम को शामिल किया जाता है।
- 18.3 बांड को अपने पोर्टफोलियो को जोड़कर वर्ष की पहली छमाही में ऊंचे लाभ प्राप्त करने का बैंक को अवसर मिला और निवेश के विक्रय में लाभ बढ़ा। निवेशों से आय वित्त वर्ष 2014-15 के 7.57 प्रतिशत के सापेक्ष वित्त वर्ष 2015-16 में 7.58 प्रतिशत रही। ट्रेजरी के इक्विटी डेस्क ने सक्रियता से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया एवं नियमित अंतराल में लाभ अर्जित किया। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, निवेशों की बिक्री में ट्रेजरी ने वित्त वर्ष 2014-15 ₹708 करोड़ के सापेक्ष ₹914 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
- 18.4 आपके बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों की ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय जोखिम कम करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों जैसे ब्याज दर स्वेप (आईआरएस), मुद्रा स्वेप, ब्याज दर फ्यूचर, वायदा एवं विकल्प का विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किया है। प्रोप्राइटी ट्रेडिंग डेस्क, उपलब्ध विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय में सक्रिय रहा एवं लाभ अर्जित किया। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, विनिमय आय वित्त वर्ष 2014-15 ₹665 करोड़ की तुलना में ₹691 करोड़ रही। घरेलू ट्रेजरी परिचालनों से गैर-ब्याज आय विगत वर्ष के ₹1,373 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2015-16 में ₹1,604 करोड़ तक बढ़ी।

तालिका 16: ट्रेजरी परिचालन (घरेलू)			
मदें	वि.व 2015-16	वि.व 2014-15	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
निवेश पर आय (%)	7.58	7.57	1 बीपीएस
निवेश की बिक्री से लाभ	913.74	707.89	29.08
विनिमय आय (₹करोड़)	690.68	665.42	3.80
गैर-ब्याज आय (घरेलू ट्रेजरी परिचालन) (₹करोड़)	1,604.42	1,373.31	16.83

19 आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन :

- 19.1 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लार्ज कारपोरेट ऋणों के कारण बैंकिंग उद्योग को अग्रिमों में धीमी वृद्धि एवं अपकर्ष का सामना करना पड़ा. मार्च, 2017 तक तुलन पत्र के क्लीनिंग संबंधी नियामक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है.
- 19.2 आपके बैंक ने आस्तियों पर दबाव को दूर करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं तकनीक लगाये हैं एवं इससे एनपीए काफी सीमा तक कम हो जाएगा. चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद, आपके बैंक ने ₹178 करोड़ खातों के अपग्रेडेशन से तथा ₹844 करोड़ नकद वसूली से प्राप्त किये. वित्त वर्ष 15-16 के लिए एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 17: एनपीए की स्थिति (₹करोड़)	
विवरण	वित्त वर्ष 2015-16
सकल एनपीए (प्रारम्भिक)	13031
बढोत्तरी	12953
घटाया, कमी	1812
(I) अपग्रेडेशन	178
(II) वसूली	844
(III) अपलेखन	790
सकल एनपीए (अन्तिम)	24171
शुद्ध एनपीए	
- प्रारम्भिक	6919
- अन्तिम	14026

- 19.3. वर्ष के दौरान, सरफेसिया अधिनियम के अन्तर्गत बैंक ने 4386 ग्राहकों को नोटिस भेजी, जो कुल राशि ₹2,292 करोड़ के थे, इससे ₹600 करोड़ की वसूली हुई. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ऋण वसूली प्राधिकरण के माध्यम से ₹208 करोड़ एवं लोक अदालतों के माध्यम से ₹64 करोड़ की राशि वसूली. आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान एकमुश्त समझौता योजना (ओटीसी) एवं विशेष समझौता योजना (एसएसएस) के अन्तर्गत क्रमशः ₹65 करोड़ एवं ₹354 करोड़ की राशि वसूल की.
- 19.4 उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना का कार्यान्वयन : ऋण भार से लदी हुई ऊर्जा वितरण कम्पनियों के ऋणों को पुनर्जीवित करने एवं बैंक के आस्ति पोर्टफोलियो को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने नवम्बर, 2015 में उदय योजना प्रारम्भ की. आपके बैंक ने इस योजना को तीन राज्यों यथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) में चल रहे आस्तियों के दबाव की स्थिति को कम करने के लिए कार्यान्वित किया है.
- 19.5 कमजोर आस्तियां अर्थात मानक पुनर्गठित अग्रिम एवं जीएनपीए: आपका बैंक मानक पुनर्गठित अग्रिमों को वित्त वर्ष 2014-15 में कुल अग्रिम के 5.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2015-16 में 3.1 प्रतिशत तक लाने में सफल रहा है. वित्त वर्ष 2015-16 में कमजोर आस्ति अनुपात 11.8 प्रतिशत रहा है, जो

समकक्ष बैंकों/ पीएसबी की तुलना में सकारात्मक है.

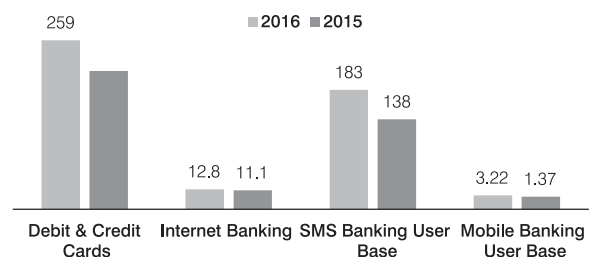
तालिका 18: क्षेत्रवार मानक पुनर्गठित आस्तियां				
क्र. सं.	सेक्टर	राशि (₹ करोड़)	मानक पुनर्गठित आस्तियों का %	सकल ऋण से %
1	मानक बकाया जिसमें	8572	लागू नहीं	3.1
अ.	- राज्य विद्युत बोर्ड	1311	15.3	0.5
ब.	- स्की हुई परियोजनाएं	300	3.5	0.1

20. डिजिटल बैंकिंग की ओर प्रस्थान : आपका बैंक तकनीक चालित वित्तीय सेवाएं बढ़ाते हुए डिजिटल इंडिया में अपना योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं परिचालन वातावरण के अनुस्रु बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए आपके बैंक ने स्वयं में बदलाव किए हैं.
- 20.1 आपके बैंक ने ग्राहकों के समक्ष चैनलों के विकल्प प्रस्तुत किए हैं. इसमें पारम्परिक शाखाओं का नेटवर्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट एवं 9 भाषाओं में 24x7 चलने वाले काल सेंटर शामिल हैं.

तालिका 19: शाखाओं/एटीएम का नेटवर्क		
	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15
कुल शाखाएं	4200	4081
जिसमें विदेशी शाखाएं	4	3
एटीएम	6883	7020
जिसमें बोलने वाले एटीएम	1662	1706
एटीएम का शाखा से अनुपात	1.64	1.72

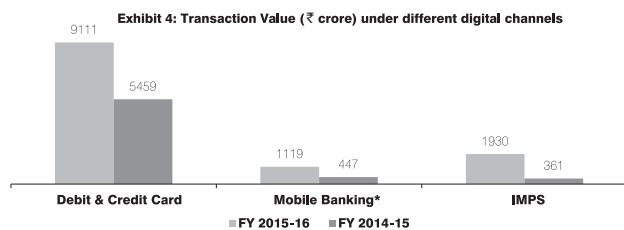
- 20.2 एटीएम एवं कार्ड : कम हिट वाले एटीएम, जिनसे कम आय हो रही थी, के बन्द होने के कारण एटीएमों की संख्या विगत वर्ष के 7020 से कम होकर 31 मार्च, 2016 को 6883 हो गयी. परिणामस्वरूप एक वर्ष पहले के प्रति एटीएम औसत हिट 85 से सुधरकर 112 हो गयी है. मार्च, 2016 को बोलने वाले एटीएमों का नेटवर्क 1662 रहा.

चार्ट 3: विभिन्न वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों के अन्तर्गत ग्राहक आधार (लाख में)



- 20.3 31 मार्च, 2016 को बैंक का डेबिट कार्ड आधार 257 लाख रहा. बैंक विशेषण उत्पादों जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, एटीएम पर कार्ड से कार्ड अन्तरण की श्रृंखला उपलब्ध करा रहा है. डिजिटल चैनल के माध्यम से संव्यवहार करने हेतु ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए रिवाई प्वाइंट के स्म

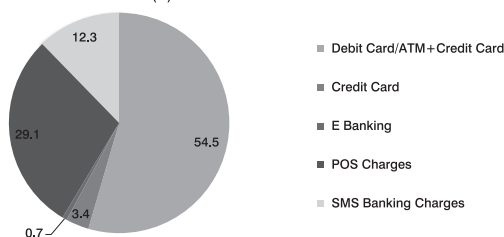
में कुछ फायदे भी दिए जाते हैं।



*मोबाइल बैंकिंग आईएमपीएस संयवहारों सहित।

- 20.4. **इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग** : आपके बैंक ने आईफोन/ आईपैड प्रयोक्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की शुर्खात की है। मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या एक वर्ष में दुगुनी हो गयी है। आईएमपीएस सेवा, जो ग्राहकों को तत्काल आधार पर मोबाइल के जरिये अंतर्बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, अब सभी तीनों चैनलों यथा एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध है। आईएमपीएस पी2ए (व्यक्ति से खाते में) अंतरण, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन, दोनों से ही अब सुलभ है। इसके अतिरिक्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क जमा करने के लिए बैंक ने भुगतान गेटवे सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया है।

Exhibit 5: Income Share (%) from Alternate Channels FY 2015 - 16



21 संयवहार बैंकिंग:

- 21.1 **करेंसी चेस्ट** : नकदी जमा करने/ भुगतान करने/ सार्तिंग करने जैसी सेवाओं के क्षेत्र में ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि करने का आपके बैंक का लक्ष्य है; ताकि बैंक की गैर ब्याज आय को बढ़ाया जा सके। इस समय बैंक के 66 करेंसी चेस्ट हैं तथा 13 नये करेंसी चेस्ट खोलने की प्रक्रिया चल रही है। आपके बैंक ने उन 1619 शाखाओं में नोट सार्तिंग मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनमें प्रतिदिन औसतन ₹30 लाख की नकद प्राप्ति होती है। आपके बैंक ने देश की 61 शाखाओं में क्वायन वेंडिंग मशीन (सीवीएम) स्थापित किया है।
- 21.2 **नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)**: आपके बैंक का सीएमएस प्रभाग, कार्पोरेट्स के लिए त्वरित व आसान वसूली तथा भुगतान में सक्षम है। वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने अपने विभिन्न सीएमएस उत्पादों के माध्यम से 42 नए कार्पोरेट कनेक्शन प्राप्त किये और कुल ₹39 करोड़ की आय अर्जित की है। नकद प्राप्ति और भुगतान के तहत आपका बैंक, त्वरित गति से न्यूनतम लागत पर कस्टमाइज्ड एमआईएस की मदद से कार्पोरेट्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। सीएमएस भुगतान हब और सीएमएस शाखाओं ने प्रति माह औसतन ₹800 करोड़ के 5 लाख भुगतान किये हैं, जिनमें नियमित कार्पोरेट भुगतान के अलावा,

केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों का पूरा वेतन, एनआरईजीए भुगतान, श्रम कल्याण कार्यालयों के भुगतान शामिल हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के तहत 12 राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी भुगतान सीएमएस द्वारा किये गये हैं, जिनसे हमें पर्याप्त कारोबार और आय की प्राप्ति हुई है। लायन्स क्लब इंटरनेशनल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आदि खातों में आवक एनईएफटी/ आरटीजीएस सेवाएं प्रदान करने से, बैंक के बचत व चालू खाता (कासा) में अच्छी वृद्धि हुई है। आपके बैंक ने, सीएमएस संग्रहण में, प्रायोजित बैंक के स्म में नेशनल ऑटोमेटेड क्लेरिंग हाउस सेवाएं आरम्भ की हैं।

Exhibit 6: Turnover in CMS Business (₹ crores)

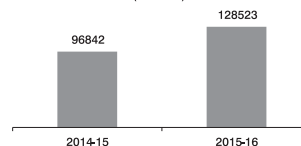
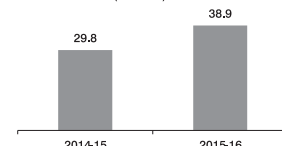


Exhibit 7: Income from CMS Business (₹ crores)



- 21.3 **मर्चेट बैंकिंग** : आपका बैंक ग्राहकों के लिए लाभान्श/ ब्याज के भुगतान और बांड्स के पुनर्भुगतान आदि के लिए, भुगतान बैंकर के स्म में लगातार कार्य करता रहेगा। इक्विटी में आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट (ASBA) की सुविधा पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। आपका बैंक डी-मैट खाते जुटाने के लगातार प्रयास करता रहेगा और इस क्षेत्र में ग्राहक आधार बढ़ता रहेगा।

22 तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण:

- 22.1. आपका बैंक अखिल भारतीय स्तर पर अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से तृतीय पक्ष उत्पादों जैसे बीमा तथा म्यूचुवल फंड के वितरण द्वारा विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने हेतु हमेशा आगे रहा है। बैंक के तृतीय पक्ष उत्पाद संविभाग में निम्न उत्पाद शामिल हैं:
- 22.2. **जीवन बीमा** : बैंक अपने संयुक्त उपक्रम स्टार यूनिनयन दायची लाइफ इंशोरेंस कंपनी के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद उपलब्ध कराता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने सुड लाइफ जीवन आश्रय, सुड लाइफ आरोग्यम और सुड लाइफ आयुष्मान जैसे नए उत्पादों का वितरण किया है।
- 22.3. **साधारण बीमा** : खुदरा और वाणिज्यिक खंड के तहत बैंक द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर-जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण किया जा रहा है।
- 22.4. **स्वास्थ्य बीमा** : आपके बैंक द्वारा, स्टैंड अलोन बीमाकर्ता रेलिगेयर हेल्थ इंशोरेंस के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान किये जा रहे हैं।
- 22.5. **म्यूचुवल फंड्स**: बैंक अपनी सहायक कंपनी 'यूनिनयन केबीसी एसे मेनेजमेंट' कंपनी लिमिटेड के माध्यम से म्यूचुवल फंड उत्पादों के स्म में निवेश के अवसर भी प्रदान करता है।
- 22.6. इनके अलावा, नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि के लिए, भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं का वितरण आपका बैंक सक्रिय स्म से कर रहा है। बैंक द्वारा वितरित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शामिल हैं, जिनमें क्रमशः 11 लाख और 27 लाख सदस्यों को कवर किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने तृतीय पक्ष उत्पादों के वितरण से ₹55 करोड़ की आय अर्जित की है, जो वित्त वर्ष 2014-15 के ₹42 करोड़ की तुलना में 29.7% वृद्धि दर्शाता है। बैंक अपने प्रमुख संविभाग को बढ़ाने के लिए तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण के प्रयासों को तेज रखना जारी रखेगा।

23. सूचना प्रौद्योगिकी :

- 23.1. बैंक का सुदृढ़ आई टी प्लेटफार्म, बेहतर ग्राहक सुविधाएं एवं नवोन्मेषी सेवाएं उपलब्ध कराने के मुख्य लक्ष्य की सार्थक सिद्ध करने का मुख्य रणनीतिक स्तम्भ है। आपके बैंक ने ग्राहक संतुष्टि, स्टाफ उत्पादकता, इष्टतम लाभ में वृद्धि तथा टर्न अराउंड समय को घटाकर बेहतर उत्पादों और सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए हमेशा तकनीक को महत्व दिया है।
- 23.2. सरकार के 'डिजिटल इंडिया' विजन को गति प्रदान करने की दृष्टि से आपके बैंक ने करों और प्राप्तियों के संग्रहण हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। इससे राज्य के करदाताओं की पहुंच सुदूर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 500 से अधिक शाखाओं तक होगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित कार्यों के डिजिटलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया गया:

शाखा बैंकिंग अनुभव के नए मिसाल	वित्तीय समावेशन/ सरकारी कारोबार	कार्पोरेट ग्राहक
- बीएनए (बंच नोट एक्सेप्टर), सीडीएम (चेक जमा मशीन) का प्रावधान - बारकोड आधारित सेमी ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटर, आईएमपीएस (त्वरित भुगतान प्रणाली)	- सरकार द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे शैक्षणिक ऋणों के लिए विद्या लक्ष्मी योजना, पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण), विभिन्न राज्यों के लिए कर संग्रहण, स्टैम्प ड्यूटी, केन्द्र एवं राज्य पेंशन, वरिष्ठ नागरिक योजना. - आपके बैंक ने काउंटर करों/ प्राप्तियों की वसूली हेतु महाराष्ट्र वर्युवल ट्रेजरी (जीआरएएस) को कोर बैंकिंग के साथ एकीकृत किया है। इससे रिकार्ड उसी समय अद्यतन हो जाते हैं और करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है।	केन्द्रीय विद्यालयों और अन्य इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंटीग्रेशन संस्थाओं के लिए फीस का संग्रहण.

- 23.3. आपके बैंक ने आधार कार्ड आधारित ऑन-लाइन सत्यापन के लिए ई-केवाईसी, ऑन-लाइन पैन सत्यापन और क्रेडिट स्कोर जनरेशन के लिए क्रेडिट ब्यूरो इंटीग्रेशन को कार्यान्वियन किया है। ग्राहक के संव्यवहारों/ आंकड़ों की सुरक्षा के लिए बैंक ने सुपरिभाषित सुरक्षा नीतियां बनाई हैं। आपके बैंक के डाटा सेंटर और डीआर साइट को आईएसओ 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करता है।
- 23.4 आपका बैंक, भारत में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र (बीएफएसआई)

में बिजनेस कंटीन्यूटी मेनेजमेंट सिस्टम (बीसीएमएस) प्रमाणन अर्थात आईएसओ 22301:2012 को सबसे पहले अपनाने वालों में एक है। संव्यवहारों को डिजिटलाइज करते समय आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र आधारित सत्यापन की सुविधा प्रदान की है।

- 23.5 वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए कई मूल्य वर्धित सेवाओं को आरम्भ किया। आयकर विभाग को फार्म 15 जी/ एच प्रमाणपत्रों की त्वरित प्रस्तुति को सुगम बनाने के लिए एक केन्द्रीयकृत रिपोर्टिंग प्रणाली आरम्भ की गई है। आपके बैंक ने मेसर्स क्लियर टेक्स टेक्नोलॉजीज के साथ टाई-अप किया है, जो अपने सभी ग्राहकों को आयकर विवरणी भरने में मदद करता है।
- 23.6 संव्यवहारों की बढ़ती हुई मात्रा और नए डिजिटल चैनलों को आरम्भ करने के बाद जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के अनुसूक्त तकनीकी ढांचे में लगातार वृद्धि की जा रही है। पारम्परिक आधारभूत प्रणालियों से आगे बढ़कर इष्टतम लागत के लिए क्लाउड आधारित ई-लर्निंग प्लेटफार्म प्रारम्भ किया गया है।
- 23.7 त्वरित निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए डैश बोर्ड के माध्यम से आईपैड पर विभिन्न मानदंडों पर आंकड़े प्राप्त करने के प्रावधान किये गये हैं। इसके अलावा आपके बैंक ने इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटरफेस के प्रयोग से आंतरिक प्रक्रियाओं यथा लेखाबंदी, संव्यवहारों की प्रोसेसिंग के माध्यम से आडिट आदि को डिजिटलाइज किया है।
- 23.8 आज उद्योग के लिए प्रचलित शब्द है एसएमएससी (सोशियल मीडिया, मोबिलिटी, एनालिटिक्स तथा क्लाउड)। आपके बैंक ने विपणन टीम को विश्लेषणात्मक आंकड़े तथा आंतरिक ग्राहकों के लिए ई-लर्निंग के माध्यम से क्लाउड मुहैया कराकर ग्राहकों के लिए विश्लेषण तथा विभिन्न मोबाइल एप्स प्रारम्भ कर मोबिलिटी में उपस्थिति दर्ज की है।

24. विभिन्न तकनीकी पहल :

- 24.1 'यूनियन 24X7 कंफर्ट': सम्पूर्ण भारत में आपके बैंक ने 101 स्थानों पर "यूनियन 24X7 कंफर्ट" लाबी आरम्भ किया है। अपने गतव्य की ओर यात्रा में, बैंक का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। यूनियन 24X7 कंफर्ट लाबी वह तकनीक प्रदान करती है, जहां ग्राहक अपनी पेरेंट शाखा में गये बिना सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आपका बैंक इन लाबियों में स्वयं सेवा सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिनमें कार्ड से कार्ड को अंतरण, यूनियन ई-कैश, आईएमपीएस निधि अंतरण, मोबाइल रिचार्ज, आधार नंबर सीडिंग, नकद जमा मशीन एवं स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटर शामिल हैं।
- 24.2 मोबाइल पासबुक (एम-पासबुक): बैंक ने एम-पासबुक आरम्भ किया है, जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने मोबाइल पर किसी निर्धारित अवधि के लिए अपने खाते का विवरण देख सकते हैं। एम-पासबुक सभी मोबाइल एप स्टोर्स जैसे ऐंड्रॉइड, आईओएस, ब्लैकबेरी, विंडोज आदि में उपलब्ध है। ग्राहक सिर्फ एम-पासबुक एप को डाउनलोड कर परिचालन आरम्भ कर सकते हैं।

- 24.3 खुदरा और कार्पोरेट ग्राहकों के लिए शाखाओं के माध्यम से तुरन्त भुगतान सेवा (आईएमपीएस): शाखाओं में आने वाले अपने वाक-इन-ग्राहकों के लिए, आईएमपीएस प्रारम्भ करने में आपका बैंक अग्रणी रहा है। आईएमपीएस के द्वारा ग्राहक प्रतिदिन ₹2 लाख तक किसी भी बैंक खाते की राशि तुरन्त अंतरित कर सकते हैं। आपके बैंक ने यह सुविधा खुदरा और कार्पोरेट ग्राहकों के लिए आरम्भ की है।
- 24.4 मोबाइल वालेट: बैंक ने नवम्बर 2015 में “डिजिपर्स” नाम से प्रीपेड मोबाइल वालेट आरम्भ किया है, जिसमें ग्राहक द्वारा राशि डिजिटली लोड की जा सकती है और विभिन्न सेवाओं जैसे- मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ऑनलाइन शापिंग, निधि अंतरण आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दिनांक 31.03.2016 तक “डिजिपर्स” का उपयोगकर्ता आधार 1.28 लाख तक पहुंच गया है।
- 24.5 यूनियन सेल्फी: तकनीकी स्तर से दक्ष युवाओं तक पहुंच के लिए, आपके बैंक ने खाता खोलने का सेल्फी तरीका, मोबाइल आधारित बचत बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, जिसमें भावी ग्राहक को बचत बैंक खाता खोलने के लिए बिना किसी बाधा के अपने पहचान के विवरणों को सिर्फ स्कैन कर सेल्फी फोटो के साथ अपलोड करना होता है।
- 24.6 भारत में हो रहे डिजिटल परिवर्तनों के साथ, आपके बैंक ने वीसा के साथ मिलकर निम्नलिखित तीन डिजिटल पहलें आरम्भ की हैं :
- 24.6.1 बिजनेस डेबिट कार्ड : यह कार्ड- क) व्यक्तिगत, बी) एकल स्वमित्व, सी) भागीदारी तथा डी) हिन्दू अविभाजित परिवार (कर्ता) संवर्ग के सभी चालू खाता ग्राहकों के लिए है, जिसे जारी करने का कोई प्रभार नहीं लिया जाता है। कार्डधारकों को कई प्रकार की सुविधाएं जैसे- प्रत्येक तिमाही में दो बार अंतरदेशीय/ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लांज में मुफ्त प्रवेश की पात्रता, ₹2 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर आदि मिलती हैं।
- 24.6.2 यूसेक्योर क्रेडिट कार्ड: यह क्रेडिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उनकी मियादी जमाओं के ग्रहणाधिकार के पेटे जारी किया जाता है, जिसे जारी करने का कोई प्रभार नहीं लिया जाता है। कार्डधारकों को वीसा से यात्रा, मनोरंजन तथा डाइनिंग के विशेष ऑफर मिलते हैं और ₹5 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है।
- 24.6.3 सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड: बैंक द्वारा उच्च स्तर के क्रेडिट कार्ड अर्थात् सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड भी जारी किये जाते हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति की आय के आधार पर उसके व्यय करने की उच्चतर सीमा, जो उसकी वार्षिक आय के 20 प्रतिशत तक हो सकती है, निर्धारित होती है। प्रतिष्ठित कार्डधारकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- 25. जोखिम प्रबंधन- जोखिम की पहचान एवं उसके शमन हेतु अग्रसक्रिय अवधारणा:**
- 25.1 प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय वातावरण में आपके बैंक का उद्देश्य अवसर एवं जोखिम के बीच संतुलन बनाए रखना है। बैंक में जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण मूलतः शीर्ष स्तर पर जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन (एससीबी) पर पर्यवेक्षी समिति के जरिये किया जाता है, जो विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तरीय समितियों द्वारा समर्थित है। आपके बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जोखिम रणनीति एवं

नीतियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा एससीबी द्वारा जोखिम रणनीति एवं नीतियों का पर्यवेक्षण किया जाता है जबकि इसके क्रियान्वयन, जोखिम स्तर व उसकी दिशा की समीक्षा, प्रूडेंशियल सीलिंग, संविभाग वैविध्य एवं जोखिम रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण बोर्ड की पर्यवेक्षण समिति द्वारा किया जाता है। जोखिम रणनीति तथा नीतियों का बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों को प्रभावी स्तर से संप्रेषण किया जाता है। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत जोखिम क्षमता एवं विनियामक ढांचे के अंतर्गत एक स्वस्थ संविभाग बनाना एवं उसका रखरखाव करना शामिल है।

- 25.2 आपके बैंक ने समुचित नीतियों, संगठनात्मक ढांचे, जोखिम मापन तकनीकों, पर्याप्त पद्धतियों, प्रणालियों, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र के जरिये तीन प्रकार के जोखिमों यथा ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के निवारण का कार्य किया है। आपके बैंक में एक सुस्पष्ट जोखिम क्षमता नीति तथा स्वतंत्र जोखिम कार्य विद्यमान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत कार्य करे।
- 25.3 ऋण जोखिम प्रबंधन: आपका बैंक अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से सशक्त आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करता है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करती है। बैंक के पास पहचान, मापन, अनुश्रवण व ऋण जोखिम एक्सपोजर के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है। ऋण जोखिम नीतियां, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित व्याज निर्धारण, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न साधन हैं। आपका बैंक उधारकर्ता, गुप, सेक्टर, रिटेल, योजनाओं, उद्योग व भौगोलिक क्षेत्रों आदि की लगातार निगरानी करता है तथा ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार का प्रयास करता है और जोखिम प्रोफाइल को बनाए रखता है जो उधारकर्ता, उत्पादों, औद्योगिक प्रकार व भौगोलिक आधार पर वैविध्यपूर्ण हैं।
- 25.4 क्रेडिट रेटिंग एवं अनुमोदन: आपके बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अधीन है। रिटेल संविभाग के लिए बैंक, स्कोर कार्ड आधारित अवधारणा का प्रयोग करता है तथा कॉर्पोरेट एक्सपोजर के विभिन्न वर्गों के ऋण जोखिम आकलन हेतु अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं। आपके बैंक ने सभी अग्रिमों हेतु बैंक की मानकीकृत एवं पूर्ण परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें ऋण अनुमोदन करने हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां कार्यरत हैं। रेटिंग गुणवत्ता में सुधार, सशक्त रेटिंग डाटाबेस बनाने तथा रेटिंग माडलों के बेहतर प्रशासन हेतु केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत रेटिंग पूल स्थापित है।
- 26. पूंजी संगणना**
- 26.1 आपके बैंक ने मार्च 2009 से नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को कार्यान्वित किया है। ऋण जोखिम हेतु बैंक ने मानक प्रणाली को अपनाया है एवं ऋण जोखिम के उन्नत अप्रोच की न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ आगे की ओर अग्रसर है। आईआरबी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक पूंजी आकलन समाधान लागू किया जा रहा है एवं एफआईआरबी की ओर माइग्रेशन प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकार द्वारा किया

जा रहा है। ऋण जोखिम घटकों यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि जनित चूक (एलजीडी), एक्सपोजर चूक (ईएडी) और परिपक्वता (एम) की गणना करने के लिए बैंक ने आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार किया है और डाटा के समेकन की प्रक्रिया चल रही है। खुदरा ऋण की दिशा में, रिटेल पूल्स तैयार करने तथा उनके पीडी, एलजीडी, तथा ईएडी के मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है।

27. बाजार जोखिम प्रबंधन:

27.1 बाजार जोखिम का तात्पर्य- इक्विटी मूल्यों, ब्याज दरों, ऋण स्प्रेड, विदेशी मुद्रा दरें, वस्तुओं का मूल्य तथा अन्य संकेतक जिनका मूल्य बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, में परिवर्तनों के कारण बैंक की व्यापार बहियों में हानि के जोखिम से है। आपके बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाजार जोखिम नीति के जरिये बैंकिंग एवं व्यापार बहियों में निहित बाजार जोखिम का निवारण करने का प्रयास किया है। बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है। अर्जन परिदृश्य एवं आर्थिक मूल्य परिदृश्य- दोनों के जरिये मूल्य संवर्धन पर मुख्य जोर दिया जाता है। एएलएम डेस्क एवं ट्रेजरी मिड आफिस द्वारा क्रमशः बैंकिंग एवं व्यापार बहियों में बाजार जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। आस्ति देयता समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र, अवधि एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है। एल्को द्वारा आस्ति एवं देयताओं की प्राइसिंग भी निर्धारित की जाती है। एल्को मुख्यतः तरलता व ब्याज दर जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और प्रबंधन करती है।

27.2 बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबावग्रस्त परिदृश्य परिकल्पित करता है तथा आकस्मिक निधिकरण योजना रखता है। आपके बैंक के पास ट्रेजरी में एक स्वतंत्र मिड आफिस कार्यरत है, जो जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करता है। यह ऑफिस एक्सपोजर, निर्धारित ऋण सीमा अनुश्रवण तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों के परिकलन संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करता है।

27.3 आपके बैंक ने तरलता मानक पर बासल III के ढांचे के आधार पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन को अंगीकृत किया है। इसमें अंतः-दिवसीय तरलता प्रबंधन तथा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) शामिल है। तरलता अनुपात का आकलन तिमाही आधार पर तथा तरलता का अनुश्रवण और प्रबंधन सक्रिय रूप से किया जाता है।

27.4 वर्तमान में, बाजार जोखिम का आकलन, मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली (एसएमएम) द्वारा किया जाता है। आपके बैंक ने बाजार जोखिम हेतु उन्नत अप्रोच के तहत आंतरिक मॉडल अप्रोच (आईएमए) की ओर जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन दिया है

28. परिचालन जोखिम प्रबंधन:

28.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है। आपके बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु प्राथमिक रूप में व्यापक प्रणाली और प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का प्रयोग किया जाता है। परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों

को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। विद्यमान उत्पादों में अन्तर तथा आउटसोर्सिंग गतिविधियों में जोखिम की भी समीक्षा की जाती है। बैंक ने विगत दस वर्षों के दौरान हुई परिचालनगत हानियों से संबंधित आंकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया जाता है; ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति न हो। जोखिम एवं नियंत्रित स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) सर्वेक्षण करने एवं मुख्य जोखिम सूचक का पता लगाने हेतु भी प्रक्रिया शुरू की गई है।

28.2 वर्तमान में आपके बैंक द्वारा परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी आकलन हेतु प्राथमिक संकेतक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। परिचालन जोखिम हेतु बैंक को समानांतर आधार पर 'मानकीकृत अप्रोच (टीएसए)' को भी कार्यान्वित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से मिली है। एएमए की ओर माइग्रेसन हेतु बैंक द्वारा बाहरी सलाहकार के मार्गदर्शन में ओआरएम प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। परिचालन जोखिम के लिए उन्नत अप्रोच के तहत पूंजी संगणना हेतु भी एक सॉल्युशन लागू किया जा रहा है।

28.3 बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में प्रकटन नीति बनायी है। कारोबार बाधा एवं सिस्टम विफलता के प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के महत्व को समझते हुए बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गयी है, जिसमें हानिकारक वातावरण में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विस्तृत खाका तैयार किया गया है।

28.4 बॉसल पिलर II मानदंडों के अनुपालन हेतु बैंक ने एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) लागू की है। इससे बैंक आंतरिक दृष्टि से उन जोखिमों, जो पिलर I में या तो शामिल ही नहीं थीं, या पर्याप्त रूप में शामिल नहीं थीं, का पता लगाने एवं मूल्यांकन करने एवं साथ ही सामान्य तथा तनावयुक्त स्थितियों में जोखिमों के प्रबंधन हेतु समुचित रणनीति बनाने में सक्षम हो सका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापक दबाव जांच फ्रेमवर्क भी लागू किया गया है, जो अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाक्रमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की सक्षमता का आकलन करने में सहायक है। यह फ्रेमवर्क किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली उचित रणनीतियों में सहायक सिद्ध होता है।

29. निष्पादन मूल्यांकन एवं लाभप्रदता प्रबंधन

29.1 बैंक ने एक सुदृढ़ और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य प्रणाली यथा मैचड फंड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लागू किया है। अपनी निष्पादन निर्धारण प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच हमारा बैंक अग्रणी है। यह सिस्टम जनित प्रणाली, मूल्य अंतरण व्यवस्था को बहुत ही छोटे स्तर जैसे खाता स्तर पर भी अंतरण प्राइसिंग को समर्थ बनाती है तथा अंतरण दर, बाजार दर से जुड़ी होती है। यह प्रणाली ब्याज दर जोखिम को केन्द्रीय फंडिंग यूनिट (सीएफयू) में केन्द्रीकृत करने में सहायक होती है, जहां उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। आपके बैंक ने लागत व आय निर्धारण हेतु भी मॉड्यूल लागू किये हैं, जिससे विभिन्न व्यावसायिक पहलुओं को नापा जा सके। यह भविष्य में जोखिम आधारित निष्पादन मूल्यांकन में सहायक होगी।

30. बासल-III का कार्यान्वयन :

30.1 बासल-III मानकों के अनुसूच पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक निर्धारण, तरलता अनुपातों तथा लिवरेज अनुपातों को बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2010 से बासल-III दिशानिर्देशों के प्रभावों को जानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन(क्यूआईएस) में बैंक की प्रतिभागिता रही है। बासल-III के तहत प्रकटन मानदंडों का पालन भी किया जा रहा है। बैंक की पूंजी, बासल-III अपेक्षाओं के अनुसूच है, जो न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है। बासल-III दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया(आईसीएएपी) के एक भाग के रूप में पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपनाई जाती है तथा पूंजी बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन व तदनुसार योजना बनायी गयी है।

31. समूह जोखिम प्रबंधन:

31.1 आपका बैंक, अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से समूहवार अप्रोच लागू करने की ओर अग्रसर है; ताकि जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, की ओर ध्यान दिया जा सके। आपका बैंक, विविधीकृत वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति एवं पूंजी बाजार, बीमा एवं खुदरा आस्ति आदि के कारोबार कार्य में शामिल है। बैंक द्वारा सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में अपने समूह प्रतिष्ठानों, आंतरिक नियंत्रणों, निवारण उपायों तथा पूंजी संगणना में जोखिमों के आकलन हेतु एक प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकार के सहयोग से एक व्यवस्थित नीति/ फ्रेमवर्क लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

32. अपने ग्राहक को जाने- धन शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल)

32.1 केवाईसी-एएमएल (अपने ग्राहक को जाने- धन शोधन निवारण) अनुपालन को मजबूत करने के लिए बैंक द्वारा स्थानीय भाषाओं में नोटिस जारी करने, स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने, खाता खोलने के फार्म में ग्राहक प्रोफाइल संबंधी अतिरिक्त विशेषताओं को शामिल करने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं। आपके बैंक द्वारा केवाईसी- एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं तथा पूरे देश में सभी स्टाफ सदस्यों को केवाईसी- एएमएल के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र रखे गये हैं। जाली नोटों की पहचान तथा समय से रिपोर्टिंग के प्रति शाखाओं को संवेदनशील बनाने के लिए भी कार्यक्रम चलाये गये हैं। संदिग्ध लेनदेनों की पहचान हेतु एलर्ट जारी करने तथा नियामक प्राधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करने हेतु आपके बैंक ने धनशोधन निवारण साफ्टवेयर कार्यान्वित किया है। केवाईसी-एएमएल के अनुपालन में सुधार हेतु बैंक द्वारा निरंतर जोर दिया जा रहा है।

33. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

33.1 आपके बैंक ने एक प्रभावी, कारोबार चालित धोखाधड़ी एवं अवचार जोखिम मूल्यांकन तैयार करने का प्रयास किया है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए कदम उठाने हेतु फील्ड कार्यकर्ताओं को भी संवेदनशील बनाया जा रहा है। कृत धोखाधड़ी/धोखाधड़ी के प्रयास में अपनायी गई कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु धोखाधड़ी समीक्षा समिति की नियमित बैठक होती है तथा संबंधित वर्टिकल के माध्यम से क्षेत्रकर्मियों को सुधारात्मक उपाय सुझाये जाते हैं। धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की विशेष समिति द्वारा ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक के धोखाधड़ी मामलों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है। बैंक उपक्रमवार आधार पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का समाधान करने की ओर अग्रसर है जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सके और धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान की जा सके।

34. सूचना तकनीक जोखिम:

34.1 बैंक ने भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा नीति अपनायी है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना एवं सूचना सिस्टम की गोपनीयता, दृढ़ता एवं सही उपलब्धता की दृष्टि से इनके अनधिकृत एक्सेस, उपयोग, प्रकटन, व्यतिक्रम, संशोधन तथा नष्ट होने से बचाया जा सके। बैंक की नाजुक कारोबारी आस्तियों की सुरक्षा हेतु बैंक द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है। बैंक ने नाजुक आस्तियों एवं बैंक नेटवर्क की सुरक्षा और अनुश्रवण हेतु सेक्युरिटी आपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित किया है जो 24x7x365 समर्पित है। बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों, तृतीय पक्ष विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं और ग्राहकों को सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी प्रदान की जाती हैं।

35. अनुपालन कार्य - विनियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन तथा उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन

35.1 आपके बैंक में सुस्पष्ट अनुपालन नीति के साथ एक मजबूत अनुपालन प्रणाली विद्यमान है। अनुपालन कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बैंक में नियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, स्व-नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित / प्रस्तावित उचित व्यवहार संहिता एवं अन्य संहिताओं से संबंधित अनुपालन, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धन शोधन तथा अवैध गतिविधियों के निधिकरण पर रोक संबंधी अनुपालन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

35.2 बैंक में प्रत्येक स्तर पर अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका एवं जिम्मेदारी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुपालन नीति की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। नियामक एवं सांविधिक अनुपालन विषयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वप्रमाणन प्रक्रिया जिसमें शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, विद्यमान है। नियामकों/ मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुश्रवण, नियंत्रण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुपालन पैकेज स्थापित किया गया है।

36. आंतरिक लेखापरीक्षा:

36.1 रिपोर्टिंग मानकों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा तथा आईएस लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है। बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में शिफ्ट किया है। बैंक द्वारा 'जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा' साफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ऑनलाइन समेकन की व्यवस्था है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस साफ्टवेयर को वित्त वर्ष 2015-16 में पुनः अपडेट किया गया तथा 1 अप्रैल, 2016 से इसे कार्यान्वित किया गया है।

36.2 आईएस लेखापरीक्षा: विभिन्न अरक्षितताओं, बाहरी / आंतरिक खतरों से महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की रक्षा के लिए आउटसोर्सड वेडर मेसर्स ऑडिट टाइम इन्फार्मेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा बैंक की आईएस लेखापरीक्षा टीम के साथ सभी सूचना प्रणालियों की वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा की गयी। बैंक की आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 30 शाखाओं, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 5 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गयी।

36.3 शाखा निरीक्षण: नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक शाखा की निर्धारित अवधि के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक

है। छह महीने पूरे होने पर नई खुली शाखाओं की भी लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा/ निरीक्षण के अतिरिक्त आपके बैंक द्वारा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से चयनित शाखाओं की राजस्व लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा आयोजित करने की प्रणाली विद्यमान है। ऐसी लेखापरीक्षाओं के कार्यक्षेत्र / कवरेज का निर्धारण की लेखापरीक्षा नीति वित्त वर्ष 2015-16 के अनुसार किया गया है।

- 36.4 वित्त वर्ष 2015-16 के लिए शाखा निरीक्षण/ आंतरिक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा की स्थिति इस प्रकार है:

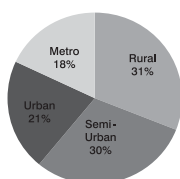
तालिका 20: वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक व समवर्ती लेखा परीक्षा का व्यौरा	
विवरण	शाखाओं की संख्या
आंतरिक लेखापरीक्षा	3663
समवर्ती लेखापरीक्षा	775

- 36.5 ऑफ साइट निगरानी कक्ष(ओएमसी): वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा नये प्रकार के एलटर्स की पहचान की है, जिनकी निगरानी ओएमसी द्वारा की जा रही है। इसमें चालू जमा/ बचत जमा खातों में बेजमानती टीओडी, अनुमत तदर्थ सीमा जो 3 महीने के भीतर समायोजित नहीं हुई, अतिदेय होने के बावजूद नये पैकिंग क्रेडिट का संवितरण, साखपत्र(एलसी) डिवाल्व होने के बावजूद क्रेता का नया साखपत्र भुनाना, यूएसडी 3,00,000 तक का किया गया आयात भुगतान, स्टाफ खाते में नकदी जमा लेनदेन, अन्य बैंकों को बैंक शुल्क का भुगतान, नकदी में कमी प्रविष्टि को उचित खाते में नामे करना तथा प्रविष्टि बिल प्रस्तुतीकरण में विलंब आदि शामिल है।

37. नेटवर्क:

तालिका 21: शाखा विस्तार					
विवरण/क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
शाखाओं की संख्या	1311	1253	882	750	4196
संख्या (%)	31	30	21	18	100

आपके बैंक की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, जिसमें से 61 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध- शहरी केंद्रों में स्थित हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 125 शाखाएं खोली गई हैं।



38. मानव संसाधन प्रबंधन

- 38.1 सेवा उन्मुख उद्योग होने के नाते बैंकिंग हमेशा 'जन सामान्य कारोबार' के स्तर में उभरा है। आपके बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन संवर्धन द्वारा संगठनात्मक दक्षता में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके बैंक ने पुरातन अनुभव की मौजूदगी के साथ साथ युवा प्रतिभायें जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। बैंक कर्मचारियों से जुड़ने और कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए लगातार अपनी मानव संसाधन प्रथाओं को बदलता रहा है।
- 38.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने बड़े पैमाने पर भर्ती के माध्यम से नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है। बैंक सक्रियता से अपनी मानव पूंजी के आधार को समृद्ध बनाने में लगा है। अतः यह पहचान

करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करे कि संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सही गति, कार्य व्यवहार्यता, उपयुक्त मार्गदर्शन तथा सहयोगपूर्ण नजरिया शामिल हो। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) को विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों से परिचित करने के लिए 2-3 सप्ताह का एक नया इंडक्शन कार्यक्रम तैयार किया है। इंडक्शन प्रशिक्षण के बाद एक वर्ष के लिए ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है।

- 38.3 ई-लर्निंग पोर्टल: आपके बैंक ने प्रशिक्षण प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए एक ई-लर्निंग पोर्टल तैयार किया है। बैंक के युवा कर्मचारियों को मॉड्यूल पर बैंकिंग के विभिन्न सूक्ष्म व महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

- 38.4 साझा सेवा केंद्र: आपके बैंक द्वारा साझा सेवा केंद्र की सुविधा आरंभ की गयी है जो एक ही स्थान पर दावों (परिलब्धियों) की केंद्रीकृत मंजूरी प्रदान करता है। यह प्रणाली बैंक में एकस्रता बनाए रखने के क्रम में स्थापित की गयी थी। यह सभी कर्मचारियों के भत्तों के दावे के लिए टर्न अराउंड समय (टीएटी) के साथ साथ दावों की मंजूरी में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है।

- 38.5 शिकायत निवारण पोर्टल - 'एचआर आपके द्वार': आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा पहला बैंक है, जिसने ऑनलाइन शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया है। 'खुश कर्मचारी अधिक उत्पादक कर्मचारी' इस विचार को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल 'एचआर आपके द्वार' आरंभ किया गया तथा अगस्त, 2015 में लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में यह पोर्टल सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को कवर करता है। यह पोर्टल इस आशय से शुरू किया गया था कि स्थानीय स्तर पर एक संवेदनशील तथा कर्मचारी अनुकूल मानव संसाधन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्टाफ प्रशासनिक कार्यों के लिए युक्तिसंगत टीएटी बनाया जा सके। यह पोर्टल सभी स्टाफ सदस्यों के लिए उनकी शिकायतों/ समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए एक आसान एवं सुलभ मंच प्रदान करता है। यह प्रणालियों, प्रक्रियाओं व स्टाफ प्रशासनिक कार्यों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करता है।

- 38.6 नवोन्मेष पर पोर्टल: किसी भी कंपनी का मन व प्राण उनकी रचनात्मकता तथा नवीनता होती है। स्टाफ सदस्यों को बैंक के हित में उच्च प्रबंधन से बेहिचक बातचीत करने व अपने सुझाव/विचार देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मंच प्रदान करते हुए एक समर्पित ईमेल आईडी innovation@unionbankofindia.com उपलब्ध कराई गयी है। प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की एक समिति भी बनायी गयी है। नवोन्मेष के अधीन अब तक हमारे कर्मचारियों से 2407 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 102 सुझाव पहले ही लागू किये जा चुके हैं।

- 38.7 कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली: वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने नयी कार्य भूमिका को परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर ऐसी टीम का गठन करना है जो बैंक के कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करे। नई कार्य भूमिका के अतिरिक्त कर्मचारियों

के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्षेत्रों (केआरए) व मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) को भी फिर से परिभाषित किया गया, ताकि उन्हें और अधिक उद्देश्यपरक, कारोबार उन्मुख तथा उनसे संबंधित भूमिकाओं के लिए और अधिक सार्थक बनाया जा सके।

38.8 प्रोजेक्ट उत्कर्ष:

38.8.1 आपके बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के नाम से कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन की एक नयी यात्रा आरंभ की है। प्रॉजेक्ट उत्कर्ष के जरिये बैंक अपने प्रमुख उद्देश्यों यथा बेहतर ग्राहक अनुभव, बेहतर प्रक्रिया दक्षता और बेहतर कर्मचारी उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में सफल हो सकेगा। बैंक द्वारा कार्यान्वित निम्नांकित 6 महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है:

- यूनियन एक्सपीरियन्स: रिटेल शाखाओं के ऑपरेटिंग मॉडल व संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त बनाना;
- रिटेल कारोबार के लिए यूएलपी में सुधार;
- एमएसएमई कारोबार के लिए सरल में सुधार;
- डिजिटल चैनल: मल्टी चैनलों (एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल) के कार्यनिष्पादन व प्रतिफल में वृद्धि;
- साझा सेवा केंद्र, उत्तराधिकार आयोजना, कर्मचारी संवर्धन और इंगेजमेंट कार्यक्रमों जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी प्रक्रियाओं में सुधार।

38.8.2 बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) तथा डाटा एनालिटिक्स: बैंक ने बिजनेस इंटेलिजेंस साल्यूशन की स्थापना की है, जिसका इस्तेमाल डाटा अपडेशन, भावी मॉडलों के पुनर्विकास के साथ

साथ व्यापक बाजार/ ग्राहक आधार की अंतर्दृष्टि विकसित कर ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) के अभियानों के अतिरिक्त विभिन्न मानदंडों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। डाटा एनालिटिक्स के तहत यूनियन एक्सपीरियन्स शाखाओं में फिनेकल के माध्यम से एनपीटीबी (खरीदने के लिए अगला उत्पाद) मॉडल शुरू किया गया है। यह ग्राहकों से साक्षात्कार के दौरान उन्हें अधिक प्रासंगिक उत्पाद/ सेवाओं की पेशकश करने में फ्रंट लाइन स्टाफ की मदद करता है, जिससे कारोबार संवृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। डाटा विश्लेषण से उभरी सिफारिशों पर आधारित विभिन्न अभियान आरंभ किये गये हैं तथा जिन क्षेत्रों में शुद्धता तौर पर इन्हें आरंभ किया गया, वहां बेहतर उत्पादकता देखने को मिली है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष भारत के 7 क्षेत्रों में आरंभ किया गया है।



38.9. जनबल क्षमता: 31 मार्च, 2016 को बैंक का कुल जनबल 35514 रहा। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 790 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 505 विशेषज्ञ अधिकारियों, 521 लिपिकों व 298 अधीनस्थ स्टाफ को मिलाकर कुल 2,114 कर्मचारियों की भर्ती की। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विशेषज्ञ कैडर में 495 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। इन नियुक्तियों के बाद से आपके बैंक में कर्मचारियों की औसत उम्र कम होकर 40 वर्ष हो गयी।

तालिका 22: कर्मचारियों के संवर्ग

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ स्टाफ		कुल	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2014-15	14454	3836	8462	3269	4708	785	27624	7890
2015-16	14710	4168	8552	3202	4140	701	27402	8071

38.10. आरक्षण नीति: आपके बैंक ने भारत सरकार की आरक्षण नीति को अक्षरशः लागू करना जारी रखा है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियां दर्शाने वाले आरक्षण रोस्टर को भर्ती वर्ष 2014 तक अद्यतन किया जा चुका है और उसका बैंक के मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की सभी शिकायतों को हल करने और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के साथ ही उनकी करियर प्रगति में सहायता करने के प्रयास जारी रखे गये।

तालिका 22 ए: कर्मचारियों के संवर्ग

संवर्ग	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
कुल कर्मचारी, जिनमें से	18878	11754	4841	35473
अनुसूचित जाति(एससी)	3215	2477	1811	7503
अनुसूचित जनजाति(एसटी)	1362	759	433	2554
अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी)	4465	3116	1284	8865
मेमो मर्दे:				
- अपंग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी)	331	217	74	622
- भूतपूर्व सैनिक	184	936	541	1661
- महिलाएं	4168	3202	701	8071
- अल्प संख्यक समुदाय	1513	992	372	2877

39 प्रशिक्षण :

- 39.1 आपके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली व्यक्तिगत व संगठन के विकास के लिए निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय है, जिससे कार्य प्रथाओं में बेहतरी लाने में मदद मिलती है। स्टाफ सदस्यों को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 818 कैलेंडर कार्यक्रम और 521 लोकेशनल कार्यक्रम आयोजित किये।
- 39.2 कार्पोरेट कार्यालय व क्षेत्र की आवश्यकतानुसार लोकेशनल कार्यक्रमों में व्यावहारिक कौशल, ऋण अनुश्रवण व पुनर्गठन, बीसीएसबीआई कोड्स, अनुपालन और लाभ में वृद्धि तथा पूंजी संरक्षण पर स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- 39.3 वर्ष 2015-16 के दौरान कॉर्पोरेट चिंताओं के अनुसूच्य चयनित अंचलों की चिन्हित शाखाओं के लिए एनपीए प्रबंधन, ऋण अनुश्रवण, एमएसएमई, कासा और रिटेल अग्रिम व कृषि निवेश ऋण पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा जाक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से बैंकिंग परिचालन को संभालने के लिए दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों को तैयार करने के लिए दो विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ग्राहक शिक्षा पहल के एक हिस्से के रूप में प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा पेंशनरों के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें कुल 84 ग्राहकों ने भाग लिया।

40. औद्योगिक संबंध :

- 40.1. प्रमुख श्रम संघों के साथ निरंतर संवाद तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण ढंग से तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से निपटारे गये हैं।
41. **राजभाषा कार्यान्वयन:** वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी सरकारी प्रावधानों का पालन करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा राजभाषा व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आपके बैंक को प्रदत्त 53 पुरस्कारों/ इनामों से स्पष्ट है। आपके बैंक ने हिन्दी पुस्तक 'डिजिटल बैंकिंग-विविध आयाम', हिंदी में कॉमिक्स 'राजभाषा के रंग कार्टूनिस्ट के संग' हिंदी गृह पत्रिकाएं व समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में संदर्भ साहित्य का प्रकाशन किया। आपके बैंक ने राजभाषा व बैंकिंग पर क्रमशः कार्यपालकों व स्टाफ के सदस्यों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन उनके नियमित कार्यक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया। बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' बैंक प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच संचार का बेहतरीन माध्यम बनी रही। परिचालन सुविधा के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध करायी गयी है। आपके बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गंगटोक(सिक्किम) में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए आयोजित दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

42. सतर्कता- नीतिपरक माहौल बनाने के लिए एक प्रयास

- 42.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 तथा मई, 2011 में जारी भारतीय

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक द्वारा एक उपयुक्त संरचना विकसित की गयी, जो उन सभी मामलों की जांच करेगा, जिसमें सतर्कता की दृष्टि से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका है। आपके बैंक ने जोखिम वहन करने की भूमिका तथा जनता की जमाराशियों के ट्रस्टी के रूप में अपनी जिम्मेदारी के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया है। सतर्कता मामलों की संख्या 31 मार्च, 2015 के 147 तथा 31 मार्च, 2014 के 189 से घटकर 31 मार्च, 2016 को 119 रह गयी। मामलों के औसत निपटान का समय भी मार्च, 2015 के 8 माह से कम होकर मार्च, 2016 में मात्र 6.79 माह हो गया। आपके बैंक द्वारा मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्रकर्मियों में प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा करने तथा गैर-अनुपालन की खामियों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से बैंक के विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्रकर्मियों के लिए 1236 संवादात्मक सतर्कता निवारक सत्र आयोजित किये गये। मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान ऐसे 766 कार्यक्रम आयोजित हुए थे।

42.2 **यूनियन विजिल-** तत्काल वास्तविक समय में ऑनलाइन सतर्कता समाधान: बैंक में यूनियन विजिल नामक एक समर्पित वेबसाइट भी है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को ऑनलाइन करता है:

- 'ध्यानाकर्षक नीति' के तहत गोपनीयता की गारंटी के साथ शिकायत दर्ज कराना। 'ध्यानाकर्षक नीति' में प्रोत्साहन घटक आरंभ किया गया है।
- ऑनलाइन सतर्कता समाधान,
- निवारक सतर्कता रिपोर्ट आदि का सृजन,
- वेबसाइट पर भी 'नॉलेज हब' नामक एक लिंक उपलब्ध है, जिसमें ऋण अनुश्रवण, कृषि, खुदरा व्यापार व अन्य सहित अग्रिम प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण जांच सूची, शाखाओं में क्या करें और क्या न करें तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए उपयोगी फिनेकल मेनू उपलब्ध हैं।

42.3 **'विजिथॉन-भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए एक दौड़':** देश भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संवेदनशीलता उत्पन्न करने व सभी हितधारकों को साझे मंच पर एक साथ लाने के एक प्रयास के रूप में आपके बैंक द्वारा 25 अक्टूबर, 2015 को मुंबई में 'विजिथॉन-भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए एक दौड़' नामक भ्रष्टाचार विरोधी दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ का आयोजन 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2015 तक मनाये जाने वाले 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के पूर्व संकेतक के रूप में किया गया। भारत में यह पहला अवसर था, जब किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/उद्यम द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी दौड़ का आयोजन किया गया। इसे आम जनता, ग्राहकों व बैंक के स्टाफ सदस्यों से भारी समर्थन प्राप्त हुआ। 'विजिथॉन' का आयोजन पूरे देश भर में अन्य अठारह मेट्रो केन्द्रों/ शहरों में किया गया।

42.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की ओर से आपके बैंक द्वारा 'सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का महत्व' विषय पर एक लघु फिल्म की अवधारणा बनायी गयी। फिल्म को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली तथा कर्तव्यों का पालन करते समय सतर्क, सचेत व सावधान रहने का उपयुक्त संदेश देने के लिए यह एक प्रभावी माध्यम साबित हुई।

43. परिदृश्य

43.1 भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित मुद्रास्फीति के साथ संरचनात्मक नीतिगत सुधारों, तेल की कम कीमतों के कारण लाभांशित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलें यथा टैक्स ढांचे को सरल बनाने, दिवालिया कानून लाने, नवोन्मेष व व्यापार को (स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से) प्रोत्साहित करने और बैंकों के तुलन पत्र का शोधन करके वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने जैसे दृढ़ उपाय आदि आर्थिक सुधार के पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं के आधार को पुनर्जीवित करने के साथ निजी निवेश को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी पर अधिक ध्यान देने से क्षेत्र के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले वर्षों में सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद कृषि क्षेत्र में राहत प्रदान कर सकती है। बैंकों की परिसंपत्तियों की समग्र गुणवत्ता आर्थिक माहौल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दबाव वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि से बैंकों का तुलन पत्र और कमजोर हुआ है। (पीएसयू बैंकों का निफ्टी सीएनएक्स वित्त वर्ष 2014-15 में 3410 से गिरकर वित्त वर्ष 2015-16 में 2449 हो गया)। मार्च 2017 तक तुलन पत्र के शोधन के रिजर्व बैंक के संकल्प से बैंकों के तुलन पत्र पर और दबाव बढ़ेगा, जिससे अधिक प्रावधान करना जरूरी होगा। एक पूर्ण विकसित कॉरपोरेट बांड बाजार से आसान शर्तों पर ऋण के बुनियादी ढांचे के सक्षम होने से बैंकों की

परिसंपत्तियों पर दबाव की स्थिति कम होगी। तथापि, चालू वित्त वर्ष में तरलता की स्थिति को आसान करने के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों से बैंकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। निधियों के सीमांत लागत आधारित ऋण दर को ग्रहण कर लेने से दरों के शीघ्र ट्रांसमिशन में सुविधा होगी, जिससे बैंकों के ऋण संविभाग का विस्तार होगा और वे कारोबारी माहौल को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

43.2 हितधारकों की अल्पकालिक के साथ दीर्घकालिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपका बैंक उचित कदम उठा रहा है। दिसम्बर 2015 व मार्च, 2016 तिमाही के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा के उपरांत अर्थव्यवस्था के बदलाव के समन्वय से आने वाले समय में बैंकिंग माहौल के लाभान्वित होने की संभावना है। बैंक ने पहले से ही प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत प्रक्रिया पुनर्नियोजन, बिक्री प्रदर्शन में उत्थान, विश्लेषण पर आधारित अभियान प्रबंधन और डिजिटल चैनलों को बेहतर करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए हैं। अपनी मजबूत एचडीआर स्मरेखा (मानव पूंजी, डिजिटल बैंकिंग व जोखिम प्रबंधन) के बल पर आपका बैंक पूंजी आवश्यकताओं का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को पुनर्संतुलित कर मार्जिन पैदा करना जारी रखा है। बैंक अपने सभी स्टेकधारकों के हितों में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है।

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता:

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परम्परा रही है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।

1.3 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और

- अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, व्हिसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नये उत्पाद विकसित करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं।

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं।

2.4 31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त आठ गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2.5 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2016 निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.16	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (यथा 31.03.2016)
1	श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	26-12-2013	एमसीबी, एससीआरएण्ड एएलएम, एससीएमएफ, आरएमसी, सीएससीबी, एचआर, डीपीसी, डीपीसी- वी एसटीसीबी, आरसीएनसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी, ईएसडी, सीएसी	शून्य	2	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970 की धारा 9 (3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त. दि. 30.06.2017 या अधिवर्षिता तिथि या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक पद पर बने रहेंगे. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं:- • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया(यूके) लि., • यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. • जनरल इश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया. • स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी. • दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. • इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फायनेंस

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के श्रेयों की धारिता यथा 31.03.16	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (यथा 31.03.2016)
2	श्री राकेश सेठी कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	05-08-2013	एमसीबी, एसीबी, एससीआरएण्ड एएलएम, एससीएमएफ, आरएमसी, सीएससीबी, एचआर, एसआरसी, आईटी एसटीसीबी, ईएसडी, सीएसी	शून्य	3	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, दि.30.06.2016 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक पद पर बने रहेंगे. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं: • यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
3	श्री विनोद कथूरिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	22-01-2016	एमसीबी, एससीआरएण्ड एएलएम, आरएमसी, सीएससीबी, एचआर, एसआरसी, आईटी, एसटीसीबी, ईएसडी, सीएसी	शून्य	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, दि.31.07.2018 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.
4	श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक)	25-11-2014	एसीबी, एससीआर एंड एएलएम, एससीएमएफ, आरएमसी, सीएससीबी, एचआर, एनसीबी, आरसीबी, डीपीसी, डीपीसी-वी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त, अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
5	श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक)	06-07-2015	एमसीबी, एसीबी, आरसीबी, डीपीसी, डीपीसी-वी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
6	श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक (गैर- कार्यपालक)	05-12-2013	एसीबी, एससीआरएण्डए एलएम, एससीएमएफ, सीएससीबी, एसआरसी, एनसीबी	शून्य	2	1	केंद्र सरकार द्वारा सनदी लेखाकार संवर्ग के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(जी) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक निदेशक के रूप में नियुक्त.
7	श्री श्रीकांत मिश्रा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	11-04-2013	एससीआरएण्ड एएलएम, एससीएमएफ, सीएससीबी, एसआरसी, आईटी, ईएसडी,	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त.
8	सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06-05-2013	एमसीबी, एससीआरएण्ड एएलएम, सीएससीबी, एसआरसी, एनसीबी, आरसीबी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.16	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (यथा 31.03.2016)
9	डॉ. आर.एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	एमसीबी, सीएससीबी, एच आर, आरसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी,	200	2	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि. 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं: • एयर इंडिया लि., • अडानी इन्टरप्राइजेज लि., • गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
10	श्री गोपाल कृष्ण लाठ, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	एमसीबी, एसीबी, आरसीएनसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी,	100	1	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन, 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित .
11	डॉ.उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	एससीआरएण्ड एएलएम, सीएससीबी, आईटी, आरसीएनसीबी, ईएसडी	100	शून्य	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि. 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित.

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
सीएससी	-	साख अनुमोदन समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति- सतर्कता/ गैर-सतर्कता
ईएसडी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों का चुनाव
एचआर	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंध समिति
एनसीबी	-	बोर्ड की नामांकन समिति
आरसीबी	-	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी	-	गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति
आरसीडब्ल्यूडीबी	-	बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति
आरएमसी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
एससीआर एण्ड एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआरसी	-	बोर्ड के हितधारकों की संबंध समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

2.6 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्तियां/ कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	डॉ. आर एच ढोलकिया	62	27-06-2015 पुनः निर्वाचित	26-06-2018	अर्थशास्त्री	63 वर्षीय अहमदाबाद निवासी डॉ ढोलकिया आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं और उन्हें 37 वर्षों का अनुभव है. वे मास्टर ऑफ आर्ट्स (गोल्ड मेडलिस्ट), पीएचडी अर्थशास्त्र (एमएसयू बड़ौदा) तथा पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो) हैं. वे एयर इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं. वे छठे केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार एवं गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया है. उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीतियों के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं.
2.	श्री जी.के. लाठ	63	27-06-2015 पुनः निर्वाचित	26-06-2018	वित्त व लेखापरीक्षा	लखनऊ निवासी 64 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल सहित वाणिज्य में स्नातक हैं तथा उन्हें 36 वर्षों से अधिक का चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है. वे 29 वर्षों से अधिक समय से मेसर्स ए.सचदेव एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंध भागीदार हैं. श्री लाठ आईसीएआई द्वारा 'पीअर रिव्यू' के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनियमों के अनुरूप विभिन्न सीए फर्मों की समकक्ष समीक्षा की है. बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त, उन्होंने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कई निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा एवं अन्य कार्य किया है. श्री लाठ 'श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार' द्वारा नामित 'स्थायी त्रिपक्षीय समिति' तथा न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड' के भी सदस्य थे. उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उ.प्र. में निजी इंजीनियरिंग कालेजों में फीस निर्धारण' के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी नामित किया गया था.
3.	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	50	27-06-2015	26-06-2018	सूचना प्रौद्योगिकी	डॉ. उत्तम कुमार सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. एक बहुराष्ट्रीय डिजाइन आटोमेशन कंपनी में उच्च पद पर रहने तथा आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के उपरांत वर्ष 1997 से वे आईआईएम कलकत्ता में कार्यरत हैं, जहां वर्तमान में वे मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम ग्रुप में प्रोफेसर तथा न्यू इनिशिएटिव्स एण्ड एक्स्टर्नल रिलेशंस के डीन भी हैं. उन्होंने 4 वर्ष तक फ्लोरिडा, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया है. उनकी मूल अध्यापन रुचियों में डाटा माइनिंग तथा बिजनेस एनालिटिक्स शामिल हैं. उनके शोध पत्र कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं. उन्होंने शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तथा आटोमेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के कई परामर्शी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है.

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेक्षता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
4.	श्री अनिल कुमार मिश्रा	57	06-07-2015	-	बैंकिंग	केन्द्रीय बैंकर के रूप में करियर आरम्भ करने वाले तथा भारतीय रिजर्व बैंक में मुख्य महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार मिश्रा का लगभग 3 दशकों का वित्तीय क्षेत्र का अंतर-कार्यात्मक अनुभव है, जिसमें भारतीय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग ऋण मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियम एवं पर्यवेक्षण संबंधी अनुभव विशेष उल्लेखनीय है, जहां इन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कार्य किया। इनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों में आरबीआई से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी), जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बासेल, स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित जी-20 की वित्तीय नियंत्रक इकाई है, में साढ़े चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। एफएसबी सचिवालय के सदस्य तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता के प्रचार हेतु एफएसबी द्वारा सौंपे गए विशेष जी-20 कार्य में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समन्वयक के रूप में उन्हें अनेक वैश्विक प्रणालीगत मामलों के एक्सपोजर के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रगत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों के मूल्यांकन व उन्हें सुलझाने का अवसर मिला। वह एफएसबी आउटरीच स्ट्रेटजी के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जी-20 द्वारा समर्थित प्रमुख वैश्विक पहल के प्रसार में बारीकी से सम्मिलित थे। इसमें 65 से अधिक देशों (एफएसबी के 24 सदस्य देशों के अतिरिक्त) में फैले हुए 6 सलाहकार समूह, जिनमें कई उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल थीं, में इन्होंने एफएसबी के जी-20 आदेशित गवर्नेंस सुधार प्रक्रिया को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं।
5.	श्री विनोद कथूरिया	57	22-01-2016	31.07.2018 तक अर्थात उनकी अधिवर्षिता या अन्य आदेश, जो भी पहले हो, की तारीख	बैंकिंग	श्री विनोद कथूरिया ने 22 जनवरी, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री विनोद कथूरिया दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। 1983 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और इन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कथूरिया 2 वर्षों से अधिक समय तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मुंबई में ट्रेजरी प्रभाग के प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं निवेश पर ध्यान देते हुए कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार एवं ट्रेजरी कारोबार को भी संभाला। यूनियन बैंक में पदभार संभालने से पूर्व श्री कथूरिया पंजाब नेशनल बैंक के आगरा अंचल के प्रमुख रहे, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य क्षेत्र को कवर करता है। ट्रेजरी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट के क्षेत्र में श्री कथूरिया की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के गठन का कार्य सौंपा था, जिसमें वे कोर मैनेजमेंट टीम के सदस्य थे। इसी प्रकार श्री कथूरिया वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा गठित बासल III मानदंडों के अंतर्गत टीयर-I पर्युअल बांड्स की समिति के सदस्य भी थे। विपणन परिचालनों में क्षमता के कारण श्री कथूरिया ने एमसीएक्स-एसएक्स के बोर्ड के कार्यों के प्रबंधन हेतु सेबी द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं। वे प्रिंसिपल ट्रस्टी कं. प्रा. लि. के बोर्ड में निदेशक, इंडिया फैक्ट्रिंग एण्ड फाइनेन्स सोल्यूशन प्रा. लि. में नामित निदेशक और पीएनबी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. में प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्ण हुआ:

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1.	श्री दीपक सिंघल	भारिबैं नामित निदेशक	05.07.2015	श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा स्थानापन्न
2.	श्री दीपांकर चटर्जी	शेयरधारक निदेशक	26.06.2015	कार्यकाल पूर्ण
3.	डॉ.आर.एच. ढोलकिया	शेयरधारक निदेशक	26.06.2015	कार्यकाल पूर्ण*
4.	श्री जी.के. लाठ	शेयरधारक निदेशक	26.06.2015	कार्यकाल पूर्ण*
5.	श्री के. सुब्रह्मण्यम	कार्यपालक निदेशक	31.07.2015	सेवानिवृत्ति
6.	श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक	14.08.2015	आईडीबीआई के एमडी व सीईओ के पद पर प्रोन्नत

* डॉ.आर.एच. ढोलकिया तथा श्री जी.के. लाठ दिनांक 26.06.2015 को आयोजित बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में दिनांक 27.06.2015 से 3 वर्ष के नये कार्यकाल के लिए पुनः शेयरधारक निदेशक चुने गये.

2.7 निदेशकों का परस्पर संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं है.

2.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष
2	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनरल इश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष
3	श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.	लेखापरीक्षा, जोखिम एवं अनुपालन समिति	सदस्य
4	डॉ.आर.एच. ढोलकिया	शेयरधारक निदेशक	अडानी इन्टरप्राइजेज लि.	लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष
5	डॉ.आर.एच. ढोलकिया	शेयरधारक निदेशक	अडानी इन्टरप्राइजेज लि.	हितधारकों की संबंध समिति	सदस्य
6	डॉ.आर.एच. ढोलकिया	शेयरधारक निदेशक	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष

2.9 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा :

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है: <http://www.unionbankofindia.co.in/familiarisation.aspx>

3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 2015 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के. सुब्रह्मण्यम	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री जग मोहन शर्मा	निदेशक- सनदी लेखाकार
6.	श्री गोपाल कृष्ण लाठ	शेयरधारक निदेशक सदस्य- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
7.	सुश्री अनुसूया शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

4. निदेशक मंडल की बैठकें और कार्यवाहियां :

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान हुई निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	24-04-2015	12	11
2.	11-05-2015	12	10
3.	12-05-2015	12	11
4.	21-05-2015	12	8
5.	06-06-2015	12	10
6.	25-06-2015	12	8
7.	16-07-2015	12	11
8.	28-07-2015	12	9
9.	26-08-2015	10	8
10.	22-09-2015	10	9
11.	05-11-2015	10	7
12.	06-11-2015	10	8

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थित निदेशकों की संख्या
13.	07-12-2015	10	9
14.	05-01-2016	10	9
15.	10-02-2016	11	9
16.	11-02-2016	11	9
17.	12-03-2016	11	11
18.	12-03-2016	11	10

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18	18
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	8	7
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	18	18
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	8	5
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	18	4
श्री दीपक सिंघल, भारिबै नामित निदेशक	6	4
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबै नामित निदेशक	12	8
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	18	17
श्री एस.के.मिश्रा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	18	17
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	18	17
श्री डी.चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	6	5
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	18	18
डॉ.आर.एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	18	15
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	12	10

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कारपोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/ अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण

समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशक की पर्यवेक्षण समिति (एससीआर एवं एएलएम)
4. ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी)
6. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआर)
8. हितग्राहियों की संबंध समिति (एसआरसी)
9. निदेशकों की आईटी रणनीति समिति (आईटीएस)
10. बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी)
11. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)
12. निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
13. निदेशकों की पदोन्नति समिति- सतर्कता/ गैर सतर्कता (डीपीसी-विज)
14. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
15. ऋणी को गैर सहयोगी ऋणी वर्गीकृत करने के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
16. बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)
17. शेयरधारकों के निदेशक का चुनाव तय करने के लिए बोर्ड की उप समिति- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से मतदान (ईएसडी)
18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)
19. ऋण अनुमोदन समिति-। (सीएसी-।)

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के वाक्य खण्ड 13 (यथा संशोधित) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के साथ पठित के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति निम्न को शामिल कर 31.03.2016 को बनी.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- कार्यपालक निदेशक/कों,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए नामांकन.

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.1.2 कार्य

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/अपलेखन प्रस्ताव, पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है।

5.1.3 एससीबी बैठकों की उपस्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 24 बैठकें आयोजित हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	24	24
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	9	7
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	24	20
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	10	6
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक	17	13
श्री दीपक सिंघल, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक	7	6
सुश्री अनुसुया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	17	16
श्री एस.के. मिश्रा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	11	7
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	2	0
डॉ. आर.एच. डोलकिया, शेयरधारक निदेशक	17	11
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	15	14
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	11	7

5.2 बोर्ड निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त

मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक होना चाहिए।

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो।

श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं।

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
- एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण /लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
 - अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो।
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी।
 - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र।
- एसीबी बारिबैं के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से छमाही रिपोर्ट और लिस्टिंग तथा अन्य सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है।
- सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। बैंक के छमाही/वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है।

5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है।

5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की 11 बैठकें हुई एवं उपस्थिति विवरण निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री दीपांकर चटर्जी, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री जी.के. लाठ, समिति के अध्यक्ष	11	11
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	11	11
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	11	3
श्री दीपक सिंघल, भारिबै नामित निदेशक	2	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबै नामित निदेशक	9	5
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	9	9

5.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एंड एएलएम)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है। समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- कार्यपालक निदेशक एवं
- पांच गैर-कार्यपालक निदेशक.

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता

प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है

5.3.3 एससीआर एवं एएलएम समिति की उपस्थिति

वर्ष 2015-16 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	4	2
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	3	3
श्री एस.के. मिश्रा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	4	3
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	3	3
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	1	0
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	2

5.4 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा/ अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के

प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है। एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे। यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष स्तर से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य स्तर से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	4	2
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1
श्री एस.के. मिश्रा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	3	1
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना।
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटारा जाता है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना।

5.4.3 एससीएमएफ में उपस्थिति :

वर्ष 2015-16 में समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

5.5 वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। समिति का संगठन इस प्रकार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक (कों)
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5.5.3 वसूली प्रबंधन समिति में उपस्थिति :

वर्ष 2015-2016 के दौरान समिति की 3 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	3	3

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- पांच गैर-कार्यपालक निदेशक
- मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी
- विशेष आमंत्रित के रूप में दो विशेषज्ञ.

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना

5.6.3 सीएससीबी में उपस्थिति :

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	4	2
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	0

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	0
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार, निदेशक	3	3
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
श्री एस.के. मिश्रा, अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक	4	3
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	2
श्री एन. श्रीवास्तव, मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी	4	4
श्री रवीन्द्रनाथ, विशेष आमंत्रित	4	4
श्री जगन्नाथन, विशेष आमंत्रित	4	4

5.7 निदेशकों की एचआर उप-समिति

5.7.1 संघटन :

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं.

5.7.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समीक्षा:

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक देना

3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुसूच एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती
4. प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/ पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

5.7.3 निदेशकों की एचआर उप समिति में उपस्थिति :

वर्ष 2015-2016 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री टी.वी. राव, विशेष आमंत्रित	4	3
श्री आर.आर. नायर, विशेष आमंत्रित	4	4

5.8 बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुक्रम में कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है। श्री जगमोहन शर्मा, गैर- कार्यपालक निदेशक (सीए श्रेणी) समिति के अध्यक्ष हैं।

5.8.2 कार्य :

यह समिति बैंक के प्रतिभूति धारकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाण पत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति के संबंध में शिकायतों का अनुश्रवण करती है।

5.8.3 एसआरसी में उपस्थिति

वर्ष 2015-2016 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री जगमोहन शर्मा, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	1
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
श्री एस.के. मिश्रा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	3

5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 6 के अनुक्रम में सुश्री नेहा अग्रवाल, कम्पनी सचिव, 01.04.2015 से 30.12.2015 की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतों के लिए बैंक की अनुपालन अधिकारी पदनामित की गयी थीं। श्री दीपक डी. संघवी, एसीएस, बोर्ड सचिव 31.12.2015 से आज की तिथि तक निवेशकों की शिकायतों के लिए कार्यकारी अनुपालन अधिकारी हैं।

5.8.5 वर्ष 2015-16 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.16 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.15 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
अ. वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
ब. वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	783	766
स. वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	781	766
द. वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	2*	0

*ये शिकायतें 31.03.2016 को प्राप्त हुई थीं, जिन्हें 04.04.2016 को निस्तारित कर दिया गया।

5.9 निदेशकों की आईटी रणनीति समिति

5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कार्यपालक निदेशकगण
- दो स्वतंत्र निदेशक
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी- (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)

5.9.2 कार्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है।
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुसूच है।
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुसूच रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों।
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना।
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो।

- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं।
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुसूच लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना।

5.9.3 आईटी रणनीति बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की 3 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. के. मिश्रा, समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री डी चटर्जी, शेरधारक निदेशक	1	1
श्री उत्तम कुमार सरकार, शेरधारक निदेशक	2	2
श्री आर. कंडासामी, महाप्रबंधक-आईटी	3	3

5.10 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी)

5.10.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट “योग्य एवं उपयुक्त” मानदंड निर्धारित किए हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शेरधारक निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन किया है, जिसमें तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल किये गए हैं।

5.10.2 कार्य:

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित शेरधारक निदेशकों की “योग्य एवं उपयुक्त” स्थिति की जांच करना।
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) क्षेत्र एवं विशेषज्ञता का अनुभव (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक/ प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में रूकावट तो पैदा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार/ नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में

प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी।

- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी/ व्यक्तियों से संदर्भ प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5.10.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री मिहिर कुमार, समिति के अध्यक्ष	1	1
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1

5.11 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

5.11.1 संघटन:

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना घोषित की है। भारत सरकार की सूचना के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है, जिसे “पारिश्रमिक समिति” कहा गया है। समिति के गठन में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है:

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

5.11.2 कार्य:

भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना।

5.11.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री मिहिर कुमार, समिति के अध्यक्ष	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	1	1
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	0
श्री आर.एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.12 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

5.12.1 संघटन :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति के लिए ‘निदेशक पदोन्नति समिति’ का गठन किया गया है। इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

5.12.2 कार्य:

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन वर्ग वेतनमान VII में चयन/ अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है।

5.12.3 डीपीसी में उपस्थिति

डीपीसी- पदोन्नति समिति की वर्ष 2015-16 में तीन बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	2	2

5.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति- सतर्कता/ गैर-सतर्कता

5.13.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक की पदोन्नति समिति के निदेशकों को यह निर्देश दिया है कि प्रति तिमाही में सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों व विभागीय जांच की समीक्षा भी की जानी चाहिए। इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

5.13.2 कार्य:

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है।

5.13.3 डीपीसी- सतर्कता/ गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान 3 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	2	2

5.14 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.14.1 संघटन:

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, उप महाप्रबंधक (एमडीओ) और मुख्य विधि अधिकारी शामिल हैं।

5.14.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं।

5.14.3 एसटीसीबी में उपस्थिति:

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 39 बैठकें आयोजित की गयीं।

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	39	38
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	12	8
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	39	31
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	14	12
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	8	8
श्री पी. आर. राजगोपाल, मुख्य विधि अधिकारी	39	35
श्री दीपक डी. संघवी, उप महाप्रबंधक (एमडीओ)	39	37

5.15 उधारकर्ता के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

5.15.1 संघटन:

अनुमोदन समिति द्वारा पारित असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण पर आदेशों की समीक्षा करने के लिए भारिबैं के निर्देशों पर उधारकर्ता के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

5.15.2 कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा।
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा।
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है।

5.15.3 आरसीएनसीबी में उपस्थिति:

समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान 1 बैठक सम्पन्न हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉक्टर उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.16 बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)

5.16.1 संघटन:

जानबूझकर चूककर्ताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल है।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

5.16.2 कार्य:

- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा व पारित आदेश की पुष्टि.

5.16.3 आरसीडब्ल्यूडीबी में उपस्थिति:

समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान 2 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉक्टर आर.एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2

5.17 अंशधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान (ईएसडी)

5.17.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के

शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है। समिति में शामिल हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

5.17.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही पीएसबी के अंशधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

5.17.3 ईएससी में उपस्थिति

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है। चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

5.18.1 संघटन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैंक) विनियम, 1998 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा। समिति में शामिल होंगे :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक

5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी।

5.18.3 ईडीसी में उपस्थिति:

समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान 1 बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्र, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	1	1

5.19 ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी-1)

5.19.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है। हमारे बैंक में यह समिति ₹400 करोड़ तक के किसी एक ऋण प्रस्ताव तथा ₹800 करोड़ तक के समूह ऋणों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और यदि ऋण इस सीमा से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति इस पर विचार करेगी। सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- महाप्रबंधक प्रभारी वित्त, और
- महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

5.19.2 कार्य:

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/ समीक्षा-नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/ बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.19.3 ऋण अनुमोदन समिति-1 की बैठक में उपस्थिति :

वर्ष 2015-2016 के दौरान समिति की 22 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	22	22
श्री के. सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक	8	5
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	22	21
श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक	10	7
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक (एफपीआईआर)	22	22
महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	22	22
महाप्रबंधक (ऋण)\	22	22

6 साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2013 अपराह्न 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	14 दिसम्बर, 2013 प्रातः 10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2014 प्रातः 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2015 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	18 सितम्बर, 2015 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

6.1 14 दिसम्बर, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक.

विशेष संकल्प:

1. भारत सरकार को अधिमान आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

क) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (स्मये दस मात्र) प्रति शेयर अंकित मूल्य के 3,35,12,064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ) इक्विटी शेयर ₹ 139.20 प्रीमियम के साथ ₹ 149.20 पर भारत सरकार को वरीयता आधार पर कुल ₹ 500 करोड़ (स्मये पांच सौ करोड़) नकद के बदले सृजित करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आबंटित करना.

ख) ₹ 10/- प्रत्येक के 74,39,678 (चौहत्तर लाख उनतालीस हजार छः सौ अठहत्तर) इक्विटी शेयर ₹ 139.20 प्रीमियम के साथ ₹ 149.20 परिवर्तन मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार परिवर्तन के द्वारा कुल ₹ 111 करोड़ (स्मये एक सौ ग्यारह करोड़) के 11.10 करोड़ पीएनसीपी शेयर्स को परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को वरीयता आधार पर सृजित करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आबंटित करना.

2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना (क्यूआईपी)

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के स्तर में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आवंटन करना है; भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, यथा लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है। यह राशि एक या अधिक बार में समग्र स्तर से ₹ 1386 करोड़ (स्त्रये एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो, लीड प्रबंधकों और/ या अंडरराइटर्स और/ या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निर्धारण किया गया हो।

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा भारत सरकार को 3,35,12,064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ) इक्विटी शेयर दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को जारी किये गये तथा शेयरों का आवंटन किया गया।

पी.एन.सी.पी.शेयर्स के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से बैंक को दिनांक 27 जून, 2014 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक तक अनुमोदन नहीं मिला था, इसलिए पी.एन.सी.पी. शेयर्स के वरीयता के आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों में सृजन, निर्गम एवं आवंटन हेतु उक्त बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया था।

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यूआई.पी. के माध्यम से विशेष संकल्प के द्वारा पूंजी वृद्धि के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया गया जो बैंक के हित में होगा। इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है।

6.2 27 जून, 2014 को हुई साधारण वार्षिक बैठक

विशेष संकल्प:

1. भारत सरकार को वरीयता आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य के 5472563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹192.83 के प्रीमियम पर ₹202.83 की दर से ₹111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार

पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना।

2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के स्तर में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आवंटन करना है, भले ही वे बैंक के शेयरधारक हों या नहीं, यथा लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है। यह राशि एक या अधिक बार में समग्र स्तर से ₹1386 करोड़ (स्त्रये एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो, लीड प्रबंधकों और/ या अंडरराइटर्स और/ या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निर्धारण किया गया है।

दिनांक 12.09.2014 के उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा बैंक ने ₹111 करोड़ (स्त्रये एक सौ ग्यारह करोड़) के कुल पी.एन.सी.पी. शेयरों को परिवर्तित कर प्रति शेयर ₹10/- मात्र के 54,72,563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) इक्विटी शेयर ₹192.83 के प्रीमियम के साथ ₹202.83 की दर से भारत सरकार को आबंटित किया है।

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यूआई.पी. के माध्यम से विशेष संकल्प के द्वारा पूंजी वृद्धि के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया गया, जो बैंक के हित में होगा। इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है।

6.3 26 जून, 2015 को हुई साधारण वार्षिक बैठक:

विशेष संकल्प:

1. एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी में वृद्धि करना

ऑफर दस्तावेज/ प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेजों के द्वारा सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आवंटन (उस समय लागू कानून के अनुसार निर्गम के किसी भाग का निश्चित आवंटन और/ या प्रतियोगिता के आधार पर उस संवर्ग के लिए आरक्षण के लिए प्रावधानों को शामिल कर) भारत में या विदेश में, इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या, ₹3700 करोड़ (स्त्रये तीन हजार सात सौ करोड़ मात्र) (प्रीमियम को शामिल कर, यदि कोई हो), जो वर्तमान प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹635.78

करोड़ (स्मये छः सौ पैंतीस करोड़ और अठहत्तर लाख मात्र) को मिलाकर ₹3000 करोड़ (स्मये तीन हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो, जो बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी, जो भविष्य में इस प्रकार की जा सकती है कि किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में केन्द्र सरकार का अंश 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य के प्रीमियम या डिसकाउंट पर हो, एक या अधिक बार, एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीयों, कंपनियों, प्राइवेट या पब्लिक, निवेश संस्थाओं, समितियों, ट्रस्ट, शोध संगठनों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड्स, वेंचर केपिटल फंड्स, विदेशी वेंचर केपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन फंड्स, विकास वित्तीय संस्थाएं या अन्य इकाइयां, प्राधिकरण या अन्य कोई निवेशकों का संवर्ग, जो वर्तमान नियामकों/ दिशानिर्देशों के अनुसार या उपर्युक्त का कोई समूह, जो भी बैंक द्वारा उचित समझा जाता है, के अनुसार बैंक के इक्विटी/ सेक्यूरिटीस में निवेश के लिए प्राधिकृत हों।

2. बैंक के शेयर धारकों में से तीन निदेशकों का चुनाव करना, केन्द्र सरकार के अलावा, जिनके लिए बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 (जिसे बाद में "अधिनियम" के नाम से लिखा गया है), बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 (जिसे बाद में "नियामक अधिनियम" के नाम से लिखा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/ 1980 (जिसे बाद में "योजना" के नाम से लिखा गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुपालन में बनाये गये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एंड मीटिंग्स) नियामक 1998 (जिसे बाद में "प्रावधानों" के नाम से लिखा गया है), भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्र.डीबीओडी क्र.बीसी क्र.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007, जिसे अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी. क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिसे बाद में "आर.बी.आई.अधिसूचना" के नाम से लिखा गया है) तथा भारत सरकार का पत्र क्र.एफ.क्र.16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 09 सितम्बर, 2013 के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड दिनांक 25 मार्च 2015 (जिसे बाद में "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के नाम से लिखा गया है) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों।

केन्द्र सरकार के अलावा, संबंधित योजना के साथ अधिनियम की धारा 9(3) (i) तथा उसके तहत बनाये गये नियामकों, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया और डॉ.आर. एच. डोलकिया, श्री जी.के. लाठ और डॉ.

उत्तम कुमार सरकार को बैंक के निदेशकों के स्तर में चुना गया और ये दिनांक 27 जून 2015 को कार्यग्रहण किये और कार्यग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक बैंक के निदेशक रहेंगे।

6.4 18 सितम्बर, 2015 को हुई असाधारण सामान्य बैठक.

विशेष संकल्प:

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (स्मये दस मात्र) अंकित मूल्य के 5,16,62,281 (पांच करोड़ सोलह लाख बासठ हजार दो सौ इक्यासी) इक्विटी शेयर ₹199.05 प्रीमियम के साथ ₹209.05 के दर पर कुल मिलाकर ₹1080 करोड़ (स्मये एक हजार अस्सी करोड़) वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना।

वरीयता पर जारी करने के लिए मूल्य के निर्धारण की संबंधित तारीख बुधवार, 19 अगस्त 2015 होगी।

उपर्युक्त संकल्प के अनुपालन में, बैंक ने दिनांक 30.09.2015 को ₹10/- (स्मये दस मात्र) अंकित मूल्य के 5,16,62,281 (पांच करोड़ सोलह लाख बासठ हजार दो सौ इक्यासी) इक्विटी शेयर ₹199.05 प्रीमियम के साथ ₹209.05 की दर पर कुल मिलाकर ₹1080 करोड़ (एक हजार अस्सी करोड़) में वरीयता आधार पर भारत सरकार को आबंटित कर दिया।

7 प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ परिपत्रों से बैंक संचालित होता है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार कार्पोरेट गवर्नंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है। उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है। खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन

एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/ 1980 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

1 बैठक में भाग लेने की फीस

बैठक में भाग लेने की फीस का निर्धारण राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 17(1)/16(1) की शर्तों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर, सभी गैर कार्यकारी निदेशकों को सरकार की अधिसूचना क्र.15/1/2011-बीओ.1 दिनांक 20-07-2015 के अनुसार, बैठकों के लिए फीस का भुगतान किया जाता है।

बोर्ड की बैठकें - ₹ 20,000/- प्रति बैठक।

समिति की बैठकें- ₹ 10,000/- प्रति बैठक

उक्त जानकारी बैंक की वेब साइट पर भी, निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है : <http://www.unionbankofindia.co.in/making-payment.aspx>

2. यात्रा एवं विराम भत्ता:

अपने लिये पात्र फीस के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो। वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ।

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों के हितों वाली फर्मों/ कंपनियों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती हो।

7.3 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम

आलोच्य वर्ष में बैंक ने ₹10/- मूल्य के 5,16,62,281 (पांच करोड़ सोलह लाख बासठ हजार दो सौ इक्कासी मात्र) इक्विटी शेयर ₹209.05 (प्रति इक्विटी शेयर ₹199.05 प्रीमियम सहित) भारत सरकार को परिवर्तन के आधार पर आवंटित किया। परिणामस्वरूप, सरकार की अंशधारिता 60.47% से बढ़कर 63.44% हो गयी है। परिवर्तन के उपरान्त बैंक की चुकता पूंजी ₹635.78 करोड़ से बढ़कर ₹687.44 करोड़ हो गयी है।

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टियर-I एवं टियर-II पूंजी) की प्रकृति के

असुरक्षित अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं। इससे संबंधित सूचना रिपोर्ट के पैरा 9.1 में दी गयी है।

7.4 दंड एवं आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

7.5 गुप्त सूचना नीति (विसल ब्लोअर)

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है : http://www.unionbankofindia.co.in/Whistle_blower_policy.aspx। लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है।

7.6 महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(सी) के अनुपालन में बैंक ने महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है।

http://www.unionbankofindia.co.in/Policy_For_Determining_Material_Subsiary.aspx

बैंक ने अपनी सब्सिडियरियों के संबंध में लिस्टिंग विनियमों की कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

7.7 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है। इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है। <http://www.unionbankofindia.co.in/RelatedPartyTransactionPolicyforWebsite.aspx>

7.8 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण:

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

7.9 कार्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट

बैंक द्वारा बीएसई तथा एनएसई को कार्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संबंधित तिमाही समाप्ति से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की गई है।

7.10 बैंक द्वारा वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रसार

बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के उप-विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) के अधीन सभी अपेक्षित जानकारी अपनी वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध कराई है।

8 संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

9 शेयरधारकों की सूचना

9.1 बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक एक्सचेंज पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभाय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू) मुंबई - 400 051	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30 अप्रैल, 2016 से पूर्व कर दिया गया है।

9.2 बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं। 31 मार्च 2016 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रृंखला	मात्रा (करोड़ में)	आवंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
बॉण्ड सिरीज- IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33% पर स्थिर	आईएनई692A09100
बॉण्ड सिरीज- X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थायी	9.45% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.95% तक, यदि कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।	आईएनई692A09118
बॉण्ड सिरीज X-द्वितीय खंड (अपर टियर -II)	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95% 10वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.45% तक, यदि कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।	आईएनई692A09126
बॉण्ड सिरीज XI- प्रथम खंड (लोअर टियरII)	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35% पर स्थिर	आईएनई692A09134
बॉण्ड सिरीज XI-द्वितीय खंड	200	12.12.2007	स्थायी	9.90% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 10.40 तक, यदि कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।	आईएनई692A09142
बॉण्ड सिरीज XII (स्थायी)	200	09.09.2008	स्थायी	11.15% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 11.65% तक यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09159
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95% पर स्थिर	आईएनई692A09167
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	200	23.12.2008	23.12.2008	9.50% पर स्थिर	आईएनई692A09175
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60% पर स्थिर	आईएनई692A09183
बॉण्ड सिरीज XII (स्थायी)	140	30.03.2009	स्थायी	9.10% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.60% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09191
बॉण्ड सिरीज XIV-ए (स्थायी)	200	16.06.2009	स्थायी	8.85 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.35 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09209
बॉण्ड सिरीज XIV-बी (अपर टियर II)	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09217

श्रृंखला	मात्रा (करोड़ में)	आवंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
बॉण्ड सिरिज XIV-सी (अपर टियरII)	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55% 10 वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.05% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09225
बॉण्ड सिरिज XV-ए (अपर टियर II)	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 8.98% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09233
बॉण्ड सिरिज XVI-बी (लोअर टियर II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	आईएनई692A09241
बॉण्ड सिरिज XVII-ए (बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	आईएनई692A09266
बॉण्ड सिरिज XVII (बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	आईएनई692A09274
कुल	8490				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

9.3 लाभांश (बोर्ड की संस्तुति पर निर्भर)

बैंक के निदेशक मंडल ने 13 मई, 2016 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल 19.50% अर्थात् ₹ 1.95 प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है।

10 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

10.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	13 मई, 2016
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.27 जून, 2016 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	29 मई, 2016 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	21 जून, 2016 से 27 जून, 2016
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश के भुगतान की तिथि	5 जुलाई, 2016

10.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	01 अगस्त, 2016
30 सितंबर, 2016 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	31 अक्टूबर, 2016
31 दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	28 जनवरी, 2017
31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	12 मई, 2017

10.3 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण, विधिवत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर कर दिया जाए। बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा मेसर्स डाटामेटिक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/ आवेदन/ शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए)

मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093
फोन- (022) 66712151-60
फैक्स- (022) 28213404
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

कंपनी सचिव

निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन-(022)2289 6643/36
फैक्स-(022)22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

10.4 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुसूच कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना।

10.5 शेयरों का अमूर्तिकरण

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE692A01016** है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक स्तर में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के स्तर में ही किया जा सकता है। इससे लाभान्वित भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा। 31.03.2016 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक स्तर में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:-

संवर्ग	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	60260	13290964	1.93
डीमैट			
एनएसडीएल	109238	219857115	31.98
सीडीएसएल	73656	454293038	66.09
कुल	243154	687441117	100.00

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/ कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया है। शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है।

10.6 लाभांश का भुगतान

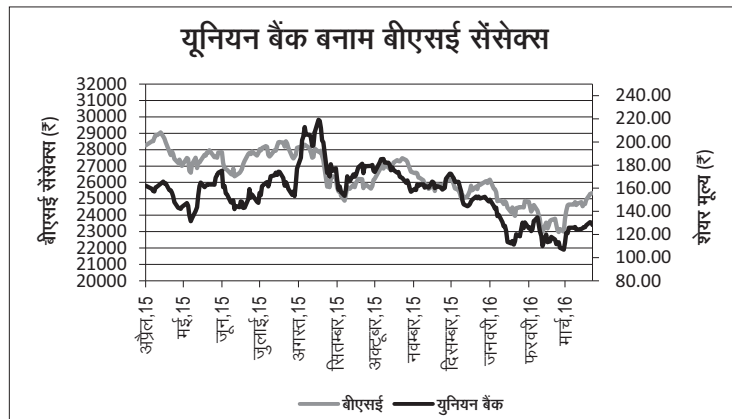
सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) अथवा डायरेक्ट क्रेडिट अथवा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) अथवा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) इत्यादि का प्रयोग शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने हेतु किया जाता है।

सही और पूरे बैंक विवरण की अनुपलब्धता के मामलों में जैसे पूरा खाता क्रमांक उपलब्ध न होने, एमआईसीआर और आईएफएससी जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए अनिवार्य है, के उपलब्ध नहीं होने या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में बैंक लाभांश के भुगतान हेतु देय-सममूल्य-पर वारंट जारी करता है।

शेयरधारकों का खाता विवरण लाभांश वारंट पर मुद्रित होता है और ऐसे मामलों में जहां शेयरधारकों के खाता विवरण उपलब्ध नहीं हैं, शेयरधारक का पता ऐसे भुगतान निर्देशों पर मुद्रित होता है।

10.7 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 15	169.90	141.10	7880151	170.00	141.00	58546948	29094.61	26897.54
मई, 15	174.15	129.80	13281980	174.25	129.75	91974181	28071.16	26423.99
जून, 15	176.25	138.00	10919560	176.10	140.20	78093747	27968.75	26307.07
जुलाई, 15	180.15	147.45	11883856	180.20	147.55	93360586	28578.33	27416.39
अगस्त, 15	222.45	164.40	18158885	222.70	164.25	157351785	28417.59	25298.42
सितम्बर, 15	185.40	151.85	12603909	185.25	151.90	97455767	26471.82	24833.54
अक्टूबर, 15	188.50	156.10	7243724	188.60	155.80	61483647	27618.14	26168.71
नवम्बर, 15	173.35	154.05	8763773	173.75	153.80	59435437	26824.3	25451.42
दिसम्बर, 15	173.90	143.35	8111390	174.00	143.10	52243968	26256.42	24867.73
जनवरी, 16	152.00	108.30	10021352	151.50	108.15	72425224	26197.27	23839.76
फरवरी, 16	138.85	104.05	17447052	139.00	104.00	128902583	25002.32	22494.61
मार्च, 16	132.85	107.80	10301766	132.80	107.70	79603920	25479.62	23133.18
31.03.2016 कोअन्तिम मूल्य	₹130.85			₹130.80				
बाजार पूंजीकरण	₹8995.17 करोड़			₹8991.73 करोड़				



* स्रोत-NSE/BSE वेबसाइट (www.nseindia.com/ www.bseindia.com)

10.8 शेयरधारिता का वितरण

बैंक में सरकार की शेयरधारिता 43.61 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 687.44 करोड़ की कुल जारी पूंजी में 436.11 करोड़ है। दिनांक 31.3.2016 तथा 31.3.2015 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है:

शेयरधारिता	यथा 31/03/2016				यथा 31/03/2015			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
500 तक	218144	89.71	30555830	4.44	210801	89.74	29770207	4.68
501 से 1000	18180	7.48	12351399	1.80	17863	7.60	12061635	1.90
1001 से 2000	4330	1.78	6088580	0.89	4036	1.72	5664760	0.89
2001 से 3000	1007	0.41	2527328	0.37	879	0.37	2198122	0.35

शेयरधारिता	यथा 31/03/2016				यथा 31/03/2015			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
3001से4000	384	0.16	1366046	0.20	328	0.14	1174881	0.18
4001से5000	219	0.09	1023058	0.15	179	0.08	829214	0.13
5001से10000	386	0.16	2791246	0.41	338	0.14	2448183	0.39
10001 से अधिक	504	0.21	630737630	91.75	490	0.21	581631834	91.48
कुल	243154	100.00	687441117	100.00	234914	100.00	635778836	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है.

10.9 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2016 तथा 31.03.2015 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:-

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31/03/2016		यथा 31/03/2015	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	436106597	63.44	384444316	60.47
प्रवासी (एफआईआई/ ओसीबी/ एनआरआई)	61030994	8.88	55414933	8.72
बैंक/ वित्तीय संस्थान/ बीमा कं.	75488481	10.98	73822366	11.61
म्यूच्युअल फंड/ यूटीआई	42693840	6.21	42285093	6.65
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	13448185	1.96	23389452	3.68
निवासी भारतीय	58673019	8.53	56422676	8.87
कुल	687441117	100.00	635778836	100.00

10.10 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2016 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति	436106597	63.44
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	70421019	10.24
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- एचडीएफसी मिड कैप अपोरच्युनिटीज फंड	30013128	4.37
4	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	7087657	1.03
5	आईसीआईसीआई प्रुडेनशियल बैलेन्सड एडवांटेज फंड	4664135	0.68
6	सुंदरम म्यूचुअल फंड खाता सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप	3508947	0.51
7	दि इमर्जिंग मार्केट्स स्माल कैप सिरीज ऑफ दि डीएफए इनवेस्टमेंट कंपनी	2801165	0.41
8	बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खाता बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड	2625000	0.38
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि	2440922	0.36
10	सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड	2327000	0.34

10.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	अंतरण की प्रस्तावित तिथि
लाभांश 2008-09	50%	02-08-16
लाभांश 2009-10	55%	09-08-17
लाभांश 2010-11	80%	08-08-18
लाभांश 2011-12	80%	06-08-19
लाभांश 2012-13	80%	06-08-20
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	18-02-21
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	05-08-21
लाभांश 2014-15	60%	05-08-22

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हैं अथवा उनके दावे न किये हैं, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

10.12 अदावाकृत शेयर:

ए) डीमैट रूप में:

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5ए-1) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2015 को शेष	233	28781
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	3	302
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	3	302
31.03.2016 को डीमैट उचंत खाते में शेष	230	28479

ऊपर बताए गए 28,479 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं।

बी) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5ए-1) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2015 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2016 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं।

11 सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति:

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अतः यह खंड लागू नहीं होता है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत सूचीबद्ध कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
4.	अध्यक्ष एवं सीईओ के अलग-अलग पद सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक या सीईओ नियुक्त किया जा सकता है .	लागू नहीं. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

12 आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2016

संदर्भ : सेबी के विनियम 17 (8)(सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2015-16) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- (i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.
- (ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया है.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है.

- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
- (iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(विवेक कामत)

(अरुण तिवारी)

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 13 मई, 2016

कार्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सेबी के विनियम 17 (8)(सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा अभिकथन है कि स्टोक होल्डर संपर्क समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार
(एम.सं. 012208)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768 डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497 एन
(आदित्य कुमार)
भागीदार
(एम. सं. 506955)

कृते जीवीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142 डब्ल्यू
(तनसुख छेड़ा)
भागीदार
(एम. सं. 047157)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201 एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई
(प्रशांत पांडा)
भागीदार
(एम. सं. 051092)

स्थान: : मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2016.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, (1 ट्रेजरी शाखा सहित), 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 26 कार्यालयों/केंद्रों एवं सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2079 शाखाओं तथा स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण हेतु शाखाएं एवं अन्य अंशकों द्वारा लेखा परीक्षण हेतु शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में उन 2101 शाखाओं 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 58 कार्यालयों/केंद्रों के विवरणों का भी समावेश है जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है। लेखा परीक्षा न की गयी इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 6.73%, जमा राशियां बैंक की जमा राशियों की 23.26%, कुल ब्याज आय 6.56% और कुल ब्याज व्यय 21.60% हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन वित्तीय विवरणों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्दिष्ट लेखामानकों में निर्धारित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों में बैंकों के लिए लागू सिद्धांतों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा दायित्व अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है।
- लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलत कथन की जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। इन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा डिजाइन करने के लिये बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण कि प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करता है। किसी भी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखा परीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

सम्मति

- हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार :
 - (ए) तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलन पत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2016 कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिये उचित प्रकार से बनाया गया है।
 - (बी) लाभ हानि खाते और उसके नोट जिस वर्ष के खाते हैं, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए उस वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं और
 - (सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

8. ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

(बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं. तथा

(सी) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

9. हम आगे सूचित करते हैं कि

(ए) इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र व लाभ हानि खाता लेखा बहियों तथा विवरणियों के अनुरूप है.

(बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों से संबंधित रिपोर्टें हमें प्रेषित की गयीं तथा रिपोर्ट तैयार करने में उन पर विचार किया गया है.

(सी) हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुस्र हैं.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 314010ई

(एच. के. दत्ता)

भागीदार

(एम.सं. 012208)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.104768 डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497 एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142 डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201 एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(प्रशांत पांडा)

भागीदार

(एम. सं. 051092)

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2016.

31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र

(₹ 000 में)

	अनुसूची	यथा 31.3.2016	यथा 31.3.2015
पूंजी और देयतायें			
पूंजी	1	6,87,44,11	6,35,77,88
आरक्षित और अधिशेष	2	2,22,03,76,58	1,91,25,10,31
जमाराशियां	3	34,27,20,00,92	31,68,69,91,72
उधार	4	3,09,57,35,18	3,53,59,98,16
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	81,27,33,45	96,25,15,00
कुल		40,46,95,90,24	38,16,15,93,07
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष	6	1,56,04,72,09	1,50,63,07,83
बैंकों में जमाशेष और मांग अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1,36,71,49,95	73,14,94,36
निवेश	8	8,92,08,34,61	8,44,61,72,90
अग्रिम	9	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
अचल आस्तियां	10	39,39,87,28	,26,81,95,32
अन्य आस्तियां	11	1,49,17,46,12	1,64,39,66,12
कुल		40,46,95,90,24	38,16,15,93,07
संभाव्य देयतायें	12	39,37,16,40,14	34,91,05,32,69
संग्रहण के लिये बिल		1,50,30,34,09	1,37,00,54,08
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

(निवेश रंजन)
उप महाप्रबंधक

(विवेक कामत)
महाप्रबंधक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राकेश सेठी)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(मिहिर कुमार)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(जगमोहन शर्मा)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. डोलकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 314010ई

(एच. के. दत्ता)

भागीदार

(एम.सं. 012208)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.104768 डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497 एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142 डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201 एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(प्रशांत पांडा)

भागीदार

(एम. सं. 051092)

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2016.

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

		(₹ 000 में)	
	अनुसूची	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	3,21,98,80,08	3,20,83,96,21
अन्य आय	14	36,31,73,54	35,23,00,22
कुल		3,58,30,53,62	3,56,06,96,43
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	2,38,85,70,21	2,36,40,06,56
परिचालन व्यय	16	63,02,21,57	61,43,42,88
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		42,91,01,61	40,41,83,04
कुल		3,44,78,93,39	3,38,25,32,48
III. वर्ष का शुद्ध लाभ		13,51,60,23	17,81,63,95
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ		41,62	41,02
कुल		13,52,01,85	17,82,04,97
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		4,05,50,00	5,34,50,00
पूँजी आरक्षित को अंतरण		44,84,70	26,99,74
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		5,48,17,00	5,55,97,00
प्रस्तावित लाभांश		1,34,05,10	3,81,46,73
पी एन सी पी एस पर डिबीडेंड हेतु प्रावधान		0	5,28,35
लाभांश कर		27,44,69	77,41,53
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा 36(I)(viii)]		1,92,00,00	2,00,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष		36	41,62
कुल		13,52,01,85	17,82,04,97
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (₹ में)	18	20.42	28.05
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(नितेश रंजन)	(विवेक कामत)	(विनोद कथूरिया)	(राकेश सेठी)	(अरुण तिवारी)
उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार)	(अनिल कुमार मिश्रा)	(जगमोहन शर्मा)	(डॉ. के रमेश)	
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	
(डॉ. आर. एच. ढोलकिया)	(जी. के. लाठ)	(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)		
निदेशक	निदेशक	निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 314010ई

(एच. के. दत्ता)

भागीदार

(एम.सं. 012208)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142 डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.104768 डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201 एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497 एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(प्रशांत पांडा)

भागीदार

(एम. सं. 051092)

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2016.

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2016

यथा 31.3.2015

अनुसूची 1 - पूंजी:

I. प्राधिकृत :			
₹ 10 प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	30,00,00,00		30,00,00,00
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त:			
i. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 43,61,06,597 इक्विटी शेयर			
केंद्रीय सरकार द्वारा धारित	4,36,10,66		3,84,44,43
(पिछले वर्ष 38,44,44,316 इक्विटी शेयर)			
ii. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 25,13,34,520 शेयर जनता द्वारा धारित	2,51,33,45		2,51,33,45
(पिछले वर्ष 25,13,34,520 इक्विटी शेयर)			
कुल	6,87,44,11		6,35,77,88

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां & अधिशेष :

I. सांविधिक आरक्षित :				
तुलन पत्र के अनुसार	61,26,36,10		55,91,86,10	
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,05,50,00	65,31,86,10	5,34,50,00	61,26,36,10
II. पूंजी आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,03,25,13		7,76,25,39	
वर्ष के दौरान वृद्धि	44,84,70	8,48,09,83	26,99,74	8,03,25,13
III. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	34,57,12,14		33,51,70,50	
वर्ष के दौरान वृद्धि	10,27,25,77	44,84,37,91	1,05,41,64	34,57,12,14
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,24,70,51		14,59,33,73	
वर्ष के दौरान वृद्धि	12,13,09,62		0	
वर्ष के दौरान कमी	56,56,41	25,81,23,72	34,63,22	14,24,70,51
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :				
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	47,64,88,00		42,08,91,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,48,17,00		5,55,97,00	
वर्ष के दौरान कमी	3,52,62,25		0	
कुल	49,60,42,75		47,64,88,00	
ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	24,98,00,00		22,98,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,92,00,00		2,00,00,00	
कुल	26,90,00,00		24,98,00,00	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	50,36,81		47,57,41	
वर्ष के दौरान वृद्धि	57,39,10		2,79,40	
कुल	1,07,75,91	77,58,18,66	50,36,81	73,13,24,81
VI. लाभ-हानि खाते में शेष		36		41,62
कुल		2,22,03,76,58		1,91,25,10,31

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.3.2016	यथा 31.3.2015
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
I. मांग जमाराशि		
i) बैंकों से	5,54,54,65	6,10,07,08
ii) अन्य से	2,91,88,59,95	2,97,43,14,60
II. बचत बैंक जमाराशियां		2,04,82,41,46
	8,11,32,61,70	2,10,92,48,54
7,15,58,05,17		
III. मियादी जमाराशियां		
i) बैंकों से	1,03,27,18,56	1,30,22,83,78
ii) अन्य से	22,15,17,06,06	23,18,44,24,62
	34,27,20,00,92	21,11,96,54,23
कुल		22,42,19,38,01
भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	33,60,86,39,68	31,68,69,91,72
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	66,33,61,24	31,22,30,23,90
कुल	34,27,20,00,92	46,39,67,82
		31,68,69,91,72
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
I. शाश्वत बांड	10,40,00,00	10,40,00,00
II. अपर टियर II पूंजी	22,50,00,00	22,50,00,00
III. लोअर टियर II पूंजी	52,00,00,00	52,50,00,00
बी) भारत में उधार		
I. अन्य बैंक	4,14,15,39	7,00,00,00
II. अन्य संस्थायें एवं एजेंसियां	12,52,60,08	16,66,75,47
		44,95,07,39
51,95,07,39		
सी) भारत से बाहर उधार	2,08,00,59,71	2,16,24,90,77
कुल	3,09,57,35,18	3,53,59,98,16
उपर्युक्त (बी)I एवं (बी) II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	9,56,19,34	33,72,28,20
अनुसूची 5 - अन्य देयतायें और प्रावधान :		
I. देय बिल	17,45,34,68	11,67,92,29
II. उपचित ब्याज	10,40,14,36	9,21,03,19
III. आस्थगित कर देयतायें	0	4,52,23,52
IV. अन्य(प्रावधान सहित)	53,41,84,41	70,83,96,00
कुल	81,27,33,45	96,25,15,00
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष:		
I. धारित नकदी		
(इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)	11,24,81,40	10,06,93,07
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमाशेष		
चालू खाते में	1,44,79,90,69	1,40,56,14,76
कुल	1,56,04,72,09	1,50,63,07,83

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2016

यथा 31.3.2015

अनुसूची 7-बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन

I.	(i)	भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष				
	ए)	चालू खातों में	51,95,54		2,08,30,05	
	बी)	अन्य जमाखातों में	35,44,79,43		16,66,60,98	
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	-	बैंकों के साथ	3,00,00,00		0	
	-	अन्य संस्थानों के साथ	20,45,91	39,17,20,88	0	18,74,91,03
		कुल				
II.		भारत से बाहर जमाशेष				
	i)	चालू खातों में	25,20,95,90		2,68,92,55	
	ii)	अन्य जमाखातों में	71,91,81,48		51,71,10,78	
	iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त धन	41,51,69	97,54,29,07	0	54,40,03,33
		कुल		1,36,71,49,95		73,14,94,36

अनुसूची 8 - निवेश :

I.		भारत में निवेश				
	i)	सरकारी प्रतिभूतियां	7,14,68,97,51		7,26,85,31,29	
	ii)	शेयर	12,37,04,82		9,58,05,08	
	iii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,33,53,37,71		82,40,46,48	
	iv)	सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	1,29,43,76		1,29,43,76	
	v)	अन्य				
	-	वाणिज्यिक पत्र	1,43,30,28		0	
	-	म्युचुअल फंड	8,60,05,50		9,22,10,38	
	-	आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	5,80,61,08	15,83,96,86	5,98,22,60	15,20,32,98
		कुल		8,77,72,80,66		8,35,33,59,59
II.		भारत से बाहर निवेश				
	i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	5,91,34,80		3,06,81,23	
	ii)	शेयर	40,32		40,32	
	iii)	अन्य निवेश (बॉण्ड)	5,30,44,33		3,75,64,26	
	iv)	सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	3,13,34,50		2,45,27,50	
		कुल		14,35,53,95		9,28,13,31
		कुल		8,92,08,34,61		8,44,61,72,90
III.	i)	भारत में निवेश				
		सकल मूल्य	8,83,26,60,78		8,39,38,11,78	
		मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	5,53,80,12		4,04,52,19	
		निवल मूल्य	8,77,72,80,66		8,35,33,59,59	
	ii)	भारत के बाहर निवेश				
		सकल मूल्य/निवल मूल्य	14,35,53,95		9,28,13,31	
		कुल		8,92,08,34,61		8,44,61,72,90

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.3.2016	यथा 31.3.2015
अनुसूची 9 - अग्रिम		
I. i) खरीदे और भुनाये गये बिल	82,30,60,56	78,16,22,46
ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	13,17,79,77,73	12,08,00,09,60
iii) मीयादी ऋण	12,73,43,61,90	12,70,38,24,48
कुल	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
II. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	21,90,80,04,87	20,77,13,22,99
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	1,29,10,52,85	1,56,40,53,05
iii) अप्रतिभूत	3,53,63,42,47	3,23,00,80,50
कुल	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
ए. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	9,50,48,45,13	8,58,55,17,72
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,33,12,66,33	1,35,00,91,37
iii) बैंक	8,57,98,91	44,54,32,26
iv) अन्य	13,23,20,65,86	13,05,37,50,49
कुल	24,15,39,76,23	23,43,47,91,84
बी. भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	75,74,20,51	51,33,78,55
ii) अन्यो से देय		
ए) खरीदे एवं भुनाये गये बिल	44,99,00,97	34,07,80,03
बी) सिंडीकेट ऋण	8,53,21,66	8,32,98,36
सी) अन्य	1,28,87,80,82	1,19,32,07,76
कुल	2,58,14,23,96	2,13,06,64,70
कुल	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां		
ए. मूर्त अस्तियां		
I. परिसर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	24,17,82,46	23,65,21,96
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,04,69,48	52,60,50
	37,22,51,94	24,17,82,46
घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	6,79,08,37	5,99,72,44
	30,43,43,57	18,18,10,02
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	4,13,62	85,06
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,22,27	46,57,56
वर्ष के दौरान कमी	1,57,56	43,29,00
	11,78,33	4,13,62
III. भूमि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	61,66,84	49,82,97
वर्ष के दौरान वृद्धि	11,01,21	11,83,87
	72,68,05	61,66,84
घटायें: वर्ष के दौरान कमी	3,80,37	3,04,84
	68,87,68	58,62,00
IV. अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)		
ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52	26,53,52
	26,53,52	26,53,52
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	26,53,52	26,53,52
	0	0

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.3.2016		यथा 31.3.2015	
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/				
मूल्यांकन पर	20,74,55,70		18,60,96,29	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,38,26,53		2,64,25,78	
	23,12,82,23		21,25,22,07	
वर्ष के दौरान कमी	64,87,51		50,66,37	
	22,47,94,72		20,74,55,70	
घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	14,54,42,17		12,97,88,34	
	7,93,52,55	7,93,52,55	7,76,67,36	7,76,67,36
बी. अमूर्त अस्तियां				
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,75,35,22		1,64,04,60	
वर्ष के दौरान वृद्धि	21,51,80		11,30,62	
	1,96,87,02		1,75,35,22	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,74,61,87	22,25,15	1,50,92,90	24,42,32
कुल		39,39,87,28		26,81,95,32
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां:				
I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)		19,67,49,20		15,73,74,40
II. उपचित ब्याज		22,94,92,65		23,82,34,96
III. आस्थगित का अस्तियां		4,15,55,00		0
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प		3,74,87		1,85,77
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		3,90		3,90
VI. अन्य		1,02,35,70,50		1,24,81,67,09
कुल		1,49,17,46,12		1,64,39,66,12
अनुसूची 12 - संभाव्य देयतायें :				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के स्तर में स्वीकार नहीं किया गया है		38,57,15,36		35,92,85,82
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिये देयतायें		59,20		59,20
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें		34,74,37,04,38		29,61,70,42,69
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटिया				
i) भारत में	1,36,49,82,25		2,27,16,05,69	
ii) भारत से बाहर	3,22,71,60	1,39,72,53,85	3,63,18,51	2,30,79,24,20
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें		2,74,60,11,35		2,50,41,15,21
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक संभाव्य रूप से उत्तरदायी है				
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	2,84,06,00		6,10,70,00	
ii) डी इ ए एफ योजना - 2014 को अंतरित राशि	7,04,90,00	9,88,96,00	6,10,35,57	12,21,05,57
कुल		39,37,16,40,14		34,91,05,32,69

31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,36,58,06,09	2,39,77,25,12
II. निवेशों पर आय	75,35,14,54	71,82,96,30
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	8,16,13,85	6,75,95,43
IV. अन्य	1,89,45,60	2,47,79,36
कुल	3,21,98,80,08	3,20,83,96,21
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	4,09,76,74	3,90,87,31
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	9,16,36,59	7,08,73,96
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / हानि (निवल)	-1,79,14	-39,45
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - निवल	9,77,60,93	9,71,34,04
V. विविध आय	13,29,78,42	14,52,44,36
कुल	36,31,73,54	35,23,00,22
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	2,20,77,44,46	2,16,24,86,49
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	5,40,83,38	6,06,33,17
III. अन्य	12,67,42,37	14,08,86,90
कुल	2,38,85,70,21	2,36,40,06,56
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	36,99,29,03	37,85,51,55
II. किराया , कर और प्रकाश	4,70,04,83	4,27,23,54
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	51,75,64	51,98,69
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	69,25,01	63,18,63
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,44,11,42	2,20,81,18
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,19,35	1,48,13
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	71,83	59,23
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	35,04,69	34,34,84
IX. विधि प्रभार	21,41,97	18,55,90
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	75,70,80	65,40,78
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,13,29,13	1,04,27,43
XII. बीमा	3,26,85,59	3,07,92,36
XIII. अन्य खर्च	11,93,52,28	10,62,10,62
कुल	63,02,21,57	61,43,42,88

वर्ष 2015-2016 के लेखों की अनुसूचियां (स्टैंड एलोन)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1 लेखा पद्धति

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हो, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों/ दिशानिर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन करते हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित देश में लागू व्यवहार के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसके परिणाम ज्ञात/ सारवान हैं।

3 राजस्व की पहचान :

- 3.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- 3.2 गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है।
- 3.3 अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- 3.4 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है
ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/ शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- 3.5 जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

4 नकद प्रवाह विवरण :

नकद तथा नकद तुल्य मद के अंतर्गत नकद शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियों को शामिल किया गया है।

5 निवेश

5.1 वर्गीकरण

- i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्राप्ति ए की अपेक्षाओं के अनुसार, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है
ए) सरकारी प्रतिभूतियां
बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर
डी) ऋणपत्र एवं बांड
ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और
सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

5.2 मूल्यांकन का आधार :

मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

- i) 'परिपक्वता तक धारित' में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर: अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
- ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है
- iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- iv) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
- v) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

vi) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

i	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
ii	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर.
iii	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
iv	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
v	ऋण पत्र/ बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
vi	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों, अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार, यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
viii	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार.
ix	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

5.3 अंतर बैंक रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

5.4 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

5.4.1 विक्रय के लिए उपलब्ध/ ट्रेडिंग के लिए धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है.

5.4.2 परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर
- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

5.4.3 विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

5.4.4 इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया है.

5.5 गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/ प्रावधान किया गया है.

5.6 किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

5.7 प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/ नामे की गई है.

5.8 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तारीख' का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

- i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.
- ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडरॉई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

7.1 भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं,

द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त होंगू, लागू होंगे।

7.2 अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसा) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।

7.3 मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है।

8 स्थायी आस्तियां एवं मूल्यहास

8.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्य हास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। आस्ति के खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया गया है। इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई गई है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया गया है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है।

8.2 अचल आस्तियों के मूल्यहास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है

	आस्ति का प्रकार	मूल्यहास की दर
I.	परिसर	5 %
II.	अन्य स्थायी अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10 %
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/ स्ट्रॉंग रूम आदि	15 %
	- परिवहन वाहन	20 %
	- यूपीएस उपकरण	33.33 %
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

8.3 एप्लीकेशन साफ्टवेयर को पूंजीगत किया गया है तथा अमूर्त आस्तियों में शामिल किया गया है। कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर, जो कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम के भाग हैं, पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरल रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया गया है।

8.4 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यहास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है

8.5 भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास समिश्र लागत पर लगाया गया है

8.6 वर्ष के दौरान बेची/ निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है।

8.7 पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्द्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।

9 आस्तियों की क्षति

आंतरिक/ बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है। क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य का उपयोग मूल्य से आधिक्य उसकी वसूली योग्य राशि है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई गई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

10 प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

11.1 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है। जैसाकि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना गया है।

11.2 एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.2.1 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।

11.2.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया गया है।

11.2.3 गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण

होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं।

11.2.4 परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की गई है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया गया है।

11.2.5 वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

11.3 गैर -एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.3.1 आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया गया है।

11.3.2 विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर किया गया है।

11.3.3 आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया गया है।

11.3.4 परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है; बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग 'विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व' खाते में रखा जाता है।

12 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है। अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

ग्रेजुटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए परिभाषित 'अंशदायी योजना' नामक नई पेंशन योजना है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है। इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया गया है।

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/ विनियमों के अनुसार किया गया है।

13 खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

14 लीज संयवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया गया है। बैंक द्वारा लीज/ किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/ लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी गई है।

15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है।

प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया गया है।

प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

16 कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है।

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है; जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो। वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है; जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

18 शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये गये हैं।

वर्ष 2015-2016 के लेखों की अनुसूचियां (स्टैंड एलोन)

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स:

अ. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है.

1.1 पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहा है. बेसल III कार्यान्वयन के लिए 31 मार्च, 2019 तक की परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर-I से बनी है.

बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2016 तक न्यूनतम 5.5% सीईटी I एवं न्यूनतम 7% टियर I सीआरएआर के साथ पूंजी का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 9% रखना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%)		
	बेसल II	शून्य	शून्य
	बेसल III	7.95	7.24
ii)	टियर -I पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	8.23	7.60
	बेसल III	8.14	7.50
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	2.91	3.14
	बेसल III	2.42	2.72
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)(%)		
	बेसल II	11.14	10.74
	बेसल III	10.56	10.22
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	63.44	60.47
vi)	उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	51.66	5.47
vii)	उगाही की गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	--	--
Viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	1000.00	--
	इसमें से ऋण पूंजी लिखत: (₹ करोड़ में)	1000.00	--

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक द्वारा भारत सरकार को ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 5,16,62,281 इक्विटी शेयरों का

आबंटन किया गया, जिनका मूल्य ₹209.05 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें प्रति इक्विटी शेयर ₹199.05 का प्रीमियम भी शामिल है) था. परिणामस्वरूप सरकार की शेयरधारिता 60.47% से बढ़कर 63.44% हो गई.

1.2 निवेश

बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य ह्रास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	88640.36	93815.05
	(ए) भारत में	88326.61	93569.37
	(बी) भारत के बाहर	313.75	245.68
ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान	553.80	404.52
	(ए) भारत में	553.80	404.52
	(बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
iii)	निवेशों का निवल मूल्य	88086.57	93410.53
	(ए) भारत में	87772.82	93164.85
	(बी) भारत के बाहर	313.75	245.68
2	निवेशों पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानों का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	404.52	445.98
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	480.77	291.52
iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/ राइट बैंक किया गया आधिक्य प्रावधान	331.49	332.98
iv)	अंतिम शेष	553.80	404.52

1.2.1 रेपो संयवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के अन्तर्गत बेची गयी एवं खरीदी गयी प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2016 को बकाया
A	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां			
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	13472.00	2515.24
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-
B	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां			
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	4738.96	1116.23
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-

1.2.2 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र :

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर- निर्धारित प्रतिभूतियां**	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पीएसयू	7,131.80	6,265.29	-	0.58	0.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	2,022.57	662.16	-	-	-
iii)	बैंक	348.40	294.00	-	-	-
iv)	निजी कॉर्पोरेट	5,691.63	3,874.58	155.04	14.85	437.29
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम *	410.86	426.82	-	-	-
vi)	अन्य	1,533.95	1,060.08	-	-	-
vii)	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान	(553.56)	-	-	-	-
	योग	16585.65	12,582.93	155.04	15.43	437.87

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
शेयर	1237.45	958.05
ऋण-पत्र व बाण्ड्स	13353.37	8240.47
सहायक कम्पनियों/ संयुक्त उद्यम	410.86	358.75
अन्य	1583.97	11151.99
योग	16585.65	20709.26

* तुलन पत्र की अनुसूची 8 में सहायक एवं संयुक्त उद्यम में ₹15.96 करोड़ के निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयरों में किया गया बैंक निवेश शामिल है. जो कि एसएलआर निवेश है.

** दर्शाई गई गैर-निर्धारित एवं गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में आरबीआई द्वारा दिनांक 01.07.2015 को जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार केवल प्रतिभूतियों की रेटिंग और लिस्टिंग शामिल है.

आरबीआई ने अपने परिपत्र RBI/ 2015-16/ 127 DBR.BP.BC. NO.31/21.04.018/2015-16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा सलाह दी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास पड़ी जमा को अनुसूची 11- तुलन पत्र के अन्य आस्तियों के उप श्रेणी 'अन्य' के अंतर्गत रखना है. नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी को आरआईडीएफ एक्सपोजर दिनांक 31/03/2016 को कुल मिलकर रु8076.88 करोड़ (पिछले वर्ष रु9631.25

करोड़) अन्य आस्तियों में सामिलित है.

ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादनीय निवेशों में चलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आरंभिक शेष	203.02	218.86
वर्ष के दौरान वृद्धि	51.38	50.93
वर्ष के दौरान कमी	10.21	66.77
अंतिम शेष	244.19	203.02
कुल धारित प्रावधान	132.60	115.04

1.2.3 एचटीएम संवर्ग से/ को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमें अंतरण नहीं किया है. वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से/ को क्रमशः कुल ₹5765.48 करोड़ अंकित मूल्य और ₹5640.96 करोड़ बही मूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: आरबीआई/2014-15/254 बीडीओडी. क्र.बीपी.बीसी. 42/21.04.141/2014-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से बैंकों को निर्देश दिये गये थे कि 19 सितम्बर, 2015 से एचटीएम श्रेणी में रखी अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों को दूसरे पूर्व पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से नीचे रखें. इसके अनुपालन में बैंक ने एचटीएम श्रेणी में विद्यमान कुल ₹3,323.95 करोड़ (अंकित मूल्य) और ₹3,155.62 करोड़ (बही मूल्य) की प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के तहत ₹1,677.45 करोड़ की प्रतिभूतियों का विक्रय किया.

1.3 डेरीवेटिव्स

1.3.1 वायदा दर अनुबंध/ ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

अ. क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	18456.77	13150.07
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	49.80	4.10
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य*	-13.56	-3.66

*आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज

नोट:

- I. टियर- II बांड्स की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वेप को शामिल किया गया है.
- II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

1.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखतवार) ए) ब्याज दर फ्यूचर्स क्रय विक्रय	7440.02 8195.32	7030.52 6987.92
ii)	31 मार्च 2016 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	लिखत बकाया 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00	शून्य
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	लिखत बकाया 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00	शून्य
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखतवार)	लिखत एमटीएम 759GS2026 0.03 772GS2025 0.02 788GS2030 (0.001)	शून्य

1.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए. गुणात्मक प्रकटन

ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन बैंक दो समूहों में संव्यवहार करता है:

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी आप्रान में संव्यवहार करता है.

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी

डेरीवेटिव में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजों) में करेंसी फ्यूचर्स में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्क) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाए जाते हैं.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/ मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/ मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. जबकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर- ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं. किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है:

- I) फ्रंट ऑफिस- डीलिंग रूम, बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.
- II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है. मिड ऑफिस एमटीएम के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए

करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

- बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टाप लास सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी 01, स्टाप लास, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है। और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पीवी 01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

- सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी 01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार

पर परिकलित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

- डी) हेज/ अन हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है।

आप्शन कान्ट्रेक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लीमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपाश्रिवक/ मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरिवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

बी. मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2016	
क्र.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
ए.	हेजिंग के लिए	0.00	7956.77
बी.	ट्रेडिंग के लिए	1289.61	7825.15
ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)		
ए.	आस्तियां (+)	16.54	30.00
बी.	देयताएं (-)	(-)10.43	(-)43.75
iii)	ऋण एक्सपोजर (2)	105.37	119.00
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		
ए.	हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00	33.66
बी.	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	2.82	30.23
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
1	अधिकतम		
ए.	हेजिंग पर	0.00	39.60
बी.	ट्रेडिंग पर	3.47	61.03

क्र.	विवरण	31.03.2016	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
2	न्यूनतम		
ए.	हेजिंग पर	0.00	0.27
बी.	ट्रेडिंग पर	0.43	0.42

* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल है .

1.4 आस्ति गुणवत्ता :

1.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां

सकल गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचरण का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	5.25	2.71
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) आरंभिक शेष	13030.87	9563.74
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	12952.87	5666.26
	(ग) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	-	-
	उप- योग (क)	25983.74	15230.00
	घ) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	177.73	138.11
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	843.54	1130.31
	(iii) तकनीकी/ विवेकाधीन राइट-ऑफ	645.68	861.06
	(iv) राइट-ऑफ (iii) के अतिरिक्त	145.90	69.65
	उप - योग (ख)	1812.85	2199.13
	(ई) अंतिम शेष (क - ख)	24170.89	13030.87
iii)	एनपीए का संचरण (शुद्ध)		
	(क) आरंभिक शेष	6918.97	5340.25
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	8297.83	2910.10
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	1190.86	1331.38
	(घ) अंतिम शेष	14025.94	6918.97
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण		
	(क) प्रारंभिक शेष	6111.90	4223.49
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4655.03	2756.16
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/ राइट बैक	621.98	867.75
	(घ) अंतिम शेष	10144.95	6111.90

इन प्रावधानों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये गये पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए ह्रास के प्रावधानों को शामिल किया गया है. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातों में वसूली/ प्राप्त ईसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमशः ₹ 52.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 59.28 करोड़) तथा ₹ 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.14 करोड़) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

1.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत						एसएसई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग		
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण												
	विवरण												
1	वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 1 अप्रैल, 2015 को पुनर्गठित खातों (प्रारम्भिक आंकड़े)	27 (22)	13 (7)	3 (2)	0 (0)	43 (31)	571 (88)	118 (103)	7517 (8838)	318 (340)	8524 (9369)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	3659.57	1435.14	204.20	0.00	5498.91	788.73	517.23	236.17	40.32	1582.45		
	बकाया राशि	(2631.49)	(635.01)	(39.79)	(0.00)	(3306.29)	(908.23)	(222.82)	(393.04)	(40.64)	(1564.73)		
	उस पर प्रावधान	361.73	171.13	43.83	0.00	576.69	32.97	26.50	14.38	2.17	76.02		
		(353.74)	(94.42)	(9.72)	(0.00)	(457.88)	(41.70)	(9.57)	(13.27)	(1.98)	(66.52)		
2	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान नये पुनर्संरचना	0 (16)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (16)	23 (668)	1 (6)	0 (3)	0 (0)	24 (677)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0.67	36.12	0.00	0.00	36.79		
	बकाया राशि	0	0	0	0	0	(453.14)	(0.05)	(0.02)	(0.00)	(453.21)		
	उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04		
		(195.8)	(0)	(0)	(0.00)	(195.8)	(21.67)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(21.67)		
3	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	2 (1)				2 (1)	12 (5)				12 (5)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	330.99				330.99	29.85				29.85		
	बकाया राशि	(76.76)				(76.76)	(13.35)				(13.35)		
	उस पर प्रावधान	2.84				2.84	0.07				0.07		
		(0.00)				(0.00)	(2)				(2)		
4	वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना आवश्यक नहीं	0 (12)				0 (12)	2 (52)				2 (52)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	4.29				4.29		
	बकाया राशि	(959.41)				(959.41)	(217.54)				(217.54)		
	उस पर प्रावधान	0				0	0				0.00		
		(61.34)				(61.34)	(15.29)				(15.29)		
5	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन		14 (6)	8 (0)	0 (0)	22 (6)		133 (66)	25 (0)	0 (0)	158 (66)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	880.72		1879.5	0.00	2760.22		142.37	51.64	0.00	194.01		
	बकाया राशि	(646.26)		(0.00)	(0.00)	(646.26)		(413.79)	(0.00)	(0.00)	(413.79)		
	उस पर प्रावधान	25.89		87.59	0.00	113.48		0.11	0.6	0.00	0.71		
		(93.88)		(0)	(0.00)	(93.88)		(19.42)	(0.00)	(0.00)	(19.42)		
6	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-आफ	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (8)	0 (0)	1 (8)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00		48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	33.8	0.00	33.8		
	बकाया राशि	(0.00)		(103.75)	(0.00)	(103.75)		(0.00)	(163.97)	(0.00)	(163.97)		
7	पुनर्गठित खातों तथा 31.03.2016 (अंतिम आंकड़े)	15 (27)	16 (13)	21 (3)	0 (0)	52 (43)	413 (571)	121 (118)	6547 (7517)	282 (318)	7363 (8524)		
	उधारकर्ताओं की संख्या	2092.16	1133.24	3770.86	0.00	6996.26	761.47	166.03	540.81	5.03	1473.34		
	बकाया राशि	(3859.57)	(1435.14)	(204.2)	(0.00)	(5498.91)	(788.73)	(517.23)	(236.17)	(40.32)	(1582.45)		
	उस पर प्रावधान	10.25	92.86	265.82	0.00	368.93	7.15	0.87	31.36	0.33	39.71		
		(361.73)	(171.13)	(43.83)	(0.00)	(576.69)	(32.97)	(26.5)	(14.38)	(2.17)	(76.02)		

1.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार		अन्य					कुल				
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	पुनर्गठित खाते यथा 01.04.2015 (प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	9428 (575)	926 (757)	23785 (28292)	1215 (1341)	35354 (30965)	10026 (681)	1057 (867)	31305 (37132)	1533 (1681)	43921 (40361)
		बकाया राशि	9009.95 (8813.13)	1453.56 (1071.16)	557.19 (651.63)	25.64 (25.76)	11046.34 (10591.68)	13658.25 (12352.85)	3405.93 (1928.99)	997.56 (1084.46)	65.96 (66.4)	18127.7 (15432.7)
		उस पर प्रावधान	205.43 (238.59)	33.3 (17.43)	23.72 (28.73)	1.67 (1.65)	264.12 (-286.4)	600.13 (634.03)	230.93 (121.42)	81.93 (51.72)	3.84 (3.63)	916.83 (810.8)
2	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान नये पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	1008 (10766)	2 (35)	1 (14)	0 (0)	1011 (10815)	1031 (11450)	3 (41)	1 (17)	0 (0)	1035 (11508)
		बकाया राशि	1295.69 (2825.23)	66.26 (1.08)	572.12 (0.08)	0.00 (0.00)	1934.07 (2826.39)	1296.36 (5001.56)	102.38 (1.13)	572.12 (0.1)	0 (0)	1970.86 (5002.79)
		उस पर प्रावधान	28.36 (180.43)	2.81 (0.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	31.17 (180.46)	28.4 (397.9)	2.81 (0.03)	0.00 (0.00)	0 (0)	31.21 (397.93)
3	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	330 (176)				330 (176)	344 (182)				344 (182)
		बकाया राशि	17.27 (7.24)				17.27 (7.24)	378.11 (97.35)				378.11 (97.35)
		उस पर प्रावधान	0.59 (0.33)				0.59 (0.33)	3.5 (2.33)				3.5 (-2.33)
4	वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	9 (372)				9 (372)	11 (436)				11 (436)
		बकाया राशि	45.39 (1797.59)				45.39 (1797.59)	49.68 (2974.54)				49.68 (2974.54)
		उस पर प्रावधान	0.67 (43.15)				0.67 (43.15)	0.67 (119.78)				0.67 (119.78)
5	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		1623 (519)	89 (0)	9 (0)	1721 (519)		1770 (591)	122 (0)	9 (0)	1901 (591)
		बकाया राशि		662.06 (299.48)	820.2 (0.00)	84.56 (0.00)	1566.82 (299.48)		1685.15 (1359.53)	2751.34 (0.00)	84.56 (0.00)	4521.05 (1359.53)
		उस पर प्रावधान		12.75 (14.1)	1.23 (0.00)	0.35 (0.00)	14.33 (14.1)		38.75 (127.4)	89.42 (0.00)	0.35 (0.00)	128.52 (127.4)
6	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइटआफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0 (0)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	0 (0)	12 (11)
		बकाया राशि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0	0.00 (0.00)	283.1 (332.18)	0.00 (0.00)	283.1 (332.18)
		उधारकर्ताओं की संख्या	9751 (9428)	1375 (926)	21371 (23785)	1187 (1215)	33684 (35354)	10179 (10026)	1512 (1057)	27939 (31305)	1469 (1533)	41099 (43921)
7	पुनर्गठित खाते यथा 31.03.2016 (अंतिम आंकड़े)	बकाया राशि	5718.81 (9009.95)	1013.59 (1453.56)	1999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9158.24 (11046.34)	8572.44 (13658.25)	2312.86 (3405.93)	6311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17627.84 (18127.7)
		उस पर प्रावधान	112.15 (205.43)	22.67 (33.3)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.4 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)

1.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्गठन कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	खातों की संख्या	3	9
ii)	एससी/ आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्राधान्यों में से घटाकर)		
	ए) एनपीए खाते	132.05	40.69
	बी) अपलिखित खाते	शून्य	शून्य
	सी) एसएमए खाते	शून्य	326.52
iii)	कुल प्रतिफल		
	ए) एनपीए खाते	101.50	81.20
	बी) अपलिखित खाते	शून्य	234.23
	सी) एसएमए खाते	शून्य	326.52
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	2.25	शून्य
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/ हानि		
	ए) एनपीए खाते	(31.00)	40.51
	बी) अपलिखित खाते	शून्य	234.23
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य

1.4.4 खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे :

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2	क. इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

ग. प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	658.19	572.30	15.3	25.93	673.49	598.23

विवरण	एसएमए द्वारा सुरक्षित बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		एसएमए द्वारा सुरक्षित बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	257.82	257.82	--	--	257.82	257.82

1.4.5 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.3.2015
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	(107.47)	239.81

बैंक द्वारा 31 मार्च, 2016 को मानक आस्तियों हेतु किया गया प्रावधान ₹1522.32 करोड़ है. (विगत वर्ष में ₹1631.36)

1.5 कारोबार अनुपात

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के स्तर में प्रतिशत	8.37	8.88
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के स्तर में प्रतिशत	0.94	0.97
iii)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के स्तर में प्रतिशत	1.49	1.61
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.35	0.49
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹करोड़ में)	15.51	14.46
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.04	0.05

1.6 आस्ति देयता प्रबंधन :

जमाराशि, उधारी, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता अवधि यथा 31 मार्च, 2016 निम्न पर आधारित है :

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.

- तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं में विदेशी मुद्रा

(₹ करोड़ में)

	जमाराशि	अग्रिम	निवेश	उधारी	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
1 दिन	1220.68 (1090.96)	3978.72 (2032.03)	6817.12 (3219.48)	1,227.63 (705.05)	6825.01 (1932.81)	2604.47 (2330.95)
2-7 दिन	7385.37 (3698.22)	4770.81 (2786.5)	1153.63 (650.33)	654.71 (2253.62)	1017.00 (271.88)	1365.55 (1137.13)
8-14 दिन	7235.66 (4455.91)	6314.82 (3362.06)	131.66 (0.00)	325.64 (1466.68)	1444.37 (1184.23)	816.09 (1155.27)
15 से 28 दिन्-	4776.79 (4890.86)	6650.64 (7549.93)	0.00 (0.00)	303.45 (1174.29)	1395.44 (976.63)	647.63 (1393.55)
29 दिन से 3 माह	36350.54 (27002.47)	21311.22 (23736.91)	727.8 (2615.00)	4,834.99 (3297.34)	12472.69 (8571.45)	8255.91 (4171.40)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	23574.92 (21174.15)	17248.37 (16766.13)	277.74 (2605.63)	1,836.94 (6169.52)	6158.27 (6281.27)	2747.80 (5052.41)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	42236.32 (50651.85)	27775.19 (28994.80)	2104.31 (2823.40)	3,417.37 (3757.49)	8416.45 (4117.85)	12053.84 (7468.37)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	48676.63 (52004.79)	126078.2 (119855.99)	18509.39 (8346.60)	9,376.78 (3489.88)	3920.46 (5099.95)	8793.42 (8514.91)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	33290.07 (27572.41)	27828.39 (26783.47)	14485.27 (27061.17)	1,843.33 (6816.12)	5113.25 (5874.32)	3507.90 (5954.59)
5 वर्ष से अधिक	137973.03 (124328.30)	25397.64 (23786.75)	45001.43 (46771.37)	7,136.51 (6229.99)	1402.06 (2090.73)	1069.52 (730.85)
योग	342720.01 (316869.92)	267354 (255654.57)	89208.35 (94092.98)	30957.35 (35359.98)	48165 (36401.12)	41862.13 (37909.44)

नोट : कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं.

1.7 एक्सपोजर्स:

1.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2016	31.03.2015
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक- आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. - जिसमें से ₹ 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र होंगे.	26,991.39 12259.11	25879.22 11290.15
ii)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय, भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं:	3754.42	4980.33
iii)	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	0.00 0.00	0.00 0.00

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2016	31.03.2015
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	11595.96	8666.32
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	42341.77	39525.87

1.7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2016	31.03.2015
	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कापोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	902.31	683.91
ii)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	4.12	1.55
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	2.05	1.88
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	1.20	71.34
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेंकर्स की ओर से जारी गारंटियां	551.41	491.70
vi)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कापोरेट्स को मंजूर ऋण	240.05	313.00
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोक्षण	0.00	11.97
x)	वेंचर पूँजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	530.30	517.02
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	2,231.44	2092.37

** 2015-16 के लिए ₹ 142 करोड़ की वेंचर पूँजी अनाहरित पूँजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं. (विगत वर्ष ₹168.79 करोड़).

1.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर यथा 31.03.2016	शुद्ध एक्सपोजर यथा 31.03.2015	प्रावधान यथा 31.03.2016	प्रावधान यथा 31.03.2015
अपर्याप्त	13376.83	12909.19	शून्य	शून्य
अल्प	4731.32	3837.78	शून्य	शून्य
सामान्य	398.71	672.70	शून्य	शून्य
उच्च	2.16	0.20	शून्य	शून्य
अत्यधिक उच्च	-	264.92	शून्य	शून्य
सीमित	-	शून्य	शून्य	शून्य
आफ-क्रेडिट	-	शून्य	शून्य	शून्य
योग	18509.02	17684.79	शून्य	शून्य

कन्द्री जोखिम नीति 2015-16 व 2016-17 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कन्द्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश में स्थित दोनों शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है।

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कन्द्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1 % या उससे अधिक है।

1.7.4 i) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का व्यौरा: .

(₹ करोड़ में)

क्र.		उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूँजी निधि का एक्सपोजर%	31.03.16 की स्थिति	पूँजी निधि की % स्थिति
1.	व्यक्तिगत उधारकर्ता	भारतीय खाद्य निगम	5177.05	5000.00	19.32	0.00	0.00
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोजर सीमा कैपिटल फंड का 15% है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोजर लिया गया।
- बुनियादी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5% वाली एकल इकाइयों व्यक्ति (कैपिटल फंड का 20%)
- भारत सरकार द्वारा तेल बांड जारी की हुई तेल कंपनियों (जिनके पास एसएलआर स्टेटस नहीं है) की एकल इकाइयों व्यक्तियों के लिए कैपिटल फंड का 25%.
- समूह निवेश की सीमा- 40% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समूह एक्सपोजर सीमा 50% है
- बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त एक्सपोजर लिया जा सकता है।

1.7.5 बेजमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथारिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक ओडी.बीपी.बीसीसी/ 83/ 08.12.014/2012-13 दिनांक 18.03.2013 के अनुसार सड़क/ राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं।

1.8 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : ₹ 6.26 लाख, (गत वर्ष ₹3.53 लाख)

बी. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने “खाते के नोट” के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2 राजस्व पहचान (एस 9)

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर ही माना गया है; तथापि इस प्रकार की आय को शामिल नहीं किया गया है।

3 कर्मचारी लाभ (एस 15-आर)

3.1 परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए लेखा किया गया है। प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,088.16	8,218.43	1060.13	6683.81
	ब्याज लागत	83.52	638.22	95.66	616.32
	चालू सेवा लागत	50.12	150.00	45.13	190.73
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	74.53	1,293.35	47.24	1179.57
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,110.33	9,619.00	1088.16	8218.43
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,264.00	7,861.00	1081.23	6104.73
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	105.21	777.24	96.74	630.38
	अंशदान	38.26	1,413.35	208.00	1367.00
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	29.80	155.11	38.03	210.89
	अभिज्ञात किया जाने वाला	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
	कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(44.73)	(1,138.24)	-9.21	-968.68
iii)	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	105.21	777.24	96.74	630.38
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	29.80	155.11	38.03	210.89
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	135.01	932.35	134.77	841.27
v)	आय विवरण में चिह्नित व्यय:				
	वर्तमान सेवा लागत	50.12	150.00	45.13	90.73
	ब्याज लागत	83.52	638.22	95.66	616.32
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(105.21)	(777.24)	-96.74	-630.38
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	65.00	338.00
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	44.73	1,138.24	9.21	968.68
	लाभ हानि खाते में चिह्नित व्यय	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
vi)	तुलन पत्र समाधान:				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता(पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिह्नित शुद्ध राशि)	(175.84)	357.43	-86.10	241.08
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(38.26)	(1,413.35)	-208.00	-1367.00
	तुलन-पत्र में चिह्नित राशि	(140.94)	93.30	-175.84	357.43
vii)	अन्य ब्यौरे:				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्वधीन है.				
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹10,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				

	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	वर्ष के दौरान बीमांकीक अर्जन/ हानि की गणना की गई है। वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है। सदस्यों की संख्या वेतन प्रति माह अगले वर्ष के लिए अंशदान	35,716.00 148.54 शून्य	19,670.00 107.98 349.86	35646 135.34 शून्य	21337 97.37 315.48
viii)	आस्तियों का संवर्ग: भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बांड विशेष जमा योजना राज्य सरकार संपत्ति अन्य बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां योग	146.02 267.72 शून्य 443.41 शून्य 90.39 303.73 1,251.27	473.14 1532.83 शून्य 2442.38 शून्य 974.77 4102.58 9,525.70	146.02 385.01 शून्य 434.50 शून्य 40.47 258.00 1264.00	473.14 1879.80 शून्य 2390.20 शून्य 214.74 2903.12 7861.00
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%) पिछली छूट दर पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर पिछली वेतन वृद्धि पिछली एट्रीशन दर चालू छूट दर वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर वर्तमान वेतन वृद्धि वर्तमान एट्रीशन दर	7.99 8.70 5.00 2.00 8.04 8.04 5.00 2.00	7.95 8.70 5.00 2.00 8.06 8.06 5.00 2.00	9.33 8.00 5.00 2.00 7.99 8.70 5.00 2.00	9.27 8.70 5.00 2.00 7.95 8.70 5.00 2.00

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रेच्युटी योजना (₹ करोड़ में)				
तुलन पत्र में चिह्नित राशि	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
वर्ष के अंत में देयताएं	1,110.33	1088.16	1060.13	1000.86	990.55
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,251.27	1264.00	1081.23	1037.22	861.28
अंतर	140.94	175.84	21.10	36.36	-129.27
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	65.00	130.00	195.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	140.94	175.84	86.10	166.36	65.73

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	ग्रेच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	शून्य	(21.18)	123.74	21.60	95.09
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)	(0.80)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
वर्ष के अंत में देयताएं	9,619.00	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	9,525.70	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00
अंतर	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	338.00	761.00	1014.17
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)	(224.86)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.2016	31.03.2015	31.03.14	31.03.13	31.03.12
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	1399.16	731.44	661.38	251.18	511.13
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	155.11	210.89	-233.23	-103.10	-145.15

3.2 पारिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो दिनांक 01 अगस्त, 2010 को या इसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी के अधीन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। एनपीएस के लिए नेशनल सिक्क्यूरिटीज डीपाजिटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस को ₹ 58.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹42.44 करोड़) का अंशदान किया गया है।

3.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

3.3.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.16	31.03.15
1.	पेंशन	1149	1483
2.	अवकाश नकदीकरण	75	68
3.	अवकाश यात्रा रियायत	10	9
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

3.4 वर्ष के दौरान बैंक ने ₹79 करोड़ का भुगतान एक अपवाद मद के रूप किया, जो दसवें द्विपक्षीय वेतन समझौते के अंतिम कार्यान्वयन पर पूर्व के वर्षों के बकाया वेतन से संबंधित है।

4 क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)

4.1.1 कारोबार क्षेत्र:

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन				
		तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति	
		(अंकक्षित)	(समीक्षित)	(अंकक्षित)	(अंकक्षित)	
		31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व					
1	ट्रेजरी परिचालन	2503.37	2567.08	2624.40	10177.19	9457.35
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3309.08	2363.45	2550.30	10221.26	10096.56
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3016.78	3824.94	4121.28	15236.62	15733.95
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	78.98	63.56	98.76	264.76	342.36

5	गैर आवंटित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	8908.21	8819.03	9394.74	35899.83	35630.22
	घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व	23.80	16.97	11.03	69.29	23.26
	कुल राजस्व	8884.41	8802.06	9383.71	35830.54	35606.96
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम					
1	ट्रेजरी परिचालन	619.96	646.88	641.87	2146.01	1902.99
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	205.23	161.73	575.20	667.62	1216.99
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	-1014.94	-741.56	-624.56	-1173.31	-503.19
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	34.70	29.45	49.84	125.07	166.59
5	गैर आवंटित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर पूर्व कुल लाभ	(155.05)	96.50	642.35	1765.39	2783.38
(सी)	आयकर	(251.18)	17.96	198.58	413.77	1001.74
(डी)	शुद्ध लाभ	96.13	78.54	443.77	1351.60	1781.64
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां					
1	ट्रेजरी परिचालन	124187.02	125032.19	113440.55	124187.02	113440.55
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	93320.72	118148.19	107285.95	93320.72	107285.95
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	183281.67	144431.52	156474.27	183281.67	156474.27
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर आवंटित	3906.49	3208.08	4415.16	3906.49	4415.16
	योग	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं					
1	ट्रेजरी परिचालन	117469.24	117914.52	107654.06	117469.24	107654.06
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	88934.90	112434.00	102760.57	88934.90	102760.57
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	174667.92	137446.14	149874.09	174667.92	149874.09
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर आवंटित	732.63	950.89	1565.18	732.63	1565.18
6	पूंजी, निधियां एवं अधिशेष	22891.21	22074.43	19762.03	22891.21	19762.03
	योग	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93

टिप्पणियां:

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेजरी, रिटेल, कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है . उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.
3. पिछले वर्ष के बारह महीनों/ तिमाही के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत/ प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों/ तिमाही के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुसूच हो.

5 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

5.1 संबंधित पार्टियों की सूची

(ए) समनुषंगी :

- यूनिजन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनिजन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनिजन बैंक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.

(बी) संयुक्त उद्यम :

- स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(सी) एसोसिएट :

- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

(डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2015-16 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री के. सुब्रह्मण्यम	कार्यपालक निदेशक	31 जुलाई, 2015 को सेवा निवृत्त
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक	14 अगस्त, 2015 को सेवा समाप्त
श्री विनोद कथुरिया	कार्यपालक निदेशक	22 जनवरी, 2016 को सेवा ग्रहण

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए:

एएस-18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो “राज्य नियंत्रित उद्यम” हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर- ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है.

5.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	#0.28	0.20
कार्यपालक निदेशकगण	#0.44	0.39
योग	0.72	0.59

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमशः 0.06 करोड़ व ₹0.09 करोड़ की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

6 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	20.42	28.05
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1351.60	1776.36
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	66.18	63.33
iv	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10.00

7 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	187.71	234.25
2	कर्मचारी लाभ	266.59	328.89
3	पूर्व वर्षों में दावाकृत, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशों पर मूल्यहास	60.35	15.73
4	अवकाश नकदीकरण	83.89	57.93
5	अन्य प्रावधानों के कारण	1435.06	477.18
	योग	2033.60	1113.98
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	91.23	66.15
2	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	29.24	35.68
3	अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	607.89	641.15
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	889.69	823.24
	योग	1618.05	1566.22
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	415.55	शून्य
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	शून्य	452.24

7.1 प्रत्यक्ष कर के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर और धन कर देयताओं सहित)	413.78	1001.74

8 संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)

- निवेश के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनिनन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हित राशि है। यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है।

9 आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

10 आकस्मिक देयताएँ (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र.(i) व (vi)(i) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

11 अतिरिक्त प्रकटन

11.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2016	31.03.2015
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान/ (रिवर्सल)	149.28	(37.62)
एनपीए के लिए प्रावधान	4655.03	2536.67
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(107.47)	239.81
आयकर (आईटी)/ सम्पत्ति कर/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए शुद्ध प्रावधान	413.78	1001.74
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	5.74	38.82
- अग्रिमों का पुनर्गठन	(623.25)	127.11
- अन्य	(202.09)	135.30
योग	4291.02	4041.83

11.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष यथा 01.04.2015	293.20	511.21
ii)	लेखावर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	0.00	75.18
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	0.00	293.19
iv)	अंतिम शेष	293.20	293.20

11.3 आरक्षिती से आहरण :

बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षिती से 0.02 करोड़ आहरण किया गया (पिछले वर्ष शून्य).

11.4 शिकायतों का प्रकटन:

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	336	778
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	171128	121000
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	171018	121442
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	446	336

बी. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत:

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	203	553
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	85810	90898
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	85858	91248
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	155	203

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा, जो विशेष रूप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं:

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	198	334
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	69338	40448
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	69481	40584
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	55	198

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	3	-
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	3	15
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	6	12
(घ)	वर्ष के अंत कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	3

11.5 जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	3701.91	4078.00
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	10722.18	11381.00
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	10949.65	11757.09
वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	3474.45	3701.91

11.6 कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर):

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)	50.98	59.23

11.7 बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2016	31.03.2015
1.	जीवन बीमा पालिसी	42.07	30.68
2.	गैर-जीवन बीमा पालिसी	7.33	6.97
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य

11.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

11.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	34760.99	35722.00
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	10.14%	11.27%

11.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े ऋणियों/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	24608.97	27825.86
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	7.02%	8.35%

11.8.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े ऋणियों/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	58509.47	57375.79
बैंक के कुल ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	11.70%	13.29%

11.8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	3846.67	1482.44

11.9 सेक्टरवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्र.	सेक्टर	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15)		
		कुल बकाया अग्रिम	सकूल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकूल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	38962	2336	6.00	30297	1374	4.54
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के समूह में पात्र क्षेत्र के उद्योगों का ऋण	12030	1347	11.20	15998	1250	7.81
3	सेवाएं	21439	1337	6.24	16837	916	5.44
4	वैयक्तिक ऋण	15609	499	3.20	14392	466	3.24
	उप-योग (ए)	88040	5519	6.27	77524	4006	5.17
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	515	203	39.42	3665	156	4.26
2	उद्योग	122611	16376	13.36	81575	5458	6.69
3	सेवाएं	51112	1780	3.48	85212	3207	3.76
4	वैयक्तिक ऋण	15447	293	1.90	14781	204	1.38
	उप-योग (बी)	189685	18652	9.83	185233	9025	4.87
	योग (ए+बी)	277725	24171	8.70	262757	13031	4.96

उप क्षेत्र, जहां वित्त वर्ष 2015-16 में बकाया अग्रिम, बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक रहा, निम्नानुसार हैं:

क्र.	उप क्षेत्र	क्षेत्र	बकाया	क्षेत्र में कुल अग्रिम से %
1	अनाज उगाना	कृषि	20853	52.82
2	स्टोरेज एवं मार्केट यार्ड	कृषि	2064	5.23
3	विद्युत का संग्रह एवं वितरण	उद्योग	4742	3.52
4	विद्युत उत्पादन	उद्योग	14517	10.78
5	एनबीएफसी सामान्य उद्देश्य ऋण	सेवा	14260	19.66
6	अन्य सभी एनईसी ऋण	वैयक्तिक	5470	17.61
7	स्टाफ के अतिरिक्त आवास ऋण	वैयक्तिक	21019	67.68

11.10 एनपीए का संचरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1 अप्रैल 2015 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	13030.87	9563.74
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये) एनपीए	12952.86	5666.26
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	---	--
उप योग (ए)	25983.73	15230.00
घटाएं:		
(i) उन्नयन	177.73	138.11
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	843.54	1130.31
(iii) अप लेखन	791.58	930.71
उप योग (बी)	1812.85	2199.13
31 मार्च 2016 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	24170.88	13030.87

स्टॉक का तकनीकी अपलेखन

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन खातों का प्रारंभिक शेष	3940.20	3664.81
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	645.68	861.06
iii)	उप-योग (ए)	4585.88	4525.87
iv)	घटाया: पूर्व में खातों में किए गए तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन में वर्ष के दौरान वसूली (बी)	193.98	585.67
v)	अन्तिम शेष (ए-बी)	4391.90	3940.20

11.11 ओवरसीज आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कुल आस्तियां	31639.49	27195.96
कुल एनपीए	1145.58	469.63
कुल राजस्व	986.84	919.99

11.12 बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ बैलेंस शीट नहीं है

11.13 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	338.00
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	65.00
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	-

11.14 क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप:

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप संव्यवहार नहीं किया।

11.15 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	149065.30
20 बड़े इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर्स की कुल राशि	67353.97
बैंक के कुल ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	29.82%
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य

11.16 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
डीईएफ को अन्तरित राशि का प्रारंभिक शेष	610.36	शून्य
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अन्तरित की गयी राशि	122.33	620.58
घटाया : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	27.79	10.22
डीईएफ को अन्तरित राशि का अन्तिम शेष	704.90	610.36

11.17 अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर एक नीति अनुमोदित की है। बैंक नीति बनाते समय फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को जोड़कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए प्रावधान ₹ 33.30 करोड़ (वर्ष 2015 में ₹ 24.98 करोड़) किया गया।

12 तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) :

ए. गुणात्मक प्रकटन:

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएल) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है।

एलसीआर = एचक्यूएलए / 30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए 60% व वर्ष 2016 के लिए 70% निर्धारित की गयी है। एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है।

एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्थिक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें भार रहित अर्थात् विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए। ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं। स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर 1

स्तर-1 आस्तियों में मुख्य रूप से सीआरआर का आधिक्य, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ (एनडीटीएल का 2%) एवं एफएलएलसीआर में कमी (एनडीटीएल का 8%) सहित नकदी शामिल होता है।

स्तर 2ए आस्तियां

स्तर- 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की जाती है। स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से बैंक/ वित्तीय संस्थान/ एनबीएफसी द्वारा जारी न की गयी 20% जोखिम भारित प्रतिभूतियां, बैंक/ वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा जारी न किए गए एए- अथवा उससे ऊपर रेटेड कारपोरेट बांड, एवं एए- अथवा उससे ऊपर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पेपर शामिल होते हैं।

स्तर 2 बी आस्तियां

स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की जाती है। स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होती हैं। स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से कम जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां अर्थात् बीबीबी क्रेडिट रेटिंग से नीचे न हो एवं बैंक/ वित्तीय संस्थान/ एनबीएफसी द्वारा इक्विटी शेयर जारी एवं इंडेक्स कम्पोनेंट न किए गए हों, शामिल होती हैं।

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

वित्त वर्ष 2015-16 के सभी बारह महीनों के लिए अर्थात् अप्रैल-15 से मार्च, 16 तक बैंक का एलसीआर 2015 के कैलेंडर वर्ष की नियामक आवश्यकता के लिए निर्धारित न्यूनतम 60% से अधिक और कैलेंडर वर्ष 2016 के लिए 70% से अधिक रहा।

एचक्यूएलए:

बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां हैं जिससे कि उसका एलसीआर नियामक द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है। स्तर-1 आस्ति एचक्यूएलए का मुख्य चालक है, जिसका बैंक के कुल एचक्यूएलए में लगभग 89% योगदान है।

बहिर्प्रवाह एवं अंतर्प्रवाह:

बैंक में निधियों के लिए विविध स्रोत हैं, जिनमें से खुदरा जमा और जमाराशियां बैंक की निधियों का मुख्य स्रोत हैं। बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रुपये में है।

बी. मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

एलसीआर प्रकटन यथा 31 मार्च, 2016			
		कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	44858.80	43972.18
नकदी बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	175463.59	15721.54
(i)	स्थिर जमा राशियां	36496.41	1824.82
(ii)	घटाया स्थिर जमा राशियां	138967.18	13896.72
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	45606.96	23137.90
(i)	परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	9681.76	2420.44
(ii)	गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	25346.24	10138.49
(iii)	बेजमानती ऋण	10578.97	10578.97
4	जमानती थोक निधियां	6886.80	2957.32
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	16499.48	3768.01
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.35	0.35
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	16499.13	3767.66
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	887.99	887.99
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	32839.83	1601.39
8	कुल नकदी बहिर्प्रवाह	278184.64	48074.15
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	1278.54	0.00
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	2461.00	2461.00
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	17216.04	10761.46
12	कुल नकद बहिर्प्रवाह	20955.58	13222.46
			कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		43972.18
22	कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		34851.69
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		126.17%

31 मार्च, 2016 को तरलता कवरेज अनुपात 126.17% है।

13 अचल आस्तियां:

ए) बैंक द्वारा धारित ₹ 36.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.17 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 5 अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।

बी) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर, 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था। इन पुनर्मूल्यांकनों में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹ 456.59 करोड़ और 30.11.2007 के अनुसार ₹ 1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर ₹ 56.56 करोड़ के मूल्यहास (पिछले वर्ष ₹ 34.62 करोड़) को उसमें से घटाया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व बढ़कर ₹ 1213.10 करोड़ हो गया।

14 धोखाधड़ी के पता लगाये गये/ रिपोर्ट किये गये मामले: (₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	धोखाधड़ी के पता लगाये गये मामलों की संख्या	ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि	31.03.2016 तक बकाया राशि	31.03.2016 तक किया गया प्रावधान	31.03.2016 तक अपरिशोधित प्रावधान
योग	177	1334.40	1267.36	907.75	352.60

15 बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान :

उच्यंत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है।

उसकी लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

16 निवेश :

- 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹ 97.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.43 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया और तत्पश्चात् ₹ 44.85 (पिछले वर्ष ₹ 27.00 करोड़) की राशि को करों के शुद्ध पूंजी आरक्षिती से विनियोजित किया गया है।
- 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के संदर्भ में, जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 5 (ii)(ए) में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹ 134.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 124.07 करोड़) को परिशोधित किया गया है।
- कुल शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/ उद्यम पूंजी कोष में किया गया निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹ 1432.61 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 1200.93 करोड़ रहा)।

17 चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एएस-5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार)।

18 जहां-कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(नितेश रंजन) उप महाप्रबंधक	(विवेक कामत) महाप्रबंधक	(विनोद कथूरिया) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार) निदेशक	(अनिल कुमार मिश्रा) निदेशक	(जगमोहन शर्मा) निदेशक	(डॉ. के रमेश) निदेशक	
(डॉ. आर. एच. ढोलकिया) निदेशक	(जी. के. लाठ) निदेशक	(डॉ. उत्तम कुमार सरकार) निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 314010ई

(एच. के. दत्ता)

भागीदार

(एम.सं. 012208)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142 डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768 डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201 एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497 एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(प्रशांत पांडा)

भागीदार

(एम. सं. 051092)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2016.

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	176,539	278,338
	के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियों पर मूल्य हास	24,411	22,081
	निवेश आस्तियों पर मूल्य हास	15,502	120
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	465,503	266,378
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(93976)	33,386
	अन्य प्रावधान	694	4,125
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	179	39
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	8,404	28,518
	उप योग	597,256	632,985
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	2,585,009	1,919,428
	उधार में वृद्धि / (कमी)	(352832)	237,716
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	32,392	1,332
	निवेश में वृद्धि / (कमी)	472,961	(37100)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1573121)	(2921392)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(810905)	(153894)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल रिफंड)	(78926)	(59023)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	871834	(379948)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल आस्तियों की खरीद	(158313)	(25897)
	अचल आस्तियों की बिक्री	2,279	416
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(156034)	(25481)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	परपेचुअल गैर संचयी प्रिफरेंस शेयरों का कन्वर्जन	0	(11100)
	पीएन सीपीएस कन्वर्जन के पेटे जारी इक्विटी शेयर	0	547
	भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का प्रिफरेंशियल आबंटन	5,166	0
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (निवल शेयर जारी व्यय)	102,726	10,542
	आईपीडीआई, गौण बांड और अपर टायर II बांड पीएनसीपीएस जारी करने से आगम	(87431)	366,621
	लामांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लामांश कर सहित)	(46441)	(30666)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(25980)	335944
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	689820	(69485)
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,237,802	2,307,287
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,927,622	2,237,802
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,506,308	1,841,968
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	731,494	465,319
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,237,802	2,307,287
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,560,472	1,506,308
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,367,150	731,494
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	2,927,622	2,237,802
	(विनोद कथूरिया)	(राकेश सेठी)	(अरुण तिवारी)
	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3, नकदी प्रवाह विवरण के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 13 मई, 2016 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है।

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार
(एम.सं. 012208)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(आदित्य कुमार)
भागीदार
(एम. सं. 506955)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(तनसुख छेड़ा)
भागीदार
(एम. सं. 047157)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई
(प्रशांत पांडा)
भागीदार
(एम. सं. 051092)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2016.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति- निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक), इसकी सहायक कम्पनी, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रम (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस), जिसमें 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना, शामिल है का लेखा परीक्षण किया है।
- इन कार्पोरेट वित्तीय विवरणों में शामिल है:
 - हमने बैंक के खातों की लेखापरीक्षा की तथा हमारी, 13 मई, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2016 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 404,696 करोड़ रही एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 35,831 करोड़, लाभ ₹ 1,352 करोड़ तथा शुद्ध नकदी अंतर्प्रवाह ₹ 6,898 करोड़ रहा।
 - अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तीन सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2016 को कुल आस्तियों में समूह का अंश रु 2,669 करोड़ तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व में समूह का अंश ₹ 419 करोड़ एवं कुल नकदी अंतर्प्रवाह में समूह का अंश ₹ 116 करोड़ रहा।
 - एक एसोसिएट के गैर-लेखापरीक्षित खातों से स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एसोसिएट के लाभ में समूह का अंश ₹ 4.52 करोड़ रहा।समूह की संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, अनुसूची 18-लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध हैं, जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का अंश हैं।
- हमने बैंक की सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रम की लेखापरीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण हमें प्रेषित किए गए हैं तथा इसमें अन्य संस्थाओं से संबंधित शामिल राशि के संबंध में हमारा अभिमत पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- हमने 1(एक) एसोसिएट के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखामानक 21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखामानक 23 'समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत एसोसिएट में निवेश हेतु लेखांकन' तथा लेखामानक 27 'संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं एवं भारत में सामान्य स्तर से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसूच बैंक के वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाहों की सही एवं न्यायोचित स्थिति प्रकट करते हैं। इसमें वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है।
- किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये समूह की तैयारी और समेकित वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर, न कि बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करने के उद्देश्य

से, विचार करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में समूह की संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

8. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं.
9. बैंक की सहायक कंपनियों/ संयुक्त उपक्रम/ एसोसिएट के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्टें एवं प्रबंधन प्रमाणन हमें प्रेषित किए गए हैं तथा रिपोर्ट तैयार करने में मान्य पद्धति का अनुपालन किया गया है. इसमें अन्य संस्थाओं से संबंधित शामिल राशि के संबंध में हमारा अभिमत पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

सम्मति

10. उपर्युक्त पैरा 1 से 9 तक उल्लिखित सीमाओं के अधधीन हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों के पृथक वित्तीय विवरणों, एक एसोसिएट के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर संलग्न कार्पोरेट वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखामानकों के अनुस्र सही व उचित स्थिति दर्शाते हैं:

ए. यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक के कार्यकलापों के समेकित तुलन पत्र के संबंध में

बी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के संबंध में, एवं

सी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाहों के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में .

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 314010ई

(एन. सी. कोनार)

भागीदार

(एम.सं.052892)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.104768डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)

भागीदार

(एम. सं. 084205)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(योगेश अमल)

भागीदार

(एम. सं. 111636)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(टी एस सदाशिवम)

भागीदार

(एम. सं. 081684)

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26 मई, 2016.

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2016 के अनुसार

(₹ 000 में)

	अनुसूची	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
पूंजी एवं दायित्व			
पूंजी	1	6,87,44,11	6,35,77,88
आरक्षित एवं आधिक्य	2	2,23,60,67,17	1,92,63,38,63
अल्पमत हिस्सेदारी	2A	-	8,80,81
जमाराशियां	3	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
उधार	4	3,06,36,61,48	3,51,67,99,79
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	95,62,32,69	1,10,42,63,65
कुल		40,73,64,56,36	38,35,68,95,00
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	1,56,06,91,64	1,50,63,86,83
बैंक में जमा शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1,40,09,88,93	75,39,13,95
निवेश	8	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35
अग्रिम	9	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
अचल अस्तियां	10	39,51,85,47	26,94,42,94
अन्य आस्तियां	11	1,49,73,12,52	1,65,32,24,26
कुल		40,73,64,56,36	38,35,68,95,00
संभाव्य देयतायें			
संग्रहण के लिये बिल	12	39,74,37,13,90	34,91,05,32,69
प्रमुख लेखा नीतियां	17	1,50,30,34,09	1,37,00,54,08
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(धीरेन्द्र जैन)
सहायक महाप्रबंधक

(विवेक कामत)
महाप्रबंधक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राकेश सेठी)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(मिहिर कुमार)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(जग मोहन शर्मा)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोलकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एन. सी. कोनार)
भागीदार
(एम.सं.052892)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.104768डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(टी एस सदाशिवम)
भागीदार
(एम. सं. 081684)

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2016.

समेकित लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये

(₹ 000 में)

	अनुसूची	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	3,23,15,66,64	3,21,64,27,96
अन्य आय	14	39,34,43,52	39,57,11,67
कुल		3,62,50,10,16	3,61,21,39,63
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	2,38,94,04,33	2,36,39,54,74
परिचालन व्यय	16	67,15,91,85	66,83,27,39
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		42,97,24,63	40,41,11,69
कुल		3,49,07,20,81	3,43,63,93,82
III. सहायक कंपनियों में अल्पहित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ		13,42,89,35	17,57,45,81
जोड़:-सहायक कंपनियों में लाभ का अंश		4,51,99	13,41,73
अल्पसंख्यक शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ		13,47,41,34	17,70,87,54
(घटाया) अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा		(9,02,98)	(10,36,06)
समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ		13,56,44,32	17,60,51,48
जोड़ : आगे लाया गया लाभ		41,62	41,02
विनियोजन के लिये उपलब्ध राशि		13,56,85,94	17,60,92,50
IV. विनियोजन			
कानूनी आरक्षित को अंतरण		4,05,50,00	5,34,50,00
पूँजी आरक्षित को अंतरण		44,84,70	26,99,74
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		5,53,01,09	5,34,84,53
प्रस्तावित लाभांश		1,34,05,10	3,81,46,73
लाभांश कर		27,44,69	77,41,53
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		1,92,00,00	2,00,00,00
पीएनसीपीएस पर लाभांश के लिए प्रावधान		0	5,28,35
लाभ व हानि लेखे में शेष		36	41,62
कुल		13,56,85,94	17,60,92,50
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाईल्यूटेड) (रु.में)	18	20.50	27.67
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन) सहायक महाप्रबंधक	(विवेक कामत) महाप्रबंधक	(विनोद कथूरिया) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार) निदेशक	(अनिल कुमार मिश्रा) निदेशक	(जग मोहन शर्मा) निदेशक	(डॉ. के रमेश) निदेशक	
(डॉ. आर. एच. ढोलकिया) निदेशक	(जी. के. लाठ) निदेशक	(डॉ. उत्तम कुमार सरकार) निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एन. सी. कोनार)
भागीदार
(एम.सं.052892)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.104768डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(टी एस सदाशिवम)
भागीदार
(एम. सं. 081684)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2016.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(₹ 000 में)	
		यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
अनुसूची 1 - पूंजी :			
I.	प्राधिकृत :		
i.	₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	30,00,00,00	30,00,00,00
II.	निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :		
i.	₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 43,61,06,597 इक्विटी शेयर प्रत्येक, केंद्रीय सरकार द्वारा धारित (गत वर्ष 38,44,44,316 इक्विटी शेयर)	4,36,10,66	3,84,44,43
ii.	₹ 10/- प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयर 251,334,520 प्रत्येक, जनता द्वारा धारित (गत वर्ष इक्विटी शेयर 251,334,520)	2,51,33,45	2,51,33,45
	कुल	6,87,44,11	6,35,77,88
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :			
I.	कानूनी आरक्षित :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	61,26,36,10	55,91,86,10
	वर्ष के दौरान वृद्धि	4,05,50,00	5,34,50,00
		65,31,86,10	61,26,36,10
II.	ए) पूंजी आरक्षित :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,03,25,13	7,76,25,39
	वर्ष के दौरान वृद्धि	44,84,70	26,99,74
		8,48,09,83	8,03,25,13
II.	बी) समेकन पर पूंजी आरक्षित	56,95,00	56,95,00
III.	शेयर प्रीमियम :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	34,57,12,14	33,51,70,50
	वर्ष के दौरान वृद्धि	10,27,25,77	1,05,41,64
		44,84,37,91	34,57,12,14
IV.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,24,70,51	14,59,33,73
	वर्ष के दौरान वृद्धि	12,13,09,62	-
	वर्ष के दौरान कमी	56,56,41	34,63,22
		25,81,23,72	14,24,70,51
V.	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :		
i)	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	48,41,48,82	41,14,03,48
	*वर्ष के दौरान वृद्धि	5,54,96,80	7,27,45,34
	वर्ष के दौरान कमी	3,52,62,25	-
	घटाया:- अल्पमत हिसेदारी	22,16	-
		50,43,61,21	48,41,48,82
	* समेकन समायोजन के बाद निवल		
ii)	विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	24,98,00,00	22,98,00,00
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1,92,00,00	2,00,00,00
		26,90,00,00	24,98,00,00
iii)	विदेशी मुद्रा		
	परिवर्तन आरक्षित निधियां पिछले तुलन पत्र के अनुसार	55,09,31	47,57,41
	वर्ष के दौरान वृद्धि	69,43,73	7,51,90
	वर्ष के दौरान कमी	-	-
	कुल	1,24,53,04	55,09,31
VI.	लाभ-हानि खाते में शेष	2,23,60,67,17	1,92,63,38,63
	कुल	223,606,717	192,633,863

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
अनुसूची 2 ए- अल्पमत हिस्सेदारी :		
प्रारंभिक शेष	8,80,81	1,916,87
जोड़े/(घटाये):- वर्ष के दौरान (वृद्धि)/कमी	(8,80,81)	(10,36,06)
कुल अल्पमत हिस्सेदारी	-	8,80,81
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		
I. मांग जमाराशियां		
i) बैंकों से	5,54,44,05	6,10,07,08
ii) अन्यो से	2,92,36,14,44	2,04,95,57,28
II. बचत बैंक जमाराशियां	8,11,43,32,08	7,15,65,22,42
III. मियादी जमाराशियां		
i) बैंकों से	1,07,57,99,48	1,33,03,70,78
ii) अन्यो से	22,24,25,60,85	21,14,75,76,68
कुल	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां	33,60,58,19,23	31,22,12,25,34
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	80,59,31,68	52,38,08,90
कुल	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
i. शाश्वत बांड	10,39,61,00	10,39,61,00
ii. अपर टियर II बांड	22,50,00,00	22,50,00,00
iii. टियर II बांड	52,00,00,00	52,50,00,00
बी) भारत में उधार		
ii. अन्य बैंक	4,14,15,39	7,00,00,00
iii. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियां	12,52,60,08	44,95,07,39
सी) भारत से बाहर उधार	2,04,80,25,01	2,14,33,31,40
कुल	3,06,36,61,48	3,51,67,99,79
उपर्युक्त (बी)I एवं (बी) II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	9,56,19,34	33,72,28,20
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान :		
I. देय बिल	17,45,34,68	11,67,92,29
II. उपचित ब्याज	10,36,28,33	9,20,12,76
VI. आस्थगित कर देयताएँ	-	4,52,23,52
VII. अन्य(प्रावधान सहित)	67,80,69,68	85,02,35,08
कुल	95,62,32,69	1,10,42,63,65

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जमाशेष :		
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)	11,27,00,95	1,00,772,07
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में	1,44,79,90,69	1,40,56,14,76
कुल	1,56,06,91,64	1,50,63,86,83
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I. भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	59,37,32	21,681,37
बी) अन्य जमाखातों में	35,64,79,43	16,66,60,98
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों के साथ	3,00,00,00	0
बी) अन्य संस्थानों के साथ	20,45,91	0
	39,44,62,66	18,83,42,35
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	25,66,91,10	2,90,85,81
ii) अन्य जमाखातों में	74,56,83,48	53,64,85,79
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त धन	41,51,69	0
	1,00,65,26,27	5,55,71,60
कुल	1,40,09,88,93	75,39,13,95
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	7,19,43,28,58	7,30,65,91,15
ii) अन्य अनुमोदित अनुभूतियां	1,86,37,41	1,61,58,51
iii) शेयर	16,38,09,25	14,31,03,98
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,35,93,61,39	83,94,11,82
v) सहायक कं. एवं संयुक्त उद्यम	1,82,39,46	1,996,942
vi) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	1,43,30,28	-
- अन्य	1,81,82,11	2,06,87,85
- म्युचुअल फंड	8,860,478	9,23,76,88
- आर्गिंसल की प्रतिभूति रसीद	5,80,61,08	5,98,22,60
	8,93,35,54,34	8,49,81,22,21
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां(स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	6,74,06,42	3,69,31,34
i) शेयर	40,32	40,32
iii) अन्य निवेश (बॉण्ड)	5,63,20,30	4,67,21,48
iv) सहायक कं. एवं संयुक्त उद्यम	-	-
	12,37,67,04	8,36,93,14
कुल	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35
III. भारत में निवेश		
सकल मूल्य	8,98,89,34,46	8,53,85,74,40
घटायें: मूल्यहास हेतु प्रावधान	5,53,80,12	4,04,52,19
भारत में निवेश का निवल मूल्य	8,93,35,54,34	8,49,81,22,21
IV) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य	12,37,67,04	8,36,93,14
घटायें: मूल्यहास हेतु प्रावधान	0	0
भारत से बाहर निवेश का निवल मूल्य	12,37,67,04	8,36,93,14
कुल	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
अनुसूची 9 - अग्रिम		
I. i) खरीदे और भुनाये गये बिल	82,30,60,56	78,16,22,46
ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	13,16,67,36,84	12,10,47,43,83
iii) मियादी ऋण	12,83,51,59,02	12,70,57,45,38
कुल	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
II. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	22,00,88,01,99	20,77,32,43,89
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	1,29,10,52,85	1,56,40,53,05
iii) अप्रतिभूत	3,52,51,01,58	3,25,48,14,73
कुल	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
ए. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	9,50,48,45,13	8,58,55,17,72
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,33,12,66,33	1,35,00,91,37
iii) बैंक	5,22,93,76	42,62,72,89
iv) अन्य	13,23,23,36,13	13,05,39,40,50
कुल	24,12,07,41,35	23,41,58,22,48
बी. भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	76,51,56,14	55,85,82,66
ii) अन्य से देय	-	-
ए) खरीदे और भुनाये गये बिल	44,99,00,97	34,07,80,03
बी) सिंडीकेट किए गए ऋण	8,53,21,66	8,32,98,36
सी) अन्य	1,40,38,36,30	1,19,36,28,14
	2,70,42,15,07	2,17,62,89,19
कुल	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां		
ए. मूर्त आस्तियां		
I. परिसर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	24,23,25,14	23,70,61,34
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,04,86,84	52,65,19
	37,28,11,98	24,23,26,53
वर्ष के दौरान कमी	6,79,08,53	1,39
	30,49,03,45	24,23,25,14
घटायें: आज की तारीख तक मूल्यहास	2,49,66	6,01,58,67
	30,46,53,79	18,21,66,47
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	4,28,92	1,07,92
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,81,26	46,71,44
वर्ष के दौरान कमी	1,57,56	43,50,44
	12,52,62	4,28,92
III. भूमि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	61,66,84	49,82,97
वर्ष के दौरान वृद्धि	11,01,21	11,83,87
वर्ष के दौरान कमी	-	-
	72,68,05	61,66,84
घटायें: आज की तारीख तक मूल्यहास	3,80,37	3,04,84
	68,87,68	58,62,00

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2016

यथा 31.3.2015

IV. अन्य अचल संपत्तियां			
(फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)			
ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52	26,53,52	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	
वर्ष के दौरान कमी	-	-	
	26,53,52	26,53,52	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	26,53,52	26,53,52	-
बी) अन्य			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत /	20,91,42,78	18,77,09,24	
मूल्यांकन पर			
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,39,83,27	2,65,15,81	
	23,31,26,05	21,42,25,05	
वर्ष के दौरान कमी	65,30,65	50,82,27	
	22,65,95,40	20,91,42,78	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	14,67,33,56	13,09,30,95	7,821,183
बी. अमूर्त आस्तियां			
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,90,62,92	1,77,39,71	
वर्ष के दौरान वृद्धि	23,71,76	13,23,21	
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1,34	-	
	214,33,34	19,06,292	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,89,03,80	1,62,89,19	27,73,73
कुल	39,51,85,47	26,94,42,95	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :			
I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	19,67,49,20	15,73,74,40	
II. उपचित ब्याज	23,14,47,37	23,97,48,99	
III. प्रदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	16,23	15,25	
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	3,74,87	1,85,77	
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	3,90	3,90	
VI. आस्थगित कर आस्तियां	4,18,59,06	3,05,48	
VII. अन्य	1,02,68,61,89	1,25,55,90,47	
कुल	1,49,73,12,52	1,65,32,24,26	
अनुसूची 12 - संभाव्य देयतायें :			
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के स्तर में स्वीकार नहीं किया गया है	38,59,06,85	35,93,30,65	
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिये देयतायें	59,20	59,20	
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें	34,74,37,04,38	29,61,70,42,69	
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां			
i) भारत में	1,36,49,82,25	2,27,16,05,69	
ii) भारत से बाहर	3,22,71,60	3,63,18,51	
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें	2,74,60,11,35	2,50,41,15,21	
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक आकस्मिक स्तर से उत्तरदायी है	37,17,92,28	51,32,44	
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	2,84,95,99	6,33,68,54	
ii) डीईएलएफ योजना 2014 में अंतरित की गई राशि	7,04,90,00	6,10,35,57	
कुल	39,74,37,13,90	34,91,80,08,50	

31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,36,84,48,50	2,39,82,57,48
II. निवेशों पर आय	76,23,69,96	72,56,88,62
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	8,18,02,59	6,77,02,51
IV. अन्य	1,89,45,59	2,47,79,35
कुल	3,23,15,66,64	3,21,64,27,96
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	3,98,58,72	3,81,50,68
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ- (निवल)	8,76,28,48	8,61,74,40
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / हानि (निवल)	(1,79,14)	(39,45)
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ- (निवल)	9,77,60,93	9,71,67,49
VI. विविध आय	16,83,74,53	17,42,58,55
कुल	39,34,43,52	39,57,11,67
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	2,20,77,16,22	2,16,23,99,49
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	5,49,42,62	6,06,71,81
III. अन्य	12,67,45,49	14,08,83,44
कुल	2,38,94,04,33	2,36,39,54,74
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	37,68,05,35	38,44,63,34
II. किराया , कर और प्रकाश	4,81,78,59	4,38,21,98
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	52,32,70	52,66,66
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	72,63,43	71,20,13
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,48,97,89	2,25,11,71
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	3,93,18	3,77,69
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	71,83	59,23
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	35,64,30	34,90,03
IX. विधि प्रभार	25,39,88	22,44,26
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	77,28,56	66,92,06
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,16,23,81	1,06,62,29
XII. बीमा	3,15,39,57	2,76,73,77
XIII. अन्य खर्च	15,17,52,76	15,39,44,24
कुल	67,15,91,85	66,83,27,39

वर्ष 2015-2016 के लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1 लेखा पद्धति

ये वित्तीय विवरण, जहां तक लागू हों, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबे), बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशा निर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है, के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसूच, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं

2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात/सारवान हैं।

3. समेकन का आधार

3.1 निम्न के आधार पर समूह का समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) (जिसमें 3 सहायक, 1 एसोसिएट व 1 संयुक्त उपक्रम शामिल है) बनाया गया :

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के अंकेक्षित वित्तीय विवरण
- अंतर -समूह / संव्यवहारों को हटाने के बाद, परिसम्पत्ति, देयताओं, आय व व्यय की प्रत्येक मद का, आईसीआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 21 के अनुसार, “उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षित, सहायकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि “समेकित वित्तीय विवरणों” का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ समूहन,
- आईसीआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट’ में निवेश हेतु लेखांकन के आधार पर इक्विटी पद्धति के अंतर्गत ‘एसोसिएट’ में निवेश हेतु लेखांकन.
- संयुक्त उपक्रम का समेकन - “आईसीआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 27” के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन.

3.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में, मूल लेखांकन के अनुसार जहां कहीं आवश्यक एवं व्यवहार्य है, सब्सीडियरी, संयुक्त उपक्रम एवं एसोसियेट्स के वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है.

3.3 सहायकों में समूह का अपना निवेश व सहायकों में समूह का इक्विटी का भाग के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व के रूप में पहचाना गया

है.

3.4 समेकित सहायकों के शुद्ध परिसम्पत्तियों में अल्प हिस्सेदारी शामिल है:

- सहायक में निवेश की तिथि पर माइनारिटी में इक्विटी एट्रीब्यूटेबल की राशि एवं
- जबसे मूल संस्था व सहायक का संबंध अस्तित्व में आया है राजस्व रिजर्व / हानि एवं इक्विटी में गतिविधियों का माइनोरिटी अंश .
- आधिक्य एवं अल्पसंख्यक में लागू आगे किसी हानि का, अल्प संख्यक के बराबर मात्रा के अतिरिक्त अनिवार्य जिम्मेदारी, जितनी क्षति के लिए पात्र हैं, को बड़े ब्याज के पेटे समायोजन किया जाता है

4 राजस्व की पहचान

4.1 बैंकिंग संस्थाएं

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.
- गैर निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है.
- अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.
बी. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.
- जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई हैं.

4.2 गैर - बैंकिंग स्थिति

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर के बाद निवल) जब देय है तब आय के रूप में पहचाना गया है. लिंकड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की गई तब प्रीमियम के रूप में पहचाना गया है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रूप में लिया गया है. कालातीत पालिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में पहचाना गया है, जब पालिसियां बहाल हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब

परिवर्तित किया गया है, जब पुनर्बीमा के रूप में परिवर्तित हुआ है।

ii) **लिंकड फण्ड से आय**

लिंकड फण्ड से आय में प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल हैं जिसे जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड कोष से वसूल किया गया है।

iii) **पुनर्बीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है।

iv) **लाभों का भुगतान (दावों सहित)**

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है तो शामिल की गई है। मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है। उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना की गई है। लिंकड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण को जब एसोसिएट यूनिट्स निरस्त हुए हैं तब संबंधित योजना में गणना की गई है। दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावे हैं।

v) **अभिग्रहण लागत**

अभिग्रहण लागत वह लागत है जिसमें घटना - बढ़ना जारी रहता है और प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अभिग्रहण से संबंधित है और उसी अवधि में खर्च किए गए जिस अवधि से संबंधित है।

vi) **जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूरिस ऑफ इंडिया के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनकी प्रीमियम बंद हो चुकी है लेकिन देयता अस्तित्व में है नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में अनार्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा पता लगाया गया है।

आस्ति प्रबंधन

- निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजना (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत के रूप में इस प्रकार पहचान की गई कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- निवेश सलाहकारी शुल्क को ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर पहचान की गई है।
- ब्याज आय को समय अनुपात पद्धति का उपयोग करते हुए,

संव्यवहार में निहित दर के आधार पर पहचान की गई है

- लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया है।

5 निवेश

5.1 वर्गीकरण

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्राप्ति ए की अपेक्षाओं के अनुसार, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है
ए) सरकारी प्रतिभूतियां
बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर
डी) ऋणपत्र एवं बांड
ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
एफ) अन्य निवेश
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:
ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), और
सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

5.2 मूल्यांकन का आधार :

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

- “एचटीएम” में रखी गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर :
अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है
- अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
- “एएफएस” व “एचएफटी” श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी

प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

vi) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

i	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार.
ii	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड	एफ आई एम एम डी ए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर.
iii	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर रु1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
iv	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
v	ऋण पत्र/बांड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
vi	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii	राजकोक्षीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
viii	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु1/- प्रति वीसीएफ.
ix	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

5.3 अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

5.4 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

5.4.1 विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, हास है, तो लगाया गया है.

5.4.2 परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

➤ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

➤ यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

5.4.3 विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

5.4.4 इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

5.5 गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान किया गया है.

5.6 किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

5.7 प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

5.8 भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडरई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

- 7.1 भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है . ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त होंगे, लागू होंगे.
- 7.2 अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.
- 7.3 मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

8 स्थायी आस्तियां एवं मूल्यहास

- 8.1 परिसर तथा अन्य स्थायी आस्तियों को, मूल्यहास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है. इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा हास की राशि उसमें से घटाई जाती है.
- 8.2 अचल आस्तियों के मूल्यहास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

	आस्ति का प्रकार	मूल्य हास की दर
I.	परिसर	5%
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रॉंग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू पी एस. उपकरण	33.33%
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

- 8.3 अप्लीकेशन साफ्टवेयर को पूंजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर पर हास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भारिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर हास लगाया जाता है.
- 8.4 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यहास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है
- 8.5 भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है
- 8.6 वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है.
- 8.7 पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाई गई हैं.
- 8.8 देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सबसीडियरी/एसोसियेट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुसार मूल्यहास लगाया जाता है.

9 आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती.

10 प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

11 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

- 11.1 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाईयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

11.2 एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.2.1 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

11.2.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

11.2.3 गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं.

11.2.4 परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

11.2.5 वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

11.3 गैर -एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.3.1 आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

11.3.2 विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है.

11.3.3 आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

11.3.4 परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग “विदेशी मुद्र लेखा रिजर्व” खाते में रखा जाता है.

12 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के

लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

ग्रेज्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है.

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए, परिभाषित ‘अंशदायी योजना’ नामक नई पेंशन योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है.

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

13 खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है.

कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

14 लीज संयवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है.

15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर लिया जाता है.

प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

16 कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो . वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है.

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है जब

पिछली घटनाओं के परिणाम स्वस्थ वर्तमान देयताएं हों, ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जासकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

18 शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

वर्ष 2015-2016 के लिए लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 18: लेखों पर नोट्स

- 1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कम्पनियों के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कम्पनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2016 को बैंक (पैरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा.लि.	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	51%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि.	यूनाईटेड किंगडम	100%

- 2 समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं :

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. (गैर बैंकिंग))	भारत	26%

- 3 समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं :

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2016 को बैंक द्वारा किए गए निवेशों का मूल्य ₹189.96 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप शामिल किया गया है।

फ्रेमवर्क के अनुसार पूँजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	सामान्य इक्विटी टायर-I पूँजी अनुपात (सीईटी 1) (%)		
	बेसल II	शून्य	शून्य
	बेसल III	8.00	7.26
ii)	टायर -I पूँजी अनुपात (%)		
	बेसल II	8.29	7.66
	बेसल III	8.20	7.53

- 4 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं, वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं, जिस अवधि यथा 31 मार्च 2016, के वित्तीय विवरण बैंक (पैरेंट) के हैं।

- 5 देशी एसोसिएट/ सहायक कम्पनियों के मामले में, पैरेंट बैंक और एसोसिएट/ सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाई गई अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/ सहायक कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर नहीं किये गये हैं, क्योंकि राशियां बहुत कम हैं।

- 6 समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दार्ज इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., केबीसी असेट मैनेजमेंट, यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा.लि., यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि. लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और काशी गोमती संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

- 7 उच्चत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है और यह सतत जारी है।

प्रबंधन के विचार से अंतिम समाधान के लंबित रहने का लेखों पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है।

- 8 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:

8.1 ए. पूँजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बेसल III के 31 मार्च, 2019 तक कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टायर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टायर (सीईटी I) एवं अतिरिक्त टायर-I से बनी है।

बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2016 तक पूँजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के 9 तक, जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 5.5 % एवं न्यूनतम टायर-I सीआरएआर 7 तक लाना आवश्यक है।

iii)	टायर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	2.90	3.18
	बेसल III	2.42	2.71
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)		
	बेसल II	11.19	10.83
	बेसल III	10.62	10.24
v)	भारत सरकार की शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	63.44	60.47
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	51.66	5.47
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टायर -I पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	---	---
Viii)	उगाही गई टायर - II पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	1000.00	--
	इसमें से ऋण पूंजी लिखत: (₹ करोड़ में)	1000.00	--

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा भारत सरकार को ₹10 प्रति इक्विटी शेयर वाले 5,16,62,281 शेयर ₹209.05 प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य से (जिसमें ₹199.05 प्रति शेयर का प्रीमियम भी शामिल है) आबंटित किए गए, जिससे भारत सरकार की शेयरधारिता 60.47% से बढ़कर 63.44% हो गई.

8.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों और आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	31.03.2016	31.03.2015
निवेश पर मूल्यहास के लिये प्रावधान/ (प्रति प्रविष्टि)	149.28	(37.62)
एनपीए के लिये प्रावधान	4655.03	2536.67
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान/ (प्रति प्रविष्टि)	(107.47)	239.81
आयकर (आईटी) के लिये प्रावधान/ धन कर/		
आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	415.07	1000.00
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं :		
- शिफ्टिंग हानि	5.74	38.82
- पुनर्संचयित अग्रिम	(623.25)	127.11
- अन्य	(197.15)	136.33
योग	4297.25	4041.12

8.3 काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रावधान (पैरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	293.20	511.21
ii)	लेखा वर्ष में किया गया अतिरिक्त प्रावधान	0.00	75.18
iii)	लेखा वर्ष में ड्रॉ डाउन की गई राशि	0.00	293.19
iv)	31.03.2016 को लेखाबंदी शेष	293.20	293.20

विवरण		31.03.2016		31.03.2015	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारिणी :				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	1,088.16	8,218.43	1060.13	6683.81
	ब्याज लागत	83.52	638.22	95.66	616.32
	चालू सेवा लागत,	50.12	150.00	45.13	190.73
	पिछली सेवा लागत (परिशोधित निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी से अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी को अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/ हानि	74.53	1,293.35	47.24	1179.57
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,110.33	9,619.00	1088.16	8218.43
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारिणी :				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,264.00	7,861.00	1081.23	6104.73
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	105.21	777.24	96.74	630.38
	अंशदान	38.26	1,413.35	208.00	1367.00
	अन्य कम्पनियों से अंतरित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनियों को अंतरित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	29.80	155.11	38.03	210.89
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(44.73)	(1,138.24)	-9.21	-968.68
iii)	संक्रमणकालीन देयताओं की पहचान :				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :				
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	105.21	777.24	96.74	630.38
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	29.80	155.11	38.03	210.89
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	135.01	932.35	134.77	841.27
v)	आय विवरण में पहचाने गये व्यय :				
	चालू सेवा लागत	50.12	150.00	45.13	90.73
	ब्याज लागत	83.52	638.22	95.66	616.32
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(105.21)	(777.24)	-96.74	-630.38
	पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधित)	शून्य	शून्य	65.00	338.00
	पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	44.73	1,138.24	9.21	968.68
	लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	73.16	1,149.22	118.26	1483.35

विवरण		31.03.2016		31.03.2015	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
vi)	तुलन पत्र समाधान : प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन पत्र में चिन्हित निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय अन्य कम्पनियों से अंतरण (शुद्ध) अन्य कम्पनियों को अंतरित (शुद्ध) नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में चिन्हित राशि	(175.84) 73.16 शून्य शून्य (38.26) (140.94)	357.43 1,149.22 शून्य शून्य (1,413.35) 93.30	-86.10 118.26 शून्य शून्य -208.00 -175.84	241.08 1483.35 शून्य शून्य -1367.00 357.43
vii)	अन्य विवरण : पेंशन प्रत्येक वर्ष के लिए 1/66 वेतन की दर से देय है; बशर्ते अधिकतम राशि 50% या बैंक की योजना अनुसार है. उपदान सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये 15 दिन के वेतन की दर पर देय है; बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹10,00,000/- या बैंक की योजना के अनुसार हो. चालू वर्ष में लेखांकित बीमांकिक लाभ/ हानि कम्पनी की सलाह पर वेतन बढ़ोत्तरी की गई. जो कर्मचारियों की पदोन्नति और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक व्यवहार के अनुरूप है. सदस्यों की संख्या वेतन प्रति माह अगले वर्ष के लिये अंशदान	35,716.00 148.54 शून्य	19,670.00 107.98 349.86	35646 135.34 शून्य	21337 97.37 315.48
viii)	आस्तियों का संवर्ग: भारत सरकार आस्तियां कॉर्पोरेट बांड विशेष जमा योजना राज्य सरकार संपत्ति अन्य बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां योग	146.02 267.72 शून्य 443.41 शून्य 90.39 303.73 1,251.27	473.14 1532.83 शून्य 2442.38 शून्य 974.77 4102.58 9,525.70	146.02 385.01 शून्य 434.50 शून्य 40.47 258.00 1264.00	473.14 1879.80 शून्य 2390.20 शून्य 214.74 2903.12 7861.00
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%) पिछली डिस्काउंट दर पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर पिछली वेतन वृद्धि पिछली एट्रीशन दर चालू डिस्काउंट दर चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर चालू वेतन वृद्धि चालू एट्रीशन दर	7.99 8.70 5.00 2.00 8.04 8.04 5.00 2.00	7.95 8.70 5.00 2.00 8.06 8.06 5.00 2.00	9.33 8.00 5.00 2.00 7.99 8.70 5.00 2.00	9.27 8.70 5.00 2.00 7.95 8.70 5.00 2.00

योजना में अधिशेष/ कमी:	ग्रेच्युटी योजना				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
वर्ष के अंत में देयताएं	1,110.33	1088.16	1060.13	1000.86	990.55
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,251.27	1264.00	1081.23	1037.22	861.28
अंतर	140.94	175.84	21.10	36.36	-129.27
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	65.00	130.00	195.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	140.94	175.84	86.10	166.36	65.73

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	ग्रेच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन योजना	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	शून्य	(21.18)	123.74	21.60	95.09
योजना आस्तियों पर (लाभ)/ हानि	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)	(0.80)

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
वर्ष के अंत में देयता	9,619.00	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9,525.70	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00
अंतर	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)
अज्ञात गत सेवा लागत	शून्य	शून्य	338.00	761.00	1014.17
अज्ञात संक्रमण देयता राशि					
अंतिम शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)	(224.86)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	1399.16	731.44	661.38	251.18	511.13
योजना आस्तियों पर (हानि)/ लाभ	155.11	210.89	-233.23	-103.10	-145.15

बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2010 के बाद नियुक्त किये गये सभी संवर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी तथा डेवलपमेंट अथॉरिटी के संरक्षण में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा संचालित की जा रही है। नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी को एनपीएस के रिकॉर्ड के रख-रखाव हेतु सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के स्तर में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस में ₹58.52 करोड़ (पिछले वर्ष 42.44 ₹ करोड़) का योगदान दिया गया।

9.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिये किये गये प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2016	31.03.2015
1.	पेंशन	1149	1483
2.	अवकाश नकदीकरण	75	68
3.	अवकाश किराया रियायत	10	9
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

10वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के अंतिम कार्यान्वयन पर वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपवाद मदों के स्तर में ₹79 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें पूर्व के वर्षों की वेतन की बकाया राशि शामिल है।

अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं : (पैरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	338.00
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	-
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	65.00
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	-

10 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

10.1 क्षेत्रवार कारोबार:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार: कारोबार		स्टैंड अलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.16	31.12.15	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
(ए)	क्षेत्रवार: राजस्व							
1	ट्रेजरी परिचालन	2503.37	2567.08	2624.40	10177.19	9457.35	10177.19	9457.35
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3309.08	2363.45	2550.30	10221.26	10096.56	10221.26	10096.56
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3016.78	3824.94	4121.28	15236.62	15733.95	15236.62	15733.95
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	78.98	63.56	98.76	264.76	342.36	264.76	342.36
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56	514.44
	योग	8908.21	8819.03	9394.74	35899.83	35630.22	36319.39	36144.66
	अंतर क्षेत्र राजस्व घटायें	23.80	16.97	11.03	69.29	23.26	69.29	23.26
	कुल राजस्व	8884.41	8802.06	9383.71	35830.54	35606.96	36250.10	36121.40
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम							
1	ट्रेजरी परिचालन	619.96	646.88	641.87	2146.01	1902.99	2146.01	1902.99
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	205.23	161.73	575.20	667.62	1216.99	667.62	1216.99
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	-1014.94	-741.56	-624.56	-1173.31	-503.19	-1173.31	-503.19
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	34.70	29.45	49.84	125.07	166.59	125.07	166.59
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	-25.92
	कर से पूर्व कुल लाभ	(155.05)	96.50	642.35	1765.39	2783.38	1771.52	2757.46
(सी)	आयकर	(251.18)	17.96	198.58	413.77	1001.74	415.08	1000.00

क्षेत्रवार: कारोबार		स्टैंड अलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.16	31.12.15	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
(डी)	शुद्ध लाभ	96.13	78.54	443.77	1351.60	1781.64	1342.89	1757.46
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां							
1	ट्रेजरी परिचालन	124187.02	125032.19	113440.55	124187.02	113440.55	124187.02	113440.55
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	93320.72	118148.19	107285.95	93320.72	107285.95	93320.72	107285.95
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	183281.67	144431.52	156474.27	183281.67	156474.27	183281.67	156474.27
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	अनाबंटित आस्तियां	3906.49	3208.08	4415.16	3906.49	4415.16	6575.15	6368.18
	योग	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93	407364.56	383568.95
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएँ							
1	ट्रेजरी परिचालन	117469.24	117914.52	107654.06	117469.24	107654.06	117469.24	107654.06
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	88934.90	112434.00	102760.57	88934.90	102760.57	88934.90	102760.57
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	174667.92	137446.14	149874.09	174667.92	149874.09	174667.92	149874.09
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	गैर निर्धारित देयताएँ	732.63	950.89	1565.18	732.63	1565.18	3244.17	3381.06
6	पूँजी, आरक्षित एवं अधिशेष	22891.21	22074.43	19762.03	22891.21	19762.03	23048.33	19899.17
	योग	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93	407364.56	383568.95

टिप्पणियां:

- बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है . उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस)17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
- सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दी गई हैं.

11 लेखा मानक-18 से संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पैरेंट बैंक)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए) सहायक कंपनियां:

- यूनियन केबीसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड

बी) संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इंश्योरेंस कं. लि.

सी) एसोसिएट

- काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2015-16 के दौरान सेवा ग्रहण करने/ सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री के. सुब्रमण्यम	कार्यपालक निदेशक	31 जुलाई, 2015 को सेवानिवृत्त
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक	14 अगस्त, 2015 को सेवा पूर्णता
श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	22 जनवरी, 2016 को कार्यग्रहण

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए :

एस- 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो “राज्य नियंत्रित उद्यमी” हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एस- 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक- ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है

11.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.28	0.20
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.44	0.39
योग	0.72	0.59

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि क्रमशः 0.06 करोड़ व ₹0.08 करोड़ भी शामिल है.

12 प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

बैंक ने 'प्रति शेयर आय' पर लेखा मानक 20 के अनुसार बेसिक आय प्रति इक्विटी शेयर रिपोर्ट किया है. बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान कर बाद के शुद्ध लाभ को बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है.

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	20.50	27.67
ii	इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1356.44	1752.18
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या करोड़ में)	66.18	63.33
iv	प्रति शेयर नॉमिनल मूल्य (₹)	10.00	10.00

13 आस्थगित कर (एस 22)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	187.71	234.25
2	कर्मचारी लाभ	266.59	328.89
3	पूर्व वर्षों में दावाकृत, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशों पर मूल्यहास	60.35	15.73
4	अवकाश नकदीकरण	83.89	57.93

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
5	अन्य प्रावधानों के लिए	1435.06	477.18
6	कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त हानि के लिए	3.04	3.05
	योग	2036.64	1117.03
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	91.23	66.15
2	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	29.24	35.68
3	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	607.89	641.15
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	889.69	823.24
	योग	1618.05	1566.22
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	418.59	-
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	-	449.19

- 14 पैरेंट तथा सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त जानकारीयों का समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष तथा उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है तथा जो मदे महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनसे संबंधित जानकारीयों भी सीएफएस में नहीं प्रकट की गई हैं.
- 15 वर्ष के दौरान पैरेंट बैंक द्वारा बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर परिसर का पुनर्मूल्यांकन कराया गया तथा मूल्यांकन को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न आधिक्य राशि ₹1213.10 करोड़ की राशि 'आरक्षित व आधिक्य' के अंतर्गत 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' के स्तर में दर्शाई गयी गई है तथा इसकी गणना आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार टियर I पूंजी में भी की गई है.
- 16 जहां- कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेन्द्र जैन)
सहायक महाप्रबंधक

(विवेक कामत)
महाप्रबंधक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राकेश सेठी)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(मिहिर कुमार)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(जग मोहन शर्मा)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोलकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एन. सी. कोनार)
भागीदार
(एम. सं. 052892)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(टी एस सदाशिवम)
भागीदार
(एम. सं. 081684)

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2016.

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	17,71,52	27,57,46
	के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियों पर मूल्य हास	2,48,98	2,25,12
	निवेश आस्तियों पर मूल्य हास	1,55,02	1,20
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	46,55,03	26,63,78
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(9,34,82)	3,34,90
	अन्य प्रावधान	6,94	41,25
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	1,79	39
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	84,04	2,85,18
	सहायक कंपनियों की आय में हिस्सा	(4,52)	(13,42)
	अल्पमत हित में वृद्धि/(कमी)	(9,03)	(10,36)
	उप योग	59,74,95	62,85,50
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	2,66,67,17	1,97,99,28
	उधार में वृद्धि / (कमी)	(35,28,32)	23,77,16
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	2,84,04	4,61,42
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	(49,10,08)	(8,14,26)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(1,69,83,47)	(2,94,80,23)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	15,59,11	(16,06,12)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(7,89,26)	(5,90,23)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	82,74,14	(35,67,48)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल आस्तियों की खरीद	(15,87,66)	(3,46,10)
	अचल आस्तियों की बिक्री	7,02,32	4,33
	सहायक कंपनियों की आय में हिस्सा	4,52	13,42
	अल्पमत हित में वृद्धि/(कमी)	9,03	10,36
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(8,71,79)	(3,17,99)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	परपेचुअल गैर संचयी प्रिफरेंस शेयरों का कनवर्जन	0	(1,11,00)
	वीएनसीपीएस के कनवर्शन के पेटे जारी इक्विटी शेयर	0	5,47
	वरीयता आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करना	51,66	0
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	10,27,26	1,05,42
	आईपीडीआई, गौण बांड और अपर टायर II बांड जारी करने से आगम	(10,03,06)	34,74,61
	लाभांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लाभांश कर सहित)	(4,64,41)	(3,06,66)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(3,88,55)	31,67,84

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	70,13,80	(7,17,63)
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,26,03,01	2,33,20,64
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,96,16,81	2,26,03,01
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,50,63,87	1,84,19,98
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	75,39,14	49,00,66
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,26,03,01	2,33,20,64
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,56,06,92	1,50,63,87
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,40,09,89	75,39,14
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	2,96,16,81	2,26,03,01
	(विनोद कथूरिया) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3, नकदी प्रवाह विवरण के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 26 मई, 2016 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है।

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 314010ई
(एन. सी. कोनार)
भागीदार
(एम.सं.052892)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.104768डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(टी एस सदाशिवम)
भागीदार
(एम. सं. 081684)

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2016.

जोखिम प्रबंधन

पूंजी नियमन बेसल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बेसल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar16.pdf

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट वि. व. 2015-16

अनुभव ए - कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन् 1921 में किया गया था। पिछले 96 वर्षों में बैंक ने लगातार तेजी से वृद्धि और विकास किया है जो इस बात का प्रतीक है कि बैंक द्वारा बिना अवसर गवाये विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देते समय बैंक का ध्यान कारोबारी गुणात्मक विकास पर केंद्रित रहता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आर्स्ति गुणवत्ता कमजोर न हो। इससे मुख्य कारोबारी पैरामीटरों पर बैंक का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होता रहा है। इस समय बैंक की कुल 4196 घरेलू शाखाएं तथा 6883 एटीएम हैं।

डीआईएफसी दुबई, हांग-कांग, सिडनी व एंटवर्प में बैंक की चार अंतरराष्ट्रीय पूर्ण विकसित शाखाएँ हैं और इसके अलावा शंघाई, बीजिंग तथा अबूधाबी में स्थित 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमि. के माध्यम से लंदन में परिचालन करती। बैंक में कुल स्टाफ संख्या 35473 है जो बैंक के मूल्यों और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुये कार्यरत हैं।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29 मार्च, 2016 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में अपनी चौथी विदेशी शाखा खोली। इसका उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी की उपस्थिति में भारत के वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली द्वारा किया गया।

बैंक प्राथमिक स्तर से अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवायें प्रदान कर रहा है और बैंक के अधिकांश उत्पाद एवं सेवाएँ मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:-

1. जमाराशियां,
2. ऋण एवं अग्रिम तथा
3. विप्रेषण एवं संग्रहण

बैंक की गतिविधियां सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियां) 2008" समूह के - वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां" के गतिविधि कोड -6419 के अंतर्गत आती हैं। तकनीक को अपनाने में बैंक अग्रणी रहा है तथा इसकी शत-प्रतिशत शाखाएँ कम्प्यूटाइज्ड हैं। बैंक ने सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया है तथा नेटवर्किंग के माध्यम से शाखाओं को आपस में जोड़ रखा है। बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत है

बैंक के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है:-

कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
पंजीकृत पता	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
वेबसाइट	http://www.unionbankofindia.co.in
ई-मेल आईडी	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष	2015 -16

अनुभाग बी- कम्पनी के वित्तीय व्यौरे

रिपोर्टिंग वर्ष के बैंक के वित्तीय व्यौरे निम्नानुसार हैं:

पेड अप कैपिटल	₹ 687 करोड़
कुल जमाराशियां	₹ 342720 करोड़
कुल अग्रिम	₹ 277725 करोड़
कर पश्चात लाभ	₹ 1352 करोड़
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	₹ 6.98 करोड़
कर पश्चात प्राप्त लाभ में से सी एस आर पर खर्च का प्रतिशत (%)	0.52%

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपने कारोबारी मॉडल में सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। बैंक द्वारा यूनियन बैंक सामाजिक फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से बैंक विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से लोगों को सक्षम बना रहा है

2015-16 में बैंक ने सीएसआर पर ₹ 6.98 करोड़ खर्च किया। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सी एस आर के अंतर्गत किये गये कुछ चुनिंदा प्रयासों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

2015-16 में सीएसआर के अंतर्गत की गयी कुछ नयी पहल की सूची:

- o ऐरोली, मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समन्वित पुनर्वास केंद्र की चौथी मंजिल के निर्माण के लिए दान
- o सांताक्रूज, मुंबई में शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़कों के लिए स्कूल बस हेतु चंदा.
- o महावीर विकलांग, जयपुर के माध्यम से शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग हेतु दान.
- o गवर्नमेंट मूक एवं बधिर स्कूल, रायपुर के लिए स्कूल बस तथा दो ओडियो मेट्रिक साउंड प्रूफ मोबाइल रूम हेतु दान.
- o श्रवण बाधित एवं मानसिक दिव्यांग स्कूल, ईगतपुरी के लिए सोलर सिस्टम तथा लूम हेतु दान.
- o फिजिओथेरेपी उपकरण एवं दवाओं के लिए हेमोफीलिया सोसाइटी, वाराणसी को दान.

- 0 सुमिता कैसर सोसाइटी,सिलीगुड़ी(पश्चिम बंगाल) को वाहन एवं चिकित्सा उपकरण हेतु दान.
- 0 सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी एंड मैनेजमेंट को वूड लैब की स्थापना हेतु दान.
- 0 जबलपुर की मलिन बस्तियों के उपयोग के लिए वाटर टैंकर तथा सफाई के लिए वाहन की खरीद हेतु दान.
- 0 उत्तर प्रदेश में सोलर लाइट लगाने एवं एसएजी ग्रामों के लिए हैंड पंप की खुदाई के लिए दान
- 0 सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड लेपरोसी सेंटर, चेतुपट्टु, तमिलनाडु को पैथालाजिकल उपकरणों की खरीद हेतु दान.

अनुभाग सी- अन्य ब्यौरे:

बैंक की तीन सब्सिडियरी हैं-(यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि., “यूनियन के बी सी आरिस्ट प्रबंधन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड” तथा यूनियन के बी सी ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड)’ बैंक का एक संयुक्त उपक्रम (स्टार यूनियन दार्ड-ईची लार्डफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) है तथा एक सहयोगी - काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है. बैंक की सब्सिडियरी व साथ ही इसके भागीदार जिम्मेदारीपूर्वक कारोबार करती हैं. बैंक अपनी सब्सिडियरी तथा कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथावश्यक ज्ञान तथा सहयोग प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है.

अनुभाग डी- बी आर संबंधी सूचना

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी गवर्नेंस

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति / नीतियों की अनुपालना हेतु जिम्मेदार निदेशक:

डी आई एन नंबर	03567831
नाम	श्री राकेश सेठी
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

कारोबारी उत्तरदायित्व के प्रमुख के ब्यौरे:

डी आई एन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्रीमती हेमलता राजन
पदनाम	महाप्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई.
दूरभाष	022-22896601
ई-मेल आई डी	gmpbod@unionbankofindia.com

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट के बारे में

बी आर रिपोर्ट प्रकाशित करने का यूनियन बैंक का यह चौथा वर्ष है. चूंकि यह एक विनियामक आवश्यकता है, अतः इसे हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित किया जायेगा. वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन स्थायी विकास तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है. बैंक की बी आर रिपोर्ट हमारी वेबसाईट पर निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

Main Page > About Us > Sustainable Development

सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियाँ(जवाब-हाँ/नहीं में)

क्र.	प्रश्न	राष्ट्रीय एच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धांत (एन वी जी)								
			2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्या सिद्धांत/तों हेतु आपकी कोई पॉलिसी/ पॉलिसियां है ?	जी हां								
2	क्या पॉलिसी संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार की जाती है ?	जी हाँ								
3	क्या आपकी पॉलिसी किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुस्र हैं ? यदि हाँ तो विनिर्दिष्ट (करें) (50 शब्द)	जी हाँ, बैंक की स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारोबारी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी किये गये राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4	क्या नीति का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है ? यदि हाँ तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी ई ओ/ सक्षम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ?	जी हाँ, स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है.								
5	नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये क्या निदेशक मंडल की कोई समिति/निदेशक या कोई अधिकारी है ?	जी हाँ								
6	इस नीति को ऑनलाईन देखने के लिये लिंक बतायें	Main Page>About Us>Sustainable development								
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है ?	जी हाँ, पॉलिसी वेब साईट पर अपलोड की गई है. तथापि पॉलिसी के संबंध में जागरूकता लाने के लिये भविष्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.								
8	क्या पॉलिसी/पॉलिसियां लागू करने के लिये इन-हाउस व्यवस्था है ?	जी हाँ								
9	क्या बैंक में स्टेकहोल्डरों की पॉलिसी/ पॉलिसियों संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली है ?	जी हां								

10	क्या पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा स्वतंत्र स्म से आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है ?	वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एसडी तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठक तिमाही अंतराल पर आयोजित होती है। किंतु आगे से, कार्यनिष्पादन के बाहरी मूल्यांकन हेतु यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जायेगा जो आवधिक अंतराल पर अपना कार्य करेगी।

अनुभाग ई - सिद्धान्तवार कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर अपने कारोबार का परिचालन एवं विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि जो कारोबार, नागरिकों के प्रत्यक्ष मुद्दों एवं पर्यावरण आवश्यकताओं दोनों से सरोकार रखेगा, दीर्घावधि में वही कारोबार समृद्धि करेगा।

बैंक विज्ञान की मूल धारणा है कि इसके अपने कारोबार में वृद्धि हो, जबकि पर्यावरण प्रभावित न हो व सकारात्मक सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से इसे पूरा करने हेतु वचनबद्ध है। बैंक का लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी समृद्धि में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रतिकूलता को कम करने कारोबार में वृद्धि के साथ ही उनकी आजीविका में वृद्धि में सहायता प्रदान करना है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धान्त(एनवीजी) के नौ सिद्धान्तों में से प्रत्येक के अधीन संचालित की जा रही गतिविधियों का सिंहावलोकन दिया गया है।

सिद्धान्त 1- सुदृढ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने कुशल गवर्नेंस पर गर्व है जो कि इसके संस्थापकों की दूर दृष्टि व वास्तव में बाद के नेतृत्वकर्ताओं, जिन्होंने इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए इन वर्षों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनाया है। बैंक की कार्रवाई मूल्यों व सिद्धान्तों के आधार पर नियंत्रित होती है, जिसे बैंक के भीतर सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कार्यों को नीति सम्मत तथा लागू संहिता के अनुपालन के अनुसूच करते हुए सुदृढ़ कारपोरेट गवर्नेंस की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है।



बैंक द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रति सिद्धान्त आधारित रवैया अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक द्वारा ऐसा मजबूत एवं प्रभावी कारपोरेट गवर्नेंस प्रदान किया जाय जिसे निवेशकों का सम्मान प्राप्त हो। कारपोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में बैंक में बोर्ड के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है। यह आचार संहिता उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है जिनसे

मार्गदर्शित होकर बैंक अपने बहुसंयोजक स्टेकहोल्डरों, सरकार, मीडिया, विनियामक एजेंसियों तथा उस हर घटक के साथ, जिससे बैंक जुड़ा हुआ है, के साथ अपना दैनंदिन कारोबार करता है। यह संहिता इस बात को दर्शाती है कि बैंक आम जनता के धन का मात्र ट्रस्टी एवं अभिरक्षक है तथा अपने ऊपर किये जाने वाले जनता के विश्वास एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है और बैंक को व्यापक तौर पर जनता का यह विश्वास तथा भरोसा बनाये रखना होगा।

यह संहिता निम्नलिखित अपेक्षाएँ और आशाएँ करती है -

- वैयक्तिक एवं व्यवसायिक संबंधों के बीच में होने वाले वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परस्पर विरोधों को पारदर्शी नैतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करने के दौरान ईमानदारी व नैतिकता के उच्चतम सिद्धान्तों का अनुपालन।
- सरकार तथा विनियामक एजेंसियों के समक्ष आवधिक स्म से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, परिशुद्ध, तर्कसंगत, समयबद्ध तथा अर्थपूर्ण घोषणा।
- अपने ऊपर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन।
- बैंक की आस्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग एवं त्रुटिपूर्ण उपयोग को रोकना।
- बैंक के भीतर तथा बाहर उच्चस्तरीय गोपनीयता एवं सद्व्यवहार।

कारोबारी सिद्धान्तों की संहिता बैंक के मूल्यों का अभिवर्धित अंश है जो कारोबारी परिचालनों के दौरान बैंक की कारोबार संबंधी नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संहिता उन मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक पर लागू विधिक अपेक्षाओं से संबंधित होते हैं तथा साथ ही कुछ ऐसे मामलों से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं।

यूनियन बैंक को 'कारपोरेट संवर्ग में प्रतिष्ठित प्रथम सर्वश्रेष्ठ सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार (2015-16)' प्राप्त हुआ



नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एस. के. आचार्य, से पुरस्कार प्राप्त करने हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अतुल कुमार।

बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। बैंक के सभी अधिकारी / कर्मचारियों पर निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) विनियम 1976.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976.
- द्विपक्षीय समझौता/भारतीय बैंक संघ के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंधन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/संघों के प्रतिनिधियों

द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट

- स्थायी विकास एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति

विगत वर्षों के दौरान बैंक को इसकी अच्छी कॉरपोरेट नीतियों के लिये बहुत सारे प्रतिष्ठा-पत्र एवं सम्मान मिले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, व्हिशिल ब्लोवर पॉलिसी के अंतर्गत 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी का संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निवारक सतर्कता पर लघु फिल्म जारी की गयी



सार्वजनिक क्षेत्र की सभी वित्तीय संस्थाओं की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 'सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का महत्व' थीम पर 'सावधानी हटी-दुर्घटना घटी' नामक एक लघु फिल्म की संकल्पना एवं निर्माण किया गया जिसे सतर्कता आयुक्त श्री टी. एम. भसीन द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में जारी किया गया।

सिद्धांत 2- टिकाऊ उत्पाद एवं सेवायें

यूनियन बैंक का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों को ऐसे उत्पाद और सेवायें प्रदान करना है जो मौजूदा मूलभूत ढांचे में ही नवोन्मेषण का पुट लिये हुये हों एवं जो ग्राहकों को प्रासंगिक लगें, पर्यावरण के लिए कम से कम हानिकारक हों तथा जिनसे अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके।

बैंक की कारोबारी नीतियां चयनित क्षेत्रों में बैंक के कारोबार को संगठित करने, कोर एवं खुदरा कारोबार पर केंद्रित करने, सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास करने, प्रणालियों और नियंत्रण को मजबूत बनाने की ओर केंद्रित हैं। बैंक की रणनीति युक्त अवस्थिति, नयी तकनीक के साथ अपने ग्राहकों तक पहुंच के नये तरीके इजाद करना तथा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना-आदि वरीयतायें हैं जिन पर प्रमुख स्तर से बैंक द्वारा जोर दिया जा रहा है। देश के विकास के भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े-छोटे संघटकों, एम एस एम ई, निर्यात, व्यापार, कृषि, मूलभूत ढांचे या वैयक्तिक संवर्ग आदि- विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार अग्रिम प्रदान करता है। बैंक वित्तीय वंचन से प्रभावित संवर्गों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने के लिये सार्थक प्रयास करने में अग्रणी रहा है। बैंक द्वारा किये इन प्रयासों को बैंक की कारपोरेट वेबसाइट पर

देखा जा सकता है।



मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने में यूनियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक रहा है। इस सुविधा से बैंक के ग्राहक चलते-चलते भी निधियों का अंतरण कर सकते हैं। यह समय की बचत के साथ-साथ निधियों के अंतरण की लागत को भी कम करता है। बैंक द्वारा कुछ ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद भी लाये गये हैं जो विकलांगों के लिये तो लाभदायक हैं ही किंतु पर्यावरण संरक्षण तथा समाज की भलाई से भी जुड़े हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. आईआरसीटीसी यूनियन बैंक वर्चुअल प्रीपेड कार्ड- कार्ड ऑनलाइन जनरेट किया जाता है तथा कार्ड के सभी ब्यौरे यथा कार्ड नं., पीआईएन, सीवीवी तथा समाप्ति तिथि ग्राहक को मेल के द्वारा भेजी जाती है। कार्ड के ब्यौरे का उपयोग ग्राहक द्वारा रेलवे टिकट बुक करने तथा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है। चूंकि कार्ड वर्चुअल कार्ड है, इसमें प्लास्टिक प्रिंटिंग शामिल नहीं है तथा कागज की पीआईएन जनरेट करने की भी आवश्यकता नहीं है।
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मोबाइल आधारित खाता खोलने की सुविधा 'यूनियन सेल्फी' शुरू की गयी है जिसके द्वारा संभावित ग्राहक एक एप्प के माध्यम से अपना बचत बैंक खाता खोल सकता है। इस सुविधा के द्वारा, एक संभावित ग्राहक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कैन करके तथा अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से 'सेल्फी' अपलोड करके बचत खाता खोल सकता/ती है।
3. बैंक ने टेक सेवी ग्राहकों को लक्ष्य करके वित्तीय वर्ष के दौरान 'ऑनलाइन खाता खोलने' की सुविधा शुरू की है। इस वेब आधारित बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा के माध्यम से संभावित ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना खाता खोल सकता/ती है।
4. देश में गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए एसएचजी- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से बैंक द्वारा भारत सरकार की एनआरएलएम/एनयूएलएम योजना लागू की जा रही है।
5. यूनियन बायो टेक- यह उत्पाद देश में ऊतक संवर्धन तकनीक तथा पोली हाउसेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
6. बैंक देश में बोलते ए टी एम लगाने में अग्रणी रहा है। ये ए टी एम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को आवाज के द्वारा निर्देशित कर संव्यवहार करने में



सक्षम बनाता है इसीलिये इसे बोलता ए टी एम कहा जाता है. इस ए टी एम का डिजाईन इस प्रकार का होता है कि शारीरिक स्तर से विकलांग व्यक्ति भी व्हील चेयर पर अंदर जाकर अपने संयवहार कर सकता है.

7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सभी उत्पाद एवं सेवायें उपलब्ध कराना
8. ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों, सेवाओं तथा योजनाओं का कार्यान्वयन

बैंक के ए टी एम केवल नकदी देने की मशीनें ही नहीं हैं बल्कि ये निधि विप्रेषण का कार्य भी करते हैं जैसे: एन ई एफ टी, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम (आई एम पी एस) तथा यूनियन ई-कैश जो मोबाइल आधारित उत्पाद है और जो मोबाइल ऑथेंटिकेशन के आधार पर ए टी एम से नकदी आहरण करने में सक्षम बनाता है. पुराने रिकार्ड के कागजों के पुराना होने पर उसे छिद्रयुक्त करने के बाद रिसाईक्लिंग के लिये कागज उद्योग को भेजने हेतु बैंक की एक सुनियोजित नीति है.

उपरोक्त प्रक्रिया में रिसाईक्लिंग तथा निकलने वाले कूड़े का प्रतिशत 10 से अधिक है. बैंक अपने उपभोग के लिये यथासंभव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सामान खरीदता है. सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है तथा इस प्रतिबद्धता के फलस्वरूप बैंक इस संवर्ग के उन सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों पर भरोसा करता है ताकि संबंधित वेंडर सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से अपने दैनिक बैंकिंग संयवहारों हेतु तथा इकाई की आर्थिक तंगी के दौरान बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकें.



सिद्धांत 3- कर्मचारी कल्याण

3.स्थाई तथा लाभप्रद वृद्धि उसी संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकती है जहाँ कार्यनिष्पादन को मूल्यों के साथ जोड़ा जाता हो. बैंक उन कर्मचारियों से भरी-पूरी एक दक्ष तथा बहुमुखी संस्था है जिसके कर्मचारी जब अच्छा करते हैं तो उसमें कल्याण की भावना भी सन्निहित होती है.

नेता ही नेताओं के निर्माता

बैंक प्रतिभा के संपोषण तथा नेतृत्व-निर्माण के सिद्धांत पर इस विश्वास के साथ कार्य करता है कि नेता ही नेताओं के निर्माता होते हैं. बैंक नेतृत्व विकास के कार्य को कुछ ही लोगों तक सीमित रखने या फिर किसी जिम्मेदारी की तरह निभाने के बजाये समूचे बैंक में नेतृत्व के गुणों का प्रसार करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास है कि शिक्षित, अभिप्रेरित तथा उत्पादक कर्मचारी ही बैंक की सबसे बड़ी आस्ति है. इसे ही ध्यान में रखते हुये बैंक ने उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाते हुये कारोबारी तथा मानव संसाधन रणनीतियों के समामेलन से एच आर ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रारंभ की थी. इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया, जॉब-क्लैरिटी के साथ हरेक की भूमिका को परिभाषित एवं कलमबंद किया गया. इसे फीडबैक की सुविधा के साथ इंटरनेट पर अपलोड भी किया गया है. एच आर द्वारा निम्नलिखित का कार्यान्वयन किया गया है:-

1. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम(पीएमएस).
2. मूल्यांकन प्रणाली के एकीकरण एवं ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण के हेतु एक नये तकनीकी मोड्यूल(यूनियन परिवार) को विकसित किया गया. जनबल आयोजना को वैज्ञानिक तरीके से संगणित करके इस आवश्यकता का

आंकलन किया गया.

3. बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना पर भी अमल किया जा रहा है तथा नेतृत्व की शृंखला को जारी रखने के लिये भी प्रयासरत है..

सेवा-काल में कार्य-संतुलन

यूनियन बैंक कर्मचारियों के सेवा-कालीन जीवन को बेहतर बनाने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं. बैंक में आकर्षक पदोन्नति नीति है जिसमें योग्य कर्मचारियों के आगे बढ़ने के लिये बैंक की फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसी भी शामिल है. इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को विस्तृत अनुभव उपलब्ध कराना तथा पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित करना एवं बैंक में कर्मचारियों का कैरियर आगे बढ़ाना है.

बैंक अपने स्टाफ को ऐसी सुविधायें तथा लाभ भी प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन बनाये रख सकें. स्टाफ की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा देश भर में कई अस्पतालों से टाई-अप योजना के माध्यम से अस्पतालीकरण की योजना लागू की गई है. इन अस्पतालों में स्टाफ भर्ती हो सकते हैं तथा अपना इलाज करा सकते हैं. इस चिकित्सा का बिल सीधे बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है. यदि बिल उक्त स्टाफ की पात्रता से अधिक होता है तो उक्त की वसूली बाद में उससे की जाती है. तथापि स्टाफ एक्स-ग्रेडिशन भुगतान के लिये भी आवेदन कर सकते हैं. बैंक की 24 कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा और अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त स्टाफ तथा अन्य कल्याणकारी उपाय.

स्टाफ के लिये अन्य उपायों में स्वास्थ्य शिविर, बैंक के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, हिन्दी दिवस का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, गणतंत्र दिवस का आयोजन तथा स्टाफ एवं उनके बच्चों की उत्कृष्टता को पहचानने और स्वीकारने के लिये खेल, शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सम्मान-पहचान आदि तथा सिल्वर जुबली अवार्ड्स आदि शामिल हैं. 31 मार्च 2016 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 35473 थी जिसमें से 8071 महिलायें तथा 622 विकलांग स्टाफ थे.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 8 मार्च, 2016 को मुंबई में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया.



समारोह की मुख्य अतिथि, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अंघृती भट्टाचार्य का स्वागत करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुण तिवारी.

मानवाधिकारों के लिये आदर

बैंक अपने कारोबार तथा प्रभावक्षेत्र में मानवाधिकारों का समादर तथा उनके अनुसार कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। बैंक ने कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण समिति का भी गठन किया है तथा किसी भी प्रकार की संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिये पर्याप्त, शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाया है। बैंक अपने स्टाफ द्वारा समूह/एसोसियेशन बनाने के अधिकारों का आदर करता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा सकें। बैंक में कई कर्मचारी एसोसियेशन बनी हुई हैं जिनमें से बैंक अधिसंख्यक बहुमत वाली एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये बैंक द्वारा महाप्रबंधक पद के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ यह संपर्क अधिकारी तिमाही आधार पर बैठक करता है तथा उनके कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करता है।

औद्योगिक स्तर पर वेतन समझौता

वेतन संबंधी वार्तालाप बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों के साथ सामूहिक समझौते के माध्यम से उचित मांगों को स्वीकार किया जाता है। यह वेतन पुनरीक्षण 5 वर्षों तक मान्य होता है।

प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल का विकास

प्रशिक्षण कार्य को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा समग्र रूप से सारे बैंक के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है ताकि बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा से संबंधित तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी कर सके। एक ज्ञानार्जन करने वाली संस्था के रूप में बैंक समसामयिक जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल को बढ़ाने तथा पुनरीक्षित करने के प्रयास करता है तथा अभिवृत्तियों में सुधार करता है। बैंक का प्रशिक्षण मिशन है:- व्यक्ति तथा बैंक दोनों के विकास के लिये निरंतर सीखने की कला को बढ़ावा देना। बैंक का प्रयास है कि उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए।

स्टाफ को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना तथा उक्त प्रशिक्षण का संस्थागत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की एक विशेषता है। हाउस-कीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण कर उसे पूरा किया जाता है। अपने स्टाफ सदस्यों को मौलिक कार्यों में कुशल बनाने तथा वैयक्तिक जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी रखने में सक्षम बनाने का सुनिश्चयन करने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है। किसी भी कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में- संस्था में प्रवेश से लेकर सेवानिवृत्ति तक- प्रशिक्षण का कार्य बैंक की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था बंगलुरु तथा देशभर में फैले 7 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों-अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुड़गाँव, लखनऊ तथा पवई(मुंबई) में स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है। संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नयी मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय स्तरों में भी लोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं। स्टाफ को अद्यतन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बाहरी और आंतरिक संकाय सदस्यों की व्यवस्था भी की जाती है। पात्र मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेशों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

वर्ष 1997 में बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिये विदेशी सलाहकारी कंपनियों की मदद से अपने प्रशिक्षण-तंत्र में नई तकनीकों को शामिल किया। अब यह मानक बन गई है तथा प्रशिक्षण तंत्र द्वारा नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाये जाने से विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान हमारे प्रशिक्षण तंत्र को प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से देश भर में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी शामिल है। यह हमारे बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण तंत्र के लिये वर्ष 1998, 2004, 2007, 2011 तथा 2012, 2014 तथा 2015 में प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इन आठों प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 25861 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये जिनमें से 20870 पुरुष तथा 4991 महिलायें थीं।

नियुक्तियों के समान अवसर

पर्यवेक्षकीय स्टाफ/अधिकारियों तथा प्रबंधवर्गीय स्टाफ की रिक्तियों की पहचान तथा उन्हें भरने हेतु विभिन्न स्तरों पर भर्ती के प्राधिकारों के संबंध में सुस्पष्ट दिशानिर्देश हैं। कुशल तथा अकुशल स्टाफ की भर्तियों के लिये योग्यताक्रम को आधार बनाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। बैंक अपना ध्यान लिंग-वैविध्य की ओर भी केंद्रित करता है।

सुरक्षित कार्यस्थल

अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक में यौन-उत्पीड़न-के रोकथाम हेतु नीति है तथा संबंधित मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। यौन-उत्पीड़न के मामलों पर यौन-उत्पीड़न-रोधी नीति तथा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बैंक तथा इसकी अनुषंगी सबसीडियरीज के सभी स्टाफ सदस्यों को कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न-रोकथाम के संबंध में विविध पहलुओं से ई-मेल तथा संप्रेषण के अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाता है।



संगठन,प्रतिभागिता तथा सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

बैंक कर्मचारियों के संगठित होने तथा सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने हेतु स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। लिपिकों तथा स्टाफ सदस्यों के अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु सुस्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया है।

बैंक की मानवाधिकार से संबंधित प्रक्रियायें, बैंक-कर्मचारियों को विधि-सम्मत तरीकों से, संगठन एवं सामूहिक सौदेबाजी हेतु कर्मचारियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती हैं।

शिकायत-निवारण

बैंक के अपने परिचालनों तथा इसके कारोबारी-भागीदारों में बाल श्रम,बाध्यकारी श्रम, पक्षपातयुक्त भर्ती तथा यौन-उत्पीड़न से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश हैं।

बैंक की प्रणालियाँ इस प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंग हेतु फोरम उपलब्ध कराती हैं। बैंक द्वारा इस हेतु ई-मेल पते की सुविधा दी गई है जहाँ इस प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जा सकती हैं। शिकायती की गोपनीयता बनाई रखी जाती

है। बैंक द्वारा इस आशय से संबंधित प्रक्रियायें और प्रणालियाँ बनाई गई हैं कि इस प्रकार के मामलों में शिकायती को प्रताड़ित न किया जा सके और दोषी न माना जा सके।

यौन-उत्पीड़न सहित सभी शिकायतें बैंक की नीतियों के अनुसार प्रसंस्कृत की जाती हैं। वर्ष के दौरान, बाल-श्रम, जबरन श्रम अनैच्छिक श्रम तथा पक्षपातपूर्ण भर्तियों से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 4-स्टेकहोल्डर्स से संपर्क

यूनियन बैंक के लिये स्टेक-होल्डर-प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाते हैं तथा कारोबार में सफल हो पाते हैं। ग्राहक, शेयरहोल्डर, निवेशक, कर्मचारी, मीडिया तथा एन जी ओ आदि वे स्टेक-होल्डर समूह हैं जिनसे बैंक सक्रियतापूर्वक संबंध बनाये रखता है।

बैंक अपने स्टेकहोल्डर को उस व्यक्ति के स्तर में देखता है जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के कारण ही कोई स्टेकहोल्डर प्राईमरी, सेकेंडरी या की स्टेकहोल्डर कहलाता है।

प्राईमरी 'स्टेकहोल्डरों' में स्टाफ और ग्राहक आदि शामिल होते हैं। किंतु प्राईमरी स्टेकहोल्डर्स का इन दोनों ही श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। सेकेंडरी स्टेकहोल्डरों में स्थानीय कम्युनिटीज, आपूर्तिकर्ता, एन जी ओ, इंडस्ट्री एसोसियेशन आदि शामिल होते हैं किंतु यह श्रेणी भी यहीं तक सीमित नहीं है। 'की स्टेकहोल्डर में शेयरधारक, प्रोमोटर तथा विनियामक इकाईयां शामिल होती है। बैंक विभिन्न संप्रेषण माध्यमों से अपने सभी स्टेक होल्डरों से औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से संपर्क में रहता है।

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के स्तर में पहचान की है तथा उन्हें विशेष उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक, एम एस एम ई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है जिनके विवरण बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक के की स्टेकहोल्डर निम्नानुसार हैं:

ग्राहक

बैंक का ध्यान अपने सभी संपर्क साधनों पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित रहता है फिर वह चाहे शाखा हो, ए टी एम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाईल बैंकिंग हो या फिर कॉल सेंटर हो। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये उनके साथ लगातार संपर्क स्थापित करते हुए बैंक द्वारा ग्राहक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है
- शिकायतियों को प्रचारकों में परिवर्तित करने के लिये स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- ग्राहकों को प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने नये उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करना। विगत हाल ही में बैंक को

शाखा संप्रेषण तथा विपणन के लिये ए बी सी आई (एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया) पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

- ग्राहकों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिये 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना।
- शाखा, क्षेत्रीय तथा कॉरपोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर ग्राहक बैठकें आयोजित करना। इस मंच का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों को अपने उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, के वाई सी जैसे नये पहलुओं की जानकारी देने, इंटरनेट बैंकिंग करते समय सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिये करता है। ऐसी बैठकों में बैंक के तिमाही कार्यनिष्पादन की जानकारी भी ग्राहकों को दी जाती है।
- बैंक द्वारा ग्राहकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिये कस्टमर केयर युनिट की स्थापना की गयी है। यह युनिट बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रणालीबद्ध तरीके से फीडबैक का विश्लेषण भी करती है। इस इकाई से इंटरनेट बैंकिंग तथा ए टी एम के पिन की अप्राप्ति संबंधी शिकायतों में बहुत कमी आई है। कस्टमर केयर युनिट शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि का स्तर भी जांचती है।

कर्मचारी

- बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य आन्तरिक सम्प्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है जो स्टाफ सदस्यों के बीच जानकारीयों प्रदान करने के साथ साथ उन्हें कर्तव्यों, निष्ठा एवं सृजनात्मकता हेतु प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा कर रही है। यूनियन धारा लगातार एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) का पुरस्कार जीत रही है। विगत वर्ष यूनियन धारा ने चैंपियन ऑफ दि चैंपियन ट्रॉफी सहित 7 पुरस्कार प्राप्त किए।
- बैंक के अपने आन्तरिक पोर्टल में सभी नीतियां, दिशा निर्देश, कोड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्प्रेषण उपलब्ध होते हैं जिन्हें सभी कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं।
- केंद्रीय कार्यालय से सीएमडी/ईडी/महाप्रबंधक क्षेत्र/शाखाओं का आवधिक निरीक्षण करते हैं।
- पूरे देश के कर्मचारियों के फीडबैक प्राप्त करने के लिए innovation@unionbankofindia.com के नाम से बैंक की एक ऑन लाईन प्रणाली है। उत्पादों के विकास/संशोधन, प्रक्रिया एवं सेवाओं के संबंध में कर्मचारियों के प्राप्त सुझावों को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है एवं उन पर विचार किया जाता है।



निवेशक

- बैंक प्रत्येक तिमाही के अपने कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें संक्षिप्त तुलन पत्र के साथ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराती है।
- बैंक अपने अंशधारकों को भी बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करती है।
- बैंक विश्लेषकों एवं निवेशकों की तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती है।

समाज

- बैंक सरकार एवं अन्य समान बैंकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखती है एवं भारत में बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न नीति निर्माण के लिए एवं उद्योग स्तर के मामलों में सक्रियता से भाग लेती है।
- बैंक ने 212 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने हेतु गोद लिया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक आवधिक स्तर से इन गाँवों का दौरा करते हैं तथा ग्रामीणों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सुनिश्चयन करते हैं।



बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के स्तर में पहचान की है। स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक, एमएसएमई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है। कमजोर व सीमांत किसानों को स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह के अंतर्गत संगठित कर उन्हें परेशानी मुक्त तरीके से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सरलीकृत स्वस्त्रों में उन्हें ₹ 5000/- ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

बैंक, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यक्रम यथा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा अटल पेंशन योजना के स्तर में भी इस प्रकार की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। टॉकिंग एटीएम नेत्रहीन व्यक्तियों को ध्वनि मार्गदर्शन से लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाता है। एटीएम साइट को इस प्रकार का बनाया गया है कि व्हील चेयर पर बैठा शारीरिक स्तर से विकलांग व्यक्ति भी अंदर जाकर लेन-देन कर सकता है।

सिद्धांत 5- मानवाधिकारों का सम्मान

यूनियन बैंक मानव अधिकार के सिद्धांतों को मानता है एवं उनका स्पष्ट पालन करता है एवं मानव अधिकारों एवं कर्मचारियों के हितों में ईमानदारी, समग्रता एवं खुले स्तर में कार्यान्वित करता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के स्तर में, बैंक केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के बारे में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों, निदेशों का न केवल अक्षरशः पालन करता है बल्कि व्यवहार में भी उन्हें अपनाता है।

बैंक की एसडी और सीएसआर नीति यह दर्शाती है कि बैंक मानवाधिकारों का आदर करेगा तथा इनके बारे में स्टेक-होल्डरों के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ायेगा। बैंक अपने कारोबारी भागीदारों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं, बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट्स आदि से अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें तथा उनके उल्लंघन से बचें। बैंक द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

सिद्धांत 6- पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्था होने के नाते समाज एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति सजग है। बैंक ने कार्बन को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिये बैंक द्वारा लेड वाली प्रकाश व्यवस्था, एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के संरक्षण वाली गैस का उपयोग, कम ऊर्जा की खपत करने वाले एयर



कंडीशनरों का उपयोग, नयी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा जैसे गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि अनेक कदम उठाये गये हैं। हाँलांकि अंतिम स्तर से हुये लाभ की गणना अभी नहीं की जा सकी है किंतु ऊर्जा संबंधी बिलों में उक्त प्रयासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन प्रयासों को आगे भी लगातार जारी रखा जायेगा।

बैंक मुख्य स्तर से एटीएम की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं तथा बैंक के साथ साथ प्रशिक्षण केंद्रों में हीटिंग की आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बैंक परिसरों में लगी प्रकाश-व्यवस्थायें तथा एयर कंडीशनर ऊर्जा की बचत के लिये स्टार रेटेड हैं। एयर कंडीशनरों में उपयोग की जाने वाली रेफ्रीजेंट गैस (आर-407 सी) कार्बन के उत्सर्जन को कम करती है।

बैंक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उठाये गये कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

- ऊर्जा की बचत वाले सीएफएल तथा लेड फिटिंग्स का उपयोग।
- लेड वाले साईनेज का संस्थापन।
- बीईई प्रमाणित एयर कंडीशनर की स्थापना और सीएनजी के साथ कार।
- बैंक परिसर में वर्षा के जल का भंडारण, जो भूजल के स्तर को बढ़ाता और उसका संरक्षण करता है।
- सभी उपकरणों में बिजली के समान प्रवाह के लिये बसबार ट्रकिंग सिस्टम जैसे किफायती एवं सुरक्षित प्रणाली का उपयोग। अभी हाल ही में बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिसर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नवीकरण किया गया है और नये बसबार ट्रकिंग सिस्टम को लगाया गया है।
- पवई में ग्रीन डाटा सेंटर:- प्रौद्योगिकी केन्द्र, पवई बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग प्रणाली के साथ-साथ ऊर्जा बचत विद्युत प्रणाली स्थापित कर डाटा सेंटर का विस्तार किया गया। सूक्ष्म एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं तथा इको-फ्रेंडली गैस से युक्त हैं। दूसरी ओर यूपीएस/केबिनो/बैटरी स्तर को ठंडा करने के लिये



वैरियेंट रेफ्रीजेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। प्रकाश तथा एयर कंडीशनरों पर नियंत्रण के लिये केबिनो में ऑक्सीपेसी सेन्सर लगाये गये हैं।

- भवनों में वास्तुकला के माध्यम से दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

सिद्धांत 7- सार्वजनिक कल्याण

यूनियन बैंक की कारोबारी इको-प्रणाली एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने के उद्देश्य से सक्रियता से वकालत करने की परम्परा रही है। यूनियन बैंक की यह सक्रिय वकालत केवल सरकार से लॉबी करने एवं उद्योग के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि समाज में बड़े पैमाने पर लाभ के लिए भी वकालत करने कुछ अच्छी परम्पराएं रही हैं।

ग्राहक सेवा में सुधार के दृष्टिकोण से बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य इकाइयों के सदस्य नामित किये जाते हैं। बैंक वित्त एवं उद्योग से संबंधित ट्रेड चैम्बर एवं एसोसियेशन का सदस्य है ट्रेड चैम्बर तथा इंडस्ट्री एसोसियेशनों के मंच से ही बैंक आम जनता के लिये सार्वजनिक नीतियों की वकालत करता है। इन अधिकारियों के साथ बैंक अन्य चैनलों से भी संपर्क में रहता है तथा कानून तथा विनियमन संबंधी उन आम नीतियों को आकार देने का प्रयास करता है जो इसके कारोबार तथा कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं। नीति निर्माण के मामले में बैंक वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक निम्नलिखित वित्तीय तथा औद्योगिक व्यापार चैम्बरों/संघों का सदस्य है:

- भारतीय बैंक संघ(आईबीए)
- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स (आईआईबीएफ)
- द एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम)
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- बैंकिंग कोड्स व भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बैंक सक्रिय रूप से इन निकायों के साथ सहभागिता कर व विभिन्न मुद्दों यथा वार्षिक बजट, ऋण नीति/मौद्रिक नीति, उत्पाद के मूल्य निर्धारण पर दिशा निर्देश, विभिन्न सर्वेक्षणों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

सिद्धांत 8- समग्र विकास

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पर्याप्त अग्रिम सुविधायें उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संसाधनों से उपलब्ध कराती है। बैंक ने वर्ष 2013-16 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज्ञान है:- वंचितों तक उचित लागत पर “निरन्तर प्रक्रिया के तहत” सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।

31 मार्च, 2016 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कर ली थी:-

- बैंक ने 5407 बिजनेस कॉरिसपोडेंट की नियुक्ति करके इस मॉडल के द्वारा 18396 बैंकिंग से वंचित/न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं से युक्त गाँवों तक अपनी पहुंच बनाई है।
- बिजनेस कॉरिसपोडेंट मॉडल के द्वारा बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से 141.37 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते खोले गये हैं तथा इन

ग्राहकों से बैंक ने ₹ 429.88 करोड़ की जमाशियां जुटाई हैं।

- ग्रामीण एवं शहरी निर्धन वर्गों को आकस्मिक अग्रिम के रूप में सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना। बैंक बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।
- बैंक ने बायोमैट्रिक कार्ड आधारित सूक्ष्म ऋण उत्पाद “प्रगति” मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के 14 क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा गठित ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिये जारी किया है। योजनान्तर्गत 31.03.2016 तक वर्तमान बकाया ₹ 41.85 करोड़ था।
- बैंक का श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नामक एनजीओ जो कर्नाटक और केरल में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीयन करता है, के साथ टाई-अप किया है। स्वयं सहायता समूह रोजगार के सृजन तथा ग्रामीणों की आय हेतु मुख्य रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 592.90 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को वितरित किये गये थे। वर्तमान में इस मद में बकाया शेष ₹ 1008.60 करोड़ है। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट बेलगाम, बेंगलुरु मंगलोर तथा कोझीकोड क्षेत्रों में लागू है।

1. वित्तीय साक्षरता :

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 26 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये। ये केंद्र वंचित लोगों को उन वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराते हैं जो बैंक द्वारा उन्हें दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2013-14 से बैंक की ग्रामीण शाखायें अपने सेवा क्षेत्रों में माह में एक बार वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करती हैं। बैंक के 201 ग्राम ज्ञान केंद्र हैं जो बैंकिंग उत्पादों तथा कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी देते हैं।

2. यूनियन आदर्श ग्राम योजना

देश के प्रति कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बैंक ने “यूनियन आदर्श ग्राम योजना” प्रारंभ की है। इस योजना के तहत इस वर्ष देश भर में 60 गाँवों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु गोद लिया है। इस योजना में अब तक ऐसे गाँवों की संख्या 212 हो गई है।

3. अग्रणी बैंक योजना:

बैंक देश के चार राज्यों में स्थित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इन जिलों में बैंक न केवल लगातार अपनी शाखाएं बढ़ा रहा है और सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर रहा है बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ जिला अग्रिम योजना के लिए भी काम करता है। इससे जिला अग्रिम योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण में सहायता मिलती है। बैंक के 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी हैं जहां ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिये प्रशिक्षण तथा कौशल अद्यतनीकरण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। बैंक चार चयनित पिछड़े जिलों में महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता दे रहा है।



4. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना-प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रथम चरण को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है। इस योजना में जो 6 स्तम्भ शामिल हैं, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और स्मॉल डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना। इन स्तम्भों को दो चरणों में लागू किया जाना है।

प्रथम चरण दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य बचत, प्रेषण और ₹ 1.00 लाख के दुर्घटना बीमा कवर करते हुए स्मॉल डेबिट कार्ड के लिए बेसिक बैंकिंग खाता खोलते हुए सभी लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसमें वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया गया है।

योजना आरम्भ होने के दिन अर्थात् दिनांक 28 अगस्त, 2014 को हमने 5 लाख खाते खोलने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के पेटे हमने 8.96 लाख खाते खोला है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत हमारे निष्पादन के मुख्य तत्व		
1	कवर किये गये कुल गांव :	18,396
2	उप सेवा क्षेत्र (SSAs):	5,407
3	शहरी वार्ड्स:	2581
4	सर्वे किये गये कुल परिवार :	72.34 लाख
5	जिनमें -ए. ग्रामीण परिवार :	45.54 लाख
6	बी. शहरी परिवार :	26.80 लाख
31 मार्च, 2016 का निष्पादन		
7	31 मार्च, 2016 तक खोले गये खाते :	58.21 लाख
8	31 मार्च, 2016 तक जारी स्मॉल कार्ड :	55.34 लाख
9	31 मार्च, 2016 को खातों में शेष राशि:	₹ 858.07 करोड़
10	पीएमजेडीवाई के तहत ई-केवाईसी के तहत खोले गए खाते	1,29,466

Protect your family with Insurance

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- Life Insurance coverage of Rs. 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 330/- only
- Age 18-50 years. (Renewable every year upto 55 years)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

- Accidental Insurance coverage of Rs. 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 12/- only
- Age 18-70 years. (Renewable every year upto 70 years)

Insurance Period - 1st June to 31st May

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Contact nearest Union Bank Branch, Field Business Correspondent, Insurance Company

Customer Helpline: 1800 22 3344 / Toll-free helpline: 1800 22 3344

5. वित्तीय साक्षरता:

हम अपने 26 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हमने कॉमिक पुस्तकों के साथ ही साथ पोस्टर तथा अन्य पठन सामग्री का प्रकाशन किया है।

इस क्षेत्र में हमारे बैंक ने 01 जनवरी, 2015 को एक अनोखी पहल आरम्भ की है और इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन (ISMW) के

सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय साक्षरता पर 60 कैंपों का आयोजन किया है। इन कैंपों में 80% महिलाओं के साथ, करीब 15000 प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लिंकेज, लाभ और पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इन कैंपों में हमने, प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में निम्न जानकारी प्रदान की :

- 1) स्मॉल कार्ड का प्रयोग और लाभ
- 2) आधार कार्ड लिंकेज और लाभ
- 3) प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत बीमा का लिंकेज
- 4) ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- 5) बचत, उधार और उच्च लागत वाले ऋणों पर जानकारी
- 6) मोबाइल बैंकिंग और तकनीक का प्रयोग

प्रत्येक कैंप में करीब 250 से 300 महिलाओं ने भाग लिया तथा प्रत्येक कैंप की अवधि लगभग 4 घंटे की थी। सहभागिता और प्रशिक्षणों में जिन साधनों और उपायों को शामिल किया गया था उनमें वीडियो, फिल्मस, नाटक, पोस्टर, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आदि थे और इनका संचालन इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन के प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था। प्रतिभागियों को कुछ हैंडबुक भी प्रदान किये गये थे।

6. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

(मुद्रा ऋण शिविर में भाग लेते हुए रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा के साथ श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

- पीएमएमवाई के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी व महानगरीय क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में है।
- पीएम मुद्रा योजना विभिन्न नए व वर्तमान उद्यमियों को बैंकिंग चैनल से ऋण लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है। इससे ऋण हेतु बैंक का ग्राहक आधार बढ़ जाता है।

31.03.2016 तक मुद्रा ऋण की स्थिति

(राशि करोड़ में)

ऋण की श्रेणी	स्वीकृत		वितरित	
	खाते	राशि	खाते	राशि
शिशु	135380	364.89	103009	339.75
किशोर	62871	1154.51	58736	1072.82
तरुण	6478	477.91	6061	428.49
कुल	204,729	1,997.31	167,806	1,841.06

7. प्रधानमंत्री जन धन योजना का द्वितीया चरण

प्रधानमंत्री जन धन योजना के दूसरे चरण में निम्न कार्य शामिल हैं:

- ₹ 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, पिछले 6 माह में बचत/अग्रिम में संतोषजनक निष्पादन.
- सूक्ष्म-बीमा

बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक 7533 खातों में ₹ 163.54 लाख का ओवरड्राफ्ट वितरित किया गया. एटीएम व एसएमएस चैनलों के माध्यम से उपलब्ध पीएमजेडीवाई सुविधा के अंतर्गत बैंक ने ओवरड्राफ्ट योजना भी आरम्भ कर दी है. माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट घोषणा के अनुसार, बैंक द्वारा निम्न तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन प्रदान की जाएगी:

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, बहुत कम प्रीमियम ₹ 12.00 प्रतिवर्ष पर ₹ 2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर करता है.

प्रधान मंत्री जीवनज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई): यह योजना प्राकृतिक या दुर्घटना से मौत की जोखिम के लिए ₹ 2.00 लाख का बीमा कवर करता है. इसमें वार्षिक प्रीमियम ₹ 330.00 होगी. यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान की राशि और अवधि के आधार पर होती है.

31 मार्च, 2016 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति:

योजना का नाम	पुरुष ग्राहक	महिला ग्राहक	कुल नामांकन
अटल पेंशन योजना	31604	18453	50057
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना	685433	420076	1105509
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1570385	1087589	2657974
कुल	2287422	1526118	3813540

अवधि	यूनियन बैंक शाखाओं से आरम्भ संव्यवहार				अन्य बैंकों से प्राप्त जमा	
	संयोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	सफल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	गंतव्य बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख में (₹)
अप्रैल, 15 से मार्च, 16	36,839	1,547.82	15,208	552.12	22,034,762	53,330.33

10. आईआईबीएफ प्रमाणन और बैंक मित्रों की क्षमता निर्माण:

भारतीय बैंक संघ ने अपने पत्र क्रमांक: एसबी/सीबीसी/1141 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के द्वारा सभी बैंकों को आईआईबीएफ प्रशिक्षण द्वारा बैंक मित्रों के प्रशिक्षण व प्रमाणन का निर्देश दिया है. प्रशिक्षित व प्रमाणित बैंक मित्र व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए अधिक विश्वसनीय होंगे. आईआईबीएफ द्वारा 31 मार्च, 2016 तक कुल 2,618 बैंक मित्र प्रमाणित हो चुके हैं.

11. आधार सीडिंग की स्थिति:

31.03.2016 तक आधार सीडिंग की प्रगति स्थिति इस प्रकार है:

8. एल.पी.जी. के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):

भारत सरकार एल.पी.जी. लाभार्थियों के खातों में अनुदान को सीधे जमा करा रही है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी जिलों में गैस सब्सिडी प्राप्त करने के दोनों विकल्पों को लागू कर रहा है. पहले विकल्प के अंतर्गत, एनपीसीआई के आधार तंत्र के माध्यम से बैंक खातों में सब्सिडी के प्रत्यक्ष क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए गैस उपभोक्ता के आधार नंबर व उसके एलपीजी गैस वितरक को उसके बैंक के खाते से लिंक किया जाता है.

दूसरे विकल्प के अंतर्गत, यदि उपभोक्ताओं के पास आधार नंबर नहीं है तो, उसके एलपीजी आईडी को ही बैंक खाते में लिंक करने की सुविधा दी गई है, ताकि सब्सिडी की राशि उसकी/उसके खाते में जमा किया जा सकता है. ग्राहक अपने बैंक खाते के विवरण एलपीजी डीलर को प्रदान करेगा, विवरण की सत्यता की पुष्टि के लिए डीलर उसे बैंक को भेजेगा और उसके बाद उनके बैंक खाते में सीधे जमा करने के लिए राशि भेजना शुरू कर देगा. वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आधार कार्ड के माध्यम से प्राप्त व बैंक खाते में जमा एलपीजी सब्सिडी की स्थिति निम्नानुसार है:

आधार के माध्यम से एल.पी.जी. अनुदान जमा		
अवधि	संव्यवहारों की संख्या	राशि लाख में (₹.)
अप्रैल, 15 से मार्च, 16	22034762	53330.56

9. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का संवितरण:

सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के प्रथम चरण में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 43 जिलों में लागू किया गया था और दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 78 अन्य जिलों को शामिल कर कुल 111 जिलों में लागू किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपस्थिति कुल 40+73=113 जिलों में है. भारत सरकार ने डीबीटी के तहत 43 विभिन्न योजनाएं शुरू की है तथा सरकार से प्राप्त निधियों को सब्सिडी के रूप में सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए संवितरण इस प्रकार है:

अवधि	सीडेड आधार कार्डों के रिकॉर्ड की संचयी स्थिति	जिसमें से मार्च, 2015 के बाद से एनपीसीआई सर्वर पर सफलतापूर्वक सीडेड आधार रिकॉर्ड	अन्य बैंक में ले जाये गए आधार कार्डों की संख्या	यूनियन बैंक सीडेड कुल आधार
	(1)	(2)	(3)	(2-3)
अप्रैल, 15 से मार्च, 16	78,90,710	76,17,403	6,60,037	69,84,687

तथापि, पीएमजेडीवाई खातों में सीडेड आधार की स्थिति इस प्रकार है:

अवधि	पीएमजेडीवाई खुले खातों की कुल संख्या	पीएमजेडीवाई खातों में सीडेड आधार कार्ड का संचयी स्थिति
अप्रैल, 15 से मार्च, 16	58,21,379	17,43,376

वर्ष -2015-16 के दौरान नई पहल:

1. एटीएम व एसएमएस के माध्यम से ओवरड्राफ्ट का स्वचालन.
2. वित्तीय साक्षरता पहल: जून, 2015 में भारतीय महिला माइक्रोफाइनेंस स्कूल (आईएसएमडब्ल्यू, अहमदाबाद) की मदद से बैंक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैंक के लीड जिलों में महिलाओं के लिए 60 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया, और इन शिविरों के माध्यम से लगभग 15000 व्यक्तियों को व्यापक वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी.
3. नाबार्ड ने अपने पत्र क्रमांक एफआईडी-49(डी)/2015-16 दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के द्वारा आईएसडब्ल्यूएम के सहयोग से बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के लीड जिलों में बृहत पैमाने पर जागरूकता शिविरों के आयोजन को मंजूरी दे दी है. इसके लिए उल्लेखित राज्यों में सीएसआर गतिविधियों के तहत एफआईएफ (वित्तीय समावेशन फंड) के अंतर्गत नाबार्ड ने ₹ 17.40 लाख की वित्तीय सहायता 116 जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए स्वीकृत की है.
4. एस्क्रो तंत्र के माध्यम से बैंक मित्रों को पारिश्रमिक का वितरण.
5. डीएफएस और आईबीए के दिशा निर्देशों के अनुसार अक्टूबर, 2015 से बीसी मॉडल के लिए संशोधित पारिश्रमिक संरचना का कार्यान्वयन.
6. क्षेत्रों में खुले कुल 5407 माइक्रो एटीएम ईपीएस व स्मे आधारित लेन-देन के लिए सक्षम.
7. विकसित डैशबोर्ड की मदद से बैंक मित्रों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी से बहुत दूर के ग्राहकों को भी निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित.
8. वित्तीय समावेशन कॉन्क्लेव: बैंक द्वारा माह अगस्त, 2015 में वाराणसी, जौनपुर व आजमगढ़ (सभी लीड जिले) में वित्तीय समावेशन सम्मेलनों का आयोजन किया गया. इन सम्मेलनों में चर्चा का मुख्य उद्देश्य सरकार और नियामकों के दृष्टिकोण, वित्तीय समावेशन के विभिन्न तरीकों को लागू करते समय बैंकों के अनुभवों व नजरिए को समझना, कार्यान्वयन के दौरान चुनौतियों के बारे में सरकार एवं नियामकों को फीडबैक प्रदान करना था. इस सम्मेलन में सरकारी विभागों, क्षेत्रीय प्रमुखों, शाखा प्रमुखों, बैंकों के वित्तीय समावेशन विभाग की क्षेत्रीय एवं स्थानीय टीमों, आईटी सेवा प्रदाताओं, कारोबार संवाददाताओं के साथ कुछ सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों ने भी भाग लिया.
9. बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नाबार्ड के एफआईएफ समिति के सलाहकार बोर्ड के सदस्य है.

बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में सदैव अग्रणी रहा है. इसी दिशा में हमारे बैंक ने वर्ष 2006 में यूनियन बैंक ऑफ सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गयी. बैंक की प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इसी ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है. इसके ट्रस्टी बोर्ड का नेतृत्व उपाध्यक्ष के रूप में कार्यपालक निदेशकों के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते है. अन्य ट्रस्टियों में बैंक के महा प्रबंधकगण व एक स्वतंत्र ट्रस्टी होता है. बोर्ड बैंक के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार दिशा निर्देश प्रदान कर तिमाही समीक्षा करता है. इन दिशा निर्देशों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है.

सामाजिक उत्थान एवं वंचित वर्गों के जीवन की दिशा में सुधार की पहल का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:

सामुदायिक कल्याण:

बैंक की मोबाइल वैन के द्वारा बैंक ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का कार्य आरंभ किया जिससे 23 गांवों को राहत मिली व 12000 से अधिक लोगों को लाभ मिला. यह योजना 2014 से ही अस्तित्व में है.



5 शहरों यथा कोट्टयम, भोपाल, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु में बैंक द्वारा कैंसर जांच शिविरों का आयोजन किया गया.



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक पंजीकृत चैरिटेबल सोसायटी अपंग शिक्षा समाज (एसईसी) मुंबई को एक बस दान दिया. एसईसी मुंबई में अस्थि विकलांग व विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहा है. एसईसी का स्कूल मुंबई में चलता है तथा कान्हे फाटा (लोनावाला के पास) में एक आवासीय विद्यालय भी है.



शिक्षा:

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ने सिलीगुड़ी एवं तिरुपति में 600 बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आरंभ किया। इन युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार/स्वरोजगार दिया गया।



मानसिक एवं शारीरिक विकलांग की स्वास्थ्य देखभाल:

श्री अरुणा तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 8000 वर्ग फीट भूमि पर ऐरोली, मुंबई में एक विश्व स्तरीय एकीकृत विकलांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में बहुत से विकलांग बच्चों को आजीवन आश्रय मिलेगा।



बालिका गोद लेना एवं महिला सशक्तिकरण

देश भर में 6500 बालिकाओं को साइकिल व शिक्षा की लागत प्रदान की गयी। तस्वीर में बैंक के कार्यपालक निदेशक प्राप्तकर्ता को चेक सौंपते हुए।



महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर:

बैंक ने महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर को 700 से अधिक तिपहिया साइकिलें व शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ₹ 30.00 लाख की लागत का कृत्रिम अंग दान दिया। हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुणा तिवारी समिति के अधिकारियों को चेक सौंपते तथा एक जरूरतमंद व्यक्ति को कृत्रिम अंग को लगाने में मदद करते।



कौशल विकास:

बैंक ने सेंचुरियन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को लकड़ी की कार्य प्रयोगशाला व 100 कंप्यूटर की स्थापना के लिए ₹ 55.00 लाख का अनुदान दिया। यह कार्यशाला किसी भी समय में 150 छात्रों के बैच के साथ आयोजित की जाती है। तस्वीर में गूंगे व बहरे बेरोजगार युवाओं को लकड़ी का काम सीखते देखा जा सकता है।



ग्रामीण विकास एवं ग्राम गोद लेना

विद्यालय/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण. वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़ तथा जौनपुर, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल इत्यादि में गावों में सोलर लाइट/लालटेन की स्थापना. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गयी थीं जो या तो पूर्ण हो गयी हैं अथवा प्रगति पर हैं.

1. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड राज्यों में वित्तीय साक्षरता पर 120 समूहिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए परियोजना.
2. वारवती गाँव, बीदर जिला, कर्नाटक में ₹ 56.33 लाख की कुल लागत से जनजातीय बालिका छात्रावास का निर्माण



3. अहमदाबाद के 4 विद्यालयों तथा वाराणसी जिले के एक विद्यालय में वंचित समाज के 2500 से अधिक बच्चों के लाभ हेतु ₹ 195.00 लाख की रकम के एक शिक्षण कार्यक्रम को अनुमोदन दिया गया है जिसका नाम 'प्रज्ञा प्लस' है.

व्यावसायिक प्रशिक्षण

सिलीगुड़ी एवं तिरुमति के अर्ध-शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 600 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के लिए परियोजना शुरू की गयी है.



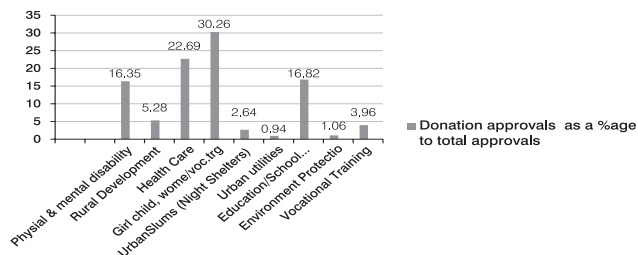
पर्यावरण संरक्षण

बैंक ने मुंबई में नाना नानी पार्क के रख रखाव का उत्तर दायित्व स्वीकार किया. चित्र में, पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक प्रयास के क्रम में अ एवं प्रनि, कानि तथा मप्र, एसएसडी वृक्षारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं.



सीएसआर के लिए क्षेत्रवार अनुमोदन:

Sectorwise approvals as a percentage to total



कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति योगदान के लिए प्राप्त पुरस्कार:

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:-

- यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन को सर्वश्रेष्ठ सीएसआर व्यवहार बैंक पुरस्कार प्राप्त हुआ
- शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार.
- बैंकिंग क्षेत्र में सीएसआर व्यवहार के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार.
- बैंकिंग में उत्कृष्टता(पीएसयू संवर्ग)
- बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बैंक.



वि. व. 2015-16 में अन्य पुरस्कार और सराहना

- भारत का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन प्रोजेक्ट-2015 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट.
- इलेट्स फाइनेंशियल इंकलुजन एंड पेमेंट सिस्टम्स-2015 के लिए 'Certificate of Recognition for project IMPS'.
- -दि इकोनोमिक टाइम्स-वित्तीय समावेशन-2015 का ध्वज वाहक तथा प्रशस्ति पत्र.
- आशीर्वाद (एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था)
 - o वर्ष 2014-15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार.
 - o बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार.

- मध्यम संवर्ग बैंक के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के लिए आईबीए पुरस्कार 2015-16.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 6 आईबीए बैंकिंग टेक्नालाजी पुरस्कार 2015-16 प्राप्त हुए



वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नालाजी बैंक पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अरुण तिवारी, अ एवं प्रनि तथा श्री राकेश सेठी, कानि.

- **गोल्डेन पीकॉक एवार्ड:** निदेशकों के इंस्टीट्यूट द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर आयोजित 10वें इंटरनेशनल सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एचआर में उत्कृष्टता के लिए गोल्डेन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया.



महाराष्ट्र सरकार की ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती पंकजा गोपीनाथराव मुंडे से गोल्डेन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त करती हुई श्रीमती हेमलता राजन, महाप्रबंधक (पीबीओडी) एवं श्री आर. आर. मोहंती, महाप्रबंधक (एचआर).

भारतीय जनसम्पर्क परिषद (पीआरसीआई) द्वारा वार्षिक कारपोरेट कोलेटरल एवार्ड्स 2016

- 0 कारपोरेट पत्रिका यूनियन धारा के लिए रजत पुरस्कार
- शैलजा नायर फाउंडेशन द्वारा आईसीई (In-house Communication Excellence Award) 2015

- 0 बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा के लिए तृतीय पुरस्कार

एबीसीआई पुरस्कार

- 0 बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी सहित 7 पुरस्कार (विभिन्न श्रेणियों में 2 स्वर्ण, 4 रजत तथा 1 कांस्य) प्राप्त हुए.
- 0 18 मार्च, 2016 को बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका यूनियन सृजन के लिए रजत पदक

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2014-15

- 0 बैंक की आंतरिक हिन्दी गृह पत्रिका यूनियन सृजन के लिए द्वितीय पुरस्कार.



भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार(द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त करते हुए श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक. साथ में उपस्थित हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दोनों राज्य मंत्री तथा सचिव(राजभाषा)

- पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया(पीआरएसआई) हैदराबाद चैप्टर द्वारा तेलंगाना राज्य द्वारा गृह पत्रिका/न्यूज लेटर के लिए प्रतियोगिता' संवर्ग में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार.
 - 0 सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट पत्रिका यूनियन धारा के लिए तृतीय पुरस्कार
 - 0 कारपोरेट पत्रिका यूनियन धारा में सर्वश्रेष्ठ सीईओ संदेश के लिए विशेष जूरी पुरस्कार.

सिद्धांत 9- ग्राहक केंद्रीकरण

बैंक बीसी एसबीआई द्वारा निर्देशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, अपनी सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली अपनाता है. इस मद में बैंक के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:-

विश्वस्तरीय ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना:

ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और समय पर निवारण तथा ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख एजेंसी, ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की स्थापना की गई है.

ग्राहक सेवा केन्द्र की संरचना:

बैंक में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है:

1. आवेदनों पर त्वरित, विश्वसनीय और बिना किसी अवरोध के प्रतिक्रिया हेतु.
2. निवेदनों और शिकायतों के मूल कारणों का समाधान - बैंक को लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों और शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए उन्नत प्रक्रिया अपनाना.
3. ग्राहक के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनाएं जनरेट करना.

प्रोजेक्ट उत्कर्ष:

हमारे बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के ध्वज तले कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन की एक नयी यात्रा आरंभ की है. प्रोजेक्ट उत्कर्ष ग्राहक अनुभव बढ़ाकर, बेहतर प्रक्रिया दक्षता और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर बैंक की आकांक्षाओं को प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाएगा.

इन उद्देश्यों को बैंक द्वारा निम्न 6 महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से हासिल किया जायेगा:

1. यूनियन एक्सपीरियंस: खुदरा शाखाओं के ऑपरेटिंग मॉडल व संगठनात्मक ढांचे को दुस्त बनाना.
2. यूनियन लोन पॉइंट: विशिष्ट खुदरा ऋण प्रसंस्करण व अधिग्रहण इकाई के रूप में गठन.
3. सरल: अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र एमएसएमई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना.
4. व्यापार विश्लेषिकी केंद्र: डेटा व क्रॉस सेल में सुधार के लिए एनालिटिक्स शक्ति का उपयोग.



5. डिजिटल चैनल: मल्टी चैनल (यथा एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल) के प्रदर्शन व रिटर्न को अधिकतम करना;
6. साझा सेवा केंद्र, सर्वसेशन प्लानिंग, कर्मचारी संवर्धन और इंगेजमेंट कार्यक्रमों जैसे प्रमुख पहलों के माध्यम से मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी प्रक्रियाओं में सुधार.

पिछले एक साल में प्रोजेक्ट उत्कर्ष पूरे भारत के 7 क्षेत्रों में आरंभ किया गया, जिसमें 274 शाखाएं, 7 सरल (एमएसएमई क्रेडिट के लिए) और 13 यूनियन लोन पॉइंट (खुदरा ऋण के लिए) शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट ने सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स यथा कासा अधिग्रहण, खुदरा ऋण, कारोबार सृजन, एमएसएमई के टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने के साथ खुदरा ऋण निर्णय एवं उत्पादकता में समग्र वृद्धि लाने में बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं. सफलता के रथ पर सवार और इस प्रकार प्राप्त अनुभव के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 में चरणबद्ध तरीके से उत्कर्ष को 20 नए क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा.

ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता लाने के लिए अन्य पहल:

1. कॉल-सेंटर, एटीएम तथा अन्य वैकल्पिक चैनलों को व्यवस्थित करना: बैंक के एटीएम न केवल नकदी प्रदान करते हैं बल्कि हाल ही में प्रेषण के 3 उत्पादों को एटीएम के साथ आरम्भ किया गया है. एटीएम के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश, आयकर भुगतान तथा मोबाइल टॉप-अप जैसे अन्य उत्पाद की सुविधा भी है. इस प्रकार ये अधिकतम सेवा सुविधा का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं. इसीलिये इन्हें संपूर्ण एटीएम का नाम दिया गया है. आज बैंक के 6883 एटीएम हैं जिनमें से 1685 बोलते एटीएम हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.
2. गैर-ग्राहक संबंधी देयता गतिविधियों का नेशनल प्रोसेसिंग सेंटरों पर केंद्रीयकरण.
3. शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिये बैंक ने आंतरिक बैंकिंगलोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों की उन शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करते हैं जो 30 दिनों तक लंबित रह जाती हैं इसके अलावा वे मामले भी देखते हैं, जिनमें बैंक द्वारा लिये गये निर्णय से ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं.

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars (In Percentage, %)	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37
2	Interest Expenses/AWF	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21
3	Interest Spread/AWF	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16
4	Non-Interest Income/AWF	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94
5	Operating Expenses/AWF	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62
6	Cost Income Ratio	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10
7	Gross (Operating) Profit/AWF	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49
8	Return on Net Worth	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84
9	Return on Terminal Assets	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33
10	Return on Average Assets	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35
11	Yield on Advances	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63
12	Cost of Deposits	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00
13	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95
14	Credit - Deposit Ratio	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69
15	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91
16	Capital Adequacy Ratio (Basel II)	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74	11.14
	Tier I	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60	8.23
	Tier II	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14	2.91
17	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56
	Tier I	-	-	-	-	-	-	-	7.54	7.50	8.14
	Tier II	-	-	-	-	-	-	-	3.26	2.72	2.42

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	Employees (Number)	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473
2	Branches (Number)	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200
3	Business per Employee (₹ in Crore) *	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51
4	Gross Profit per Employee (₹ in Lacs)	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13
5	Net Profit per Employee (₹ in Lacs)	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81
6	Business per branch (₹ in Crore) *	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96
7	Gross Profit per branch (₹ in Crore)	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36
8	Net Profit per branch (₹ in Crore)	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32
9	Earnings per Share (in Rupees)	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42
10	Book Value per Share (in Rupees)	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Fourteenth** Annual General Meeting of the Shareholders of Union Bank of India will be held on **Monday, 27th June, 2016 at 11:00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2016**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year **2015-16**.

Item No. 3

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“Act”**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**“Scheme”**) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**“RBI”**), the Government of India (**“GOI”**), the Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**“ICDR Regulations”**) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**“Listing Regulations”**) consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include any Committee which the Board may

have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two Hundred Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹ 687.44 crore (Rupees Six Hundred Eighty Seven Crore and Forty Four Lacs Only)** will be within **₹ 3000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than **51%** of the paid-up Equity Share Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (**“NRIs”**), Companies-Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers (**“QIBs”**) like Foreign Institutional Investors (**“FIIs”**), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, thinks fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the

authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the Lead Managers and /or Underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully

paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects paripassu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of equity shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Manager(s), Underwriter(s), Advisor(s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares/ securities are to be allotted, number of equity shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more Stock Exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deems fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deems fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman, Managing Director & CEO or to the Executive Director (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors

For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 12th May 2016

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the Business Agenda No. 3 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the Bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the Bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to **Dy. General Manager, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021**, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Wednesday, 22nd June 2016** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder

of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, 22nd June 2016**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

5. LODGMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for effecting the transfer.

6. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 21st June 2016 to Monday, 27th June 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders' entitlement to dividend for the year 2015-16, if declared at the Annual General Meeting.

7. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on **27th June 2016** and in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of Beneficial Ownership (BenPos) as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on **20th June, 2016** and the dividend shall be paid latest by **5th July, 2016**. The

Bank will credit the dividend amount to the Bank accounts of the shareholders through Direct Credit to Union Bank Account / NACH / NEFT / RTGS, wherever possible.

8. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or Bank's Investor Services Division for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite form for issue of duplicate dividend warrant is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205(C) of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2007-08 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2008-09, the Shareholders may visit Bank's website "www.unionbankofindia.co.in".

9. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/ CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book Closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

- b) Members holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,

Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093

- c) The Dividend Mandate Form for providing Bank details is annexed to this report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.
- d) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- e) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID - Client ID number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank – Datamatics Financial Services Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

12. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2015-16 in physical form are dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Monday, 20th June, 2016**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

16. E-VOTING

- I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on **24th June, 2016 (9:00 am) and ends on 26th June, 2016 (5:00 pm)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **20th June, 2016** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- V. The process and manner for remote e-voting are as under:
 - A. In case a shareholder receives an Email from NSDL [for shareholders whose Email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)] :
 - (i) Open Email and open PDF file viz. "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
 - (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) Click on Shareholder - Login
 - (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 - (vii) Select "EVEN" of "**Union Bank of India**".
 - (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 - (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 - (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 - (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
 - B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of AGM (for shareholders whose Email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy) :
 - (i) Initial password is provided in of the Attendance Slip - cum - Entry Pass for the AGM :
 - (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.
- IX. Any person, who acquires shares of the Bank and become shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Monday, 20th June, 2016**, may obtain the login ID and password by sending a request at -
evoting@nsdl.co.in or
investorservices@unionbankofindia.com or
ubiinvestors@dfssl.com.
- However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- XI. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XII. The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on all the resolutions allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting but, not later than three days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Bank.
- XIV. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the

website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

18. SCRUTINIZERS AT POLL

As already indicated for E-Voting, M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the Agenda Items of the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the Banks should maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.25% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 8.25% and overall CRAR (including CCB) of 10.25% by March 31, 2017. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two Hundred Crore Only)** including capital infusion by the Government of India and the Bank may use Equity Share Capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or any other mode(s) subject to approval by Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had the shareholders' approval for raising Equity Share Capital up to **₹ 3700 crore (Rupees Three Thousand and Seven Hundred Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or any other mode(s) subject to approval by Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations, which is valid up to **25th June, 2016**. In September, 2015 the Bank received capital infusion of **₹ 1080 crore (Rupees One Thousand Eighty Crore Only)** from the Government of India. However, on account of unfavorable market conditions, raising of Equity Share Capital by other modes were not considered by the Bank. Keeping in view the future requirements, now it has been planned to raise Equity Share Capital up to **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two**

Hundred Crore Only) as indicated above.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches as such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Banker(s), Lead Manager(s), Advisor(s) and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs)

within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisor(s), Lead Manager(s) and Underwriter(s) and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank paripassu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors

For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 12th May 2016

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 97th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2015-16 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2015-16.

1. Financial Highlights at a glance:

1.1. At the beginning of current financial year FY 2015-16 your Bank envisaged to move in pace with the market focusing on enhancing the earnings through efficiencies across the organization. With an asset rebalancing approach underway, your Bank has been focusing persistently on aligning the loan portfolio to improve margins and optimize risk weighted assets. The Bank's preferred segment has been the RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector on the asset side and savings bank & retail term deposits on the liabilities side.

1.2. In the era of digitization, your Bank has emerged as a fine player to explore the transaction banking space by revamping digital offering and solutions meeting to need of the customers. The share of "transactions through digital channels" to "overall transactions" has increased to 66.7 per cent as on March 31, 2016.

2. **Business:** The strategic approach of balanced growth is reflected in the business figures as depicted in the following exhibits:

Exhibit 1: Total Business (₹ crore)

11.33%
CAGR

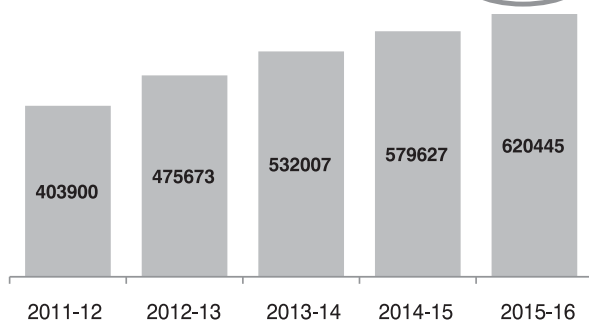


Exhibit 2: Total Deposits (₹ crore)

11.36%
CAGR

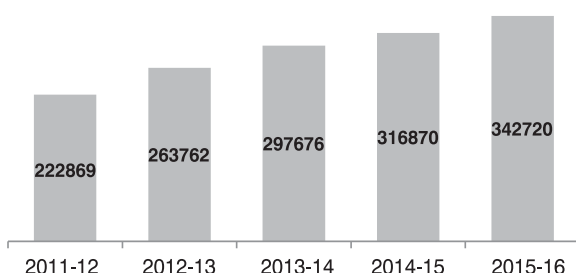


Exhibit 3: CASA Deposits (₹ crore)

12.30%
CAGR

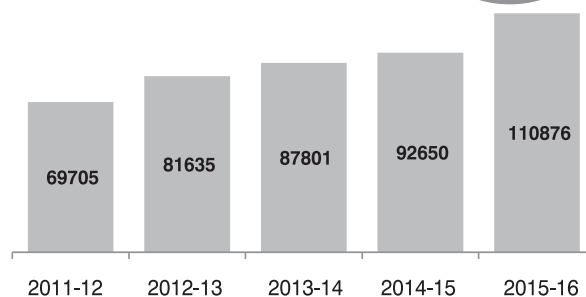


Exhibit 4: Gross Advances (₹ crore)

11.29%
CAGR

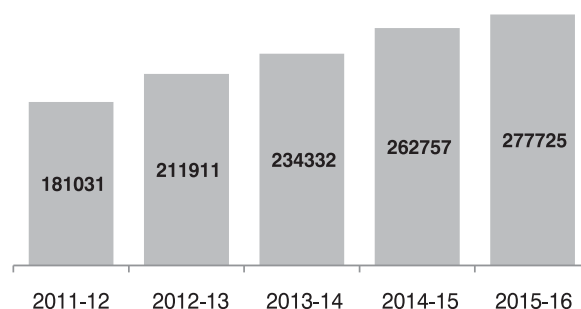
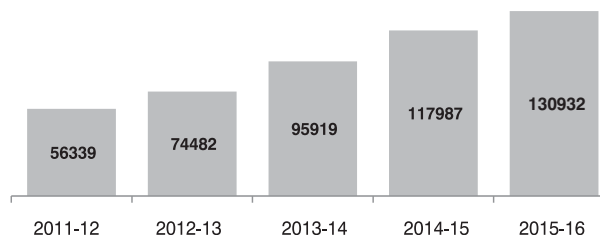


Exhibit 5: RAM Advances (₹ crore)

23.67%
CAGR



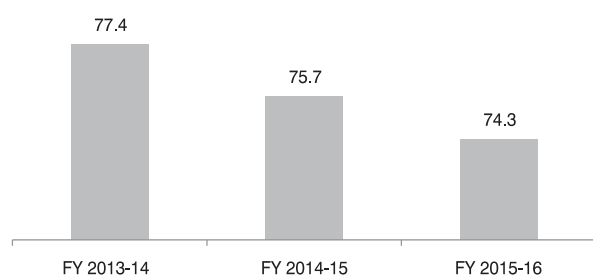
2.1. Your Bank's global business increased by 7.0 per cent to ₹ 6,20,445 crore as on March 31, 2016. The Bank continued to mark its presence in the overseas business with its already operative three overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai), Antwerp (Belgium) and a recent opening in Sydney, Australia. The Overseas business increased by 25.4 per cent (in rupee terms) compared to previous year.

2.2. Total deposits increased by 8.2 per cent, led by 19.7 per cent growth in CASA (Current Accounts & Savings Bank Accounts). Domestic deposits increased by 7.6 per cent whereas, overseas deposits grew by 43 per cent (in rupee terms). Current deposits increased by 41 per cent and savings deposits by 13.4 per cent during FY 2015-16. CASA share, therefore, improved by 310 bps (basis points) to 32.3 per cent

from 29.2 per cent noted in previous year. The cost of deposits significantly reduced by 31 bps from 7.31 per cent in FY 2014-15 to 7.00 per cent in FY 2015-16.

2.3. Gross advances, registering a growth of 5.7 per cent over previous year, reached a level of ₹ 2,77,725 crore as on March 31, 2016. The overseas advances increased by 21.6 per cent. As on last reporting Friday of March 2016 your Bank's market share in credit stood at 3.12 per cent. Your Bank has been diversifying its loan portfolio towards retail, agriculture and MSME (RAM). During FY 2015-16, the RAM share to total advances increased to 52.0 per cent from 48.9 per cent in FY 2014-15. This resulted into the credit risk weighted assets (RWA) to loan ratio declining to 74.3 per cent from 75.7 per cent noted at the end of FY 2014-15.

Exhibit 6: Credit RWA to Loan Ratio (%)



3. Income and Expenditure:

Table 1: Income and Expenditure Statement

(₹ crore)				
Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	%
Interest Earned	32198.8	32084.0	114.8	0.4
Other Income	3631.7	3523.0	108.7	3.1
Total Income(1+2)	35830.5	35607.0	223.6	0.6
Interest Expended	23885.7	23640.1	245.6	1.0
Net Interest Income(1-4)	8313.1	8443.9	-130.8	-1.5
Operating Expenses	6222.8	6143.4	79.4	1.3
w/w Establishment Expenses	3620.0	3786.0	-166.0	-4.4
Total Expenditure(4+6)	30108.5	29783.5	325.0	1.1
Operating Profit (3-7)	5722.0	5823.5	-101.5	-1.7
Provisions	4291.0	4041.8	249.2	6.2
Net Profit	1351.6	1781.6	-430.0	-24.1
Earning per Share (₹)	20.4	28.1	-7.6	-27.2

3.1. In sync with monetary policy easing through reduction in key policy rates, your Bank has also reduced its lending rates resulting in moderation of net interest income. Interest income increased marginally over

previous year reaching ₹ 32198.8 crore for the financial year 2015-16 and net interest income stood at ₹ 8313.1 crore.

3.2. With its focus on the core fee based income, the Bank was able to achieve non interest income of ₹ 3,632 crore for FY 2015-16, registering a growth rate of 3.1 per cent. On the expenditure side, establishment expenses reduced by 4.4 per cent. The Operating Profit for FY 2015-16 stood at ₹ 5722.0 crore. The provisions increased from ₹ 4041.8 crore in FY 2014-15 to ₹4291.0 crore during FY 2015-16.

4. Profitability and Efficiency:

4.1. Under the adverse macroeconomic scenario, where asset quality remained a key challenge, your Bank has maintained financial soundness with regard to operational efficiency. During 2015-16, Return on Average Assets stood at 0.35 per cent, whereas Return on Equity stood at 6.84 per cent. The cost to income ratio was at 52.10 per cent.

Table 2: Efficiency Ratios

Parameter (%)	FY 2015-16	FY 2014-15
Return on Average Assets	0.35	0.49
Return on Equity	6.84	9.73
Cost to Income Ratio	52.1	51.34

4.2. Due to increase in provisions on non performing assets, net profit for FY 2015-16 came down to ₹1351.6 crore from ₹ 1781.6 crore in FY 2014-15. The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2015-16:

Table 3: Productivity Ratios

Parameters	FY 2015-16	FY 2014-15
Average Business per Employee (₹ crores)	15.5	14.5
Average Business per Branch (₹ crores)	131.0	125.8
Gross Profit per Employee (₹ lakhs)	16.1	16.4
Net Profit per Employee (₹ lakhs)	3.8	5.0
Net Profit per Branch (₹ lakhs)	32.2	43.7

5. Dividend:

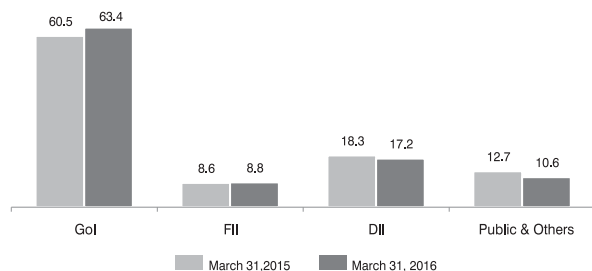
5.1. Considering performance of the Bank, Basel III regulatory capital requirements and confidence of shareholders in the Bank's stock, the Board of Directors has proposed dividend of 19.50 per cent i.e. ₹ 1.95 per share on the face value of ₹ 10/- for the year 2015-16. The dividend payout ratio (excluding dividend tax) comes to 9.9 per cent for FY 2015-16.

6. Shareholders' Return

6.1. Your Bank's net worth improved by 7.9 per cent to ₹ 19764 crore during FY 2015-16 from ₹ 18,312 crore

in the previous year and thus maintained the Book value per share at ₹ 287.51 for March 2016 and the Earnings per Share at ₹ 20.42.

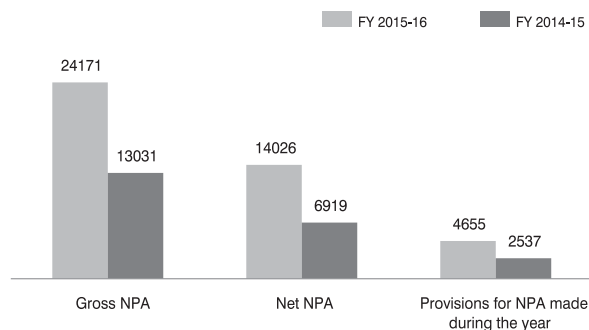
Exhibit 7: Shareholding (%) Pattern for FY 2014-15 & FY 2015-16



7. Asset Quality:

7.1. High stress level in credit portfolio impacted the asset quality of Indian Banks. Over the past one year, India's banking system in general has seen a higher level of loan default. Crimped cash flows of stalled projects made it difficult for many corporate borrowers to repay their debts, prompting them to seek debt restructuring or default on payments. The Gross NPA consequently stood at 8.70 per cent whereas Net NPA noted at 5.25 per cent. The provisions for NPA increased by 83.5 per cent to ₹ 4655 crore for FY 2015-16 from ₹ 2537 crore noted in FY 2014-15.

Exhibit 8: Gross NPA, Net NPA and Provision on NPA (₹ crore)



8. Credit Rating:

8.1. Your Bank's debt instruments are considered to have high degree of safety, with a very low credit risk regarding timely servicing of financial obligations. The following are the ratings issued by major agencies for FY 2015-16:

Table 4: Ratings				
Rating Agency	Perpetual Bonds	Upper Tier 2 Bonds	Lower Tier 2 Bonds	Tier 2 (Basel III Compliant)
CRISIL	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
ICRA	ICRA AA	----	ICRA AA+	----
CARE	----	CARE AA+	CARE AAA	----
India Ratings	IND AA	IND AA	IND AA+	IND AA+
Brickwork	BWR AAA	BWR AAA	----	----

8.2. Issuer Credit Ratings: International credit rating agencies re-affirmed the Bank's long-term issuer credit rating, which are equivalent to County's Sovereign rating grade. Standard & Poor's assigns rating of 'BBB-' with a stable outlook while Moody's rating for the Bank is 'Baa3' with a positive outlook. These ratings denote that the Bank has adequate capacity to meet its financial commitments.

9. Capital Adequacy Ratio:

9.1. The Capital Adequacy Ratio as per Basel III norms stood at 10.56 per cent as on March 31, 2016. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank improved to 7.95 per cent in March 2016 from 7.24 per cent in March 2015.

Table 5: Capital Adequacy Ratios - Basel III (₹ crore)			
Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2016	FY 2015-16	FY 2014-15
Total Risk Weighted Assets	NA	273791	253162
Total Capital Funds		28932	25885
CET1 Capital		21768	18320
Tier 1 Capital		22296	18992
CRAR (%)	9.625	10.56	10.22
CET 1 (%)	6.125	7.95	7.24
Tier 1 (%)	7.625	8.14	7.50
Tier 2 (%)	2.00	2.42	2.72

9.2. Your Bank has emphasized on increasing equity capital base through internal generation of capital. With introduction of additional capital conservation buffer (CCB) of 0.625% every year (effective from March 31, 2016) up to March 2019, there will be further thrust on raising core equity base. The Bank has been working on the capital light model which would attract less capital charge.

9.3. Preferential Allotment of Equity Shares to Government of India: In September 2015, your Bank issued and allotted 5,16,62,281 equity shares of ₹10 each to Government of India. The preferential allotment of equity shares to the Government of India was done at an issue price of ₹209.05 (including a share premium of ₹199.05). Consequent to this, Government of India's shareholding in the Bank increased to 63.44 per cent from 60.47 per cent earlier. Also the Bank's paid up capital increased to ₹ 687 crore from ₹ 636 crore while ₹ 1028 crore was added to share premium reserves.

9.4. Raising of Tier 2 Bonds: Your Bank raised ₹ 1000 crore of Tier 2 capital by way of issuing of 10,000 Basel III compliant Tier 2 bonds of face value of ₹10,00,000 each at par, with 10 year tenure, bearing 8.61 per cent p.a. coupon payable annually and with

call option after 5 years on March 29, 2016 on private placement basis. The Bonds are rated “IND AA+” by India Ratings.

10. Brand Rating :

Your Bank has strived to improve its brand value, to take the relationship between customer and the organization to a next level. As per the report of “Brandz Top 50 Most Valuable Indian Brands 2015”, your Bank has improved its brand value by 72% on account of successful digitization efforts especially on the front of IMPS transactions. Your Bank’s rank improved in the “Brand Finance Banking 500” ranking on account of its consistent performance with regard to financial parameters as well as efforts to leverage technology.

Exhibit 9: Brand Ranking by “Brand Finance Banking 500”



Source: Brand Finance Banking 500, 2016.

11. Network:

- 11.1. Your Bank has a branch network of 4,196 branches across the country and four branches abroad. During the financial year 2015-16, 124 new branches were opened in India and one branch was opened in Sydney (Australia).
- 11.2. During the year 2015-16 greater focus was given on deepening non-branch network, i.e. digital channels which include ATMs, mobile-based payments system etc.

12. New Business Initiatives:

- 12.1. Your Bank took several new initiatives during FY 2015-16 which included launching of the Union 24x7 Comfort Lobbies, mPassbook, mobile wallets, selfie mode of account opening, business debit card, signature credit card and Usecure credit cards.
- 12.2. Your Bank embarked upon a journey of business process transformation – under the flag of Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives – enhanced customer experience, superior process efficiency and improved employee productivity.

13. **Awards & Accolades :** During FY 2015-16, your Bank reached new heights by pioneering in various digital initiatives, steering role of HR towards potential growth, strengthening participative vigilance action amongst its employees and has also attempted to provide a life of self-esteem and dignity to the needful. In this process, the efforts of your Bank have

been acknowledged through various awards during FY 2015-16.

- 13.1. **Technology Award:** Your Bank has bagged all 6 awards from the Indian Banks’ Association under the categories of Best Technology Bank of the year; Best use of Digital & Channels Technologies; Best use of Technology to enhance Customer Experience; Best Risk Management, Fraud, Cyber Security; Best Financial Inclusion Technology Initiatives and Best Payment Initiative. The National Payments Corporation of India felicitated your Bank under the special category for implementation of IMPS through branches and a special recognition award for issuance of RuPay cards. The SKOCH has merited your Bank under the categories of eKYC implementation; Financial Inclusion Technology and a merit award for Kendriya Vidyalaya Fee Collection. The International Data Corporation (IDC) has also awarded the Bank with its “Excellence in Innovation” award 2015 for implementation of mPassbook (a mobile-app based account passbook). Your Bank has received development Awards for its Tabulous Banking, eKYC application and mPassbook application by the ASSOCHAM (Associated Chambers of Commerce and Industry of India). The Multi Channel Payment Solution (Immediate Payment Service-IMPS) of your Bank was awarded by the Elets Technomedia Pvt. Ltd.
- 13.2. **Vigilance:** Your Bank won the prestigious ‘1st Best Vigilance Excellence Award (2015-16) in Corporate Category’ by the Institute of Public Enterprise, Hyderabad. The Chief Vigilance Officer of the Bank was also awarded the ‘Vigilance Excellence Award (2015-16) in Individual Category’.
- 13.3. **Corporate Social Responsibility:** World CSR Congress in collaboration with ABP News has presented the Bank with Best CSR practices award to Union Bank Social Foundation; CSR Leadership Award for promoting Employment for the Physically Challenged; CSR Leadership Award for best use of CSR practices in Banking Sector; Excellence in Banking (PSU category) and Best Bank award in Public Sector under Banking Financial Services & Insurance category.
- 13.4. **Human Resource Management:** Union Bank of India was presented with the Golden Peacock Awards for excellence in HR practices during the 10th International Conference on Corporate Social Responsibility conducted by the Institute of Directors.
14. **Directors:** The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2015-16.
 - 14.1. Shri K. Subrahmanyam, Executive Director attained superannuation on July 31, 2015.
 - 14.2. Shri Kishor Kharat, Executive Director was elevated to the post of MD & CEO, IDBI Bank vide Ministry of Finance, Government of India, letter No.Fno.4/2/2015-Bo.I.GOI.MOF dated August 14, 2015.

- 14.3. Shri Vinod Kathuria has been appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India notification No. F. No. 4/5/2015-Bo.I dated January 22, 2016.
- 14.4. Shri Anil Kumar Misra, has been nominated as RBI Nominee Director on the Board w.e.f. July 6, 2015 in place of Shri Deepak Singhal, vide Dept. of Financial Services, Ministry of Finance letter No. F.No. 6/3/2011-Bo.I dated July 6, 2015.
- 14.5. Shri Dipankar Chatterji, Shri G. K. Lath and Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Directors completed their term on June 26, 2015. Dr. R. H. Dholakia and Shri G. K. Lath were re-elected as Shareholder Directors for a new term of three years w.e.f. June 27, 2015, in the AGM of June 26, 2015. Dr. Uttam Kumar Sarkar was elected as the third Shareholder Director in place of Shri Dipankar Chatterji.
- 14.6. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Sarvashri K. Subrahmanyam, Kishor Kharat, Deepak Singhal and Dipankar Chatterji.
- 15. Directors' Responsibility Statement:** The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016:
- 15.1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.
- 15.2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- 15.3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2016.
- 15.4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and,
- 15.5. The accounts have been prepared on going concern basis.

16. Corporate Governance:

- 16.1. The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2015-16 has no audit qualifications.

- 17. Corporate Social Responsibility (CSR):** Your Bank has been in the forefront for meeting its CSR commitments. Towards this initiative, the Bank has established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT). Major CSR activities of the Bank are being carried out through this trust aimed at improving the quality of life of the society.

- 17.1. UBSFT has enabled world class integrated disabled rehabilitation center by funding MBA Foundation's pet project 'A life of Self Esteem and Dignity for the differently abled'. The Bank has provided entire gamut of facilities ranging from early childhood intervention to facilitating employment of deserving disabled persons.

- 17.2. During the year 2015-16, the Bank has spent an amount of ₹ 1.22 crore by way of donation. This includes ₹ 1 crore under Swachh Bharat Fund. Your Bank through its CSR arm has undertaken participation in the social causes for addressing larger issues viz. poverty, hunger, skill updation, community development and social justice. UBSFT has synergized efforts of the Bank and social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. During the year 2015-16, UBSFT has approved ₹ 9.41 crore for 47 projects under various sectors like health, sanitation, education and rural development etc and an amount of ₹ 5.76 crore has been disbursed in the year 2015-16.

- 17.3. In its endeavor to support the differentially abled persons for their self esteem, the Bank has donated more than 700 tricycles, artificial limbs to physically handicapped persons at a total cost of ₹ 30.00 lakhs. Your Bank has also undertaken healthcare facilities through Bank's mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages benefiting more than 12000 people. In support of underprivileged cancer patients the Bank donated an amount of ₹ 19.94 lakhs to cancer societies.

18. Acknowledgement

- 18.1. The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges the unstinted support of the financial institutions, correspondent banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated service and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Dated: 13.05.2016

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

1.1. Global economy is saddled with issues encompassing lower commodity prices, subdued global trade, decelerating capital flows as well as volatility in exchange rates; which continued to affect growth prospects. While growth in advanced economies remained modest during FY 2015-16 on account of a concerted fiscal and monetary policy approach; the slowdown in Emerging Market Economies (EMEs) has been more pronounced. The drag on the growth prospects of emerging market economies was contributed primarily by the rebalancing approach of the world's second largest economy, China. The focus towards a consumption driven economy has created ripple effect on the global front through trade channels and increased financial market volatility.

1.2. The International Monetary Fund (IMF) in its latest update of World Economic Outlook (WEO) expects global growth to be around 3.2 per cent & 3.5 per cent in 2016 and 2017 respectively, slightly revised downward from its earlier projection. The growth projection for the US economy has also been downgraded to 2.4 per cent for 2016. The Euro area is expected to grow by 1.5 per cent in 2016. The IMF has expressed confidence in China's approach towards a sustainable growth path and has upgraded the growth forecast (by 0.2 per cent for both 2016 & 2017) to 6.5 per cent in 2016 & 6.2 per cent in 2017.

1.3. Low commodity prices, especially crude oil prices (which fell to a 13-year low in February 2016, below US\$30/barrel), dominated the global space for the entire financial year. While oil exporting economies have been adversely impacted owing to the terms of trade condition, oil importing countries have been benefited in terms of savings in their current account balance. Continued pressure on the currencies of oil producers also raised the value of their foreign-denominated debt. Amidst the gloomy scenario prevailing in the global economy, efforts were made towards addressing concerns such as elevated private sector debt, slowing credit and weaker productivity growth; via broad based policy reforms; which would mitigate the risk of future financial market turbulence.

2. Domestic Economy:

2.1. Indian economy is hailed to be a bright spot and has emerged as one of the fastest growing economy owing to its strong macro fundamentals

as well as dedicated policy reforms. India compares favorably with peer countries in the BBB investment grade and almost matches the performance of A-grade countries.

2.2. As per the advanced estimates, released by Central Statistical Organisation (CSO), real Gross Domestic Product (GDP) during FY 2015-16 is estimated at 7.6 per cent as compared to the growth rate of 7.2 per cent in FY 2014-15. The real GDP growth is the highest in past four years, while nominal GDP is expected to grow by 8.6 per cent in FY 2015-16. On sectoral basis, the agriculture growth has remained subdued on account of two successive periods of deficit monsoon. Industrial sector noted a remarkable performance primarily driven by the manufacturing sector. The ongoing manufacturing recovery in the current year is aided by robust expansion of coal output which in turn has bolstered both mining activity and electricity generation. Capital goods production has remained muted on account of weak demand and competition from imports. Moreover, government's continued effort in reviving the CAPEX cycle of the economy through desired public spending is expected to provide a relief to the sector. The service sector which accounts for the major share of GDP has expanded steadily throughout the year, with trade, hotels, transport, communication, public administration, defense and related services turning out to be the main drivers of growth.

Table 1: Growth rates (%) of GDP and its components

	Revised estimates of FY 2014-15	Advanced estimates of FY 2015-16
Real GDP	7.2	7.6
Agriculture	-0.2	1.1
Industry	5.9	7.3
w/w Manufacturing	5.5	9.5
Services	10.3	9.2

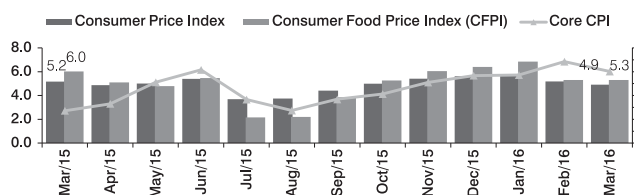
Source: CSO

3. Price Scenario:

3.1. Prices remained moderate primarily on account of decline in input costs, resulting from lower crude oil prices. Government's efforts through effective supply management policies via buffer

stocking, timely release of cereals and import of pulses as well as moderate increase in Minimum Support Prices (MSPs) of agricultural commodities has facilitated in containing prices of essential commodities. Retail inflation, as measured by Consumer Price Index (CPI), noted 4.8 per cent in March 2016, lower than the 5.2 per cent in March 2015. The average inflation for FY 2015-16 stood at 4.9 per cent, quite lower than the 6.0 per cent for FY 2014-15. The core inflation (CPI excluding food & fuel items) stood at 4.8 per cent in March 2016 compared to 4.1 per cent in March 2015. The increase in core CPI was driven by consumer demand.

Exhibit 1: Movement of CPI, Core CPI and CFPI (%)



Source: CSO

4. External Sector:

- 4.1. Slowdown in global growth has impacted the performance of external sector. India's merchandise exports stood at US \$261.1 billion in FY 2015-16, noting a contraction of 15.9 per cent over the last year, imports stood at US \$379.6 billion in FY 2015-16, registering a decline of 15.1 per cent. The decline in imports resulted from a fall in both oil and non-oil imports to the tune of 40.2 per cent and 4.1 per cent respectively. Trade deficit during FY 2015-16 declined to US \$118.5 billion as against US \$137.7 billion in FY 2014-15. The current account deficit (CAD) narrowed to 1.4 per cent of GDP in April-December 2015 from 1.7 per cent in the corresponding period of 2014-15, due to lower trade deficit, modest growth in invisibles and increase in Non-Resident Indian (NRI) deposits. The net Foreign Direct Investment (FDI) increased to US \$34.0 billion (April-February 2016) from US \$29.7 billion during the corresponding period of the previous year. The Foreign Portfolio Investment remained volatile in view of the current market conditions. India's foreign exchange reserves also increased by US \$14.2 billion in FY 2015-16. (Source: Ministry of Commerce & Industry and RBI)

5. Liquidity conditions:

- 5.1. During the second half of FY 2015-16 liquidity conditions in the economy tightened mainly due to restrained government spending and seasonal increase in currency demand for festivals. The

Reserve Bank of India (RBI) has remained accommodative in its monetary policy stance and reduced policy repo rate by 125 bps. Besides Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Open Market Operations (OMO), the RBI also conducted variable rate repo and reverse repo auctions in order to manage the day to day liquidity situation. Accordingly, the weighted average call rate remained closely aligned to the policy repo rate. The 10 years G Sec yield traded in the range of 7.5 to 8.0 per cent during FY 2015-16.

6. Banking Environment:

- 6.1. The banking sector continued to face the challenges of poor asset quality, sluggishness in profitability as well as lower corporate demand. As on last reporting Friday of March 2016, scheduled commercial banks' (SCBs) deposits and advances grew by 9.9 per cent and 11.3 per cent respectively. SCBs' investment in SLR securities noted 5.9 per cent annual growth. Credit to deposit ratio of SCBs stood at 77.6.

- 6.2. As on March 31, 2016, non-food credit grew by 9.1 per cent compared to previous year. The growth was primarily driven by demand from agriculture and allied activities while industrial credit off take remained subdued. The falling share of Micro, Small and Medium Enterprise in gross bank credit attributed to decline in industrial credit off take. Credit to the services sector increased by 9.1 per cent in March 2016 as compared to the increase of 5.7 per cent as of March 31, 2015. Personal loans and retail loans scenario both have improved reflecting a situation of prospering demand conditions of the economy.

7. Stock Market performance:

- 7.1. Equity markets noted negative returns, with benchmark S&P Sensex closing 9.4 per cent lower in FY 2015-16. Nifty moved down by 8.9 per cent for the year owing to domestic and global financial markets volatility. The banking index, Bankex, declined by 11.9 per cent for the FY 2015-16. However, market sentiment began to improve in mid-February 2016. Strengthening labour market conditions across the world and growth momentum in EMEs are expected to stabilize the equity market scenario in the coming years. Concerns still remain over uncertainty of interest rates in the US, China's structural transformation, unstable crude oil prices, slowing growth in consumption demand and increasing corporate debt which may continue to pose challenges to the developing markets.

Table 2: Market Variations (Y-o-Y) during FY 2014-15 and FY 2015-16		
Indices	FY 2014-15	FY 2015-16
Sensex	24.9	-9.4
Bankex	43.2	-11.9
CNX Nifty	26.7	-8.9
CNX PSU Bank	-33.3	-28.2

8. Performance of Union Bank of India during FY 2015-16

- 8.1. Moving forward on its three pillars of growth viz; HDR – Human Capital, Digital Banking and Risk Management, your Bank made significant steps towards the sustainable growth. Your Bank launched Business Process Transformation (BPT) under the banner of Project Utkarsh and also established Business Intelligence Unit (BIU). The focus area has been to redesign and execute best-in-class campaigns for enhancing customer base, revamping business processes like strengthening of SARALs (Non-retail Credit Processing Centres) and Union Loan Points (ULPs; Retail Credit Processing Centres) for better business acquisitions, launch of shared service centre and online grievances redressal system towards better HR management.
- 8.2. On the Digital front, your bank launched several initiatives aiming to provide convenience and customer delight through existing and new banking channels. Your Bank ensures relevant product offering, superior customer service and advanced technology to satisfy customer demand and always remain one step ahead of its peers.
- 8.3. Your Bank has further strengthened its risk management processes by leveraging technology covering all facets of banking. By meticulously analyzing risk weight of assets, showing its commitment to optimize every single rupee of capital, your Bank has been successful in optimizing risk weights.
- 8.4. Loan Portfolio Optimization: Your Bank has followed a pragmatic and flexible approach in Loan Portfolio Management (LPM), by focusing on identified areas attracting relatively less capital and high margins particularly Retail, Agriculture & MSME (RAM) sectors.
- 8.5. Analytics: Your Bank has recognized the importance of analytics to drive the core business performance. The Bank has been striving to

implement analytics for product and portfolio optimization, sophisticated risk modeling based on consumer behavior and marketing of products and services.

- 8.6. Digitization: As entire industry is being disrupted by a bold shift towards digitization of operations, digital product entrants and business models, digital strategy and transformation has been a top priority of the Bank. The structure of the industry is evolving with continuous advances in Information Technology. Your Bank continued to be in the forefront of implementing new digital initiatives for the benefit of customers by providing electronic services via various delivery channels. Your Bank is now recognized by the industry as a technology driven bank and has won several awards in this field.

9. New Initiatives:

- 9.1. Your Bank took several new initiatives during FY 2015-16 which included launching of the Union 24x7 Comfort Lobbies, mPassbook, mobile wallets, selfie mode of account opening, business debit card, signature credit card and Usecure credit cards.
- 9.2. Your Bank embarked upon a journey of business process transformation – under the flag of Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives – enhanced customer experience, superior process efficiency and improved employee productivity.

10. Resources Management:

- 10.1. Your Bank focused on mobilizing low cost deposits to increase sustainability of its resources. Global deposits increased by 8.2 per cent from ₹ 3,16,870 crore as on March 31, 2015 to ₹ 3,42,720 crore as on March 31, 2016. Owing to the Bank's continued effort towards providing refined customer service, the Savings deposits (SB) increased by 13.4 per cent. CASA (Current Accounts & Savings Bank Account) deposits crossed the landmark figure of ₹ 1 lakh crore to the level ₹ 1,10,876 crore as on March 31, 2016 compared to ₹ 92,650 crore as on March 31, 2015, showing a growth of 19.7%. Share of CASA deposits to total deposit increased by 310 bps from 29.2 per cent as on March 31, 2015 to 32.3 per cent as on March 31, 2016. The Bank through its new digital initiatives and new models of customer acquisition is expected to progress steadily on this path.

Table 3: Composition of Deposits (₹ crore)				
Parameter	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	%
Total Deposits	342720	316870	25850	8.2
CASA Deposits	110876	92650	18226	19.7
Savings Deposits	81133	71558	9575	13.4
Current Deposits	29743	21092	8651	41.0
Term Deposits	231844	224220	7624	3.4

11. Credit Management:

- 11.1. During FY 2015-16, credit offtake remained subdued and your Bank registered a growth rate of 5.7 per cent in its loan portfolio over previous year reaching a level of ₹ 2,77,725 crore. The RAM share to domestic advances increased to 52.0 per cent from 48.9 per cent in FY 2014-15. The growth in RAM sector remained higher than overall domestic advances growth. Your Bank's effort through improvement in turn around time (TAT), a faster loan documentation process and maintenance of a proper database would further improve the credit management scenario.

Table 4: Advances (₹ crore)				
Parameter	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	%
Gross Advances	277725	262757	14968	5.7
Retail Advances	36589	31657	4932	15.6
Agriculture Advances	38819	31574	7245	22.9
MSME Advances	55524	54755	769	1.4
RAM sectors	130932	117987	12945	11.0
RAM share to Domestic Advances	52.0	48.9	310 bps	

12. Retail Lending

- 12.1. In view of the present demand conditions prevailing in the economy, your Bank maintained a robust retail loan portfolio growth. Retail portfolio of the Bank increased with a compound annual growth rate (CAGR) of 23.2 per cent during the period of last three years. During FY 2015-16, retail loans grew by 15.6 per cent over previous year. As a result, share of retail loans in domestic advances increased from 13.1 per cent as on March 31, 2015 to 14.5 per cent as on March 31, 2016. The increase in retail loan portfolio is primarily backed by growth in home loans and secured mortgage loans. To provide an impetus to the home loan business, your Bank has introduced empanelment of Direct Selling Agents (DSAs). In its endeavor to tap business from high end car purchasers, the Bank enhanced maximum quantum of loan to

₹ 1.25 crore and increased the repayment age to 70 years. For faster processing of loans under Union Mortgage and Union Miles schemes, delegation powers have been increased at field levels. Your Bank, under its Project Utkarsh, is striving to leverage technology to capture larger market share. ULPs are also revamped for enhanced customer service experience.

Table 5: Retail Loans (₹ crore)				
Schemes	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Home Loans	21739	18783	2956	15.7
Auto Loans	3008	2642	366	13.9
Education Loans	2739	2482	257	10.4
Others	9103	7750	1353	17.5
Total Retail Loans	36589	31657	4932	15.6

- 12.2. The GoI has launched 'Housing for All' by 2022 in the year 2015, aiming at providing home to all Indian families thus promoting affordable housing for the economically weaker sections through Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS). On September 28, 2015, your Bank entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with National Housing Bank, acting as a Prime Lending Institution (PLI) giving a further boost to this initiative.

13. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

- 13.1. The share of the MSME lending constituted 22.1 per cent of the Bank's domestic advances; the Micro & Small Enterprises constitutes 74.6 per cent of the total MSME portfolio. Your Bank's MSME portfolio stood at ₹ 55,524 crores registering an annual growth of 1.4 per cent at the end of the FY 2015-16. MSE portfolio stood at ₹ 41,446 crore, as on March 31, 2016, registering a growth of 3.5 per cent.

Table 6: Breakup of MSME Portfolio (₹ crore)				
Parameters	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Micro Advances	15921	14109	1812	12.8
Small Advances	25525	25922	-397	-1.5
Medium Advances	14078	14724	-646	-4.4
MSME Advances	55524	54755	769	1.4

- 13.2. Your Bank has largely ensured reducing the financing constraints for MSMEs who are the primary driver for job creation and GDP growth. The Bank has 320 dedicated business banking branches (BBBs) for credit delivery to MSMEs and 20 SARALs for speedy appraisal and sanction

of MSME loans. The SARAL structure has been comprehensively reviewed and revamped under the Project Utkarsh.

- 13.3. During FY 2015-16, your Bank has also formulated thirteen new cluster specific schemes for boosting MSME advances as mentioned under:

Table 7: Cluster Schemes		
S No.	Name of the Cluster Scheme	Location
1	Financing to textile units	Surat
2	Financing Granite units	Hyderabad
3	Financing Textile units	Coimbatore
4	Financing to Iron & Steel traders 1	Delhi
5	Financing to Iron & Steel traders 2	
6	Auto Ancillary Units	Nashik
7	Financing to textile units	Nashik
8	Auto Ancillary Units	Pune
9	Financing to Textile Weaving units (Kancheepuram Sarees)	Chennai
10	Financing Leather units	Chennai
11	Printing & packaging units	Chandigarh
12	Financing to Autorickshaws	Mumbai
13	Timber traders	Hyderabad

- 13.4. Corporate Credit:

As of March 31, 2016, the large corporate advances stood at ₹ 80,583 crores i.e. 32 per cent of domestic advances. During FY 2015-16, your Bank endeavoured to improve yield on advances by revisiting concessions in the accounts where rating was downgraded.

Table 8: Mid, Large Corporate Advances (₹ crore)				
Particulars	FY 2016	FY 2015	Growth Y-o-Y	
			Absolute	(%)
Mid & Large Corporate Advances	116578	120471	-3893	-3.2
w/w IFB Advances	80583	78901	1682	2.1

14. Priority Sectors:

- 14.1. Lending to priority sector has always been a focus area of your Bank, in conformity with the guidelines of RBI. In financial year 2015-16, lending to priority sector stood at ₹ 1,02,596 crores and registered a growth of 17.4 per cent over March 2015, constituting 41.6 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Thus bank achieved the stipulated benchmark of 40.00 per cent of ANBC under priority sector.

Table 9: Priority Sector Advances (₹ crore)					
Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15	Y-o-Y (%)	% to ANBC	RBI benchmark March 2016 (%)
ANBC	246613	218562	--	--	--
Priority Sector Credit Of which	102596	87387	17.4	41.6	40.0
a) Agriculture Sector	45417	35175	29.1	18.4	18.0
- Small and Marginal Farmers	21727	17631	23.2	8.8	7.0
b) MSME Priority	40237	33610	19.7		
Others	16942	14464	17.1		
Balance under PSA	0	4138			
a) Credit to Weaker Sections	28849	23069	25.1	11.7	10.0
b) Credit to Women Beneficiaries	16042	14263	12.5	6.5	5.0

- 14.2. **Agriculture:** The Bank's agriculture advances as on 31.03.2016 stood at ₹ 45417 crore, registering a growth of 29.1 per cent over March 2015. The agriculture advances constituted 18.4 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), above the minimum the requirement of 18 per cent of ANBC. Advances to small and marginal farmers as on 31.03.2016 was at ₹ 21727 crore, which constituted 8.8 per cent of ANBC against the benchmark of 7 per cent of ANBC. During the FY 2015-16, 2.0 lakh new farmers were extended finance by the Bank and 2.2 lakh additional Kisan Credit Cards (KCC) were issued with credit facility of over ₹ 3145 crore. In addition, 5.4 lakh farmers were issued ATM enabled KCC as on March 2016. A total disbursement of ₹ 21132 crore was made under special agriculture credit plan (SACP) as against the target of ₹ 18500 crores for FY 2015-16

14.3. Initiatives to support the farmers:

- 14.3.1. To lend a helping hand to the farmers facing adverse climatic conditions, your Bank is implementing Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY). All farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the areas are eligible for coverage.
- 14.3.2. In the FY 2015-16, your Bank has formulated 33 Area Specific Schemes for the benefit of the farmers in the respective area.
- 14.3.3. For focused lending to agriculture, 709 agri-focused Branches have been identified based on the potential of the geography.

- 14.3.4. For effective and continuous monitoring of the performance of Rural Development Officers, an Online Module has been created.
- 14.3.5. Your Bank has entered into Tie up arrangement with Livestock and Crop Registry India Limited (LCRI) which has provided authenticated registration system for Livestock (with UID) & crops. Through this, the Bank can keep track of the financed animal, purchase price, and breed purity and progeny.
- 14.3.6. For extending finance against Warehouse Receipts to Farmers/Traders/Processors/Arthiyas, your Bank has entered into tie up arrangement with M/s Edelweiss Integrated Commodity Management Limited (EICML) for Collateral Management Services.
- 14.4. Focus on green Energy by adopting Solar Power:** Your Bank is implementing Solar Power as an alternate source of energy to the Bank's branches and ATMs under "Build-Operate-Own basis" i.e. Rental Model. The project will be on an ongoing basis and in five years it is planned to cover around 3000 plus branches and 1500 plus ATMs.
- 14.5. Lending to Specific sectors:**
- 14.5.1. **Weaker Sections:** Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of the society. The Bank's finance to weaker sections increased from ₹ 23069 crore as on March 2015 to ₹ 28849 crore as on March 2016, registering a growth of 25.1 per cent to reach a level of 11.7 per cent of ANBC against benchmark of 10 per cent set by GoI/RBI.
- 14.5.2. **Women Beneficiaries:** To expand economic opportunities for the women beneficiaries, your Bank has financed 10.2 lakhs women beneficiaries as of March 31, 2016. Total outstanding loans to women beneficiaries have increased from ₹ 14263 crore as on March 2015 to ₹ 16042 crore as on March 2016 i.e. 6.5 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent set by GoI/RBI.
- 14.5.3. **Self Help Groups:** To expand the access of formal credit among the needful, your Bank has followed a transparent and flexible approach of SHG bank linkage program. Your Bank has formed 44662 SHGs and credit linked 41042 SHGs. As of March 31, 2016, outstanding loans to SHGs stood at ₹ 2019 crore. Under National Rural Livelihood Mission (NRLM), your Bank is also implementing the interest subvention scheme for the benefit of Women Self Help Groups (WSHG) in 150 identified Districts. Your Bank has also implemented the

WSHG scheme in 4 identified districts viz. Rewa, Sidhi, Chandauli & Jaunpur. This is expected to initiate savings and credit activities and will promote economic independence of the desired section.

Table 10: SHG Bank Linkage Programme		
Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
SHG Formed (No)	360293	315631
SHG Linked (No)	293197	252155
Credit Amount (₹ crore)	2019	1707
Deposit Amount (₹ crore)	921	840

- 14.5.4. **Minority Communities:** With the objective of promoting economic activities amongst the backward sections of notified minorities as well as to provide concessional finance for self employment activities, your Bank has been extending finance to the minority communities. During FY 2015-16, lending to minority communities increased by ₹ 1223 crore to ₹ 11605 crore, registering a growth of 11.8 per cent over the previous year. As of March 31, 2016, advances to minority communities constituted 11.3 per cent of priority sector advances.

- 14.6. **Rural Self Employment Training Institute (RSETI):** To empower rural youth as well as to contribute towards capacity building enabling skill development, your Bank has established 14 RSETIs in districts where the Bank has lead bank responsibility. As of March 2016, total number of candidates trained in our RSETIs stood at 40904, out of which 23393 candidates have been settled i.e. settlement rate stood at 57.2 per cent. As per assessment of the Ministry of Rural Development during FY 2014-15, out of our 14 RSETIs, 11 RSETIs received "AA" grade, 2 RSETIs received "AB" grade while 1 RSETI received "BB" grade. The final grades have been sent to Ministry of Rural Development for confirmation.

- 14.7. **Lead Bank Scheme:** As part of its drive to reach out to the unbanked areas, your Bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 states as given below:

Table 11: Position under Lead Bank Scheme		
S. No.	State	District
1	Bihar	Khagaria and Samastipur
2	Kerala	Ernakulam and Idukki
3	Madhya Pradesh	Rewa, Sidhi and Singrauli
4	Uttar Pradesh	Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur, Mau and Varanasi

14.7.1. Your Bank has a wide presence of 650 branches in these lead districts. As on March 31, 2016 deposits increased to ₹ 34902 crores from ₹ 31125 crore as on March 31, 2015, registering a growth of 12.1 per cent. Advances also increased to ₹ 11138 crores as on March 31, 2016 against the level of ₹ 10760 crores noted in the previous year.

14.8. Regional Rural Banks (RRBs)

14.8.1. Your Bank has made genuine efforts to cater to every segment of the economy. The Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. With a network of 415 CBS branches and spread of over 8 districts of eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar, your Bank continue to serve the rural economy. As on March 31, 2016, business of KGSGB has reached to the level of ₹ 11084 crore, registering a growth of 13.1 per cent over previous year. Deposits, primarily consist of CASA deposits with 60.5 per cent share at a level of ₹ 8498 crore. Priority sector advances contributed 79.8 per cent of total advances of ₹ 2586 crore as on March 31, 2016. Agriculture advances contributed 49.2 per cent of the total advances.

14.8.2. As on March 31, 2016, KGSGB had 41 ATMs, including a talking ATM. The RRB has also introduced ATM enabled KCC for the benefit of farmers. To facilitate faster service delivery, KGSGB also introduced RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system. In addition to fulfilling its priority sector targets, the committed approach towards widening the rural base is expected to continue with a greater pace in the current financial year.

14.9. Financial Inclusion (FI)-Empowering the underserved: Your Bank has ensured that the poor and needy populace has access to affordable credit. With the JAM (Jandhan, Aadhar and Mobile) trinity gaining ground, the Bank has been in its mission to reduce leakages in financial transfers via innovative banking methods as well as to effectively garner small savings towards productive investment throughout FY 2015-16. The Bank has 240.1 lakhs FI accounts (including BC model branchless accounts) with deposit of ₹ 1882 crore, out of which 58.2 lakhs accounts were opened under Pradhan Mantra Jan Dhan Yojana (PMJDY).

Table 12: Progress under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) as on March 31, 2016

Parameters	Achievements of the Bank
Villages covered	18396
Sub Service Areas	5407
Urban Wards	2581
Accounts opened till March 31, 2016	58.2 lac
Added during FY 2015-16	12.2 lac
Deposits	₹ 858 crore
RuPay Cards issued	55.3 lac
Accounts opened through EKYC	1.3 lac
Aadhaar Seeding	16.43 lac

14.10. Micro-loans-Effectively channelizing small savings: Cumulative disbursement through Business Correspondence (BC) Model to Joint Liability Groups (JLGs)/ Self-Help Groups (SHGs) stood at ₹ 2593 crores. As of March 31, 2016, outstanding Micro loans under BC Model, stood at ₹ 1010 crore, up from previous year's level of ₹ 972 crores. The Bank, in its endeavor towards successful implementation of BC Model, has devised two products for lending to SHGs and JLGs as a part of SHG-Bank Linkage program:

14.10.1. Shree Kshetra Dharmashala Rural Development Project (SKDRDP), SHG Groups: This special scheme is being operational in four regions- Belgaum, Bangaluru, Mangalore and Kozhikode. As on March 31, 2016, outstanding under this scheme is ₹ 1009 crore. So far 74309 groups have been linked with total disbursements of ₹ 1937 crore.

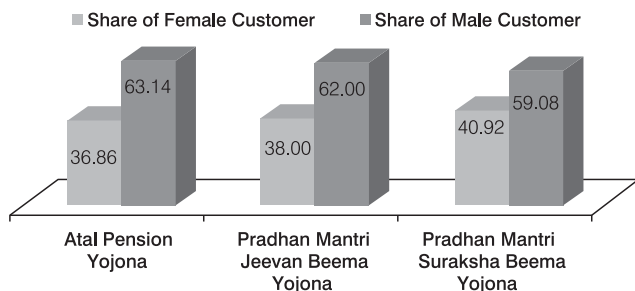
14.10.2. Pragati: (Women JLG Groups): The Bank, in its effort towards women empowerment, has operationalised this scheme in 13 regions with support of FINO. The Bank has extended loans of ₹ 655 crore to 103687 women JLGs as on March 31, 2016.

15. Progress under various Social Security Schemes-A helping hand towards government's Financial Inclusion Mission:

15.1. Your Bank, in line with government's financial inclusion objective, has framed wider vision that includes savings, remittance, credit, government supported insurance and pension products to small and marginal farmers and low income households at reasonable cost with greater reliance on technology for cost reduction. Thus, with every step your Bank is moving closer towards

reaching out to 90 per cent of the underserved by 2021, as envisaged in RBI's Medium Term Path on Financial Inclusion.

Exhibit 2: Progress under various Social Security Schemes



15.2. **Direct Benefit Transfer (DBT):** In an objective to improve the efficiency of social transfer payments, the 14th Finance Commission has recommended vigorous role of States in adopting DBT. Your Bank has played a proactive role in addressing issues pertaining to convenient banking access, Aadhar Linking of beneficiary accounts and related infrastructure challenges. Your Bank has presence in 113 districts and received income/commission of ₹ 58.2 lac for transactions initiated under DBT for FY 2015-16. The disbursement under the scheme upto March 31, 2016 is as follows:

Period	Transaction Initiated at Union Bank branches				Credit received from other banks	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt in lakhs (₹)	Success Records	Amt in lakhs (₹)	Records received as Destination Bank	Amt in lakhs (₹)
FY 2015-16	36,839	1547	15,208	552	2,20,35,238	53,330

15.3. **Mudra Yojana:** The GoI has set up the Mudra scheme for development and refinancing activities relating to micro units. To create an environment of inclusive, sustainable and value based entrepreneurial culture, your Bank has sanctioned a total of ₹ 1997 crore under the Pradhan Mantri's Mudra Yojana.

Loan Category	Sanctioned		Disbursed	
	A/Cs	Amount	Amount	Amount
Shishu	135380	365	103009	340
Kishore	62871	1154	58736	1073
Tarun	6478	478	6061	428
Total	204729	1997	167806	1841

16. Financial Literacy Initiatives-A step towards Inclusive Growth:

16.1. Your Bank has made several initiatives for educating customers about the advantage of getting linked with banks and the role of BCs therein. In June 2015, the Bank organized 60 Financial Literacy Camps for woman in the lead districts in eastern Uttar Pradesh with help of Indian School for Microfinance for Woman (ISMW, Ahmedabad) & about 15000 persons were provided Comprehensive Financial Literacy through camps. To provide a further impetus towards the Bank's financial literacy initiatives, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) sanctioned a financial assistance of ₹ 17.4 lakhs to conduct 116 awareness camps in lead districts of Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh and Jharkhand.

16.2. Identifying the need of BCs in the inclusive growth approach, your Bank has implemented revised remuneration structure to BCs from October, 2015 as per guidelines of Department of Financial Services and Indian Banks Association. Your Bank has facilitated remuneration to Bank Mitras (a synonym for Bank's agent to conduct financial inclusion mission) through escrow mechanism. To ensure uninterrupted services to the last mile customers, your Bank has also developed dashboard to monitor day to day activities of Bank Mitras.

16.3. Your Bank leveraged technology by automating disbursement of overdraft under PMJDY through ATMs and mobiles. The Bank has deployed 5407 micro ATMs capable of doing Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) & RuPay based transactions.

16.4. Your Bank has organized Financial Inclusion Conclaves at Varanasi, Jaunpur & Azamgarh in the month of August 2015. It provided feedback to the government and regulators, on the challenges faced on the path of financial inclusion mission.

17. International Banking:

17.1. Your Bank has played an extensive role in exploring the global financial market and mobilizing the potential resources. During the year, the Bank opened its 4th overseas branch in Sydney (Australia). The Bank is already having its presence at Hong Kong, Dubai International Financial Centre (DIFC), Antwerp (Belgium) in addition to one subsidiary in U.K. and three representative offices in Abu Dhabi (UAE), Beijing and Shanghai (China).

17.2. To ensure transparency as well as accountability in reporting standards, your Bank has implemented Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS). The system has been modified suitably to capture required data to be reported under FATCA / CRS. The export credit stood at ₹ 9507 crore as on March 31, 2016 compared to ₹ 9982 crore as on March 31, 2015. The Bank's NRI deposits increased by 7.1 per cent to ₹ 19535 crore as on March 31, 2016 from ₹ 18236 crore as on March 31, 2015. The non-interest income from forex business noted an annual growth of 8.1 per cent. During FY 2015-16, your Bank categorized one more branch as authorized dealing (AD) branch taking the total number of AD branches to 92. Additional six such branches have been proposed to be categorized as authorised dealing branches during 2016-17.

17.3. Overseas Business:

17.3.1. The total business of the Bank from overseas operations at Honk Kong, Dubai International Financial Centre (DIFC) – Dubai, Antwerp (Belgium) and Sydney (Australia) branches increased by 18.2 per cent over the year to US\$ 4,954 million as on March 31, 2016.

Table 15: Overseas Operations (Amount in US \$ million)				
Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Overseas Deposits	1001	742	259	34.9
Overseas Advances	3953	3448	505	14.7
Total Overseas Business	4954	4190	764	18.2

17.3.2. Your Bank has an ambitious future plan to solidify its presence in the global market. The Bank proposes to commence operations at Shanghai in FY 2016-17 by converting the existing Representative Office into full-fledged branch. The Bank also proposes to open representative offices at Toronto in Canada and Johannesburg in South Africa in FY 2016-17.

18. Treasury Operations:

18.1. In pace with the dynamism of present financial market conditions, encompassing capital structure and long term investments to liquidity and working capital management, your Bank has a dedicated treasury division equipped with modern facilities aimed at delivering treasury services to its clients countrywide. A basket of financial products are offered to the Bank's clients like forwards, options, interest rate swaps and currency swaps facilitated by advanced technology platforms.

18.2. The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income, derivative products, equity and other alternate asset classes. The investment portfolio comprises of investments made in Government securities, state development loans and other approved securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and non-SLR investments like equity shares, corporate debentures, PSU bonds, commercial papers, certificate of deposits, mutual funds, venture capital funds, subsidiaries and joint ventures.

18.3. The Bank was able to capitalize on the opportunity offered by higher yields in the first half of the year to add bonds to the portfolio and enhance profit on sale of investments thereafter. The yield on investment during FY 2015-16 stood at 7.58 per cent as against 7.57 per cent for FY 2014-15. The equity desk of the treasury actively churned its portfolio and booked profits at regular intervals. During FY 2015-16, treasury realized profit of ₹ 914 crores on Sale of Investment vis-a-vis ₹ 708 crore during FY 2014-15.

18.4. Your Bank offers customized solutions using products viz Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps, Interest Rate Futures, Forwards and Options to meet the Interest Rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of the corporate clients. The proprietary trading desk was active in encashing the available arbitrage and booking trading gains. During FY 2015-16, the exchange earnings were ₹ 691 crore vis-a-vis ₹ 665 crore for FY 2014-15. Total Non-Interest Income earned from domestic treasury operation for FY 2015-16 increased to ₹ 1,604 crore from ₹ 1,373 crore during previous year.

Table 16: Treasury Operations (Domestic)			
Components	FY 2015-16	FY 2014-15	Y-o-Y Growth (%)
Yield On Investment (%)	7.58	7.57	1 bps
Profit On Sale Of Investment (₹ crores)	913.74	707.89	29.08
Exchange Earnings (₹ crores)	690.68	665.42	3.80
Non-Interest Income (Domestic Treasury Operation) (₹ crores)	1,604.42	1,373.31	16.83

19. Asset Quality Management

19.1. During FY 2015-16, banking industry witnessed subdued growth in advances and deteriorating asset quality on account of large corporate debt. Maintenance of asset quality has remained a

challenge following the regulator's guidelines of cleaning up balance sheet by March 2017.

- 19.2. Your Bank has in place all the necessary tools and mechanisms to address the stress and will be able to substantially bring down NPAs. Despite the challenging environment, your Bank made cash recovery of ₹ 844 crore in addition to upgradation of accounts to the tune of ₹ 178 crore. Movement of NPA for FY 2015-16 is as under:

Table 17: Movement of NPA (₹ crore)	
Particulars	FY 2015-16
Gross NPAs (Opening)	13031
Additions	12953
Less, Reductions	1812
(I) Upgradation	178
(II) Recoveries	844
(III) Write-off	790
Gross NPAs (Closing)	24171
Net NPAs	
- Opening	6919
- Closing	14026

- 19.3. Under the SARFAESI Act, 2002, during the year, the Bank issued notices to 4386 customers involving aggregate amount of ₹ 2,292 crore and was able to recover ₹ 600 crore. During FY 2015-16, the Bank recovered ₹ 208 crore through Debt Recovery Tribunals and ₹ 64 crore through Lok Adalats. Your Bank made recovery of ₹ 65 crore and ₹ 354 crore under one time settlement schemes (OTS) and special settlement schemes (SSS) respectively during FY 2015-16.

- 19.4. Implementation of UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) Scheme: To revive the debt laden power distribution companies as well as to realign asset portfolio of Banks, the Government of India (GoI) has introduced the UDAY Scheme in November 2015. Your Bank has successfully implemented the scheme in three states viz Rajasthan, U.P & Punjab, to reduce the stressed assets scenario prevailing in the State Electricity Boards (SEBs).

- 19.5. Impaired assets i.e. Standard Restructured advances and GNPA: Your Bank has been able to reduce Standard Restructured advance as percentage of gross advances from a level of 5.2 per cent in FY 2014-15 to 3.1 per cent in FY 2015-16. Impaired assets ratio stood at 11.8 per cent

in FY 2015-16 which is favorably placed vis-à-vis peer Banks/ PSBs.

Table 18: Sector-wise Standard Restructured Assets				
Sl. No.	Sector	Amt. (₹ crore)	% to Standard Restructured Assets	% to Gross Loan
1	Outstanding Standard Restructured Assets W/w	8572	NA	3.1
a.	- SEBs	1311	15.3	0.5
b.	- Stalled projects	300	3.5	0.1

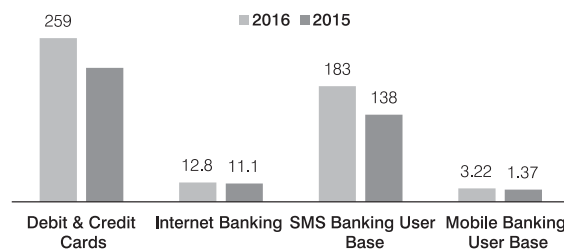
20. **Migration towards Digital Banking:** Your Bank is committed to contribute towards a digital India by increasing penetration of technology driven financial services. Your Bank has been re-engineering itself with the changing dynamics of customers' need and operating environment.

- 20.1. Your Bank offers a choice of channels to customers. These include traditional branch network, ATMs, mobile banking, internet banking, mobile wallet as well as 24*7 call centre in 9 languages.

Table 19: Network of Branches/ATMs		
	FY 2015-16	FY 2014-15
Total Branches	4200	4081
w/w Overseas Branches	4	3
ATMs	6883	7020
w/w Talking ATMs	1662	1706
ATM to branch ratio	1.64	1.72

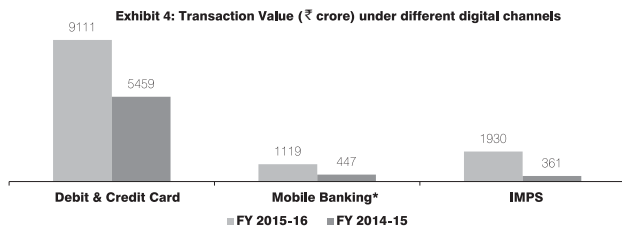
- 20.2. **ATMs and Cards:** Total numbers of ATMs have come down to 6883 as on March 31, 2016 from 7020 noted in previous year due to closure of low hit ATMs, which were a drain on income. As a result, the average daily hits per ATM as of March 2016 improved to 112 from 85 a year ago. The network of talking ATMs stands at 1662 as of March 2016.

Exhibit 3: Customer Base under various Alternate Delivery Channels (in lakhs)



- 20.3. Debit card base of the Bank stood at 257 lakhs as on March 31, 2016. The Bank is providing series of remittance products such as NEFT, IMPS, card-to-card transfer on ATM. Several privileges in the

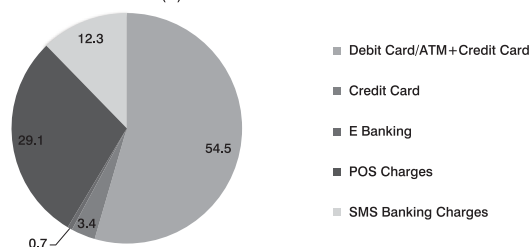
form of reward points are offered to the customers to boost transactions through the digital channels.



*Mobile Banking includes IMPS transactions.

20.4. Internet and Mobile Banking: Your Bank has launched mobile banking application for Android/iPhone/iPad users. Mobile banking users have been doubled within one year. The IMPS service that enables customers to make inter-bank fund transfers through mobile on real time basis is now available on all three channels viz. ATM, mobile banking and internet banking. The IMPS P2A (person to account) transfer through both internet banking and mobile application has also been enabled. The Bank has also implemented payment gateway solutions on college/university portals to collect fee payments.

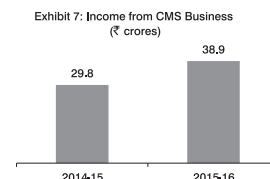
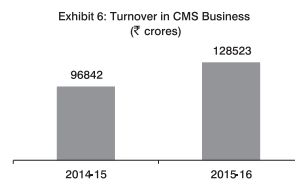
Exhibit 5: Income Share (%) from Alternate Channels FY 2015-16



21. Transaction Banking:

21.1. Currency Chest: Your Bank has endeavored to increase the number of clients for cash depositing/paying/sorting services which is expected to boost the non interest income of the Bank. At present, the Bank has 66 Currency Chests and is in the process of establishing 13 more currency chests. Your Bank has completed the exercise of providing Note Sorting Machines to 1619 branches having average receipts of more than ₹ 30 lac per day. Your Bank has also installed 61 Coin Vending Machines (CVMs) in various branches across the country.

21.2. Cash Management Services (CMS): The CMS division of your Bank has enabled 'Quick, Easy Collection and Pay for Corporates'. During FY 2015-16, your Bank has mobilized 42 new corporate connections under various CMS products and earned a total income of ₹ 39 crore. With the support of a customized MIS, the Bank has catered to the specific corporate requirement of receivables & payables management at a high speed, involving minimal cost. CMS Payments Hub & CMS Branches have carried out 5 lac payments per month worth ₹ 800 crore on an average, which includes entire salary payments of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, NREGA payments, and payments of Labour Welfare Offices, apart from regular payments of Corporates. All the payments of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) under Enterprise Resource Planning (ERP) for 12 states are carried out by CMS, providing us with considerable float and fee income. The virtual account services for catering inward NEFT/RTGS done for Lions Club International, Delhi Development Authority (DDA), etc added valuable CASA to the Bank. Your Bank has launched National Automated Clearing House (NACH) services as part of CMS collections, as a sponsor bank on a business model.



21.3. Merchant Banking: Your Bank will continue to act as a payment banker for the customers for dividends / interest payments and redemption of bonds etc. 'Application Supported by Blocked Amounts' (ASBA) for equity is already made available. Your Bank will continue to strive towards mobilizing the De-Mat accounts and increasing the client base in this segment.

22. Third Party Product Distribution:

22.1. Your Bank is moving a step forward in helping its

customers fulfill their financial needs at different stages of their life, through distribution of third party products viz. Insurance and Mutual Funds through its pan-India branch network. The third party product portfolio of the Bank comprised of the following:

- 22.2. Life Insurance: Your Bank offers life insurance products through its Joint Venture Company viz. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. During FY 2015-16, the Bank has distributed new products like SUD Life Jeevan Ashray, SUD Life Arogyam and SUD Life Aayushman.
- 22.3. General Insurance: Your Bank is also distributing non-life insurance products of New India Assurance Company Ltd under retail & commercial segments.
- 22.5. Health Insurance: The Bank is offering health insurance products of Religare Health Insurance, a standalone health insurer.
- 22.4. Mutual Funds: Investment avenues in the form of Mutual Fund products are also offered by the Bank through its subsidiary viz. Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- 22.6. Besides, your Bank has been actively distributing the schemes launched by GoI to enhance social security of citizens. The portfolio of social security schemes distributed by the Bank comprised of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), with coverage of over 11 Lac and 27 Lac members respectively. During FY 2015-16, your Bank earned ₹ 55 Crore vis-à-vis ₹ 42 crore in FY 2014-15 through distribution of third party products registering annual growth of 29.7 per cent. The Bank shall continue its efforts to increase penetration of third party products to augment its core portfolio.

23. Information Technology:

- 23.1. Robust IT platform has been one of the strategic pillars of the Bank to realize its key goal of customer convenience and delivery of innovative services. Your Bank has always leveraged technology to deliver better products and services with emphasis towards customer satisfaction, increased staff productivity, cost optimization & reduced turnaround time.
- 23.2. Keeping pace with the government's vision of "Digital India", your Bank and Govt. of Maharashtra have joined hands for collection of taxes & receipts. This venture will provide reach

and convenience to the tax payers of Maharashtra at over 500 branches of Union Bank of India located even at the remotest corner of the state. Apart from this, during FY 2015-16, focus has been on digitization of the following:

New paradigm of Branch banking experience:	Financial Inclusion/ Government Business:	Corporate Clients:
• Provision of BNA (Bunch Note Acceptors), CDM (Cheque Deposit Machines), • Barcode based Semi automatic passbook printer, IMPS (Immediate Payment System).	• Government initiated Social Security Schemes such as Vidya Lakshmi scheme for education loans, Life Certificate for pensioners (Jeevan Praman), Tax collection for various states, Stamp duty, Central & State Pensions, Senior Citizen Scheme. • Your Bank has made an arrangement in which it has integrated Core Banking with Maharashtra Virtual Treasury (GRAS) to facilitate Over the Counter taxes/ receipts. This will enable real time updation of records and will be convenient to the tax payers.	• Fee collection for Kendriya Vidyalaya and other Enterprise Resource Planning (ERP) integration institutions.

- 23.3. Your Bank has implemented E-KYC for online Aadhaar based authentication, online PAN authentication and Credit Bureau integration for credit score generation. To secure customer's transactions /data, the Bank has put in well defined Information Security Policies. Your Bank's data centre and DR Site have been awarded with ISO 27001:2013 certification which stands testimony to our compliance with International Standards.
- 23.4. Your Bank is one of the earliest adopter of Business Continuity Management System (BCMS) certification i.e. ISO 22301:2012 among the Banking, Financial services and Insurance (BFSI) sector in India. While digitalizing the transactions, your Bank has provided facility to

- Internet Banking customers for Digital signature certificate based authentication.
- 23.5. During the year, your Bank has introduced many value added services for its account holders. A centralized reporting system of 15G and 15H to Income tax department has been launched to facilitate quick submission of Form 15G/H certificates. Your Bank has also entered into a tie up with M/s Clear tax Technologies which provides assistance in filing of the income tax returns for all customers.
- 23.6. Continuous up-scaling of technology infrastructure has been the prime goal to meet the increasing transaction volumes and roll out of new digital channels. Moving ahead from conventional Infrastructure practices, Cloud based E-Learning platform has been rolled out for cost optimization.
- 23.7. To facilitate prompt decision making, provisions have been made to access data on various parameters through Dash Boards on iPad. Further, your Bank has digitalized internal processes namely closing, audit straight-through processing of transactions using Enterprise Application Interface.
- 23.8. Buzzword for industry today is SMAC (Social Media, Mobility, Analytics and Cloud). Your Bank has made presence in analytics for pitching customers by facilitating the marketing team with analytical data, cloud by launching E-Learning for its internal clients and Mobility by launching various mobile apps.
- 24. Various Technology Initiatives**
- 24.1. **“UNION 24x7 COMFORT”:** Your Bank launched “UNION 24x7 COMFORT” Lobby at 101 locations pan India. This is another major step of the Bank in its journey towards digitisation. Union 24x7 Comfort Lobby provides the state of art technology where customers can meet all their banking needs without visiting the parent branch. Your Bank offers self service facilities in these lobbies which include Card-to-card transfer, Union E-Cash, IMPS fund transfer, Mobile recharge, Aadhar number seeding, Cash Deposit Machine, Cheque Deposit Machine and Self Service Passbook Printer.
- 24.2. **Mobile Passbook (mPassbook):** The Bank launched mPassbook which enables customers to view account statement for a particular period through mobile. mPassbook is available at all mobile app stores viz. Android, iOS, Blackberry, Windows, etc. Customers have to simply download the mPassbook app and start operating it.
- 24.3. **Immediate Payment Service (IMPS) through branches for Retail and Corporate customers:** Your Bank is the pioneer in launching IMPS for its walk-in customers at branches. IMPS facility allows customers to instantly transfer funds up to ₹ 2 lakhs per day, to any other bank account. Your Bank has launched this facility for both retail and corporate customers.
- 24.4. **Mobile wallet:** The Bank launched prepaid mobile wallet “Digipurse” in November 2015, wherein customers can digitally load amounts in the wallet and use it for various services like Mobile recharge, DTH recharge, on line shopping, fund transfer etc. As on March 31, 2016, the user base of “Digipurse” reached to 1.28 Lakh.
- 24.5. **Union Selfie:** To reach the tech savvy Gen Y, your Bank has started with the selfie mode of account opening, a mobile based savings account opening process, which allows a prospective customer to open savings account just by scanning identity details and uploading a selfie photo in a hassle free manner.
- 24.6. Keeping pace with India's digital transformation, your Bank in association with Visa has also launched following three digital initiatives:
- 24.6.1. **Business Debit Card:** This card is issued to all current account customers under a) individual b) proprietorship c) partnership and d) HUF (Karta) category, free of issuance charges. Several benefits are offered to the card holders like entitlement of free lounge access at domestic / international airport twice in each quarter, personal accident insurance cover of ₹ 2 lakhs and etc.
- 24.6.2. **Usecur Credit Card:** This card is issued to the customers of the Bank against lien on term deposits, free of issuance charges. Card holders shall enjoy exclusive offers from Visa on travel, entertainment and dining and also personal accident insurance cover of ₹ 5 lakhs.
- 24.6.3. **Signature Credit Card:** The Bank is also issuing higher variant of credit card i.e Signature Card with a higher spending limit linked to the income of the individual, with a cap of 20 per cent of the annual income. A host of benefits also available for the privileged card holders.
- 25. Risk Management-A proactive approach towards identifying and mitigating risk:**
- 25.1. In a competitive financial environment, your Bank aims to maintain a balance between opportunity and risk. Risk Management function is primarily presided by the Supervisory Committee of

Board (SCB) on Risk Management and ALM at apex level, further supported by operational level committees of top executives. The Board of Directors of your Bank approves the risk strategy and policies while the SCB supervises implementation, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank. Your Bank has adopted a comprehensive approach towards risk management which involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework.

- 25.2. Your Bank has strived to address the three forms of risks viz Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has adopted a well defined risk appetite statement and independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite framework.
- 25.3. Credit Risk Management: Your Bank attempts to maintain a strong asset quality through disciplined credit risk management. The Credit Risk Management Committee (CRMC) oversees the credit risk function in the Bank. Your Bank has strong credit appraisal and risk assessment practices in place for identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures. credit risk policies, credit approving authority, prudential exposures limits, risk rating system, risk based pricing, portfolio management are the various instruments for management of credit risk. Your Bank continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.
- 25.4. Credit Rating and Approval: Your Bank's entire credit portfolio is subject to internal credit rating. For the retail portfolio, the Bank uses a scorecard based approach while for corporate exposures, there are separate models of credit risk assessment for different exposure segments. Your Bank has adopted a standardized and well-defined approval process for all advances, which involves a committee approach for credit sanctions and credit approval committees at various levels. A centralized rating pool has also been set up at Central Office to improve the rating

quality, create a strong rating database and for better administration of rating models.

26. Capital Calculation

- 26.1. Your Bank has implemented the new capital adequacy framework w.e.f. March, 2009. It has adopted standardized approach for credit risk and is gearing up towards complying with the minimum requirements set out for advanced approaches for credit risk. A capital calculation solution meeting IRB requirements is under implementation and the project for migration to FIRB is being guided by a reputed external consultant. In order to estimate credit risk components viz. Probability of default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) & Maturity (M), your Bank has already put in place necessary frameworks and the process of data collection is going on. On the retail front, efforts are being made to create retail pools and assess the PD, LGD and EAD of pools.

27. Market Risk Management:

- 27.1. Market risk refers to the risk of losses in the bank's trading book due to changes in equity prices, interest rates, credit spreads, foreign-exchange rates, commodity prices, and other indicators whose values are set in a market mechanism. Your Bank has tried to mitigate the market risk involved in the banking and trading books via Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Policy. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. The ALM desk and mid office of treasury manage the market risk in the banking and trading books respectively. The ALCO meets regularly to review the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. ALCO also decides on the pricing of assets and liabilities. ALCO does the identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk.
- 27.2. The Bank ensures proactive liquidity management, develops stress scenarios and also has a contingency funding plan in place. Your Bank also has an independent mid office positioned in treasury which reports to Risk Management. It ensures compliance in terms of exposure, limit monitoring and calculation of risk sensitive parameters.
- 27.3. Your Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards.

These include the intraday liquidity management and the Liquidity Coverage Ratio (LCR). The liquidity ratios are computed on a quarterly basis and monitoring and management of liquidity is proactively done.

- 27.4. Currently, market risk capital is computed under the Standardized Measurement Method (SMM). Your Bank has submitted its application to the Reserve Bank of India to migrate to the Internal Models Approach (IMA) under the Advanced Approaches for market risk.

28. Operational Risk Management

- 28.1. The Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank Guidelines. Your Bank has followed comprehensive systems and procedures, internal control system and audit as primary tools for managing operational risk. All new products introduced by the bank pass through a new product approval process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last ten years and the same is analysed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) surveys and identify key risk indicators.
- 28.2. Your Bank is currently following the Basic Indicator Approach for capital computation under Operational Risk. The Bank has received approval from RBI for adoption of "The Standardized Approach (TSA)" for Operational Risk on parallel run basis. ORM project for migration to AMA is being implemented by the Bank with guidance from external consultant. A solution is also under implementation for capital computation under Advanced Approaches for Operational Risk.
- 28.3. As a good corporate governance measure, the Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect the interest of its staff, customers and assets.
- 28.4. The Bank has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in accordance with the Basel Pillar II

norms. It enables the Bank to internally assess and quantify the risks, which are either not captured or adequately captured under Pillar I and also develop appropriate strategies to manage risks under normal and stressed conditions. A comprehensive stress testing framework as per the latest Reserve Bank of India guidelines has also been deployed, which helps to assess the strength of its risk management framework under exceptional but plausible events. The framework facilitates appropriate strategies to be put in place in the event of any adverse circumstances.

29. Performance Evaluation and Profitability Management:

- 29.1. Your Bank has implemented scientific fund transfer pricing system i.e. Matched Fund Transfer Pricing. This system driven transfer pricing mechanism enables transfer pricing at the most granular level i.e. at account level and the transfer rates are also linked to market rates. This system facilitates centralization of Interest Rate Risk at the Central Funding Unit (CFU), where it can be effectively managed. Your Bank has also implemented a module for Cost and Income Allocation which will enable measurement of profitability under various business dimensions. This would pave the way for Risk Based Performance Measurement in future.

30. Implementation of Basel – III

- 30.1. In accordance with Basel-III standards, your Bank has been conducting internal assessment of capital adequacy, liquidity ratios and leverage ratios. It has also been participating in the Quantitative Impact Study (QIS) carried out by RBI to assess the impact of Basel III guidelines since 2010. The disclosure norms under Basel-III are also being complied with. The Bank's capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements. Projections of Capital Adequacy as per Basel III guidelines are also carried out as a part of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and avenues for capital raising are planned accordingly.

31. Group Risk Management

- 31.1. Your Bank through its Group Risk Management Policy, aims to achieve a group-wide approach, to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business. The Bank has participated in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. It is in the process of putting a framework / policy for assessment of risks in its

Group entities, internal controls and mitigation measures and capital assessment under normal and stressed conditions with the assistance of a reputed external Consultant.

32. **KYC-AML**

- 32.1. To strengthen KYC-AML (Know Your Customers-Anti Money Laundering) compliance like issuing notices in vernacular languages, advertisements in local newspapers, incorporation of additional features for customer profiling in the account opening form etc, your Bank has conducted special training sessions / workshops on KYC-AML. One session on KYC-AML has also been introduced in all internal trainings to sensitise staff across the Bank. Programs have also been conducted for branches to ensure timely detection and reporting of counterfeit currency notes. Your Bank has implemented a money laundering software to generate alerts to facilitate detection of suspicious transactions and submission of various reports to regulatory authorities. Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

33. **Fraud Risk Management**

- 33.1. Your Bank has tried to devise an effective, business driven fraud and misconduct risk assessment. The Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Field functionaries are sensitized on the steps to be taken to prevent frauds. Fraud review council meeting is conducted for analyzing the modus operandi adopted in frauds/attempted frauds and corrective actions are suggested to the field functionaries. The special committee of the Board for monitoring frauds is reviewing fraud cases of ₹ 1 crore and above on a quarterly basis. The Bank is in the process of having an enterprise wide Fraud Risk Management solution for prevention and early detection of frauds.

34. **Information Technology Risk**

- 34.1. In line with RBI and Gol guidelines, your Bank has implemented Information Security policy which ensures that information and information systems are protected from unauthorized access/use, disclosure, disruption or modification in order to provide confidentiality, integrity, and availability. The Bank has adopted multi layered security architecture to protect Bank's critical business assets. Your Bank has put in place 24x7x365

dedicated Security Operations Centre (SOC) for monitoring and protection of Bank network and critical assets. Regular information security awareness programs have been conducted for employees, third party vendors and contractors. Information Security precautions are also communicated to the customers.

35. **Compliance Function-Adherence to regulatory Compliance, Statutory Compliance as well as compliance with fair practice codes:**

- 35.1. Your Bank has adopted a robust compliance system along with a well documented compliance policy. The focus of compliance function is adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other codes prescribed/suggested by self regulatory organisations, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.
- 35.2. The role & responsibility of compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. The compliance policy is reviewed annually. Your Bank has a well established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process; compliance certificate is submitted by branches to the higher offices. A compliance package has been established to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry. Periodic compliance test checks put in place for effective implementation of mandatory guidelines.

36. **Internal Audit:**

- 36.1. Your Bank has a system of internal audits, concurrent audit and IS audit to ensure accuracy in reporting standards. The Bank has shifted to Risk Based Internal Audit w.e.f. April 1, 2009. The Bank has developed software for 'Risk Based Internal Audit' which facilitates online compilation of audit reports. The Software was further updated during FY 2015-16 in keeping with MOF guidelines and has been implemented w.e.f. April 1, 2016.
- 36.2. IS AUDIT: In order to safeguard the critical information systems from various vulnerabilities, external /internal threats, IS Audit of all Information systems was carried out for the year 2015-16 by outsourced vendor M/s AUDIT time Information Systems India Ltd. along with the Bank's IS Audit team. The IS Audit of the 30 branches, 12 ROs and 5 FGMOs of the Bank for FY 2015-16 was conducted by the Bank's Internal audit team.
- 36.3. Branch Inspections: In accordance with the

regulatory guidelines, internal audit/inspection of each branch is required to be carried out as per the stipulated periodicity. Newly opened branches are also taken up for audit on completion of six months. Besides internal audit/inspection, your Bank has a system of conducting revenue audit and concurrent audit of selected branches through outside agencies. The scope/coverage of such audits has been laid down as per audit policy FY 2015-16.

- 36.4. The position of branch inspection/internal audit, revenue audit and concurrent audit for FY 2015-16 is as follows:

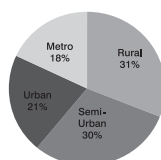
Table 20: Internal & Concurrent Audit Details during FY 2015-16	
Particulars	No. of Branches
Internal Audit	3663
Concurrent Audit	775

- 36.5. Off-site Monitoring Cell (OMC): During the year 2015-16, the Bank has identified the new type of alerts which are being monitored by OMC. These include clean TOD allowed in CD / SB Account, adhoc limit allowed but not adjusted within 3 months, fresh packing credit disbursed despite overdue, new LC discounted of the buyer despite devolvement of LC, import payment made upto US\$ 3,00,000, cash deposit transaction in staff account, bank charges paid to other banks, shortage in cash debited to suspense account and overdue in submission of bill of entry.

37. Network:

Table 21: Branch Expansion					
Particulars/Area	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Total
No of Branches	1311	1253	882	750	4196
Branches (%)	31	30	21	18	100

Your Bank has pan India presence with 61 per cent of the branches are located in rural and semi-urban centres. During FY 2015-16, 125 branches have been opened.



38. Human Resources Management

- 38.1. Banking being a service oriented industry has always emerged to be a 'people business'. Your Bank has played a crucial role in improving organizational efficiency by augmenting Human Resource Management. Your bank has taken proactive role in garnering young talents with the coexistence of age old experience. The Bank is constantly re-inventing its HR practices to establish employee connect and employee

satisfaction.

- 38.2. During FY 2015-16, your Bank has tried to attract new talents through massive recruitments. The Bank is actively involved in enriching its pool of human capital. Hence, it has identified that it is even more important for training system to ensure relevant trainings at right pace, on-boarding and also proper mentoring and hand holding. During FY 2015-16, the Bank has designed a new induction programme of 2-3 weeks for the newly recruited Probationary Officers (POs) to familiarize them with the various banking activities. After the induction training, the POs are given one year on the job training.

- 38.3. **E- Learning Portal:** Your Bank has formulated an e-learning portal to scale up the reach of training system. Modules on different critical and important aspects of Banking are provided to the young workforce of the Bank.

- 38.4. **Shared Service Centre:** Your Bank has introduced a Shared Service Centre which facilitates centralized sanctioning of claims (perquisites) under one roof. This system was set up in order to maintain uniformity across the Bank. It maintains Turn Around Time (TAT) for claim of perks for all the employees, as well as to maintain transparency in sanction of claims. The system has enabled a single click sanctioning of claims through Union Parivar thereby reducing TAT.

- 38.5. **Grievance Redressal Portal -“HR Aapke Dwaar”:** Your Bank has been the first PSB to have a dedicated online grievance redressal portal. 'Happy employees are the most productive employees', keeping this thought in mind, your Bank has started an online grievance redressal portal called “HR Aapke Dwaar” which was inaugurated in Lucknow in August 2015, presently covering all ROs/FGMOs. It was started with an intention to promote a responsive and employee friendly HR at local level as well as to maintain and rationalise TAT for staff administrative functions. The portal provides an easily accessible platform for all staff members to escalate their grievances/complaints for expeditious redressal. It ensures prompt compliance of systems and procedures and staff admin functions.

- 38.6. **Portal on Innovation:** The heart and soul of a company is its creativity & innovation. A platform in the form of dedicated e-mail id innovation@unionbankofindia.com has also been created to motivate the staff and to encourage them to freely communicate with the top officials and give their views/suggestions for the betterment of the organization. A committee of top executives is

also formed to evaluate the suggestions received. So far, 2407 suggestions have been received from our employees under innovation out of which 102 suggestions have already been implemented.

38.7. Performance Management System: During the FY 2015-16, your Bank has defined new job roles with the objective of forming a cohesive team at all levels that would work together for achieving the business goals of the Bank. Besides the new job roles, the Key Result Areas (KRAs) and Key Performance Indicators (KPIs) of employees have been re-visited, so as to make them more objective, business-oriented and more meaningful to their respective roles.

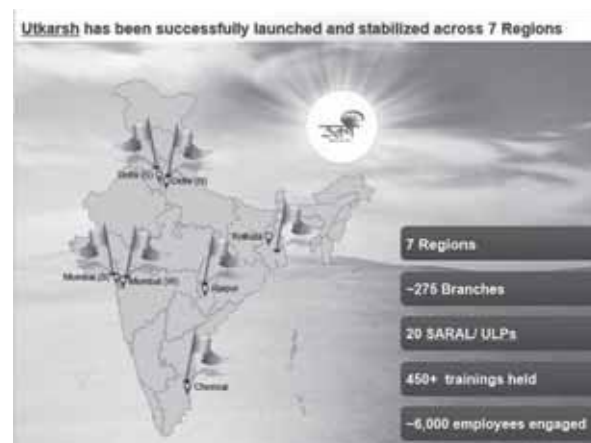
38.8. Project Utkarsh:

38.8.1. Your Bank embarked upon a journey of business process transformation – under the flag of Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives – enhanced customer experience, superior process efficiency and improved employee productivity. These objectives are being achieved through 6 key initiatives undertaken by the Bank:

- Union Xperience : Revamping operating model and organizational structure of retail branches;
- Revamping of ULPs for retail business;
- Revamping of SARALs for MSME business;
- Digital Channel: Maximize performance and returns from Multi-channel (e.g. ATM, internet, mobile);
- Improved HR practices and employee processes through key initiatives like shared service center, succession planning, employee enrichment and engagement programs.

38.8.2. The Business Intelligence Unit (BIU) and Data Analytics: The Bank has established Business Intelligence solution, which is being used for

monitoring various parameters in addition to conducting data updation, redeveloping predictive models as well as developing insights into the broader market/customer base that can be addressed with Customer Relationship Management (CRM) campaigns. Under Data Analytics, NPTB (Next Product To Buy) Model has been launched through Finacle across Union Xperience branches. This helps the front line staff in offering products / services more relevant to the customers during their interface with them, thereby increasing the probability of conversion. Various campaigns based on recommendations emerged out of Data Analytics have been launched and resulted in better productivity in initially launched regions. Project Utkarsh has been launched in 7 regions across India.



38.9. Manpower Strength: The total Manpower of the Bank as on March 31, 2016 stood at 35514. Your Bank recruited 2,114 employees comprising 790 probationary officers, 505 specialist officers, 521 clerks and 298 subordinate staff during FY 2015-16. On the specialized cadre, 495 employees have been engaged during FY 2015-16. With these recruitments, your Bank has become younger with average age of employee coming down to below 40 years.

Table 22: Category of Employees

Year	Officers		Clerks		Sub-staff		Total	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
2014-15	14454	3836	8462	3269	4708	785	27624	7890
2015-16	14710	4168	8552	3202	4140	701	27402	8071

38.10. Reservation policy: Your Bank has continued to implement the Govt's Reservation Policy in letter and spirit. The reservation rosters reflecting the various reserved categories have been updated up to the recruitment year 2014 and have been inspected by the chief liaison officer in the Bank. Efforts were continued in resolving all the grievances of the various reserved categories and to maintain a cordial relation with them as also to assist in their career progression.

Table 22 A: Category of Employees

Category	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees, Of which	18878	11754	4841	35473
Scheduled Castes (SCs)	3215	2477	1811	7503
Scheduled Tribes (STs)	1362	759	433	2554
Other Backward Classes (OBCs)	4465	3116	1284	8865
Memo Items:				
- Persons with Disability (PWD)	331	217	74	622
- Ex-Servicemen	184	936	541	1661
- Women	4168	3202	701	8071
- Minority Communities	1513	992	372	2877

39. Training:

39.1. The training System of your Bank is actively involved in promoting a culture of continuous learning for development of individual & organisation and ensures that learning from the training culminated improved work practices. With the objective to impart relevant training to staff members, the Bank conducted 818 Calendar Programs and 521 locational Programs during FY 2015-16.

39.2. Locational programs were also conducted on Softskills, Credit Monitoring & Restructuring, BCSBI Codes, Compliance & Profit Maximisation and Capital Conservation as per the requirement of the Corporate Office and field.

39.3. During the year 2015-16, focused programs were conducted in the areas of NPA Management, Credit Monitoring, MSME, CASA, and Retail Advances & Agri Investment Credit for selected branches of selected Zone in tune with the corporate concerns. Training System also conducted two special programs for visually impaired staff members to equip them to handle banking operations through JAWS Software. As a part of customer education initiative, the training system has piloted one program for pensioners covering 84 customers.

40. Industrial Relations:

40.1. The industrial relations scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority trade unions and resolving all the contentious issues. Cases involving disciplinary matter were disposed off speedily in the most judicious manner with a human face.

41. **Official Language Implementation:** During the year, your Bank made efforts to comply with the

provisions of Govt. of India (GoI), with regard to Official Language Policy of government, which is evident from the 53 prizes/awards received by your Bank from GoI, RBI and different government agencies for excellent implementation of Official Language and progressive use of Hindi in the Bank. Your Bank patroned several publication of Hindi book on 'Digital Banking-Vividh Aayam', comics in Hindi- "Rajbhasha ke rang Cartoonist ke sang", Hindi house journals as also Hindi reference materials on banking subjects by all Regional Offices. Your Bank also organized online Hindi competitions on Rajbhasha and Banking, for executives and staff members respectively to motivate them for use of official language Hindi in their routine activities. The Bank's quarterly house journal "Union Dhara" continued to be an excellent source of communication between the management and employees of the Bank. For operational convenience, the facility of Internet Banking has been made available in Hindi. Your Bank successfully organized a two days Official Language Conference for Banks, Insurance Companies and Financial Institutions in Gangtok (Sikkim) under the aegis of Financial Services Department, Ministry of Finance, Govt. of India.

42. Vigilance- An Endeavour to create an ethical climate

42.1. In line with the Central Vigilance Commission Act, 2003 as well as RBI's guidelines issued in May 2011, your Bank has evolved a suitable structure which would scrutinize all cases where any foul play is suspected from vigilance angle. Your Bank has struck a fine balance between the role of risk taking and its responsibility as trustees of public deposits. Vigilance cases have been reduced to 119 as on March 31, 2016 compared to 147 in March 31, 2015 and 189 for March 31, 2014. Average disposal time has also been reduced

from 8 months as on March 2015 to 6.79 months as of March 2016. Your Bank has also conducted 1236 interactive preventive vigilance sessions with field functionaries of various offices, to create necessary awareness of systems and procedures and to sensitize them about the pitfalls of non-compliance during the year ended March 2016 as against 766 during the year ended March 2015.

42.2. Union Vigil- Providing immediate real time online vigilance clearance: The Bank has also a dedicated website named 'UNION VIGIL' for the purpose which conducts all important functions online viz.

- Lodging complaints with guaranteed confidentiality under 'Whistle Blower Policy'. An element of incentivisation has also been introduced in the 'Whistle Blower Policy'.
- Online vigilance clearance,
- Generation of Preventive Vigilance Reports etc.
- The website also contains a link, 'Knowledge Hub' where important checklists related to credit monitoring, advances proposals including agriculture, retail, trade and others, Do's and Don'ts at branches and useful Finacle Menus for effective control are available.

42.3. "VIGITHON: A RUN FOR CORRUPTION-FREE INDIA": On October 25, 2015, your Bank organized an anti-corruption run "VIGITHON: A RUN FOR CORRUPTION-FREE INDIA" in Mumbai, in an attempt to bring all stakeholders together at a common platform to create sensitization against corruption across the country. The run was organized as a pre-cursor to the "Vigilance Awareness Week" which was observed from 26th October to 31st October, 2015. This is the first time in India that any Public Sector Bank/ Enterprise has organized any run against corruption. Huge response was received from general public, customers and employees of the Bank. 'VIGITHON' was also organized at other eighteen metro centres / cities, across the country.

42.4. Under the guidance of Central Vigilance Commission, a short film with a theme of 'importance of honesty in public life' has been conceptualized, by your Bank, on behalf of entire public sector financial institutions. The film has received great response and has been proved to be an effective medium to aptly deliver the message of remaining alert, vigil & cautious, while performing duties.

43. Outlook:

43.1. Indian economy continues to gain from lower oil prices, controlled inflation as well as structural policy reforms. Central government's initiatives to simplify tax structure, bring in bankruptcy law, encouraging innovation & business (through start up India, Skill India, Make in India) and revamping the financial sector with strong steps to clear the balance sheets of banks, could be path driver of the economic reforms. Reviving infrastructure base with more focus on public private partnership to drive private investment would lead to faster growth of the sector. Expectations of above the normal monsoon in the coming year may provide relief for the subdued agricultural sector. Asset quality of banks remain a major challenge for the overall economic environment. With increasing stressed assets, balance sheet of banks weakens further (Nifty CNX PSU banks declines to 2449 in FY 2015-16 from 3410 in FY 2014-15). The RBI's resolve of cleaning the balance sheet by March 2017 would continue to put a pressure on the balance sheets of the banks, making it necessary to set up a higher provision amount. A well developed corporate bond market would enable infrastructure lending on easier terms and would reduce the stressed assets position of the banks. Moreover, RBI's efforts for easing the liquidity conditions are expected to provide a relief to the banks in the current financial year. The adoption of Marginal Cost of Funds based Lending Rate would facilitate in quicker transmission of rates, thus expanding the loan portfolio of the banks and enabling them to drive up the business environment.

43.2. Your Bank is taking appropriate steps to ensure that short term as well as long term aspirations of the stakeholders are fulfilled. After the asset quality review during the quarter ending December 2015 and March 2016 coupled with turnaround of the economy, banking environment is likely to be benefitted in the long run. The Bank already initiated various measures under Project Utkarsh aiming at process redesigning, upliftment of the sale performance, analytics based campaign management and improvising the digital channels. With its strong HDR framework (Human Capital, Digital Banking and Risk Management), your Bank continue to rebalance its asset and liability portfolios to generate margins and optimize capital requirements. The Bank is committed to add significant value for all its stakeholders.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.
- 1.3 Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:
- Procedures for Board and its various Committees
 - Compliance
 - Relation with shareholders
 - Disclosures by Directors
 - Corporate Social Responsibility and
 - Other miscellaneous issues viz, Code of Conduct, Prohibition of Insider Trading, Related Party

Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- 2.2 The responsibilities of the Board include Development of new products, Business Reviews in relation to targets, approval of policies concerning credit, operational, market, liquidity risks, assessing the independence of the risk function, Detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and reported NPA and provisioning integrity, compliance of statutory guidelines, Customer Protection, Financial Inclusion, overall supervision of Human Resources.
- 2.3 The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodical intervals.
- 2.4 As on 31st March, 2016, the Board comprised of three whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and two Executive Directors appointed by the Government of India besides eight Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.5 **Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2016 is as under:**

Sr. No.	Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.16	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.16)
1	Shri Arun Tiwari Chairman & Managing Director (Executive)	26-12-2013	MCB, SCR&ALM, SCMF, RMC, CSCB, HR, DPC, DPC-V, STCB, RCNCB, RCWDB, ESD, CAC	Nil	2	2	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 30.06.2017 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of: • Union Bank of India (UK) Ltd. • Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd. • General Insurance Corporation of India • Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. • The New India Assurance Company Limited • Indian Institute of Banking & Finance

Sr. No.	Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.16	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.16)
2	Shri Rakesh Sethi Executive Director (Executive)	05-08-2013	MCB, ACB, SCR&ALM, SCMF, RMC, CSCB, HR, SRC, IT, STCB, ESD, CAC	Nil	3	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of: - Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd. - Union Bank of India (UK) Ltd.
3	Shri Vinod Kathuria Executive Director (Executive)	22-01-2016	MCB, SCR&ALM, RMC, CSCB, HR, SRC, IT, STCB, ESD, CAC	Nil	1	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 31.07.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
4	Shri Mihir Kumar Government Nominee Director (Non-Executive)	25-11-2014	ACB, SCR&ALM, SCMF, RMC, CSCB, HR, NCB, RCB, DPC, DPC-V	Nil	1	Nil	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
5	Shri Anil Kumar Misra RBI Nominee Director (Non-Executive)	06-07-2015	MCB, ACB, RCB, DPC, DPC-V	Nil	1	Nil	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
6	Shri Jag Mohan Sharma CA Director (Non-Executive)	05-12-2013	ACB, SCR&ALM, SCMF, CSCB, SRC, NCB	Nil	2	1	Nominated as a Director under the Chartered Accountant category by Central Government u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.
7	Shri Shri Kant Misra Part Time Non Official Director (Non-Executive)	11-04-2013	SCR&ALM, SCMF, CSCB, SRC, IT, ESD	Nil	1	Nil	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.
8	Sushri Anusuiya Sharma Part Time Non Official Director (Non-Executive)	06-05-2013	MCB, SCR&ALM, CSCB, SRC, NCB, RCB	Nil	1	Nil	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

Sr. No.	Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.16	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.16)
9	Dr. R. H. Dholakia Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	MCB, CSCB, HR, RCB, RCWDB,	200	2	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018. He is also Director on the Board of: - Air India Ltd. - Adani Enterprises Ltd. - Gujarat State Petroleum Corporation Ltd.
10	Shri Gopal Krishan Lath Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	MCB, ACB, RCNCB, RCWDB,	100	1	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.
11	Dr. Uttam Kumar Sarkar Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	SCR&ALM, CSCB, IT, RCNCB, ESD	100	Nil	Nil	Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.

ACB	-	Audit Committee of the Board
CAC	-	Credit Approval Committee
CSCB	-	Customer Service Committee of the Board
DPC	-	Directors' Promotion Committee
DPC (V)	-	Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance
ESD	-	Election of Shareholders Voting by Public Sector Banks.
HR	-	Sub Committee of the Board for HR issues
IT	-	IT Strategy Committee of the Board
MCB	-	Management Committee of the Board
NCB	-	Nomination Committee of the Board
RCB	-	Remuneration Committee of the Board
RCNCB	-	Review Committee of the Board on classification of the Borrower as Non Cooperative Borrower
RCWDB	-	Review Committee on Willful Defaulters of the Bank
RMC	-	Recovery Management Committee of the Board
SCMF	-	Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above
SCR & ALM	-	Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee of the Board
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board

2.6 Appointments/Cessation during the Financial Year 2015-16:

Appointments: A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2015-16 is as under:-

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
1.	Dr. R. H. Dholakia	62	27-06-2015 (Re-elected)	26-06-2018	Economics	Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 63 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 37 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Univ. of Toronto). He is a Director on the Boards of Air India, Adani Enterprises Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited. He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of economic development and policies.
2.	Shri G. K. Lath	63	27-06-2015 (Re-elected)	26-06-2018	Finance & Audit	Shri Lath from Lucknow aged 64 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 36 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since more than 29 years. Shri Lath is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects. Shri Lath was also a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labour and Employment, Government of India". He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for "fixation of fees of private engineering colleges in U.P."
3.	Dr. Uttam Kumar Sarkar	50	27-06-2015	26-06-2018	Information Technology	Dr. Uttam Kumar Sarkar did his B.Tech, M.Tech, and Ph.D in the department of Computer Science and Engineering of IIT Kharagpur. Having served a Design Automation multinational industry in a senior position and IIT Delhi as an Assistant Professor he is with IIM Calcutta since 1997 where he is presently a Professor in Management Information System Group and also the Dean of New Initiatives and External Relations. He had spent four years as a visiting faculty in a University in Florida, USA. His primary teaching interests include data mining and business analytics. His research publications appeared in major international journals and he carried consulting assignments for the Government of India in areas including education, food processing, agriculture, and automation.

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
4.	Shri Anil Kumar Misra	57	06-07-2015	-	Banking	As a career central banker, Shri Anil Kumar Misra, a Chief General Manager with the Reserve Bank of India (RBI), Central Office, Mumbai, has over three decades of cross-functional financial-sector experience, with significant exposure to regulation and supervision of the Indian banking and non-banking credit intermediaries, an area where he spent over a decade. His international experience includes four-and-a-half years' secondment from the RBI to the Financial Stability Board (FSB), which is the financial regulatory arm of the G20 and is hosted by the Bank for International Settlements, Basel, Switzerland. As a Member of Secretariat of the FSB and given the unique G20-mandated role of the FSB in coordinating the work of the international standard setters for promoting global financial stability, he gained rich exposure to a range of global systemic issues and the evolution of various cross-sectoral international financial standards to address them. He was closely involved in disseminating the major G20-endorsed global initiatives for financial sector reforms through the FSB's outreach strategy via its world-wide six Regional Consultative Groups, comprising over 65 countries (apart from the 24 member countries of the FSB) including many emerging market and developing economies. He also made critical contribution to evolving and implementing the G20-mandated governance reforms of the FSB, which led to structural changes in the FSB. He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).
5.	Shri Vinod Kathuria	57	22-01-2016	upto 31.07.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.	Banking	Shri Vinod Kathuria has joined Union Bank of India as an Executive Director on 22nd January, 2016. Shri Vinod Kathuria is Masters in Commerce from Delhi University and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He joined Punjab National Bank as a Management Trainee in 1983 and has gained vast experience spanning over more than 32 years in various facets of Banking. During his tenure at Punjab National Bank, Mr Kathuria headed the Treasury Division at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai for 2 years plus. He has also handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury with a focus on Corporate Credit & Investment. Before joining Union Bank of India, Shri Kathuria headed the Agra Zone of Punjab National Bank which covers the Central Region of Uttar Pradesh State. With knowledge and experience gained by Shri Kathuria in the field of Treasury and Corporate Credit, he was entrusted the assignment of formation of Bhartiya Mahila Bank by the Ministry of Finance (MoF) wherein he was member of the Core Management Team. Similarly, Shri Kathuria was also member of the Committee of Tier I Perpetual Bonds under Basel III Norms, the initiative taken by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India. Having niche in market operations, Shri Kathuria also served as the member of the committee formed by SEBI overseeing working of the Board of MCX-SX. He was a Director on the Board of Principal Trustee Co. Pvt. Ltd., a Nominee Director on the Board of India Factoring and Finance Solutions Private Ltd. and Managing Director of PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2015-16:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Deepak Singhal	RBI Nominee Director	05.07.2015	Substituted by Shri Anil Kumar Misra
2.	Shri Dipankar Chatterji	Shareholder Director	26.06.2015	Term completed
3.	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	26.06.2015	Term completed*
4.	Shri G. K. Lath	Shareholder Director	26.06.2015	Term completed*
5.	Shri K. Subrahmanyam	Executive Director	31.07.2015	Superannuation
6.	Shri Kishor Kharat	Executive Director	14.08.2015	Elevated to the post of MD & CEO, IDBI

*Dr. R. H. Dholakia and Shri G. K. Lath were re-elected as Shareholder Directors for a new term of three years w.e.f. 27.06.2015, in the Annual General Meeting held on 26.06.2015.

2.7 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

2.8 Committee Membership of Directors

Sr. No.	Name of Director	Designation	Name of Company	Name of Committee	Member/Chairman
1	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	New India Assurance Company Limited	Audit Committee	Chairman
2	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	General Insurance Corporation of India	Audit Committee	Chairman
3	Shri Rakesh Sethi	Executive Director	Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd.	Audit, Risk and Compliance Committee	Member
4	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	Adani Enterprises Ltd.	Audit Committee	Chairman
5	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	Adani Enterprises Ltd.	Stakeholders' Relationship Committee	Member
6	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	Gujarat State Petroleum Corporation Limited	Audit Committee	Chairman

2.9 Details of Familiarization Programmes attended by Directors:

The details of training programmes attended by Directors of the Bank is made available on Bank's website under the following link: <http://www.unionbankofindia.co.in/familiarisation.aspx>

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Friday, 26th June, 2015 where the following directors were present:

Sr. No.	Name of Director	Designation
1.	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director
2.	Shri K. Subrahmanyam	Executive Director
3.	Shri Rakesh Sethi	Executive Director
4.	Shri Kishor Kharat	Executive Director
5.	Shri Jag Mohan Sharma	Director-Chartered Accountant
6.	Shri Gopal Krishan Lath	Shareholder Director & Member - Audit Committee of the Board
7.	Sushri Anusuiya Sharma	Part-time Non-official Director

4. BOARD MEETINGS AND PROCEEDINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2015-16:

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
1.	24-04-2015	12	11
2.	11-05-2015	12	10
3.	12-05-2015	12	11
4.	21-05-2015	12	8
5.	06-06-2015	12	10
6.	25-06-2015	12	8
7.	16-07-2015	12	11
8.	28-07-2015	12	9
9.	26-08-2015	10	8
10.	22-09-2015	10	9
11.	05-11-2015	10	7
12.	06-11-2015	10	8

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
13.	07-12-2015	10	9
14.	05-01-2016	10	9
15.	10-02-2016	11	9
16.	11-02-2016	11	9
17.	12-03-2016	11	11
18.	12-03-2016	11	10

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	18	18
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	8	7
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	18	18
Shri Kishor Kharat, Executive Director	8	5
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	18	4
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	6	4
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	12	8
Shri Jag Mohan Sharma, Chartered Accountant Director	18	17
Shri S. K. Misra, Part Time Non Official Director	18	17
Sushri A. Sharma, Part Time Non Official Director	18	17
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	6	5
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	18	18
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	18	15
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	12	10

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Supervisory Committee of Director on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)
4. Special Committee of the Board for monitoring cases of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of Board (RMC)
6. Customer Service Committee of Board of Directors (CSCB)
7. HR Sub-Committee of Directors (HR)
8. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee of Directors (ITS)
10. Nomination Committee of Board (NCB)
11. Remuneration Committee of Board (RCB)
12. Directors Promotion Committee (DPC)
13. Directors Promotion Committee- Vigilance /non-vigilance (DPC-VIG.)
14. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
15. Review Committee of the Board on classification of the Borrower as Non Cooperative Borrower (RCNCB)
16. Review Committee on willful Defaulters of the Bank (RCWDB)
17. Sub Committee of the Board to decide on election of Shareholders' Directors – Voting by PSBs (ESD)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Credit Approval Committee-I (CAC - I)

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board as on 31.03.2016 consists of –

- Chairman & Managing Director,
- Executive Director/s,

- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

5.1.2 Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

5.1.3 Attendance of MCB Meetings

During the year 2015-16, 24 meetings of Management Committee of the Board were held and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	24	24
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	9	7
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	24	20
Shri Kishor Kharat, Executive Director	10	6
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	5	5
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	17	13
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	7	6
Sushri Anusuiya Sharma, Part-time Non –Official Director	17	16
Shri S. K. Misra, Part-time Non –Official Director	11	7
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	2	0
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	17	11
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	15	14
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	11	7

5.2 Audit Committee of the Board of Directors (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The Audit Committee of the Board consists of following members –

- Executive Director incharge of internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Shri G. K. Lath, Shareholder Director is the Chairman of the Committee.

5.2.2 Functions

The Audit Committee of the Board reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping.

3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.

5.2.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 11 times during the year 2015-16 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Dipankar Chatterji, Chairman of the Committee	2	2
Shri G. K. Lath, Chairman of the Committee	11	11
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	3	3
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	11	11
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	2	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	11	3
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	2	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	9	5
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	9	9

5.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

5.3.1 Composition:

The Bank has constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. The Committee consists of the following members:

- Chairman & Managing Director,
- Executive Directors and
- Five Non-Executive Directors.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

5.3.2 Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

5.3.3 Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 4 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	4	2
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	1	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	4	1
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	3	3
Shri S. K. Misra, Part -time Non –Official Director	4	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part -time Non –Official Director	3	3
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	1	1
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	1	0
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	2

5.4 **Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)**

5.4.1 **Composition:**

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

5.4.2 **Functions:**

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

5.4.3 **Attendance of SCMF**

The Committee has held 4 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	4	2
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	4	3
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	1	1
Shri S. K. Misra, Part time Non Official Director	3	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	1	1

5.5 **Recovery Management Committee (RMC)**

5.5.1 **Composition:**

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board. The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Director(s)
- Government of India Nominee Director

5.5.2 **Functions:**

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

5.5.3 **Attendance of Recovery Management Committee**

The Committee has held 3 meetings during the year 2015-2016 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	3	3
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	1	0

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	3	3
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	3	3

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	1	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	4	0
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	3	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	4	4
Shri S. K. Misra, Part time Non Official Director	4	3
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	1	1
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	2
Shri N. Srivastava, Chief Customer Care Officer	4	4
Shri Ravindranath, Special Invitee	4	4
Shri Jagannathan, Special Invitee	4	4

5.6 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

5.6.1 Composition:

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Five Non-Executive Directors
- Chief Customer Care Officer
- Two Experts as special invitees.

5.6.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.
- To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

5.6.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	4	2
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	0

5.7 HR Sub-Committee of Directors

5.7.1 Composition

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Directors and any two Directors. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

5.7.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - Reward and incentives

- Promotions
- Deployment

4. Training

- Specialist business skills training
- General retraining / reorientation for all staff

5. IT automation of all HR related activities

5.7.3 Attendance of HR Sub-Committee of Directors

The Committee has held 4 meetings during the year 2015-2016 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri K.Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	4	3
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	4	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4
Shri T. V. Rao, Special Invitee	4	3
Shri R. R. Nair, Special Invitee	4	4

5.8 Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC)

5.8.1 Composition:

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors. Shri Jag Mohan Sharma, Non-Executive Director (CA Category) is the Chairman of the Committee.

5.8.2 Functions:

The Committee monitors the grievances and complaints of the security holders of the Bank regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

5.8.3 Attendance of SRC

The Committee has held 4 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Jag Mohan Sharma, Chairman of the Committee	4	4
Shri K.Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	4	4
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuriya, Executive Director	1	1
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	1	1
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	4	4
Shri S. K. Misra, Part time Non Official Director	3	3

5.8.4 Name & Designation of Compliance Officer

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Ms. Neha Agrawal, Company Secretary was designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances for the period from 01.04.2015 to 30.12.2015. Mr. Dipak D. Sanghavi, ACS, Board Secretary is Acting Compliance Officer for Investor Grievances from 31.12.2015 to till date.

5.8.5 Details of Shareholder Complaints during the year 2015-16

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2016 vis-à-vis 31.03.2015 is as under:-

Particulars		For F.Y. ended 31.03.16	For F.Y. ended 31.03.15
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	0	0
b.	No. of shareholders complaints received during the year	783	766
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	781	766
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	2*	0

*These complaints were received on 31.03.2016 and have been redressed by 04.04.2016.

5.9 IT Strategy Committee of Directors

5.9.1 Composition

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Two Independent Directors
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

5.9.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance. (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the

management has resources to ensure the proper management of IT risks.

- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.

5.9.3 Attendance of IT Strategy Committee of Directors

The Committee has held 3 meetings during the year 2015-2016 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri S. K. Misra, Chairman of the Committee	3	3
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	1	1
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	3	3
Shri Kishor Kharat, Executive Director	1	1
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	2
Shri R. Kandasamy, GM – IT	3	3

5.10 Nomination Committee of the Board (NCB)

5.10.1 Composition:

The Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. In terms of said guidelines, Bank has constituted a Nomination Committee consisting of three Non-Executive Directors to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of Shareholder Directors.

5.10.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity,

would hamper the existing elected director/ proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.

- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

5.10.3 Attendance of NCB

The Committee met once during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Mihir Kumar, Chairman of the Committee	1	1
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	1	1
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	1	1

5.11 Remuneration Committee of the Board (RCB)

5.11.1 Composition:

Government of India (GoI) has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed. The Committee is constituted with following member:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

5.11.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GoI guidelines.

5.11.3 Attendance of RCB

The Committee met once during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	\
Shri Mihir Kumar, Chairman of the Committee	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	1	1
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	1	0
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	1	1

5.12 Directors Promotion Committee (DPC)

5.12.1 Composition:

As per guidelines of Government of India 'Directors Promotion Committee' is constituted to deal with promotions at senior level. The Committee consists of:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

5.12.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

5.12.3 Attendance of DPC

The DPC-Promotion Committee met thrice during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	3	3
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	2	2

5.13 Directors Promotion Committee – Vigilance/ Non-vigilance

5.13.1 Composition:

Ministry of Finance, Government of India has directed that the Directors Promotion Committee of the Bank should also review vigilance disciplinary cases & departmental inquiries on a quarterly basis. The Committee consists of:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

5.13.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

5.13.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance:

The Committee has held 3 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	3	3
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	2	2

5.14 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

5.14.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chief Law Officer and Deputy General Manager (MDO).

5.14.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

5.14.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee met 39 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	39	38
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	12	8
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	39	31
Shri Kishor Kharat, Executive Director	14	12
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	8	8
Shri P. R. Rajagopal, Chief Law Officer	39	35
Shri Dipak D Sanghavi, Dy General Manager-MDO	39	37

5.15 Review Committee of the Board on Classification of the Borrower as Non-Cooperative Borrower (RCNCB)

5.15.1 Composition:

The Review Committee of the Board on Classification of the Borrower as Non-Cooperative Borrower has been constituted in pursuance of RBI guidelines to review the orders on classification of the Borrower as Non-Cooperative passed by the Approving Committee. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director
- Two Independent Directors (Shareholder Directors)

5.15.2 Functions:

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.
- On a half-yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.

5.15.3 Attendance of RCNCB:

The Committee has held 1 meeting during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	1	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

5.16 Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)

5.16.1 Composition:

Pursuant to RBI guidelines on Willful Defaulters the Bank has constituted Review Committee on Willful Defaulters of the Bank. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director
- Any two Independent Directors (Shareholder Directors)

5.16.2 Functions:

- Review & Confirm the orders passed by Committee headed by Executive Directors on classification of Borrowers as Willful Defaulters.

5.16.3 Attendance of RCWDB:

The Committee has held 2 meetings during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	2	2
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	2

5.17 Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors –Voting by Public Sector Banks (ESD)

5.17.1 Composition:

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India,

the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Chairman & Managing Director to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two other members nominated by the Board.

5.17.2 Functions:

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of share holder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

5.17.3 Attendance of ESD

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2015-16.

5.18 Election Dispute Committee (EDC)

5.18.1 Composition:

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, If any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

5.18.2 Functions:

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

5.18.3 Attendance of EDC:

The Committee has held 1 meeting during the year 2015-16 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	1	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	1	1

5.19 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

5.19.1 Composition:

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 400 crore and group exposure upto ₹ 800 crore in case of our Bank and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board. The composition of CAC-I is as under:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- General Manager In-charge of the credit
- General Manager In-charge of the Finance: and
- General Manager In-charge of the Risk Management

5.19.2 Functions:

All credit related matters including approval/review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

5.19.3 Attendance of Credit Approval Committee-I

The Committee has held 22 meetings during the year 2015-2016 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	22	22
Shri K. Subrahmanyam, Executive Director	8	5

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	22	21
Shri Kishor Kharat, Executive Director	10	7
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Attendees by Designation		
GM(FPIR)	22	22
GM (RMD)	22	22
GMs(Credit)	22	22

6 GENERAL BODY MEETINGS:

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Eleventh Annual General Meeting	26 th June, 2013 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	14 th December, 2013 at 10 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Twelfth Annual General Meeting	27 th June, 2014 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Thirteenth Annual General Meeting	26 th June, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	18 th September, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the General Meetings are as under:

6.1 Extraordinary General Meeting held on 14th December, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (Gol)

- To create, offer, issue and allot up to 3,35,12,064 (Three crores thirty five lacs twelve thousand sixty four) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 500/- crore (Rupees Five Hundred Crore only) on preferential basis to Govt. of India.
- To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 each into 74,39,678 (Seventy four lacs thirty nine thousand six hundred seventy eight) equity shares of ₹ 10/-each at conversion price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 111/- crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386/- crore (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from Gol and 3,35,12,064 (Three Crore thirty five lacs twelve thousand and sixty four) equity shares have been issued and allotted to Gol on 23rd December, 2013.

For Conversion of PNCPS, the Bank has not received necessary approval from Gol till the Annual General Meeting held on 27th June, 2014 and hence, approval of shareholders was sought in the said Annual General Meeting to create, issue and allot equity shares by conversion of PNCPS on preferential basis to Gol.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6.2 Annual General Meeting held on 27th June, 2014

Special resolutions:

1. To Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to the Government of India (Gol)

To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 /- each into 5472563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto ₹ 111/- crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. To Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute

discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions on 12.09.2014 the Bank has allotted 54,72,563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion Price of ₹ 202.83 per equity share (including premium of ₹ 192.83 per equity share) in favour of Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹ 111/- crore (Rupees one hundred and eleven crore only) held by Government of India.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6.3 Annual General Meeting held on 26th June, 2015

Special Resolutions:

1. To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 3700 crore (Rupees Three Thousand Seven Hundred Crore Only) (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ 635.78 crore (Rupees Six Hundred Thirty Five Crore and Seventy Eight Lakhs Only) will be within ₹ 3000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only), being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than

51% of the paid-up Equity Share Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

2. To elect **THREE** Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBOD No. BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 1st, 2007 read with Notification No. DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated May 23rd, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and Letter No. F.No.16/83/2013-BO.I dated September 9th, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25th, 2015 (hereinafter referred as “GOI Guidelines”).

Dr. R. H. Dholakia, Shri G. K. Lath and Dr. Uttam Kumar Sarkar were elected as Directors from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification, GOI Guidelines and were appointed as Directors of the Bank to assume office from 27th June, 2015 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors.

6.4 Extraordinary General Meeting held on 18th September, 2015

Special Resolution:

To create, offer, issue and allot up to 5,16,62,281 (Five Crore Sixteen Lac Sixty Two Thousand Two Hundred and Eighty One) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 209.05 including premium of ₹ 199.05 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 1,080 Crore (Rupees One Thousand and Eighty Crore only) to Government of India on Preferential Basis.

The Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price is Wednesday, 19th August, 2015.

Pursuant to the above resolutions on 30.09.2015 the Bank has allotted 5,16,62,281 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion Price of ₹ 209.05 per equity share (including premium of ₹ 199.05 per equity share) in favour of Government of India on Preferential Basis.

7 DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, GoI and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statutes, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The details of the same are given in the notes to accounts.

1. Sitting Fees:

Sitting Fees are prescribed in terms of clause 17(1)/16(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980. Accordingly, all Non-Executive Directors except

Govt. Nominee Director & RBI Nominee Director are entitled for the Sitting Fees in accordance with Government Notification No.15/1/2011-BO.I dated 20/07/2015:

Board Meetings - ₹ 20,000/- per meeting.

Committee Meetings - ₹ 10,000/- per meeting.

The above information is also available on Bank's website under following link: <http://www.unionbankofindia.co.in/Making-payment.aspx>

2. Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has allotted 5,16,62,281 (Five Crore Sixteen Lacs Sixty Two Thousand Two Hundred Eighty One Only) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion Price of ₹ 209.05 per equity share (including premium of ₹ 199.05 per equity share) in favour of Government of India on Preferential Basis. Consequently, the Government's shareholding has increased from 60.47% to 63.44%. Post conversion, the paid-up capital of the Bank increased to ₹ 687.44 crore from ₹ 635.78 crore.

The Bank has issued Unsecured Non convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II Capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 9.1 of the report.

7.4 Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.5 Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link http://www.unionbankofindia.co.in/Whistle_blower_policy.aspx. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

7.6 Policy for determining Material Subsidiary

In compliance with Regulation 16(1)(c) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link -

http://www.unionbankofindia.co.in/Policy_For_Determining_Material_Subsidiary.aspx

The Bank has complied with Corporate Governance requirements of Listing Regulations with respect to subsidiaries of the Bank.

7.7 Related Party Transaction Policy

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <http://www.unionbankofindia.co.in/RelatedPartyTransactionPolicyforWebsite.aspx>

[RelatedPartyTransactionPolicyforWebsite.aspx](http://www.unionbankofindia.co.in/RelatedPartyTransactionPolicyforWebsite.aspx)

7.8 Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7.9 Compliance Reports on Corporate Governance

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to the BSE & NSE within 15 days from close of the respective quarter.

7.10 Dissemination of Information on Website

The Bank has disseminated the required information under clause (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.co.in.

8 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

9 SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Name of Stock Exchange	Address of Stock Exchange	Stock Code
BSE Limited (BSE)	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400001	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400051	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2016-17 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2016.

9.2 The Bank has issued Unsecured Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2016 are as under:

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series- IX	200	19.05.2006	19.05.2016	Fixed 8.33%	INE692A09100
Bond Series X- 1 st Tranche	300	10.10.2006	Perpetual	9.45% Upto 10 YRS Stepped upto 9.95% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09118
Bond Series X-2 nd Tranche (Upper Tier II)	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95% Upto 10 YRS Stepped upto 9.45% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09126

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series XI- 1 st Tranche (Lower Tier II)	400	12.12.2007	12.04.2018	Fixed 9.35%	INE692A09134
Bond Series XI- 2 nd Tranche	200	12.12.2007	Perpetual	9.90% Upto 10 YRS Stepped upto 10.40% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09142
Bond Series XII (Perpetual)	200	09.09.2008	Perpetual	11.15% Upto 10 YRS Stepped upto 11.65% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09159
Bond Series XII (Lower Tier II)	400	17.09.2008	17.09.2018	Fixed 10.95%	INE692A09167
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	23.12.2008	23.12.2008	Fixed 9.50%	INE692A09175
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	30.12.2008	30.12.2018	Fixed 8.60%	INE692A09183
Bond Series XII (Perpetual)	140	30.03.2009	Perpetual	9.10% Upto 10 YRS Stepped upto 9.60% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09191
Bond Series XIV –A (Perpetual)	200	16.06.2009	Perpetual	8.85% Upto 10 YRS Stepped upto 9.35% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09209
Bond Series XIV-B (Upper Tier II)	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65% Upto 10 YRS Stepped upto 9.15% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09217
Bond Series XIV-C (Upper Tier II)	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55% Upto 10 YRS Stepped upto 9.05% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09225
Bond Series XV-A (Upper Tier II)	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48% Upto 10 YRS Stepped upto 8.98% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09233
Bond Series XVI-B (Lower Tier II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	INE692A09241
Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	INE692A09266
Bond Series XVII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	INE692A09274
TOTAL	8490				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for these Bonds for 2016-17 to the Stock Exchange.

9.3 Dividend (If Recommended by the Board)

A dividend of 19.50% i.e. ₹ 1.95 per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2015-16 in its meeting held on 13th May, 2016.

10 PARTICULARS OF AGM & FINANCIAL CALENDAR

10.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	13 th May, 2016
Date, Time & Venue of AGM	27 th June, 2016 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 29 th May, 2016
Dates of Book Closure	21 st June, 2016 to 27 th June, 2016
Date of payment of dividend for FY 2015-16	5 th July, 2016

10.2 Financial Calendar

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2016-17 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2016	By August 01, 2016
For the quarter ending September 30, 2016	By October 31, 2016
For the quarter ending December 31, 2016	By January 28, 2017
For the year ending March 31, 2017	By May 12, 2017

10.3 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the period of 15 days from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed **M/s. Datamatics Financial Services Limited** as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaint.

Registrar & Transfer Agent (RTA)

M/s. Datamatics Financial Services Ltd.
Unit: Union Bank of India
Plot No. B-5, Part B Crosslane, MIDC
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 28213404
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Company Secretary

Investor Services Division
Union Bank of India
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai-400 021.
Tel-(022) 2289 6643/36
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

10.4 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

- Half-yearly performance
- Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

10.5 Dematerialisation of shares

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016**.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2016 are as under:-

Category	No of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	60260	13290964	1.93
Demat			
NSDL	109238	219857115	31.98
CDSL	73656	454293038	66.09
TOTAL	243154	687441117	100.00

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

10.6 Payment of Dividend

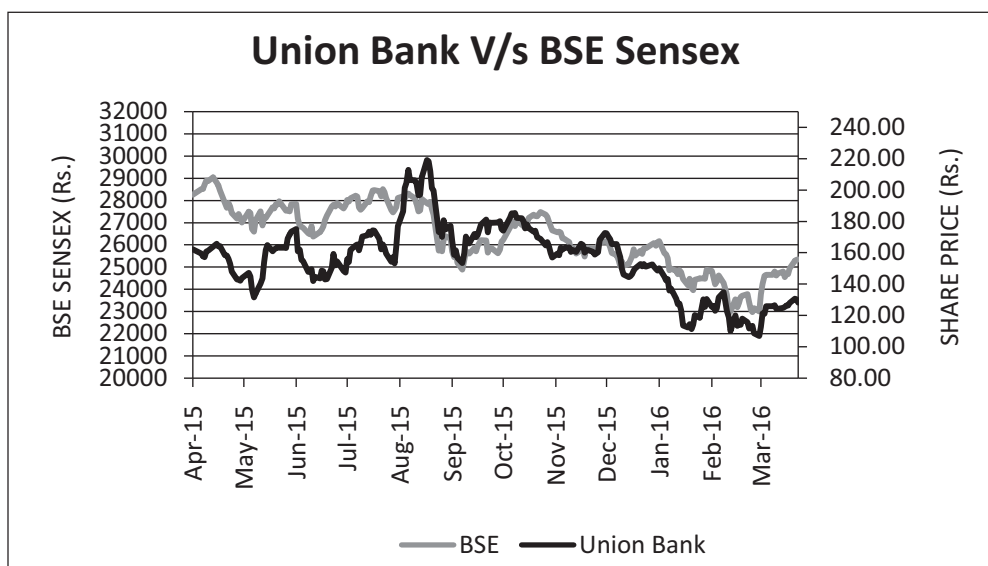
Pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Bank uses the facility of electronic clearing services (ECS) or Direct Credit or Real Time Gross Settlement (RTGS) or National Electronic Funds Transfer (NEFT) etc. for making payment of dividend to shareholders of the Bank.

In cases of non-availability of correct and complete Bank details viz. complete account no., MICR and IFSC that are required for making electronic payment or the electronic payment instructions have failed or have been rejected, the Bank issues 'payable-at-par' warrants for making dividend payments.

The bank account details of the shareholder are printed on Dividend warrants and in cases where the bank details of shareholders are not available, the address of the shareholder is printed on such payment instructions.

10.7 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
Apr' 15	169.90	141.10	7880151	170.00	141.00	58546948	29094.61	26897.54
May' 15	174.15	129.80	13281980	174.25	129.75	91974181	28071.16	26423.99
Jun' 15	176.25	138.00	10919560	176.10	140.20	78093747	27968.75	26307.07
Jul' 15	180.15	147.45	11883856	180.20	147.55	93360586	28578.33	27416.39
Aug' 15	222.45	164.40	18158885	222.70	164.25	157351785	28417.59	25298.42
Sep' 15	185.40	151.85	12603909	185.25	151.90	97455767	26471.82	24833.54
Oct' 15	188.50	156.10	7243724	188.60	155.80	61483647	27618.14	26168.71
Nov' 15	173.35	154.05	8763773	173.75	153.80	59435437	26824.3	25451.42
Dec' 15	173.90	143.35	8111390	174.00	143.10	52243968	26256.42	24867.73
Jan' 16	152.00	108.30	10021352	151.50	108.15	72425224	26197.27	23839.76
Feb' 16	138.85	104.05	17447052	139.00	104.00	128902583	25002.32	22494.61
Mar' 16	132.85	107.80	10301766	132.80	107.70	79603920	25479.62	23133.18
Closing Price as on 31.03.16	₹ 130.85			₹ 130.80				
Market Capitalization	₹ 8995.17 crore			₹ 8991.73 crore				



* Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

10.8 Distribution of Shareholding

The Government of India shareholding in the Bank is 43.61 crore shares aggregating to ₹ 436.11 crore in the total issued & subscribed capital of ₹ 687.44 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2016 and as of 31/3/2015 is as under:

Shareholding	As of 31/03/2016				As of 31/03/2015			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
upto 500	218144	89.71	30555830	4.44	210801	89.74	29770207	4.68
501 to 1000	18180	7.48	12351399	1.80	17863	7.60	12061635	1.90
1001 to 2000	4330	1.78	6088580	0.89	4036	1.72	5664760	0.89
2001 to 3000	1007	0.41	2527328	0.37	879	0.37	2198122	0.35
3001 to 4000	384	0.16	1366046	0.20	328	0.14	1174881	0.18
4001 to 5000	219	0.09	1023058	0.15	179	0.08	829214	0.13
5001 to 10000	386	0.16	2791246	0.41	338	0.14	2448183	0.39
10001 & above	504	0.21	630737630	91.75	490	0.21	581631834	91.48
Total	243154	100.00	687441117	100.00	234914	100.00	635778836	100.00

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

10.9 Shareholding pattern

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31/03/2016 and as of 31/03/2015 was as follows:

Category of shareholder	As of 31/03/2016		As of 31/03/2015	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	436106597	63.44	384444316	60.47
Non Residents (FIIs/OCBs/NRIs)	61030994	8.88	55414933	8.72
Banks/Financial Institutions/ Insurance Cos.	75488481	10.98	73822366	11.61
Mutual Fund/ UTI	42693840	6.21	42285093	6.65
Domestic Companies/Private Corporate Bodies/Trust	13448185	1.96	23389452	3.68
Resident Individuals	58673019	8.53	56422676	8.87
Total	687441117	100.00	635778836	100.00

10.10 List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2016 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	President of India	436106597	63.44
2	Life Insurance Corporation of India	70421019	10.24
3	HDFC Trustee Company Ltd - A/C HDFC MID - CAPOPPORTUNITIES Fund	30013128	4.37
4	Government Pension Fund Global	7087657	1.03
5	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund	4664135	0.68
6	Sundaram Mutual Fund A/C Sundaram Select Midcap	3508947	0.51
7	The Emerging Markets Small Cap Series Of The DFA Investment Trust Company	2801165	0.41
8	Birla Sun Life Trustee Company Private Limited A/C Birla Sun Life Midcap Fund	2625000	0.38
9	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	2440922	0.36
10	CITIGROUP Global Markets Mauritius Private Limited	2327000	0.34

10.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend that remain unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said Fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said Fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Proposed Date of Transfer
Dividend for 2008-09	50%	02-08-16
Dividend for 2009-10	55%	09-08-17
Dividend for 2010-11	80%	08-08-18
Dividend for 2011-12	80%	06-08-19
Dividend for 2012-13	80%	06-08-20
Interim Dividend 2013-14	27%	18-02-21
Final Dividend 2013-14	13%	05-08-21
Dividend for 2014-15	60%	05-08-22

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

10.12 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile clause 5A-I of listing agreement), the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2015 lying in Demat Suspense Account	233	28781
Shareholders approached for transfer during the financial year 2015-16	3	302
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2015-16	3	302
Balance as on 31.03.2016 lying in Demat Suspense Account	230	28479

The voting rights on above mentioned 28,479 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile Clause 5A-II of the listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2015 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2015-16	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2015-16	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2016 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

11 EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

Sr. No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Board of the Bank is headed by an Executive Chairman & Managing Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is not applicable as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairperson.
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Complied with.
3.	Modified opinion(s) in Audit Report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review, hence complied with.
4.	Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	Not applicable. Appointment of Chairman & Managing Director done by Government of India.
5.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed in the meeting of Audit Committee.

12 DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2015-16.

For Union Bank of India



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 12th May 2016

To
The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2015-16) and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(Vivek Kamath)
General Manager & CFO

For Union Bank of India

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 13th May, 2016.

Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance

To the Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2016, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)
PARTNER
(M.NO.506955)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
(M.NO.047157)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
(M.NO.025504)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members of Union Bank of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Union Bank of India as at 31st March, 2016, which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2016, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches including 1 treasury branch, 18 regional offices, 26 offices/centres audited by us, 2079 branches audited by Statutory Branch Auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 2101 branches, 44 regional offices and 58 offices/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.73 per cent of advances, 23.26 per cent of deposits, 6.56 per cent of interest income and 21.60 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949, accounting principles generally accepted in India along with recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and the guidelines and circulars issued by Reserve bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the reasonableness of the accounting estimates made by management, and the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. the Balance Sheet, read with the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank, and
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
9. We further report that
 - a. The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - b. the reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
(M.NO.047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
(M.NO.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)
PARTNER
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	Schedule	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
Capital And Liabilities			
Capital	1	6,87,44,11	6,35,77,88
Reserves And Surplus	2	2,22,03,76,58	1,91,25,10,31
Deposits	3	34,27,20,00,92	31,68,69,91,72
Borrowings	4	3,09,57,35,18	3,53,59,98,16
Other Liabilities And Provisions	5	81,27,33,45	96,25,15,00
TOTAL		40,46,95,90,24	38,16,15,93,07
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	1,56,04,72,09	1,50,63,07,83
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	1,36,71,49,95	73,14,94,36
Investments	8	8,92,08,34,61	8,44,61,72,90
Advances	9	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
Fixed Assets	10	39,39,87,28	26,81,95,32
Other Assets	11	1,49,17,46,12	1,64,39,66,12
TOTAL		40,46,95,90,24	38,16,15,93,07
Contingent Liabilities			
Bills For Collection	12	39,37,16,40,14	34,91,05,32,69
Significant Accounting Policies	17	1,50,30,34,09	1,37,00,54,08
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(NITESH RANJAN)
Dy. General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
(M.NO.047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
(M.NO.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)
PARTNER
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

	Schedule	Year Ended 31.3.2016	Year Ended 31.3.2015
(₹ in 000's)			
I. Income			
Interest Earned	13	3,21,98,80,08	3,20,83,96,21
Other Income	14	36,31,73,54	35,23,00,22
TOTAL		3,58,30,53,62	3,56,06,96,43
II. Expenditure			
Interest Expended	15	2,38,85,70,21	2,36,40,06,56
Operating Expenses	16	63,02,21,57	61,43,42,88
Provisions and Contingencies		42,91,01,61	40,41,83,04
TOTAL		3,44,78,93,39	3,38,25,32,48
III. Net Profit for the year		13,51,60,23	17,81,63,95
Add : Profit Brought Forward		41,62	41,02
TOTAL		13,52,01,85	17,82,04,97
IV. Appropriations			
Transfer to Statutory Reserve		4,05,50,00	5,34,50,00
Transfer to Capital Reserve		44,84,70	26,99,74
Transfer to Revenue and Other Reserves		5,48,17,00	5,55,97,00
Proposed Dividend		1,34,05,10	3,81,46,73
Provision for Div. on Pncps		0	5,28,35
Dividend Tax		27,44,69	77,41,53
Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(viii)]		1,92,00,00	2,00,00,00
Balance in Profit and Loss Account		36	41,62
TOTAL		13,52,01,85	17,82,04,97
Earnings Per Share (Basic And Diluted) (In ₹)	18	20.42	28.05
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

(NITESH RANJAN)
Dy. General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
(M.NO.047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
(M.NO.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)
PARTNER
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank
of India
Good people to bank with

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

			(₹ in 000's)	
		As on 31.3.2016		As on 31.3.2015
SCHEDULE 1 - CAPITAL :				
I. Authorised :				
300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each		30,00,00,00		30,00,00,00
II. Issued, Subscribed & Paid up :				
i. 43,61,06,597 Equity Shares of ₹10 each, held by Central Government (Prev.Year 38,44,44,316 Equity Shares)		4,36,10,66		3,84,44,43
ii. 25,13,34,520 Equity Shares of ₹10 each, held by Public (Prev.Year 25,13,34,520 Equity Shares)		2,51,33,45		2,51,33,45
TOTAL		6,87,44,11		6,35,77,88
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :				
I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	61,26,36,10		55,91,86,10	
Addition during the year	4,05,50,00	65,31,86,10	5,34,50,00	61,26,36,10
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	8,03,25,13		7,76,25,39	
Addition during the year	44,84,70	8,48,09,83	26,99,74	8,03,25,13
III. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	34,57,12,14		33,51,70,50	
Addition during the year	10,27,25,77	44,84,37,91	1,05,41,64	34,57,12,14
IV. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	14,24,70,51		14,59,33,73	
Addition during the year	12,13,09,62		0	
Deduction during the year	56,56,41	25,81,23,72	34,63,22	14,24,70,51
V. Revenue and other Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	47,64,88,00		42,08,91,00	
Addition during the year	5,48,17,00		5,55,97,00	
Deduction during the year	3,52,62,25		0	
Total	49,60,42,75		47,64,88,00	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
As per last Balance Sheet	24,98,00,00		22,98,00,00	
Addition during the year	1,92,00,00		2,00,00,00	
Total	26,90,00,00		24,98,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	50,36,81		47,57,41	
Addition during the year	57,39,10		2,79,40	
Total	1,07,75,91	77,58,18,66	50,36,81	73,13,24,81
VI. Balance in Profit and Loss Account		36		41,62
TOTAL		2,22,03,76,58		1,91,25,10,31

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

As on, 31.3.2016

As on, 31.3.2015

SCHEDULE 3 - DEPOSITS :

I. Demand Deposits				
i) From Banks	5,54,54,65		6,10,07,08	
ii) From Others	2,91,88,59,95	2,97,43,14,60	2,04,82,41,46	2,10,92,48,54
II. Savings Bank Deposits		8,11,32,61,70		7,15,58,05,17
III. Term Deposits				
i) From Banks	1,03,27,18,56		1,30,22,83,78	
ii) From Others	22,15,17,06,06	23,18,44,24,62	21,11,96,54,23	22,42,19,38,01
TOTAL		34,27,20,00,92		31,68,69,91,72
Deposits of branches in India		33,60,86,39,68		31,22,30,23,90
Deposits of branches outside India		66,33,61,24		46,39,67,82
TOTAL		34,27,20,00,92		31,68,69,91,72

SCHEDULE 4 - BORROWINGS :

A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds		10,40,00,00		10,40,00,00
II. Upper Tier II Capital		22,50,00,00		22,50,00,00
III. Lower Tier II Capital		52,00,00,00		52,50,00,00
B) Borrowings in India				
I. Other Banks	4,14,15,39		7,00,00,00	
II. Other Institutions and Agencies	12,52,60,08	16,66,75,47	44,95,07,39	51,95,07,39
C) Borrowings Outside India		2,08,00,59,71		2,16,24,90,77
TOTAL		3,09,57,35,18		3,53,59,98,16
Secured Borrowings included in (B)I & (B)II above		9,56,19,34		33,72,28,20

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :

I. Bills payable	17,45,34,68		11,67,92,29
II. Interest Accrued	10,40,14,36		9,21,03,19
III. Deferred Tax Liability	0		4,52,23,52
IV. Others(including provisions)	53,41,84,41		70,83,96,00
TOTAL	81,27,33,45		96,25,15,00

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:

I. Cash in hand (including foreign currency notes)	11,24,81,40		10,06,93,07
II. Balances with Reserve Bank of India In current Account	1,44,79,90,69		1,40,56,14,76
TOTAL	1,56,04,72,09		1,50,63,07,83

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :

I. Balances with banks in India				
i) a) In Current Accounts	51,95,54		2,08,30,05	
b) In Other Deposit Accounts	35,44,79,43		16,66,60,98	
ii) Money at Call and short notice				
-with Banks	3,00,00,00		0	
-with Other Institutions	20,45,91	39,17,20,88	0	18,74,91,03
II. Outside India				
i) In Current Accounts	25,20,95,90		2,68,92,55	
ii) In other Deposit Accounts	71,91,81,48		51,71,10,78	
iii) Money at call & Short Notice	41,51,69	97,54,29,07	0	54,40,03,33
TOTAL		1,36,71,49,95		73,14,94,36

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	7,14,68,97,51	7,26,85,31,29
ii) Shares	12,37,04,82	9,58,05,08
iii) Debentures and Bonds	1,33,53,37,71	82,40,46,48
iv) Subsidiaries and joint ventures	1,29,43,76	1,29,43,76
v) Others		
- Commercial Paper	1,43,30,28	0
- Mutual Funds	8,60,05,50	9,22,10,38
- Security Receipt by ARCIL	5,80,61,08	5,98,22,60
TOTAL	8,77,72,80,66	8,35,33,59,59
II. Investments outside India		
i) Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	5,91,34,80	3,06,81,23
ii) Shares	40,32	40,32
iii) Other investments (Bonds)	5,30,44,33	3,75,64,26
iv) Subsidiaries and joint ventures	3,13,34,50	2,45,27,50
TOTAL	14,35,53,95	9,28,13,31
TOTAL	8,92,08,34,61	8,44,61,72,90
III. i) Investments in India		
Gross Value	8,83,26,60,78	8,39,38,11,78
Provision for Depreciation	5,53,80,12	4,04,52,19
Net Value	8,77,72,80,66	8,35,33,59,59
ii) Investments outside India		
Gross Value/Net Value	14,35,53,95	9,28,13,31
TOTAL	8,92,08,34,61	8,44,61,72,90
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
I. i) Bills purchased and discounted	82,30,60,56	78,16,22,46
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	13,17,79,77,73	12,08,00,09,60
iii) Term Loans	12,73,43,61,90	12,70,38,24,48
TOTAL	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
II. i) Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	21,90,80,04,87	20,77,13,22,99
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1,29,10,52,85	1,56,40,53,05
iii) Unsecured	3,53,63,42,47	3,23,00,80,50
TOTAL	26,73,54,00,19	25,56,54,56,54
A. Advances in India		
i) Priority Sector	9,50,48,45,13	8,58,55,17,72
ii) Public Sector	1,33,12,66,33	1,35,00,91,37
iii) Banks	8,57,98,91	44,54,32,26
iv) Others	13,23,20,65,86	13,05,37,50,49
TOTAL	24,15,39,76,23	23,43,47,91,84

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
B. Advances Outside India		
i) Due From Banks	75,74,20,51	51,33,78,55
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	44,99,00,97	34,07,80,03
b) Syndicated loans	8,53,21,66	8,32,98,36
c) Others	1,28,87,80,82	1,19,32,07,76
	<u>2,58,14,23,96</u>	<u>2,13,06,64,70</u>
TOTAL	<u>26,73,54,00,19</u>	<u>25,56,54,56,54</u>

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A. TANGIBLE ASSETS

I. Premises

At cost/valuation as per last Balance Sheet	24,17,82,46	23,65,21,96	
Additions during the year	13,04,69,48	52,60,50	
	<u>37,22,51,94</u>	<u>24,17,82,46</u>	
Less: Depreciation to date	6,79,08,37	5,99,72,44	18,18,10,02

II. Capital Work in Progress

At cost as per last Balance Sheet	4,13,62	85,06	
Additions during the year	9,22,27	46,57,56	
Deductions during the year	1,57,56	43,29,00	4,13,62

III. Land

At cost as per last Balance Sheet	61,66,84	49,82,97	
Additions during the year	11,01,21	11,83,87	
	<u>72,68,05</u>	<u>61,66,84</u>	
Less : Depreciation to date	3,80,37	3,04,84	58,62,00

IV. Other Fixed Assets

(including Furniture and Fixtures)

a) Assets given on lease

At cost as per last Balance Sheet	26,53,52	26,53,52	
	<u>26,53,52</u>	<u>26,53,52</u>	
Less: Depreciation to date	26,53,52	26,53,52	
	<u>0</u>	<u>0</u>	

b) Others

At cost/valuation as per last Balance Sheet	20,74,55,70	18,60,96,29	
Additions during the year	2,38,26,53	2,64,25,78	
	<u>23,12,82,23</u>	<u>21,25,22,07</u>	
Deductions during the year	64,87,51	50,66,37	
	<u>22,47,94,72</u>	<u>20,74,55,70</u>	
Less: Depreciation to date	14,54,42,17	12,97,88,34	
	<u>7,93,52,55</u>	<u>7,76,67,36</u>	7,76,67,36

B. INTANGIBLE ASSETS

Computer Software

At cost as per last Balance Sheet	1,75,35,22	1,64,04,60	
Additions during the year	21,51,80	11,30,62	
	<u>1,96,87,02</u>	<u>1,75,35,22</u>	
Amortisation till date	1,74,61,87	1,50,92,90	24,42,32

TOTAL

39,39,87,28

26,81,95,32

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	As, on, 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-office adjustments (net)	19,67,49,20	15,73,74,40
II. Interest accrued	22,94,92,65	23,82,34,96
III. Deferred Tax Assets	4,15,55,00	0
IV. Stationery and stamps	3,74,87	1,85,77
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	3,90	3,90
VI. Others	1,02,35,70,50	1,24,81,67,09
TOTAL	1,49,17,46,12	1,64,39,66,12

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I. Claims against the bank not acknowledged as debts	38,57,15,36	35,92,85,82
II. Liability for partly paid investments	59,20	59,20
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	34,74,37,04,38	29,61,70,42,69
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	1,36,49,82,25	2,27,16,05,69
ii) Outside India	3,22,71,60	1,39,72,53,85
V. Acceptances, endorsements and other obligations	2,74,60,11,35	3,63,18,51
VI. Other items for which the bank is contingently liable		
i) Disputed Tax demands under appeals	2,84,06,00	6,10,70,00
ii) Amt. Trfd. to DEAF Scheme 2014	7,04,90,00	9,88,96,00
TOTAL	39,37,16,40,14	6,10,35,57
		12,21,05,57
		34,91,05,32,69

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	Year Ended 31.3.2016	Year Ended 31.3.2015
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/discount on advances/bills	2,36,58,06,09	2,39,77,25,12
II. Income on investments	75,35,14,54	71,82,96,30
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	8,16,13,85	6,75,95,43
IV. Others	1,89,45,60	2,47,79,36
TOTAL	3,21,98,80,08	3,20,83,96,21
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	4,09,76,74	3,90,87,31
II. Profit on sale of investments - net	9,16,36,59	7,08,73,96
III. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	-1,79,14	-39,45
IV. Profit on exchange transactions - net	9,77,60,93	9,71,34,04
V. Miscellaneous Income	13,29,78,42	14,52,44,36
TOTAL	36,31,73,54	35,23,00,22
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	2,20,77,44,46	2,16,24,86,49
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	5,40,83,38	6,06,33,17
III. Others	12,67,42,37	14,08,86,90
TOTAL	2,38,85,70,21	2,36,40,06,56
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	36,99,29,03	37,85,51,55
II. Rent, taxes and lighting	4,70,04,83	4,27,23,54
III. Printing and stationery	51,75,64	51,98,69
IV. Advertisement and publicity	69,25,01	63,18,63
V. Depreciation on Bank's property	2,44,11,42	2,20,81,18
VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,19,35	1,48,13
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	71,83	59,23
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	35,04,69	34,34,84
IX. Law Charges	21,41,97	18,55,90
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	75,70,80	65,40,78
XI. Repairs and maintenance	1,13,29,13	1,04,27,43
XII. Insurance	3,26,85,59	3,07,92,36
XIII. Other expenditure	11,93,52,28	10,62,10,62
TOTAL	63,02,21,57	61,43,42,88

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2015-2016

SCHEDULE 17- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known/ materialized.

3 Revenue Recognition

3.1 Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.

3.3 Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

3.4 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

- On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.
- On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

3.5 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4 Cash Flow Statements

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

5 Investments

5.1 Classification

- In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:
 - Government Securities
 - Other Approved Securities
 - Shares
 - Debentures & Bonds
 - Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and
 - Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for Sale (AFS)
- Held for Trading (HFT)

5.2 Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

- Securities held in "HTM" – at acquisition cost.: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
- Investment in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost
- Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.
- Valuation of other securities is arrived at as follows:

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.

iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

5.3 Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

5.4 As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

5.4.1 From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

5.4.2 From HTM category to AFS / HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.

5.4.3 From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

5.4.4 The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

5.5 The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

5.6 Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in “HTM” category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

5.7 Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

5.8 As per the extant RBI guidelines, the Bank follows ‘Settlement Date’ for accounting of investments transactions.

6 Derivative Contracts

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

- i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.
- ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7 Advances

7.1 Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

7.2 Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

7.3 The general provision on standard advances is held in “Other Liabilities and Provisions” reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8 Fixed Assets and Depreciation

8.1 Premises and Other Fixed Assets are stated a cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

8.2 Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

8.3 Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

8.4 Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

8.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

8.6 No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

8.7 Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

9 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11 Transactions involving Foreign Exchange

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

- Integral Operations and
- Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

11.2 Translation in respect of Integral Operations

- 11.2.1 Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- 11.2.2 Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- 11.2.3 Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.
- 11.2.4 The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

- 11.2.5 Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

11.3 Translation in respect of Non Integral Operations

- 11.3.1 Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
- 11.3.2 Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- 11.3.3 Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- 11.3.4 The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12 Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

The New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the

Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earnings per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16 Taxation

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/ liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2015-2016

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

A. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

1.1 CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2016.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel II Basel III	Nil 7.95	Nil 7.24
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel II Basel III	8.23 8.14	7.60 7.50
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel II Basel III	2.91 2.42	3.14 2.72
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel II Basel III	11.14 10.56	10.74 10.22
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	63.44	60.47
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	51.66	5.47
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	--	--
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	1000.00	--
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	1000.00	--

During the Financial Year 2015-16, the Bank has allotted 5,16,62,281 equity shares of ₹ 10/- each at price of ₹ 209.05 per equity share (including a premium of ₹ 199.05 per equity share), to the Government of India. Consequently, the share holding of Government of India has increased from 60.47% to 63.44%.

1.2 INVESTMENTS

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)			
	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	88640.36	93815.05
	(a) In India	88326.61	93569.37
	(b) Outside India	313.75	245.68
ii)	Provisions for Depreciation	553.80	404.52
	(a) In India	553.80	404.52
	(b) Outside India	0.00	0.00
iii)	Net Value of Investments	88086.57	93410.53
	(a) In India	87772.82	93164.85
	(b) Outside India	313.75	245.68
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	404.52	445.98
ii)	Add: Provisions made during the year	480.77	291.52
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	331.49	332.98
iv)	Closing balance	553.80	404.52

1.2.1 REPO Transactions (In face value terms)

The details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively is given below:

(₹ in crore)					
		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2016
A Securities sold under Repo					
i)	Government securities	5.00	13472.00	2515.24	12289.50
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
B Securities purchased under Reverse Repo					
i)	Government securities	5.00	4738.96	1116.23	20.46
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

1.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities **	Extent of Unlisted Securities **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	7,131.80	6,265.29	-	0.58	0.58
ii)	FIs	2,022.57	662.16	-	-	-
iii)	Banks	348.40	294.00	-	-	-
iv)	Private Corporate	5,691.63	3,874.58	155.04	14.85	437.29
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	410.86	426.82	-	-	-
vi)	Others	1,533.95	1,060.08	-	-	-
vii)	Provision held towards depreciation	(553.56)	-	-	-	-
	Total	16585.65	12,582.93	155.04	15.43	437.87

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Shares	1237.45	958.05
Debentures and Bonds	13353.37	8240.47
Subsidiaries and Joint Ventures	410.86	358.75
Others	1583.97	11151.99
TOTAL	16585.65	20709.26

* Investment of ₹ 15.96 crores in Subsidiaries and Joint Ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes Banks investment in shares of Regional Rural Banks which are classified under SLR investments.

** Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings & Listing of securities required as per Master Circular dated 01.07.2015 issued by RBI.

RBI vide the Circular RBI/2015-16/127 DBR.BPBC. NO.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015 advised that commencing April 1, 2015, deposit placed with NABARD/SIDBI/NHB on account of shortfall in priority sector targets should be included under schedule 11- Other Assets under the subheads 'Others' of the Balance Sheet. The exposure to RIDF of NABARD/SIDBI/NHB as of 31/03/2016 aggregating to Rs. 8076.88 crore (Previous year Rs.9631.25 crore) is included under other assets.

ii. Non performing Non-SLR investments

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance	203.02	218.86
Additions during the year	51.38	50.93
Reductions during the year	10.21	66.77
Closing balance	244.19	203.02
Total provisions held	132.60	115.04

1.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2015-16 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2015-16, the Bank had carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors aggregating Rs. 5765.48 crore and Rs. 5640.96 crore being face value and book value respectively. Bank in order to comply to the Reserve Bank of India circular no. RBI/2014-15/254 BDOD. No.BPBC.42/21.04.141/2014-15 dated October 7, 2014 directing banks to reduce its total SLR securities held in the HTM category to below 22.00 per cent with effect from September 19, 2015 of the NDTL as on the last Friday of the second preceding fortnight, the Bank on September 5, 2015, transferred securities from HTM to AFS Category aggregating Rs. 3,323.95 crore (face value) and Rs. 3,155.62 crore (book value). The Bank during the FY 2015-16 sold securities worth Rs. 1,677.45 crore to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions.

1.3 Derivatives

1.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	The notional principal of swap agreements	18456.77	13150.07
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	49.80	4.10
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book*	-13.56	-3.66

*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

Note:

- I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds.
- II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	A) Interest Rate Futures		
	Buy	7440.02	7030.52
	Sell	8195.32	6987.92
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2016 (instrument-wise)	Instrument O/S 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument O/S 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument MTM 759GS2026 0.03 772GS2025 0.02 788GS2030 (0.001)	Nil

1.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives**A. QUALITATIVE DISCLOSURE**

- a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

- i) Over the Counter Derivatives

- ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency

Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

- I) Front Office — Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.
- II) Mid-Office --- Risk Management, Accounting Policies and Management
- III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

- b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterparty exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis.

The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

- d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to counterparty the Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2016	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
a	For hedging	0.00	7956.77
b	For trading	1289.61	7825.15
ii)	Marked to Market Positions (1)		
a	Asset (+)	16.54	30.00
b	Liability (-)	(-)10.43	(-)43.75
iii)	Credit Exposure (2)	105.37	119.00
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a	On hedging derivatives	0.00	33.66
b	On trading derivatives	2.82	30.23
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
A	Maximum		
a.	On hedging	0.00	39.60
b.	On trading	3.47	61.03
B	Minimum		
a.	On hedging	0.00	0.27
b.	On trading	0.43	0.42

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

1.4 Asset Quality

1.4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.25	2.71
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	13030.87	9563.74
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	12952.87	5666.26
	(c) Increase in balance of existing NPA	-	-
	Sub-total (A)	25983.74	15230.00
	(d) Less:-		
	(i) Up-gradations	177.73	138.11
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	843.54	1130.31
	(iii) Technical/Prudential Write-offs	645.68	861.06
	(iv) Write-offs other than (iii) above	145.90	69.65
	Sub-total (B)	1812.85	2199.13
	(e) Closing balance (A-B)	24170.89	13030.87
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	6918.97	5340.25
	(b) Additions during the year	8297.83	2910.10
	(c) Reduction during the year	1190.86	1331.38
	(d) Closing Balance	14025.94	6918.97
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(a) Opening balance	6111.90	4223.49
	(b) Provisions made during the year	4655.03	2756.16
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	621.98	867.75
	(d) Closing balance	10144.95	6111.90

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs.

Opening and Closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/recoveries in suit filed accounts and held pending adjustment of Rs 52.12 crore (Previous year Rs. 59.28 crore) and Rs. 0.67 crore (Previous year Rs 1.14 crore) respectively.

1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.		Type of Restructuring	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					
Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
Details													
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2015 -16 (Opening Figures)	No. of Borrowers	27 (22)	13 (7)	3 (2)	0 (0)	43 (31)	571 (88)	118 (103)	7517 (8838)	318 (340)	8524 (9369)	
		Amount Outstanding	3859.57 (2631.49)	1435.14 (635.01)	204.20 (39.79)	0.00 (0.00)	5498.91 (3306.29)	788.73 (908.23)	517.23 (222.82)	236.17 (393.04)	40.32 (40.64)	1582.45 (1564.73)	
		Provision there on	361.73 (353.74)	171.13 (94.42)	43.83 (9.72)	0.00 (0.00)	576.69 (457.88)	32.97 (41.70)	26.50 (9.57)	14.38 (13.27)	2.17 (1.98)	76.02 (66.52)	
		No. of Borrowers	0 (16)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (16)	23 (668)	1 (6)	0 (3)	0 (0)	24 (677)	
2	Fresh Restructuring during the year 2015 -16	Amount Outstanding	0.00 (1723.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (1723.19)	0.67 (453.14)	36.12 (0.05)	0.00 (0.02)	0.00 (0.00)	36.79 (453.21)	
		Provision there on	0.00 (195.8)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (195.8)	0.04 (21.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.04 (21.67)	
		No. of Borrowers	2 (1)				2 (1)	12 (5)				12 (5)	
		Amount Outstanding	330.99 (76.76)				330.99 (76.76)	29.85 (13.35)				29.85 (13.35)	
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2015 -16	Provision there on	2.84 (0.00)				2.84 (0.00)	0.07 (2)				0.07 (2)	
		No. of Borrowers	0 (12)				0 (12)	2 (52)				2 (52)	
		Amount Outstanding	0.00 (959.41)				0.00 (959.41)	4.29 (217.54)				4.29 (217.54)	
		Provision there on	0.00 (61.34)				0.00 (61.34)	0.00 (15.29)				0.00 (15.29)	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2015 -16 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2016 -17	No. of Borrowers											
		Amount Outstanding											
		Provision there on											
		No. of Borrowers											
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2015-2016	No. of Borrowers		14 (6)	8 (0)	0 (0)	22 (6)		133 (66)	25 (0)	0 (0)	158 (66)	
		Amount Outstanding		880.72 (646.26)	1879.5 (0.00)	0.00 (0.00)	2760.22 (646.26)	142.37 (413.79)	51.64 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	194.01 (413.79)	
		Provision there on		25.89 (93.88)	87.59 (0.00)	0.00 (0.00)	113.48 (93.88)	0.11 (19.42)	0.6 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.71 (19.42)	
		No. of Borrowers	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (8)	0 (0)	1 (8)	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-2016	Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	48.84 (103.75)	0.00 (0.00)	48.84 (103.75)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	33.8 (163.97)	0.00 (0.00)	33.8 (163.97)	
		No. of Borrowers	15 (27)	16 (13)	21 (3)	0 (0)	52 (43)	413 (571)	121 (118)	6547 (7517)	282 (318)	7363 (8524)	
		Amount Outstanding	2092.16 (3859.57)	1133.24 (1435.14)	3770.86 (204.2)	0.00 (0.00)	6996.26 (5498.91)	761.47 (788.73)	166.03 (517.23)	540.81 (236.17)	5.03 (40.32)	1473.34 (1582.45)	
		Provision there on	10.25 (361.73)	92.86 (171.13)	265.82 (43.83)	0.00 (0.00)	368.93 (576.69)	7.15 (32.97)	0.87 (26.5)	31.36 (14.38)	0.33 (2.17)	39.71 (76.02)	
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2015-16 (Closing Figures)	No. of Borrowers											
		Amount Outstanding											
		Provision there on											
		No. of Borrowers											

1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.	Type of Restructuring	Others						Total					
	Asset Classification	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		
	Details												
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2015 -16 (Opening Figures)	No.of Borrowers	9428 (575)	926 (757)	23785 (28292)	1215 (1341)	35354 (30965)	10026 (681)	1057 (867)	31305 (37132)	1533 (1681)	43921 (40361)	
		Amount Outstanding	9009.95 (8813.13)	1453.56 (1071.16)	557.19 (651.63)	25.64 (25.76)	11046.34 (10561.68)	13658.25 (12352.85)	3405.93 (1928.99)	997.56 (1084.46)	65.96 (66.4)	18127.7 (15432.7)	
		Provision there on	205.43 (238.59)	33.3 (17.43)	23.72 (28.73)	1.67 (1.65)	264.12 -286.4	600.13 (634.03)	230.93 (121.42)	81.93 (51.72)	3.84 (3.63)	916.83 (810.8)	
		No.of Borrowers	1008 (10766)	2 (35)	1 (14)	0 (0)	1011 (10815)	1031 (11450)	3 (41)	1 (17)	0 (0)	1035 (11508)	
2	Fresh Restructuring during the year 2015-16	Amount Outstanding	1295.69 (2825.23)	66.26 (1.08)	572.12 (0.08)	0.00 (0.00)	1934.07 (2826.39)	1296.36 (5001.56)	102.38 (1.13)	572.12 (0.1)	0.00 (0.00)	1970.86 (5002.79)	
		Provision there on	28.36 (180.43)	2.81 (0.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	31.17 (180.46)	28.4 (397.9)	2.81 (0.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	31.21 (397.93)	
		No.of Borrowers	330 (176)				330 (176)	344 (182)				344 (182)	
		Amount Outstanding	17.27 (7.24)				17.27 (7.24)	378.11 (97.35)				378.11 (97.35)	
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2015-16	Provision there on	0.59 (0.33)				0.59 (0.33)	3.5 (2.33)				3.5 -2.33	
		No.of Borrowers	9 (372)				9 (372)	11 (436)				11 (436)	
		Amount Outstanding	45.39 (1797.59)				45.39 (1797.59)	49.68 (2974.54)				49.68 (2974.54)	
		Provision there on	0.67 (43.15)				0.67 (43.15)	0.67 (119.78)				0.67 (119.78)	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2015-16 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2016-17	No.of Borrowers		1623 (519)	89 (0)	9 (0)	1721 (519)		1770 (591)	122 (0)	9 (0)	1901 (591)	
		Amount Outstanding		662.06 (299.48)	820.2 (0.00)	84.56 (0.00)	1566.82 (299.48)		1685.15 (1359.53)	2751.34 (0.00)	84.56 (0.00)	4521.05 (1359.53)	
		Provision there on		12.75 (14.1)	1.23 (0.00)	0.35 (0.00)	14.33 (14.1)		38.75 (127.4)	89.42 (0.00)	0.35 (0.00)	128.52 (127.4)	
		No.of Borrowers	0 (0)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	0 (0)	12 (11)	
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2015-2016	Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	283.1 (332.18)	0.00 (0.00)	283.1 (332.18)	
		No.of Borrowers	9751 (9428)	1375 (926)	21371 (23785)	1187 (1215)	33684 (35354)	10179 (10026)	1512 (1057)	27939 (31305)	1469 (1533)	41099 (43921)	
		Amount Outstanding	5718.81 (9009.95)	1013.59 (1453.56)	1999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9158.24 (11046.34)	8572.44 (13658.25)	2312.86 (3405.93)	6311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17627.84 (18127.7)	
		Provision there on	112.15 (205.43)	22.67 (33.3)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.4 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-2016	No.of Borrowers											
		Amount Outstanding											
		No.of Borrowers											
		Amount Outstanding											
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2015-16 (Closing Figures)	No.of Borrowers	9751 (9428)	1375 (926)	21371 (23785)	1187 (1215)	33684 (35354)	10179 (10026)	1512 (1057)	27939 (31305)	1469 (1533)	41099 (43921)	
		Amount Outstanding	5718.81 (9009.95)	1013.59 (1453.56)	1999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9158.24 (11046.34)	8572.44 (13658.25)	2312.86 (3405.93)	6311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17627.84 (18127.7)	
		Provision there on	112.15 (205.43)	22.67 (33.3)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.4 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)	
		No.of Borrowers											

1.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	No. of accounts	3	9
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
a)	NPA Accounts	132.05	40.69
b)	Written-off accounts	Nil	Nil
c)	SMA accounts	Nil	326.52
iii)	Aggregate consideration		
a)	NPA Accounts	101.50	81.20
b)	Written-off accounts	Nil	234.23
c)	SMA accounts	Nil	326.52
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	2.25	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
a)	NPA Accounts	(31.00)	40.51
b)	Written-off accounts	Nil	234.23
c)	SMA accounts	Nil	Nil

1.4.4 Details of non performing financial assets purchased / sold

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non performing financial assets sold (other than ARCs)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

C. Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Book Value of Investments in Security Receipts	658.19	572.30	15.30	25.93	673.49	598.23

Particulars	Backed by SMA sold by the bank as underlying		Backed by SMA sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Book Value of Investments in Security Receipts	257.82	257.82	--	--	257.82	257.82

1.4.5 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.3.2015
Provision towards Standard Assets	(107.47)	239.81

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2016 is ₹ 1522.32 crore (previous year ₹ 1613.36)

1.5 Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.37	8.88
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.94	0.97
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.49	1.61
iv)	Return on Assets	0.35	0.49
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	15.51	14.46
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.04	0.05

1.6 Asset Liability Management

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2016 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	1220.68 (1090.96)	3978.72 (2032.03)	6817.12 (3219.48)	1,227.63 (705.05)	6825.01 (1932.81)	2604.47 (2330.95)
2-7 days	7385.37 (3698.22)	4770.81 (2786.50)	1153.63 (650.33)	654.71 (2253.62)	1017.00 (271.88)	1365.55 (1137.13)
8-14 days	7235.66 (4455.91)	6314.82 (3362.06)	131.66 (0.00)	325.64 (1466.68)	1444.37 (1184.23)	816.09 (1155.27)
15 to 28 days	4776.79 (4890.86)	6650.64 (7549.93)	0.00 (0.00)	303.45 (1174.29)	1395.44 (976.63)	647.63 (1393.55)
29 days to 3 months	36350.54 (27002.47)	21311.22 (23736.91)	727.80 (2615.00)	4,834.99 (3297.34)	12472.69 (8571.45)	8255.91 (4171.40)
Over 3 months & up to 6 months	23574.92 (21174.15)	17248.37 (16766.13)	277.74 (2605.63)	1,836.94 (6169.52)	6158.27 (6281.27)	2747.80 (5052.41)
Over 6 months & up to 1 year	42236.32 (50651.85)	27775.19 (28994.80)	2104.31 (2823.40)	3,417.37 (3757.49)	8416.45 (4117.85)	12053.84 (7468.37)
Over 1 year & up to 3 years	48676.63 (52004.79)	126078.2 (119855.99)	18509.39 (8346.60)	9,376.78 (3489.88)	3920.46 (5099.95)	8793.42 (8514.91)
Over 3 years & up to 5 years	33290.07 (27572.41)	27828.39 (26783.47)	14485.27 (27061.17)	1,843.33 (6816.12)	5113.25 (5874.32)	3507.90 (5954.59)
Over 5 years	137973.03 (124328.30)	25397.64 (23786.75)	45001.43 (46771.37)	7,136.51 (6229.99)	1402.06 (2090.73)	1069.52 (730.85)
Total	342720.01 (316869.92)	267354.00 (255654.57)	89208.35 (94092.98)	30957.35 (35359.98)	48165.00 (36401.12)	41862.13 (37909.44)

NOTE: Previous year figures have been mentioned in brackets

1.7 Exposures**1.7.1 Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2016	31.03.2015
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - Of which individual housing loans up to ₹20 lakh eligible for inclusion in priority sector. Of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector.	26,991.39 12259.11	25879.22 11290.15
ii)	Commercial Real Estate – Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	3754.42	4980.33
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	0.00 0.00	0.00 0.00
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	11595.96	8666.32
	Total Exposure to Real Estate Sector	42341.77	39525.87

1.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	902.31	683.91
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	4.12	1.55
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	2.05	1.88
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	1.20	71.34
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	551.41	491.70
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	240.05	313.00
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	11.97
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	530.30	517.02
	Total exposure to Capital Market	2,231.44	2092.37

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹142 crore for 2015-16 (Previous year ₹ 168.79 crore).

1.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2016	Net Exposure 31.03.2015	Provision held 31.03.2016	Provision held 31.03.2015
Insignificant	13376.83	12909.19	Nil	Nil
Low	4731.32	3837.78	Nil	Nil
Moderate	398.71	672.70	Nil	Nil
High	2.16	0.20	Nil	Nil
Very High	-	264.92	Nil	Nil
Restricted	-	Nil	Nil	Nil
Off-credit	-	Nil	Nil	Nil
Total	18509.02	17684.79	Nil	Nil

As per Country Risk Policy 2015-16 & 2016-17, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for Overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets.

1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

Sr. No		Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.16	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Food Corporation of India	5177.05	5000.00	19.32	0.00	0.00
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.
- Group Exposure Limit – 40%
For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%
- additional exposures can be taken with the permission of the Board

1.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83 / 08 . 12 . 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

1.8 Disclosure of Penalties imposed by RBI: ₹ 6.26 lacs, (previous year ₹ 3.53 lacs)

B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS WHERE RBI HAS ISSUED GUIDELINES IN RESPECT OF DISCLOSURE ITEMS FOR NOTES TO ACCOUNT.

2 Revenue Recognition (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

3 Employee Benefits (AS 15 - R)

3.1 Defined Benefit Plans – Employee's Pension Plan and Gratuity Plan:

The Bank has Accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued should by the Institute of Chartered Accounts of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2016. The disclosure is as under:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	1,088.16	8,218.43	1060.13	6683.81
	Interest Cost	83.52	638.22	95.66	616.32
	Current Service Cost	50.12	150.00	45.13	190.73
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	Actuarial (gain) / loss on obligations	74.53	1,293.35	47.24	1179.57
	Liability at the end of the year	1,110.33	9,619.00	1088.16	8218.43

	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,264.00	7,861.00	1081.23	6104.73
	Expected return on Plan Assets	105.21	777.24	96.74	630.38
	Contributions	38.26	1,413.35	208.00	1367.00
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	29.80	155.11	38.03	210.89
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(44.73)	(1,138.24)	-9.21	-968.68
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	105.21	777.24	96.74	630.38
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	29.80	155.11	38.03	210.89
	Actual return on Plan Assets	135.01	932.35	134.77	841.27
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	50.12	150.00	45.13	90.73
	Interest Cost	83.52	638.22	95.66	616.32
	Expected Return on Plan Assets	(105.21)	(777.24)	-96.74	-630.38
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	44.73	1,138.24	9.21	968.68
	Expenses Recognized in P & L	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(175.84)	357.43	-86.10	241.08
	Expenses as above	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(38.26)	(1,413.35)	-208.00	-1367.00
	Amount recognized in Balance Sheet	(140.94)	93.30	-175.84	357.43
vii)	Other Details :				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50% .				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	35,716.00	19,670.00	35646	21337
	Salary Per Month	148.54	107.98	135.34	97.37
	Contribution for next year	Nil	349.86	Nil	315.48

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	146.02	473.14	146.02	473.14
	Corporate Bonds	267.72	1532.83	385.01	1879.80
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	443.41	2442.38	434.50	2390.20
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	90.39	974.77	40.47	214.74
	Insurer Managed Funds	303.73	4102.58	258.00	2903.12
	Total	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	7.99	7.95	9.33	9.27
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.70	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.04	8.06	7.99	7.95
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.04	8.06	8.70	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
Liability at the end of the year	1,110.33	1088.16	1060.13	1000.86	990.55
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,251.27	1264.00	1081.23	1037.22	861.28
Difference	140.94	175.84	21.10	36.36	-129.27
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	65.00	130.00	195.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	140.94	175.84	86.10	166.36	65.73

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
On plan liability (Gain) / Loss	Nil	(21.18)	123.74	21.60	95.09
On plan Assets (Loss) / Gain	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)	(0.80)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
Liability at the end of the year	9,619.00	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03
Fair value of Plan Assets at the end of the year	9,525.70	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00
Difference	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	338.00	761.00	1014.17
Unrecognized Transition Liability... Closing Balance	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)	(224.86)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	31.03.2016	31.03.2015	31.03.14	31.03.13	31.03.12
On plan liability (Gain) / Loss	1399.16	731.44	661.38	251.18	511.13
On plan Assets (Loss) / Gain	155.11	210.89	-233.23	-103.10	-145.15

3.2 Defined Contribution Plan:

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2015-16, the Bank has contributed ₹ 58.52 crore (Previous Year ₹ 42.44 crore) to NPS.

3.3 Other Long Term Employee Benefits:

3.3.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

					(₹ in crore)
Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.16	31.03.15		
1.	Pension	1149	1483		
2.	Leave Encashment	75	68		
3.	Leave Travel Concession	10	9		
4.	Sick Leave	Nil	Nil		

3.4 During the year the bank has made a payment of ₹ 79 Crores as an exceptional item which relates to wage arrears for earlier years, on final implementation of the Xth bipartite wage settlement.

4 SEGMENT REPORTING (AS-17)

4.1.1 Business Segments:

(₹ in Crore)

Business Segment		Standalone				
		Quarter ended			Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)	
		31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
(a)	Segment Revenue					
1	Treasury Operations	2503.37	2567.08	2624.40	10177.19	9457.35
2	Retail Banking Operations	3309.08	2363.45	2550.30	10221.26	10096.56
3	Corporate /Wholesale Banking	3016.78	3824.94	4121.28	15236.62	15733.95
4	Other Banking Operations	78.98	63.56	98.76	264.76	342.36
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	8908.21	8819.03	9394.74	35899.83	35630.22
	Less Inter-segment Revenue	23.80	16.97	11.03	69.29	23.26
	Total Revenue	8884.41	8802.06	9383.71	35830.54	35606.96
(b)	Segment Results					
1	Treasury Operations	619.96	646.88	641.87	2146.01	1902.99
2	Retail Banking Operations	205.23	161.73	575.20	667.62	1216.99
3	Corporate /Wholesale Banking	-1014.94	-741.56	-624.56	-1173.31	-503.19
4	Other Banking Operations	34.70	29.45	49.84	125.07	166.59
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Profit Before Tax	(155.05)	96.50	642.35	1765.39	2783.38
(c)	Income Tax	(251.18)	17.96	198.58	413.77	1001.74
(d)	Net Profit	96.13	78.54	443.77	1351.60	1781.64
(e)	Segment Assets					
1	Treasury Operations	124187.02	125032.19	113440.55	124187.02	113440.55
2	Retail Banking Operations	93320.72	118148.19	107285.95	93320.72	107285.95

3	Corporate/Wholesale Banking	183281.67	144431.52	156474.27	183281.67	156474.27
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	3906.49	3208.08	4415.16	3906.49	4415.16
	Total	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93
(f)	Segment Liabilities					
1	Treasury Operations	117469.24	117914.52	107654.06	117469.24	107654.06
2	Retail Banking Operations	88934.90	112434.00	102760.57	88934.90	102760.57
3	Corporate /Wholesale Banking	174667.92	137446.14	149874.09	174667.92	149874.09
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	732.63	950.89	1565.18	732.63	1565.18
6	Capital, Reserves & Surplus	22891.21	22074.43	19762.03	22891.21	19762.03
	Total	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Previous year's/Twelve Month's/Quarter's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's/Quarter's classification/ presentation.

5 Related Party Disclosures (AS-18)

5.1 List of Related Parties

- a) Subsidiaries
 - Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd.
 - Union KBC Trustee Company Private Ltd.
 - Union Bank of India (UK) Ltd.
- b) Joint Venture
 - Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.
- c) Associate
 - Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank
- d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2015-16
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	N.A
Shri K. Subrahmanyam	Executive Director	Cessation on 31 July, 2015
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	N.A.
Shri Kishor Kharat	Executive Director	Cessation on 14 August, 2015
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	Joined on 22 January, 2016

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

5.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Chairman and Managing Director	#0.28	0.20
Executive Directors	#0.44	0.39
Total	0.72	0.59

includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.09 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the year.

6 Earnings per Share (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i	Basic and Diluted EPS (₹)	20.42	28.05
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1351.60	1776.36
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	66.18	63.33
iv	Nominal value per share (₹)	10	10.00

7 Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	187.71	234.25
2	Employee Benefits	266.59	328.89
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	60.35	15.73
4	Leave Encashment	83.89	57.93
5	On account of other provisions	1435.06	477.18
	Total	2033.60	1113.98
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	91.23	66.15
2	Depreciation on Fixed Assets	29.24	35.68
3	Accrued interest on securities	607.89	641.15
4	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	889.69	823.24
	Total	1618.05	1566.22
	Net Deferred Tax Asset	415.55	Nil
	Net Deferred Tax Liability	Nil	452.24

7.1 Provisions for Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	413.78	1001.74

8 Investment in Joint Ventures (AS – 27)

- Investments include Rs.65 Crores (Previous year Rs. 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.it's jointly controlled entity.

9 Impairment of Asset (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

10 Contingent Liabilities (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI)(i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

11 Additional Disclosures

11.1 Provisions and Contingencies

(₹ In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	31.03.2016	31.03.2015
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	149.28	(37.62)
Provision towards NPA	4655.03	2536.67
Provision towards Standard Assets	(107.47)	239.81
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ Deferred tax liability (DTL)	413.78	1001.74
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	5.74	38.82
- Restructured Advances	(623.25)	127.11
- Others	(202.09)	135.30
TOTAL	4291.02	4041.83

11.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision

(₹ In crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Opening Balance as on 01.04.2015	293.20	511.21
ii)	Additional provisions made during the accounting year	0.00	75.18
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	293.19
iv)	Closing balance	293.20	293.20

11.3 Draw Down from Reserves

Bank has made draw down ₹ 0.02 crore during the year 2015-16 (previous year NIL).

11.4 Disclosure of complaints

A Customer Complaints

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	336	778
(b)	No. of complaints received during the year	171128	121000
(c)	No. of complaints redressed during the year	171018	121442
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	446	336

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	203	553
(b)	No. of complaints received during the year	85810	90898
(c)	No. of complaints redressed during the year	85858	91248
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	155	203

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	198	334
(b)	No. of complaints received during the year	69338	40448
(c)	No. of complaints redressed during the year	69481	40584
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	55	198

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	3	-
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	3	15
(c)	No. of Awards implemented during the year	6	12
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	3

11.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	3701.91	4078.00
Add : Issued during the year	10722.18	11381.00
Less : Expired during the year.	10949.65	11757.09
Outstanding at the end of the year	3474.45	3701.91

11.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provision Coverage ratio (%)	50.98	59.23

11.7 Disclosure of – Bancassurance Business

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2016	31.03.2015
1.	Life Insurance Policies	42.07	30.68
2.	Non Life Insurance Policies	7.33	6.97
3.	Others (specify)	Nil	Nil

11.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Deposits of twenty largest depositors	34760.99	35722.00
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	10.14%	11.27%

11.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	24608.97	27825.86
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	7.02%	8.35%

11.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	58509.47	57375.79
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	11.70%	13.29%

11.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposures to top four NPA accounts	3846.67	1482.44

11.9 Sector-wise Advances

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2015-16)			Previous Year (FY 2014-15)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	38962	2336	6.00	30297	1374	4.54
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12030	1347	11.20	15998	1250	7.81
3	Services	21439	1337	6.24	16837	916	5.44
4	Personal loans	15609	499	3.20	14392	466	3.24

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2015-16)			Previous Year (FY 2014-15)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	Sub-total (A)	88040	5519	6.27	77524	4006	5.17
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	515	203	39.42	3665	156	4.26
2	Industry	122611	16376	13.36	81575	5458	6.69
3	Services	51112	1780	3.48	85212	3207	3.76
4	Personal loans	15447	293	1.90	14781	204	1.38
	Sub-total (B)	189685	18652	9.83	185233	9025	4.87
	Total (A+B)	277725	24171	8.70	262757	13031	4.96

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2015-16 are as under:

Sr. No.	Sub sector	Sector	Outstanding	% to Total advance in sector
1	Growing of cereals	Agriculture	20853	52.82
2	Storage & market yards	Agriculture	2064	5.23
3	Collection & distribution of electricity	Industry	4742	3.52
4	Generation of electricity	Industry	14517	10.78
5	NBFC - General Purpose loan	Service	14260	19.66
6	All other loan NEC	Personal	5470	17.61
7	Housing loan other than staff	Personal	21019	67.68

11.10 Movement of NPA

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Gross NPA as on 1 st April 2015 (Opening Balance)	13030.87	9563.74
Additions (Fresh NPAs) during the year	12952.86	5666.26
Increase in balance of existing NPA	---	--
Sub-total (A)	25983.73	15230.00

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Less:-		
(i) Up-gradations	177.73	138.11
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	843.54	1130.31
(iii) Write-Offs	791.58	930.71
Sub-total (B)	1812.85	2199.13
Gross NPA as on 31st March 2016 (closing balance) (A-B)	24170.88	13030.87

Stock of Technical Write-offs

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	3940.20	3664.81
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	645.68	861.06
iii)	Sub-total (A)	4585.88	4525.87
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	193.98	585.67
v)	Closing balance (A-B)	4391.90	3940.20

11.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Assets	31639.49	27195.96
Total NPAs	1145.58	469.63
Total Revenue	986.84	919.99

11.12 There is no Off – balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.

11.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	338.00
b) Carried forward	Nil	Nil
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	65.00
b) Carried forward	Nil	-

11.14 Credit Default Swaps:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2015-16.

11.15 Intra Group Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016
Total amount of Intra group exposure	149065.30
Total amount of Top 20 Intra group exposure	67353.97
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	29.82%
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil

11.16 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance amounts transferred to DEAF	610.36	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	122.33	620.58
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	27.79	10.22
Closing balance of Amount transferred to DEAF	704.90	610.36

11.17 Un-hedged Foreign Currency Exposure

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2015-16. While framing the policy, bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2016 is Rs.33.30 Crores (Rs.24.98 Crores as on 31.03.2015).

12 Liquidity Coverage Ratios (LCR)

A. Qualitative Disclosure

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$LCR = \frac{HQLA}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 60% for the calendar year 2015 and 70% for the calendar year 2016. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

HQLA:

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are also sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1

Levels 1 Asset mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (8% of NDTL).

Level 2A Assets

15% haircut is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise Securities issued by PSEs with 20% risk weight not issued by a bank/financial institution/NBFC, Corporate bonds, not issued by bank/financial institution/NBFC, rated AA- or above and Commercial Papers with rating AA- or above.

Level 2B Assets

50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets comprise not more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., with credit rating not lower than BBB- and Equity Shares not issued by bank/financial institution/NBFC and included in any index.

Brief about LCR of the Bank:

For all 12 months during FY 2015-16, i.e., April'15 to March'16, Bank's LCR stood more than the minimum 60% regulatory requirement for 2015 Calendar year and 70% for 2016 calendar year.

HQLA:

Bank is having sufficient High Quality Liquid Assets so as to maintain LCR above regulatory prescription. Level 1 asset is the main driver of HQLA, contributing around 89% in the Total HQLA of the Bank.

Outflows & Inflows:

Bank has diversified sources of funding of which retail deposits and Deposits are the main source of funds. Bank's exposure is mainly in Indian rupee.

B. Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

LCR Disclosure as of 31 st March 2016			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	44858.80	43972.18
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	175463.59	15721.54
(i)	Stable deposits	36496.41	1824.82
(ii)	Less stable deposits	138967.18	13896.72
3	Unsecured wholesale funding, of which:	45606.96	23137.90
(i)	Operational deposits (all counterparties)	9681.76	2420.44
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	25346.24	10138.49
(iii)	Unsecured debt	10578.97	10578.97
4	Secured wholesale funding	6886.80	2957.32
5	Additional requirements, of which	16499.48	3768.01
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.35	0.35
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	16499.13	3767.66
6	Other contractual funding obligations	887.99	887.99
7	Other contingent funding obligations	32839.83	1601.39
8	TOTAL CASH OUTFLOWS	278184.64	48074.15

LCR Disclosure as of 31 st March 2016			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1278.54	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2461.00	2461.00
11	Other cash inflows	17216.04	10761.46
12	TOTAL CASH INFLOWS	20955.58	13222.46
			Total Adjusted Value
TOTAL HQLA			43972.18
TOTAL NET CASH OUTFLOWS			34851.69
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)			126.17%

Liquidity Coverage ratio as of 31st March 2016 is 126.17%

13 FIXED ASSETS

- Documentation formalities are yet to be completed in respect of five (P.Y. nine) immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 36.43 crores (P.Y. ₹.11.17 crores.) in respect of which steps have already been initiated.
- Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30.11.2007 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to ₹ 456.59 crores as on 31.3.1995 and ₹ 1290.68 crores as on 30.11.2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 56.56 crores (₹ 34.62 crores) attributable thereto has been deducted there from. Certain assets were revalued during the year 2015-16 and as a result of which. the revaluation reserve have increased by Rs. 1213.10 crore for the year ended March 31, 2016

14 Fraud cases Detected/Reported

Frauds Detected during the Year	No. of cases of Frauds detected	Amount involved in such frauds	Amount outstanding as on 31/03/2016	Provision made as of 31/03/2016	Unamortized provision as of 31/03/2016
Total	177	1334.40	1267.36	907.75	352.60

15 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

16 INVESTMENTS

- i) Profit of ₹ 97.97 crore (previous year ₹ 58.43 crore) on sale of “Held to Maturity” category securities have been taken to the Profit and Loss account initially and thereafter an amount of ₹ 44.85 crores (previous year ₹ 27.00 crore) has been appropriated to Capital Reserve net of taxes.
- ii) In respect of “Held to Maturity” category, as stated in Significant Accounting Policy No.5 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 134.48 crore (previous year ₹ 124.07 crore).
- iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1432.61 crore (previous year ₹ 1,200.93 crore).
- 17 During the current year, there are no material prior period item and change in accounting policy (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).
- 18 The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(NITESH RANJAN)
Dy. General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
(M.NO.047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
(M.NO.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)
PARTNER
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit / (Loss) Before Tax	17,65,39	27,83,38
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	2,44,11	2,20,81
	Depreciation on Investments	1,55,02	1,20
	Provision for Non Performing Assets	46,55,03	26,63,78
	Provision for Standard Asset	(9,39,76)	3,33,86
	Other Provisions	6,94	41,25
	Profit / (Loss) on Sale or Disposal of Fixed Assets	1,79	39
	Provision for Staff Related Expenditures	84,04	2,85,18
	Sub Total	59,72,56	63,29,85
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	2,58,50,09	1,91,94,28
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(35,28,32)	23,77,16
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	3,23,92	13,32
	(Increase) / Decrease in Investments	47,29,61	(3,71,00)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,57,31,21)	(2,92,13,92)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(81,09,05)	(15,38,94)
	Direct Taxes Paid (net of refund)	(7,89,26)	(5,90,23)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	87,18,34	(37,99,48)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(15,83,13)	(2,58,97)
	Sale of Fixed Assets	22,79	4,16
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(15,60,34)	(2,54,81)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Conversion of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0	(1,11,00)
	Issue of Equity Shares against Conversion of PNCPs	0	5,47
	Issue of Equity Shares to Govt. of India on Preferential Basis	51,66	0
	Security Premium received (Net of Share Issue Expenses)	10,27,26	1,05,42
	Proceeds from Issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds / PNCPs	(8,74,31)	36,66,21
	Payment of Dividend (Interim & Final Including Dividend Tax)	(4,64,41)	(3,06,66)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(2,59,80)	33,59,44
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	68,98,20	(6,94,85)
	Cash and Cash Equivalents as at the Beginning of the year	2,23,78,02	2,30,72,87
	Cash and Cash Equivalents as at the End of the year	2,92,76,22	2,23,78,02

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,50,63,08	1,84,19,68
	Balances with Banks and Money at Call	73,14,94	46,53,19
	Net Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the year	2,23,78,02	2,30,72,87
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,56,04,72	1,50,63,08
	Balances with Banks and Money at Call	1,36,71,50	73,14,94
	Net Cash and Cash Equivalents at the End of the year	2,92,76,22	2,23,78,02

(VINOD KATHURIA)

Executive Director

(RAKESH SETHI)

Executive Director

(ARUN TIWARI)

Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2016. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, Cash Flow Statement issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 13th May, 2016 to the members.

FOR J GUPTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E

(H. K. DATTA)

PARTNER
(M.NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W

(TANSUKH CHHEDA)

PARTNER
(M.NO.047157)

FOR G P KAPADIA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)

PARTNER
(M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S

(S. SRIDHAR)

PARTNER
(M.NO.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N

(ADITYA KUMAR)

PARTNER
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E

(PRASHANT PANDA)

PARTNER
(M.NO.051092)

Place : MUMBAI

Date : 13th MAY, 2016.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors Union Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements (CFS) of Union Bank of India (the 'Bank'), its subsidiaries, associates and joint ventures (the 'Group'), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2016, and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
2. Incorporated in these CFS are the:
 - a. Audited Accounts of the Bank audited by us vide our audit report dated May 13, 2016 which reflect total assets of ₹ 404,696 crores as at March 31, 2016, total revenue of ₹ 35,831 crores, profits of ₹ 1,352 crores and net cash inflows amounting to ₹ 6,898 crores for the year then ended;
 - b. Audited Accounts of the three subsidiaries and one joint venture audited by other auditors whose financial statements reflect the Group's share in total assets of ₹ 2,669 crores as at March 31, 2016, the Group's share in total revenue of ₹ 419 crores, the Group's share in net cash inflows amounting to ₹ 116 crores for the year then ended; and
 - c. Unaudited accounts of one associate whose financial statements reflect the Group's share in profit from the associates of ₹4.52 crores for the year ended March 31, 2016.

The entities of the Group whose Financial Statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 - Notes to Accounts - which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.
3. We did not audit the financial statements of its Subsidiaries and Joint Venture. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.
4. We have relied on the unaudited financial statements of 1 (one) associate, which has been consolidated on the basis of management certified financial statements.

Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

5. The Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21—"Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23—"Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27—"Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the requirements of Reserve Bank of India and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility of the management of the Bank includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Group that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

6. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
7. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the CFS in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management of the entities of the Group, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

8. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
9. The Audit Reports/Management Certifications on the financial statements of the Subsidiaries/Joint Venture/Associate of the Bank have been forwarded to us and dealt with in preparing our report in the manner considered by us and our opinion is based solely on the reports of other auditor's/management certificates.

Opinion

10. Subject to the limitation as indicated in Para 1 to 9 hereinabove, based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of Subsidiaries and Joint Ventures, the unaudited financial statements and other financial information of an associate, In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying CFS give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - a. In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2016
 - b. In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and
 - c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

FOR J GUPTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO. 314010E
(N. C. KONAR)
 PARTNER
 (M.NO. 052892)

FOR G P KAPADIA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO.104768W
(NIMESH BHIMANI)
 PARTNER
 (M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO.000497N
(SANJEEVA NARAYAN)
 PARTNER
 (M.NO.084205)

FOR GBCA & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO.103142W
(YOGESH AMAL)
 PARTNER
 (M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO.004201S
(T. S. SADASIVAM)
 PARTNER
 (M.NO.081684)

FOR P A & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REGN.NO.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
 PARTNER
 (M.NO.055420)

Place : MUMBAI

Date : 26th MAY, 2016.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	Schedule	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	6,87,44,11	6,35,77,88
Reserves and Surplus	2	2,23,60,67,17	1,92,63,38,63
Minority Interest	2A	-	8,80,81
Deposits	3	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
Borrowings	4	3,06,36,61,48	3,51,67,99,79
Other Liabilities and Provisions	5	95,62,32,69	1,10,42,63,65
Total		<u>40,73,64,56,36</u>	<u>38,35,68,95,00</u>
Assets			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	1,56,06,91,64	1,50,63,86,83
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1,40,09,88,93	75,39,13,95
Investments	8	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35
Advances	9	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
Fixed Assets	10	39,51,85,47	26,94,42,94
Other Assets	11	1,49,73,12,52	1,65,32,24,26
Total		<u>40,73,64,56,36</u>	<u>38,35,68,95,00</u>
Contingent Liabilities	12	39,74,37,13,90	34,91,05,32,69
Bills for Collection		1,50,30,34,09	1,37,00,54,08
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The Schedules Referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)
Asst General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E
(N. C. KONAR)
PARTNER
(M.NO. 052892)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W
(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N
(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
(M.NO.084205)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W
(YOGESH AMAL)
PARTNER
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S
(T. S. SADASIVAM)
PARTNER
(M.NO.081684)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
(M.NO.055420)

Place : MUMBAI

Date : 26th MAY, 2016.

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

			(₹ in 000's)
	Schedule	Year Ended 31.3.2016	Year Ended 31.3.2015
I. Income			
Interest Earned	13	3,23,15,66,64	3,21,64,27,96
Other Income	14	39,34,43,52	39,57,11,67
Total		3,62,50,10,16	3,61,21,39,63
II. Expenditure			
Interest Expended	15	2,38,94,04,33	2,36,39,54,74
Operating Expenses	16	67,15,91,85	66,83,27,39
Provisions and Contingencies		42,97,24,63	40,41,11,69
Total		3,49,07,20,81	3,43,63,93,82
III. Consolidated Net Profit Before Minority Interest and Share of Earnings in Associates		13,42,89,35	17,57,45,81
Add:-Share of Earning in Associates		4,51,99	13,41,73
Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities Interest		13,47,41,34	17,70,87,54
(Less):-Minorities Interest		(9,02,98)	(10,36,06)
Consolidated Net Profit for the year Attributable to the Group		13,56,44,32	17,60,51,48
Add : Profit Brought Forward		41,62	41,02
Amount Available for Appropriations		13,56,85,94	17,60,92,50
IV. Appropriations			
Transfer to Statutory Reserve		4,05,50,00	5,34,50,00
Transfer to Capital Reserve		44,84,70	26,99,74
Transfer to Revenue and Other Reserves/Adjustments		5,53,01,09	5,34,84,53
Proposed Dividend		1,34,05,10	3,81,46,73
Dividend Tax		27,44,69	77,41,53
Transfer to Special Reserve [Sec36(l)(Viii)]		1,92,00,00	2,00,00,00
Provision for Dividend on PNCPS		0	5,28,35
Balance in Profit and Loss Account		36	41,62
Total		13,56,85,94	17,60,92,50
Earnings Per Share (Basic and Diluted in ₹)	18	20.50	27.67
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss A/c

(DHIRENDRA JAIN)
Asst General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E
(N. C. KONAR)
PARTNER
(M.NO. 052892)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W
(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N
(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
(M.NO.084205)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W
(YOGESH AMAL)
PARTNER
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S
(T. S. SADASIVAM)
PARTNER
(M.NO.081684)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
(M.NO.055420)

Place : MUMBAI

Date : 26th MAY, 2016.

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

		(₹ in 000's)	
		As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 1 - CAPITAL :			
I. Authorised :			
i. 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	30,00,00,00		30,00,00,00
II. Issued, Subscribed & Paid up :			
i. 43,61,06,597 Equity Shares of ₹10/- each, held by Central Government (P.Y. 38,44,44,316 Equity Shares)	4,36,10,66		3,84,44,43
ii. 251,334,520 Equity Shares of ₹10/- each, held by Public (P.Y. 251,334,520 Equity Shares)	2,51,33,45		2,51,33,45
TOTAL	6,87,44,11		6,35,77,88
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :			
I. Statutory Reserve :			
As per last Balance Sheet	61,26,36,10	55,91,86,10	
Addition during the year	4,05,50,00	5,34,50,00	61,26,36,10
II. A) Capital Reserve :			
As per last Balance Sheet	8,03,25,13	7,76,25,39	
Addition during the year	44,84,70	26,99,74	8,03,25,13
B) Capital Reserve on Consolidation	56,95,00		56,95,00
III. Share Premium :			
As per last Balance Sheet	34,57,12,14	33,51,70,50	
Addition during the year	10,27,25,77	1,05,41,64	34,57,12,14
IV. Revaluation Reserve :			
As per last Balance Sheet	14,24,70,51	14,59,33,73	
Addition during the year	12,13,09,62	-	
Deduction during the year	56,56,41	34,63,22	14,24,70,51
V. Revenue and Other Reserves :			
i) Revenue and Other Reserves :			
As per last Balance Sheet	48,41,48,82	41,14,03,48	
*Addition during the year	5,54,96,80	7,27,45,34	
Deduction during the year	3,52,62,25	-	
Less:- Minority Interest	22,16	-	
TOTAL	50,43,61,21	48,41,48,82	
* Net of Consolidation Adjustment			
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)			
As per last Balance Sheet	24,98,00,00	22,98,00,00	
Addition during the year	1,92,00,00	2,00,00,00	
TOTAL	26,90,00,00	24,98,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve			
As per last Balance Sheet	55,09,31	47,57,41	
Addition during the year	69,43,73	7,51,90	
Deduction during the year	-	-	
TOTAL	1,24,53,04	55,09,31	73,94,58,13
VI. Balance in Profit and Loss Account	36		41,62
TOTAL	2,23,60,67,17		1,92,63,38,63

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

	(₹ in 000's)	
	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 2 A Minority Interest		
Opening Balance	8,80,81	1,916,87
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year	(8,80,81)	(10,36,06)
Total Minority Interest	-	8,80,81
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :		
I) Demand Deposits		
i) From Banks	5,54,44,05	6,10,07,08
ii) From Others	2,92,36,14,44	2,04,95,57,28
II) Savings Bank Deposits	8,11,43,32,08	7,15,65,22,42
III) Term Deposits		
i) From Banks	1,07,57,99,48	1,33,03,70,78
ii) From Others	22,24,25,60,85	21,14,75,76,68
TOTAL	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
Deposits of branches in India	33,60,58,19,23	31,22,12,25,34
Deposits of branches outside India	80,59,31,68	52,38,08,90
TOTAL	34,41,17,50,91	31,74,50,34,24
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :		
A. Borrowings: Capital Instruments		
i. Perpetual Bonds	10,39,61,00	10,39,61,00
ii. Upper Tier II Bonds	22,50,00,00	22,50,00,00
iii. Tier II Bonds	52,00,00,00	52,50,00,00
B. Borrowings in India		
i. Other Banks	4,14,15,39	7,00,00,00
ii. Other Institutions and Agencies	12,52,60,08	44,95,07,39
C. Borrowings Outside India	2,04,80,25,01	2,14,33,31,40
TOTAL	3,06,36,61,48	3,51,67,99,79
Secured Borrowings included in (B) I & (B) II above	9,56,19,34	33,72,28,20
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills Payable	17,45,34,68	11,67,92,29
II. Interest Accrued	10,36,28,33	9,20,12,76
III. Deferred Tax Liability	-	4,52,23,52
IV. Others(including Provisions)	67,80,69,68	85,02,35,08
TOTAL	95,62,32,69	1,10,42,63,65

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in Hand	11,27,00,95	1,00,772,07
(including foreign currency notes)		
II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account	1,44,79,90,69	1,40,56,14,76
TOTAL	1,56,06,91,64	1,50,63,86,83
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	59,37,32	21,681,37
b) In Other Deposit Accounts	35,64,79,43	16,66,60,98
ii) Money at Call & Short Notice		
a) With Banks	3,00,00,00	0
b) With Other Institutions	20,45,91	0
	39,44,62,66	18,83,42,35
II. Outside India		
i) In Current Accounts	25,66,91,10	2,90,85,81
ii) In other Deposit Accounts	74,56,83,48	53,64,85,79
iii) Money at Call & Short Notice	41,51,69	0
	1,00,65,26,27	5,55,71,60
TOTAL	1,40,09,88,93	75,39,13,95
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	7,19,43,28,58	7,30,65,91,15
ii) Other Approved Securities	1,86,37,41	1,61,58,51
iii) Shares	16,38,09,25	14,31,03,98
iv) Debentures and Bonds	1,35,93,61,39	83,94,11,82
v) Subsidiaries and Joint Ventures	1,82,39,46	1,996,942
vi) Others		
- Commercial Paper	1,43,30,28	-
- Others	1,81,82,11	2,06,87,85
- Mutual Funds	8,860,478	9,23,76,88
- Security Receipt by ARCIL	5,80,61,08	5,98,22,60
TOTAL	8,93,35,54,34	8,49,81,22,21
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (incl Local Authorities)	6,74,06,42	3,69,31,34
ii) Shares	40,32	40,32
iii) Other Investments (Bonds)	5,63,20,30	4,67,21,48
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
	12,37,67,04	8,36,93,14
TOTAL	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35
III. Investments in India		
Gross Value	8,98,89,34,46	8,53,85,74,40
Less: Provision for Depreciation	5,53,80,12	4,04,52,19
Net Value of Investment in India	8,93,35,54,34	8,49,81,22,21
IV) Investments outside India		
Gross Value	12,37,67,04	8,36,93,14
Less: Provision for Depreciation	0	0
Net Value of Investment outside India	12,37,67,04	8,36,93,14
TOTAL	9,05,73,21,38	8,58,18,15,35

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

		(₹ in 000's)	
		As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
SCHEDULE 9 - ADVANCES			
I.	i) Bills Purchased and Discounted	82,30,60,56	78,16,22,46
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	13,16,67,36,84	12,10,47,43,83
	iii) Term Loans	12,83,51,59,02	12,70,57,45,38
	TOTAL	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
II.	i) Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	22,00,88,01,99	20,77,32,43,89
	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1,29,10,52,85	1,56,40,53,05
	iii) Unsecured	3,52,51,01,58	3,25,48,14,73
	TOTAL	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
A.	Advances in India		
	i) Priority Sector	9,50,48,45,13	8,58,55,17,72
	ii) Public Sector	1,33,12,66,33	1,35,00,91,37
	iii) Banks	5,22,93,76	42,62,72,89
	iv) Others	13,23,23,36,13	13,05,39,40,50
	TOTAL	24,12,07,41,35	23,41,58,22,48
B.	Advances outside India		
	i) Due From Banks	76,51,56,14	55,85,82,66
	ii) Due From Others	-	-
	a) Bills Purchased and Discounted	44,99,00,97	34,07,80,03
	b) Syndicated loans	8,53,21,66	8,32,98,36
	c) Others	1,4038,36,30	1,19,36,28,14
		2,70,42,15,07	2,17,62,89,19
	TOTAL	26,82,49,56,42	25,59,21,11,67
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS			
A. TANGIBLE ASSETS			
I.	Premises		
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	24,23,25,14	23,70,61,34
	Additions during the year	13,04,86,84	52,65,19
		37,28,11,98	24,23,26,53
	Deductions during the year	6,79,08,53	1,39
		30,49,03,45	24,23,25,14
	Less: Depreciation to Date	2,49,66	30,46,53,79
			6,01,58,67
			18,21,66,47
II.	Capital Work in Progress		
	At cost as per last Balance Sheet	4,28,92	1,07,92
	Additions during the year	9,81,26	46,71,44
	Deductions during the year	1,57,56	12,52,62
			43,50,44
			4,28,92
III.	Land		
	At cost as per last Balance Sheet	61,66,84	49,82,97
	Additions during the year	11,01,21	11,83,87
	Deductions during the year	-	-
		72,68,05	61,66,84
	Less : Depreciation to Date	3,80,37	68,87,68
			3,04,84
			58,62,00

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

			(₹ in 000's)
	As on 31.3.2016		As on 31.3.2015
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)			
a) Assets given on Lease			
At cost as per last Balance Sheet	26,53,52		26,53,52
Addition during the year	-		-
Deductions during the year	-		-
	26,53,52		26,53,52
Less: Depreciation to Date	26,53,52		26,53,52
			-
b) Others			
At cost/valuation as per last Balance Sheet	20,91,42,78		18,77,09,24
Additions during the year	2,39,83,27		2,65,15,81
	23,31,26,05		21,42,25,05
Deductions during the year	65,30,65		50,82,27
	22,65,95,40		20,91,42,78
Less: Depreciation to Date	14,67,33,56	7,98,61,84	13,09,30,95
			7,821,183
B. INTANGIBLE ASSETS			
Computer Software			
At cost as per last Balance Sheet	1,90,62,92		1,77,39,71
Additions during the year	23,71,76		13,23,21
Deductions during the year	1,34		-
	214,33,34		19,06,292
Amortisation till Date	1,89,03,80	25,29,54	1,62,89,19
			27,73,73
TOTAL	39,51,85,47		26,94,42,95
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :			
I. Inter-Office Adjustments (net)	19,67,49,20		15,73,74,40
II. Interest Accrued	23,14,47,37		23,97,48,99
III. Tax Paid/Tax Deducted at Source	16,23		15,25
IV. Stationery and Stamps	3,74,87		1,85,77
V. Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	3,90		3,90
VI. Deferred Tax Assets	4,18,59,06		3,05,48
VII. Others	1,02,68,61,89		1,25,55,90,47
TOTAL	1,49,73,12,52		1,65,32,24,26
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :			
I. Claims against the Bank not Acknowledged as Debts	38,59,06,85		35,93,30,65
II. Liability for partly paid Investments	59,20		59,20
III. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts	34,74,37,04,38		29,61,70,42,69
IV. Guarantees given on behalf of Constituents			
i) In India	1,36,49,82,25		2,27,16,05,69
ii) Outside India	3,22,71,60		3,63,18,51
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	2,74,60,11,35		2,50,41,15,21
VI. Other items of Contingent Liability	37,17,92,28		51,32,44
i) Disputed Tax Demands under Appeals	2,84,95,99		6,33,68,54
ii) Amount transfered to DEAF scheme 2014	7,04,90,00		6,10,35,57
TOTAL	39,74,37,13,90		34,91,80,08,50

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ in 000's)

	Year Ended 31.3.2016	Year Ended 31.3.2015
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on Advances/Bills	2,36,84,48,50	2,39,82,57,48
II. Income on Investments	76,23,69,96	72,56,88,62
III. Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	8,18,02,59	6,77,02,51
IV. Others	1,89,45,59	2,47,79,35
TOTAL	3,23,15,66,64	3,21,64,27,96
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	3,98,58,72	3,81,50,68
II. Profit on Sale of Investments - (Net)	8,76,28,48	8,61,74,40
III. Profit/ (Loss) on Sale of Land, Buildings & Other Assets (Net)	(1,79,14)	(39,45)
IV. Profit on Exchange Transactions - (Net)	9,77,60,93	9,71,67,49
V. Miscellaneous Income	16,83,74,53	17,42,58,55
TOTAL	39,34,43,52	39,57,11,67
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	2,20,77,16,22	2,16,23,99,49
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	5,49,42,62	6,06,71,81
III. Others	12,67,45,49	14,08,83,44
TOTAL	2,38,94,04,33	2,36,39,54,74
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and Provisions for Employees	37,68,05,35	38,44,63,34
II. Rent, Taxes and Lighting	4,81,78,59	4,38,21,98
III. Printing and Stationery	52,32,70	52,66,66
IV. Advertisement and Publicity	72,63,43	71,20,13
V. Depreciation on Bank's Property	2,48,97,89	2,25,11,71
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	3,93,18	3,77,69
VII. Remuneration to Managing / Executive Director	71,83	59,23
VIII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	35,64,30	34,90,03
IX. Law Charges	25,39,88	22,44,26
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	77,28,56	66,92,06
XI. Repairs and Maintenance	1,16,23,81	1,06,62,29
XII. Insurance	3,15,39,57	2,76,73,77
XIII. Other Expenditure	15,17,52,76	15,39,44,24
TOTAL	67,15,91,85	66,83,27,39

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2015-2016 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known/ materialized.

3 Basis of consolidation

3.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

- i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).
- ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 “Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.
- iii) Accounting for Investments in ‘Associate’ under the ‘Equity Method’ as per Accounting Standard 23 “Accounting for Investments

in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.

- iv) Consolidation of Joint Venture – ‘Proportionate Consolidation’ as per Accounting Standard 27 “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” by ICAI.

3.2 In case of differences in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are adjusted, wherever and necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent’s portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
- ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.
- iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses.

4 Revenue Recognition

4.1 Banking entities

- 4.1.1 Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 4.1.2 Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.
- 4.1.3 Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.
- 4.1.4 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at discount to the face

value is recognized as follows:

- a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.
- b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

4.1.5 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4.2 Non Banking entities

Life Insurance

i) Premium Income

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

- i) Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.
- ii) Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- iii) Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- iv) Dividend income is recognized when right to receive is established.

5 Investments

5.1 Classification

- i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:
 - a) Government Securities
 - b) Other Approved Securities
 - c) Shares
 - d) Debentures & Bonds
 - e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and
 - f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

5.2 Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

- i) Securities held in “HTM” – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
- ii) Investment in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost
- iv) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- v) Securities held in “AFS” and “HFT” categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.
- vi) Valuation of other securities is arrived at as follows:

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.

v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

5.3 Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

5.4 As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- 5.4.1 From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- 5.4.2 From HTM category to AFS / HFT category,
 - If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
 - If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.
- 5.4.3 From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

5.4.4 The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

5.5 The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

5.6 Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

5.7 Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

5.8 As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6 Derivative Contracts:

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

- i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.
- ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7 Advances

7.1 Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

7.2 Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit

Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

7.3 The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8 Fixed Assets and Depreciation

8.1 Premises and Other Fixed Assets are stated a cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

8.2 Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

8.3 Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

- 8.4 Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.
- 8.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.
- 8.6 No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.
- 8.7 Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.
- 8.8 Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11 Transactions Involving Foreign Exchange

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

- a) Integral Operations and
b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

- 11.2 Translation in respect of Integral Operations
- 11.2.1 Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- 11.2.2 Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- 11.2.3 Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.
- 11.2.4 The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.
- 11.2.5 Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 11.3 Translation in respect of Non Integral Operations
- 11.3.1 Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
- 11.3.2 Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- 11.3.3 Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- 11.3.4 The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12 Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

The New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16 Taxation

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/ liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2015-2016 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

- 1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2016
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%
Union Bank of India UK Ltd.	United Kingdom	100%

- 2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non- Banking)	India	26%

- 3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

The Value of the investment made by the Bank is ₹ 189.96 Crore as on 31st March 2016 which is treated as long term investment.

- 4 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2016.

- 5 In case of Domestic Associate/Subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries have not been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries as the amounts are not material.

- 6 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd., Union Bank of India UK Ltd. and Unaudited Financial Statements of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2016.

- 7 Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

8.1 A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2016.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%)		
	Basel II	Nil	Nil
	Basel III	8.00	7.26
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel II	8.29	7.66
	Basel III	8.20	7.53
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel II	2.90	3.18
	Basel III	2.42	2.71
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel II	11.19	10.83
	Basel III	10.62	10.24
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	63.44	60.47
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	51.66	5.47
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	---	---
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	1000.00	--
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	1000.00	--

During the Financial Year 2015-16, the Bank has allotted 5,16,62,281 equity shares of ₹ 10/- each at price of ₹ 209.05 per equity share (including a premium of ₹ 199.05 per equity share), to the Government of India. Consequently, the share holding of Government of India has increased from 60.47% to 63.44%

8.2 Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2016	31.03.2015
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	149.28	(37.62)
Provision towards NPA	4655.03	2536.67
Provision(Reversal) towards Standard Assets	(107.47)	239.81
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/Deferred tax liability (DTL)	415.07	1000.00
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	5.74	38.82
- Restructured Advances	(623.25)	127.11
- Others	(197.15)	136.33
TOTAL	4297.25	4041.12

8.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision (Parent Bank)

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Opening Balance as on 01.04.2015	293.20	511.21
ii)	Additional provisions made during the accounting year	0.00	75.18
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	293.19
iv)	Closing balance	293.20	293.20

9 Employee Benefits (Parent Bank) (AS 15)

(₹ in crore)

Particulars		31.03.2016		31.03.2015	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	1,088.16	8,218.43	1060.13	6683.81
	Interest Cost	83.52	638.22	95.66	616.32
	Current Service Cost	50.12	150.00	45.13	190.73
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	Actuarial (gain) / loss on obligations	74.53	1,293.35	47.24	1179.57
	Liability at the end of the year	1,110.33	9,619.00	1088.16	8218.43
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,264.00	7,861.00	1081.23	6104.73
	Expected return on Plan Assets	105.21	777.24	96.74	630.38
	Contributions	38.26	1,413.35	208.00	1367.00
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(186.00)	(681.00)	-160.00	-452.00
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	29.80	155.11	38.03	210.89
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(44.73)	(1,138.24)	-9.21	-968.68
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	105.21	777.24	96.74	630.38
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	29.80	155.11	38.03	210.89
	Actual return on Plan Assets	135.01	932.35	134.77	841.27
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	50.12	150.00	45.13	90.73
	Interest Cost	83.52	638.22	95.66	616.32
	Expected Return on Plan Assets	(105.21)	(777.24)	-96.74	-630.38
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	44.73	1,138.24	9.21	968.68
	Expenses Recognized in P & L	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(175.84)	357.43	-86.10	241.08
	Expenses as above	73.16	1,149.22	118.26	1483.35
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(38.26)	(1,413.35)	-208.00	-1367.00
	Amount recognized in Balance Sheet	(140.94)	93.30	-175.84	357.43
vii)	Other Details :				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				

Particulars		31.03.2016		31.03.2015	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	35,716.00	19,670.00	35646	21337
	Salary Per Month	148.54	107.98	135.34	97.37
	Contribution for next year	Nil	349.86	Nil	315.48
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	146.02	473.14	146.02	473.14
	Corporate Bonds	267.72	1532.83	385.01	1879.80
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	443.41	2442.38	434.50	2390.20
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	90.39	974.77	40.47	214.74
	Insurer Managed Funds	303.73	4102.58	258.00	2903.12
	Total	1,251.27	9,525.70	1264.00	7861.00
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	7.99	7.95	9.33	9.27
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.70	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.04	8.06	7.99	7.95
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.04	8.06	8.70	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
Liability at the end of the year	1,110.33	1088.16	1060.13	1000.86	990.55
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,251.27	1264.00	1081.23	1037.22	861.28
Difference	140.94	175.84	21.10	36.36	-129.27
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	65.00	130.00	195.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	140.94	175.84	86.10	166.36	65.73

(₹ in crores)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
On plan liability (Gain) / Loss	Nil	(21.18)	123.74	21.60	95.09
On plan Assets (Loss) / Gain	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)	(0.80)

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
Liability at the end of the year	9,619.00	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03
Fair value of Plan Assets at the end of the year	9,525.70	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00
Difference	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	338.00	761.00	1014.17
Unrecognized Transition Liability					
Closing Balance	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)	(224.86)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12
On plan liability (Gain) / Loss	1399.16	731.44	661.38	251.18	511.13
On plan Assets (Loss) / Gain	155.11	210.89	-233.23	-103.10	-145.15

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2015-16, the Bank has contributed ₹ 58.52 crore (Previous Year ₹ 42.44 crore) to NPS.

9.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits for the year ended are as follows

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2016	31.03.2015
1.	Pension	1149	1483
2.	Leave Encashment	75	68
3.	Leave Travel Concession	10	9
4.	Sick Leave	Nil	Nil

During the year the bank has made a payment of ₹ 79 Crores as an exceptional item which relates to wage arrears for earlier years, on final implementation of the Xth bipartite wage settlement

Unamortized Pension and Gratuity Liabilities (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	NIL	338.00
b) Carried forward	NIL	-
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	NIL	65.00
b) Carried forward	NIL	-

10 SEGMENT REPORTING (AS 17)

10.1 Business Segments:

(₹ in crores)

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.16	31.12.15	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
(a)	Segment Revenue							
1	Treasury Operations	2503.37	2567.08	2624.40	10177.19	9457.35	10177.19	9457.35
2	Retail Banking Operations	3309.08	2363.45	2550.30	10221.26	10096.56	10221.26	10096.56

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.16	31.12.15	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
3	Corporate / Wholesale Banking	3016.78	3824.94	4121.28	15236.62	15733.95	15236.62	15733.95
4	Other Banking Operations	78.98	63.56	98.76	264.76	342.36	264.76	342.36
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.56	514.44
	Total	8908.21	8819.03	9394.74	35899.83	35630.22	36319.39	36144.66
	Less Inter-segment Revenue	23.80	16.97	11.03	69.29	23.26	69.29	23.26
	Total Revenue	8884.41	8802.06	9383.71	35830.54	35606.96	36250.10	36121.40
(b)	Segment Results							
1	Treasury Operations	619.96	646.88	641.87	2146.01	1902.99	2146.01	1902.99
2	Retail Banking Operations	205.23	161.73	575.20	667.62	1216.99	667.62	1216.99
3	Corporate / Wholesale Banking	-1014.94	-741.56	-624.56	-1173.31	-503.19	-1173.31	-503.19
4	Other Banking Operations	34.70	29.45	49.84	125.07	166.59	125.07	166.59
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	-25.92
	Total Profit before Tax	(155.05)	96.50	642.35	1765.39	2783.38	1771.52	2757.46
(c)	Income Tax	(251.18)	17.96	198.58	413.77	1001.74	415.08	1000.00
(d)	Net Profit	96.13	78.54	443.77	1351.60	1781.64	1342.89	1757.46
(e)	Segment Assets							
1	Treasury Operations	124187.02	125032.19	113440.55	124187.02	113440.55	124187.02	113440.55
2	Retail Banking Operations	93320.72	118148.19	107285.95	93320.72	107285.95	93320.72	107285.95
3	Corporate / Wholesale Banking	183281.67	144431.52	156474.27	183281.67	156474.27	183281.67	156474.27
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	3906.49	3208.08	4415.16	3906.49	4415.16	6575.15	6368.18
	Total	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93	407364.56	383568.95
(f)	Segment Liabilities							
1	Treasury Operations	117469.24	117914.52	107654.06	117469.24	107654.06	117469.24	107654.06
2	Retail Banking Operations	88934.90	112434.00	102760.57	88934.90	102760.57	88934.90	102760.57
3	Corporate / Wholesale Banking	174667.92	137446.14	149874.09	174667.92	149874.09	174667.92	149874.09
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	732.63	950.89	1565.18	732.63	1565.18	3244.17	3381.06
6	Capital, Reserves & Surplus	22891.21	22074.43	19762.03	22891.21	19762.03	23048.33	19899.17
	Total	404695.90	390819.97	381615.93	404695.90	381615.93	407364.56	383568.95

Notes:

- i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with segment reporting AS-17 after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits. Hence, the Bank has only one reportable geographical segment.

- ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

11 Related Party Disclosures (Parent Bank) (AS 18)

11.1 List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union KBC Trustee Company Private Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd

c) Associate

- Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2015-16
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	N.A
Shri K. Subrahmanyam	Executive Director	Cessation on 31 July, 2015
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	N.A.
Shri Kishor Kharat	Executive Director	Cessation on 14 August, 2015
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	Joined on 22 January, 2016

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

11.2 Key Management Personnel - Remuneration paid

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Chairman and Managing Director	#0.28	0.20
Executive Directors	#0.44	0.39
Total	0.72	0.59

includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.09 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the year.

12 Earnings per Share (AS 20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on “Earning per Share”. Basic Earnings per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Sr No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i	Basic and Diluted EPS (₹)	20.50	27.67
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)	1356.44	1752.18
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	66.18	63.33
iv	Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

13 Deferred Tax (AS 22)

(₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	187.71	234.25
2	Employee Benefits	266.59	328.89
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	60.35	15.73
4	Leave Encashment	83.89	57.93
5	On account of other provisions	1435.06	477.18
6	On account of unused losses & Tax Credits	3.04	3.05
	Total	2036.64	1117.03
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	91.23	66.15
2	Depreciation on Fixed Assets	29.24	35.68
3	Accrued interest on securities	607.89	641.15
4	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	889.69	823.24
	Total	1618.05	1566.22
	Net Deferred Tax Asset	418.59	-
	Net Deferred Tax Liability	-	449.19

- 14 Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.
- 15 During the year the Parent Bank has revalued the premises based on the reports of external independent valuers and the valuation have been approved by the Board. The surplus arising from the revaluation amounting to ₹ 1213.10 crore is shown as "Revaluation Reserves" under "Reserves and Surplus" and the same has been reckoned in Tier I capital as per RBI guidelines
- 16 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Asst General Manager

(VIVEK KAMATH)
General Manager

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing
Director

(MIHIR KUMAR)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(JAG MOHAN SHARMA)
Director

(DR. K. RAMESHA)
Director

(DR. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E
(N. C. KONAR)
PARTNER
(M.NO. 052892)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W
(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N
(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
(M.NO.084205)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W
(YOGESH AMAL)
PARTNER
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S
(T. S. SADASIVAM)
PARTNER
(M.NO.081684)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
(M.NO.055420)

Place : MUMBAI

Date : 26th MAY, 2016.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

		(₹ in Lacs)	
Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit / (Loss) Before Tax	17,71,52	27,57,46
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	2,48,98	2,25,12
	Depreciation on Investments	1,55,02	1,20
	Provision for Non Performing Assets	46,55,03	26,63,78
	Provision for Standard Asset	(9,34,82)	3,34,90
	Other Provisions	6,94	41,25
	Profit / (Loss) on Sale or Disposal of Fixed Assets	1,79	39
	Provision for Staff Related Expenditures	84,04	2,85,18
	Share of Earning In Associates	(4,52)	(13,42)
	Increase/(Decrease)in Minority Interest	(9,03)	(10,36)
	Sub Total	59,74,95	62,85,50
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	2,66,67,17	1,97,99,28
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(35,28,32)	23,77,16
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,84,04	4,61,42
	(Increase) / Decrease in Investments	(49,10,08)	(8,14,26)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,69,83,47)	(2,94,80,23)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	15,59,11	(16,06,12)
	Direct Taxes Paid (Net of refund)	(7,89,26)	(5,90,23)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	82,74,14	(35,67,48)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(15,87,66)	(3,46,10)
	Sale of Fixed Assets	7,02,32	4,33
	Share of Earning In Associates	4,52	13,42
	Increase/(Decrease) in Minority Interest	9,03	10,36
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(8,71,79)	(3,17,99)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Conversion of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0	(1,11,00)
	Issue of Equity Shares against Conversion of PNCPS	0	5,47
	Issue of Equity Shares to Govt. of India on Preferential Basis	51,66	0
	Security Premium received (Net of Share Issue Expenses)	10,27,26	1,05,42
	Proceeds from issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds / PNCPS	(10,03,06)	34,74,61
	Payment of Dividend (Interim & Final Including Dividend Tax)	(4,64,41)	(3,06,66)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(3,88,55)	31,67,84
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+ (C)	70,13,80	(7,17,63)
	Cash and Cash Equivalents as at the Beginning of the year	2,26,03,01	2,33,20,64
	Cash and Cash Equivalents as at the End of the year	2,96,16,81	2,26,03,01

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

		(₹ in Lacs)	
Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,50,63,87	1,84,19,98
	Balances with Banks and Money at Call	75,39,14	49,00,66
	Net Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the year	2,26,03,01	2,33,20,64
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,56,06,92	1,50,63,87
	Balances with Banks and Money at Call	1,40,09,89	75,39,14
	Net Cash and Cash Equivalents at the End of the year	2,96,16,81	2,26,03,01

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAKESH SETHI)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Group for the year ended 31.03.2016. The statement has been prepared using Indirect Method in accordance with the AS-3, Cash Flow Statement issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Group covered by our report of 26th May, 2016 to the Management.

FOR J GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 314010E
(N. C. KONAR)
PARTNER
(M.NO. 052892)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.104768W
(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
(M.NO.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000497N
(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
(M.NO.084205)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.103142W
(YOGESH AMAL)
PARTNER
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.004201S
(T. S. SADASIVAM)
PARTNER
(M.NO.081684)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
(M.NO.055420)

Place : MUMBAI

Date : 26th MAY, 2016.

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar16.pdf

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2015-16

Section A: General Information about the Company

Union Bank of India, founded on 11th November 1919 with its headquarters in Mumbai, was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the nation in the year 1921. The Bank's core values of prudent management without ignoring opportunities is reflected in the fact that the Bank has shown steadfast growth and development during all 96 years of its operations. The Bank's focus is on qualitative growth in business while lending to productive sectors and ensuring asset quality is not impaired. This ensures that the Bank's performance in key business parameters improves year after year. The Bank now has 4196 Domestic branches and 6883 ATM's.

The Bank also has four full-fledged international branches in DIFC Dubai, Hong Kong, Sydney and Antwerp. The Bank is also having three representative offices in Shanghai, Beijing & Abu Dhabi and one wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd, in London. The Bank has staff strength of 35473 who diligently adhere to the Bank's values and work towards achieving the Bank's vision.



Union Bank of India opened its 4th Overseas Branch in Sydney, Australia on 29th March, 2016. The inauguration was done by Shri Arun Jaitley, Honourable Finance Minister of India in the presence of Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services broadly falls under three categories:

1. Deposits,
2. Loans and Advances and
3. Remittances and Collections

The Bank's activities are covered under the activity code - 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Program Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and all its branches are computerized. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and cent percent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company:	Not Applicable
Registered Address:	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021
Website:	http://www.unionbankofindia.co.in
E-mail Id:	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported:	2015 -16

Section B: Financial Details of the Company

The Bank's financials during the reporting year are as under:

Paid up Capital	INR 687 crores
Total Deposits	INR 342720 crores
Gross Advances	INR 277725 crores
Total profit after taxes	INR 1352 crores
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	INR 6.98 crores
Total Spending on CSR as percentage of profit after tax (%)	0.52%

Corporate Social Responsibility:

Union Bank of India is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. **The Union Bank Social Foundation**, a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

The Bank's CSR spend in 2015-16 is INR 6.98 Crores. Some of the notable projects undertaken by the Bank under CSR in the reporting year include:

List of some new CSR initiatives taken in 2015-2016:

- o Donation for Construction of 4th floor of integrated rehabilitation center for persons with disabilities at Airoli, Mumbai
- o Donation of school bus for Physically Challenged boys at Santacruz Mumbai.
- o Donation of Artificial Limb for physically Challenge persons through Mahavir Bika-lang Jaipur
- o Donation of School Bus & two audio metric sound proof Mobile room for Govt. Blind & deaf school, Raipur
- o Donation for Solar system and looms to School for Hearing Impaired and Mentally Challenge school, Igatpuri
- o Donation to Hemophilia Society, Varanasi for Physiotherapy instrument and Medi-cines
- o Donation for purchase of Vehicle and Medical Equipment to Sumita Cancer Society, Silliguri (WB)
- o Donation for setting up wood lab to Centurion University of technology & Manage-ment
- o Donation for purchase of water tanker and cleaning vehicle for the use in slums of Jabalpur.

- o Donation for installation of Solar Light and digging of hand pump for SAG villages in Uttarpradesh
- o Donation for purchase of Pathological equipments to St Thomas hospital & leprosy Center Chettupattu Tamillnadu.

Section C: Other Details

The Bank has three subsidiaries (Union Bank of India (UK) Ltd., Union KBC Asset Management Company Private Ltd and Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd), one joint venture (Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd) and one associate (Kashi Gomti Samyut Gramin Bank). The Bank's subsidiaries as well as its partners conduct their business in a responsible manner. The Bank is committed to providing the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

Section D: BR Information

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	03567831
Name	Shri Rakesh Sethi
Designation	Executive Director

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Mrs. Hemalatha Rajan
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-22896601
e-mail id	gmpbod@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

This is the 4th year that Union Bank is publishing its BR report. As this is a regulatory requirement it is published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is evaluated annually by the Sustainable Development and CSR Committee of the Bank. The BR report of the Bank can be accessed on our website at the following link:

Main Page > About Us > Sustainable Development

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
			2	3	4	5	6	7	8	9
1	Do you have a policy/ policies for the Principle/s	Yes								
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								

3	Does the policy conform to any National / International standards? If yes specify? (50 words)	Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
4	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/ Appropriate director	Yes, the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director.
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Main Page > About Us > Sustainable Development
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes, as the policy is uploaded on the website. However, to further increase awareness of the policy, suitable training programs will be conducted at different levels.
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Yes
9	Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	At present the SD&CSR Committee of the Bank is monitoring the BR performance of the Bank at quarterly intervals. However, going forward it will also be evaluated by an external agency at periodic intervals

Section E: Principle-wise Performance

Union Bank of India is committed to operating and growing its business in a socially re-sponsible way. The Bank is convinced that businesses that address both the direct concerns of citizens and the needs of the environment will prosper over the long term.

This belief is at the core the Bank's vision is to grow its business, while reducing its environmental footprint and increasing its positive social impact. Union Bank of India is committed to this through the various CSR programs. The Bank's goal is to help people to improve their health and wellbeing, reduce the environmental footprint and enhance the livelihoods of people as the business grows.

The report provides an overview of the activities carried out by the Company under each of the nine principles as outlined in the National Voluntary Guidelines (NVG).

Principle 1 - Sound Corporate Governance

Union Bank of India takes pride in the good governance that dates back to the vision of the founders and of the fact that the subsequent leaders have built on this tradition over the years making Union Bank of India one of the leaders in the Banking Sector. Bank's actions are governed by its values and principles, which are reinforced at all levels of employment within the bank. Union Bank of India is committed to doing things the right way, that is ethical and in compliance with the applicable legislation thus leading to sound corporate governance.



The Bank follows a principle-based approach towards corporate governance which ensures the Bank delivers strong and effective governance which is respected by investors. As part of Corporate Governance the Bank has a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management. The Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank operates and conducts its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognizes that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

The Code envisages and expects -

- Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.
- Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.

- Compliance with applicable laws, rules and regulations.
- Address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.
- Maintain highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the Bank.

The Code of Business Principles is an extension of the Bank's values and reflects its commitment to ethical business practices across the operations. The Code also sets standards which not only meets the requirements of applicable legislations but goes beyond in many areas of its functioning.

Union Bank of India wins the Prestigious '1st Best Vigilance Excellence Award (2015-16) in Corporate Category'



Sri Atul Kumar, Chief Vigilance Officer, Union Bank of India receiving the Award from Sri S K Acharya, Chairman, Neyveli Lignite Corporation Limited.

The Bank also publishes a Corporate Governance Report with its Annual Report. The following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976
- The Bipartite Settlement/ Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/ Officers' Federation
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's good corporate practices have won it several laurels and recognition in the past years. During the last financial year, there were 5 complaints received under Whistle Blower policy and all of them have been satisfactorily resolved.

Union Bank of India released short Film on Preventive Vigilance



A short film, 'Savdhani Hati- Durghatna Ghati' with a theme of 'importance of honesty in public life' conceptualized and produced by Union Bank Of India on behalf of entire Public Sector Financial Institutions, was released by Vigilance Commissioner, Shri T.M. Bhasin during the function held at Mumbai.

Principle 2 – Sustainable Products and Services

The Bank is aware both of the crucial role that it plays in the economy by providing financial products and services to individuals, companies and government bodies, and of the potential that it has to be a powerful agent of change by providing banking services to a wider section of population. The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to long-term environmental benefit and social development.

The Bank's business strategies continue to be aimed at consolidating its business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & control. The thrust areas include strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach customers with new technology and deepening relations. As a partner in the progress of the country the Bank extends credit for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry or the MSME sector, exports, trade, agriculture, infrastructure or the personal segment. The Bank has been a pioneer in taking meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged, the details of which can be found on the Bank's corporate website.



The Bank has the distinction of being the first Public Sector Bank to offer Mobile Banking which provides the customer the convenience of transferring funds even while on the move thus saving time and money. The bank has developed products especially for persons with disability and those which are environment friendly for the benefit the society at large. Some the key products catering to customer needs as well as benefitting the environment/ society, are as follows:

1. **IRCTC Union Bank Virtual Prepaid card** - The card is generated online and all details of the card viz. card no, PIN, CVV and expiry date is sent over mail to the customer. The details of the card can be used by the customer to book railway ticket and also do online shopping. Since the card is virtual card, it does not involve printing of plastics and also generation of paper PIN.
2. Union Bank of India launched "**Union Selfie**", a mobile based account opening facility which allows a prospective customer to open a SB account through an app. Through this facility, a prospect can open a savings account just by scanning his Aadhaar card, PAN Card and by uploading a "Selfie" through his/her smart phone.
3. The Bank has launched "Online Account Opening" facility during the financial year targeting the tech savvy customers. This is a Web based SB account opening facility through which a prospect can open his/her savings account by visiting the Bank's website.
4. Bank is implementing NRLM /NULM Scheme of Government of India for upliftment of poor Women in country through SHG-bank linkage programme.
5. **Union Bio Tech** - This product has been designed to promote tissue culture tech-nology and poly-houses in the country.
6. The Bank has pioneered the concept of '**Talking ATMs**' in India which enables visually challenged as well as physically challenged persons on wheelchair to handle their transactions on voice guidance and hence called 'Talking ATM'.
7. All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium (MSMEs).
8. All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.



The Bank's ATMs are not just cash dispensation machines but also offers remittance facilities viz. NEFT through ATM, Interbank Mobile Payment Services (IMPS), and Union e-Cash: a mobile based funds transfer which facilitates the receiver to draw cash from ATM based on mobile authentication. The Bank has a laid down policy for the disposal of old records after perforation and subsequently sending the same for re-cycling.

The percentage of recycling of product and waste falls in category above 10%. The Bank procures most of its consumables through locally based suppliers. The Bank's commitment to small and micro



enterprises is enshrined in a code of commitment to the segment which ensures easy, speedy and transparent access to banking services in their daily operations and in times of financial difficulty to the unit.

Principle 3 – Employee Welfare

Sustainable, profitable growth can be achieved only when people work in an organization where performance is aligned with values. Bank is an agile and diverse organization, with people motivated to doing good while doing well.

LEADERS BUILD LEADERS

Bank follows the principle of nurturing talent and building leaders, through the 'leaders build leaders' philosophy. This ensures that leadership gets ingrained across the Bank, rather than placing it as the responsibility of a function or a few individuals.

Union Bank of India believes a trained, motivated and productive workforce is the Bank's biggest asset. Keeping this in view the Bank initiated HR Transformation process with an objective to align HR strategy with the business strategy by benchmarking and adopting industry best practices. As a result of transformation exercise, Bank has streamlined various policies, processes & systems and defined, documented roles with job clarity and up-loaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has implemented the following:

1. Transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating Government of India guidelines on the same.
2. A new IT module (Union Parivaar) was developed to integrate the new appraisal system for its online submission. Manpower Planning was introduced through scientific model & calculator for arriving at the assessment of the manpower re-requirement.
3. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building leadership pipeline.

WORK-LIFE BALANCE

There are several initiatives undertaken by the Bank to promote work-life balance for Union Bank of India employees. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank also provides facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. The care of the medical requirements of its employees is undertaken through a hospitalization scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. Employees can get admission and treatment in these hospitals and the bills are directly settled by the Bank. If the bill amount exceeds the employee's eligibility it is recovered later from him. However, the employees can also apply for ex-gratia amount in respect of such excess amount. The Bank has 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen

subsidy, education, medical & hospitalization, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards for excellence in Education, Sports, Cultural activities etc. As on 31st March 2016, the Bank had a total of 35473 employees, out of which 8071 were women employees and 622 were employees with disabilities.

Union Bank of India celebrated International Women's Day with gaiety and fervor at a glittering function held at Mumbai on 8th March 2016.



Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India, welcomes Smt. Arundhati Bhattacharya, Chairperson, State Bank of India, who was the Chief Guest for the function.

Respect for Human Rights

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations out of which the Bank recognizes the ones which have the majority membership of the total strength.

Welfare of SC/ST Employees

Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST welfare. Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multi-channel service outlets and the employees owning it. As a learning organization, the Bank focuses on acquiring con-temporary knowledge, continuous re-skilling and up skilling activities and attitudinal im-provements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank". The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train".

Providing need-based training to the staff members and to match it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system. The training needs are assessed and catered for all employee cadres' right from a house keeping staff to a Top Executive. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee – from entry to exit – is catered by the training system with its Apex college at Bangalore and 7 training Centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Gurgaon, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, programs are conducted at various regional locations depending on the organizational need. With a view to provide up to date training to the staff, judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are also deputed for overseas training.

In the year 1997, The Bank carried out a revamping exercise with the help of some reputed overseas consultants which led to introduction of latest training techniques. These have now been standardized and the innovative practices followed by the training system have resulted in receiving of recognitions and awards by various reputed institutions across the country including Golden Peacock Training National Award for the best training system in India in 1998, 2004, 2007, 2011, 2012, 2014 and 2015.

During the financial year 2015-2016, a total number of 25861 personnel were trained out of which 20870 were permanent male employees, 4991 were permanent female em-ployees.

EQUAL OPPORTUNITY OF EMPLOYMENT

For recruitment of management and supervisory staff / officers, clear guidelines exist concerning the identification and authorisation of vacancies to be filled, with appropriate authority levels for these. For recruitment of skilled as well as unskilled labour, the guidelines specify merit-based approach for selection of candidates. Bank has a sharp focus on gender diversity.

SECURE WORKPLACE

Bank has a policy on affirmative action and a policy on prevention of sexual harassment to ensure a harassment free workspace for its employees. Sexual harassment cases are dealt under the Anti-Sexual harassment Policy & Processes. All employees of Bank and other subsidiaries are communicated on the various aspects of prevention of sexual harassment at work through e-mailer articles and other means of communication regularly.

FREEDOM OF ASSOCIATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Bank follows the principle of freedom of association and right to negotiate. Promotion from workman and staff to officer has an exclusive and transparent process.

The human rights practices of Bank assure respect for the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.

GRIEVANCE REDRESSAL

Bank has clearly spelt out guidelines to prevent use of child labour, forced labour, discriminatory employment and sexual harassment in its own operation as also for its business partners / suppliers.

The Bank Policies provide mechanism for reporting of such issues. The Bank has provided a dedicated e-mail address to which all complaints can be sent. The privacy of the complainant is always protected. The Bank has put in place systems and mechanisms to ensure non-retaliation and non-victimization of the complainant.

All complaints, including complaints of sexual harassment, received are dealt as per bank-ing regulations. During the year, there have been no complaints alleging child labour, forced labour, sexual harassment, involuntary labour and discriminatory employment.

Principle 4 – Stakeholder Engagement

For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, media and NGOs.

The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.

Primary 'stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, Customers, 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to Local Communities, Suppliers, NGOs, Industry Associations, and 'Key' stakeholders include shareholders and promoters Regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalized and strives to provide special products/ schemes for them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank's key stakeholders are as follows:

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it is a branch, ATM, Internet Banking, mobile banking, Call center etc. To continue the aim of



achieving excellence in customer service the Bank has taken the following measures:

- Appointed Customer Relationship Officers, whose mandate is to be in constant touch with customers in order to enhance relationship value
- Training programs for its staff members to help them convert the complainants to campaigners.
- Educating customers about various new products and services through campaigns in both the print and electronic media. The Bank has in the past received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Branch Communication.
- Set up a 24x7 call center to address any queries of the customers.
- Holding quarterly customer meets at the branch, regional and corporate levels. The Bank uses this forum to communicate to its customers, information on the latest product and service offerings as well as on important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards while using Internet banking and to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which replies to all customer communication and also analyses the feedback for systemic improvements. This has helped in bringing down the number of complaints on non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his/her complaint.

Employees

- The Bank's in-house magazine Union Dhara continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating oneness among the staff members and also stimulating their duties, loyalty and creativity. Union Dhara has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI). Last year, Union Dhara bagged 7 awards along with Champion of the Champions Trophy.
- Through the Bank's Intranet portal hosts all internal policies, guidelines, codes, communication from Chairman and Managing Director which is accessible to all employees.
- CMD/ED/General Managers from Central Office periodically visit the field/branches.
- The Bank has a dedicated online system for obtaining feedback from staff members across the country under the title innovation@unionbankofindia.com. The suggestions received from employees for development/modification in product, process and services are collected, analyzed and considered.

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.

- The Bank also sends a half-yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.
- The Bank holds analysts and investors meet on a quarterly basis.

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India.
- The Bank has adopted 212 Villages to convert them as Adarsh Villages. The Chair-man, Managing Director and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

The Bank has identified some stakeholder groups as disadvantaged, vulnerable & marginalized. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers; MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages, visually and physically challenged people etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes. The vulnerable & marginal farmers are being organized under Self Help Group & Joint Liability Groups & required financial support is extended in a hassle free manner. Apart from this, under PMJDY overdraft of ₹ 5000/- is made available with simplified formats.

The Bank is also providing schemes under social security schemes programme of the government such as PMJJBY, PMSBY and Atal Pension Yojana. Talking ATM enables visually challenged persons to do transactions on voice guidance. The ATM site is so designed that physically challenged persons even on wheel chair can go inside and do transactions.

Principle 5 – Respect for Human Rights

Union Bank of India upholds the principles of human rights and fair treatment and hence conduct operations with honesty, integrity and openness and



with respect for human rights and interests of employees. As a responsible Corporate entity, the Bank not only follows in letter all the guidelines, instructions, directives issued / notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit.

The Bank's SD&CSR policy states that the Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc. to respect human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

Principle 6 – Impact on Environment

The Bank, as a responsible corporate entity is aware of its obligations towards environment. The Bank has undertaken several initiatives to reduce its environmental footprint. It has been adopting constant steps in order to reduce its carbon footprint for example utilizing LED lighting fixtures, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, utilizing energy efficient air-conditioners and non-conventional sources of power like solar energy wherever new projects are initiated. The ultimate gains at present are not measurable. However, the effects are visible in the energy bills and the endeavor is to rigorously implement the initiatives for reduction of greenhouse gas emissions.



The Bank is taking steps towards increasing its use of solar energy primarily for ATMs; heating requirements in the Bank as well as in the Training Centers. Air conditioners and lighting fixtures at use in the Bank's premises are energy efficient and star rated for energy efficiency. The refrigerant gas in the air conditioners (R-407c) used by the Bank reduces its carbon footprint.

Some of the other environment friendly measures introduced by the Bank are:

- Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings.
- Installations of LED signage.
- Installation of Air Conditioners with BEE certification & Car with CNG
- Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and re-charging of ground water level.
- Employing Busbar trunking system to ensure safe and cost efficient flow of power in all kinds of applications. The Bank has carried out re-engineering of External Electrical Distribution system of Central Office Building wherein the power supply distribution of floors was done through state of the art Bus Bar Trunking System.
- Green Data Centre in Powai - Expansion of Data Centre in Technology Centre, Powai Building wherein energy saving the electrical system along with Air-conditioning system has been installed. The precision Air-conditioning system is based on Electronic cooling technology and eco-friendly gas whereas the Variable refrigerant system was incorporated for cooling of UPS/Battery Room.
- Occupancy sensors to regulate the lighting in cabins.
- Maximum usage of day light by improvement through some of the 'green building' concepts.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

Union Bank of India practices pro-active advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business ecosystem and communities. Proactive advocacy for Union Bank of India is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large.



Senior executives of the bank are nominated to various committees of Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service. The Bank is also a member of the financial and industry related trade chambers and associations and through these platforms, such as trade chambers and industry associations that the Bank does its advocacy for public policy. The Bank also has a channel of communication with the concerned officials to help shape public policy on laws and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank for policy advocacy have primarily been Inclusive growth, Economic Reforms, Financial Inclusion and Financial Literacy. The Bank is a member of the following financial and industry related trade chambers and associations.

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank proactively engages with these bodies and provides inputs on a wide range of issues such as Annual Budget, Credit Policy / Monetary Policy, guidelines on product pricing, various surveys etc.

Principle 8 – Inclusive Growth

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial



Inclusion Plan 2013-16 approved by the Board with a Vision “To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an “ongoing basis” to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions”.

As at 31st March, 2016, the Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

- Bank has extended its reach to 18396 unbanked / marginally banked villages by providing basic banking services through Business Correspondent (BC) Model by appointing 5407 BCs in these villages;
- 141.37 Lakhs FI customers' accounts were acquired over bio-metric cards under Business Correspondent Model and a sum of INR 429.88 crores was mobilized as deposit through these customers;
- Micro-loans were extended as emergency credit and also to promote economic activity among the rural/urban poor. The Bank also provides micro insurance at no-minal premium;
- Bank has launched a specially devised micro-loan product “Pragati” over bio-metric cards, for Joint Liability Groups formed by women in 14 Regions of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. As on 31.03.2016 under the scheme the position of Outstanding was ₹ 41.85 Crores.
- The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), a NGO for financing of Self Help Group (SHGs) in Karnataka & Kerala. SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities to generate gainful employment & income for villagers. During the reporting year, an amount of INR. 592.90 crores was disbursed to SHGs with present outstanding of INR 1008.60 crores. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode Regions.

1. Financial Literacy:

To create awareness about the usage/benefits of financial services, Bank has established 26 FLCs. These centers spread awareness among the underprivileged about the financial services that a Bank can provide so as to take an informed decision. From FY 2013-14, the rural branches of the Bank are conducting financial literacy camps in their command area once in a month. The Bank has 201 Village Knowledge Centers (VKC) which disseminate information about banking products as also latest developments in the field of agriculture.

2. Union Adarsh Gram Yojna (UAGY):

As a part of its commitment to the nation, the Bank launched “Union Adarsh Gram Yojna” under its Corporate Social Responsibility (CSR) project by adopting 60 villages across the nation this year for their all-round socio-economic development taking total villages under UAGY to 212.

3. Lead Bank Scheme:

The Bank is proudly fulfilling the Lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States of the country. In these districts the Bank not only continuously increases its Branches and carries on its normal banking activities but also works with the local government for the District Credit Plan. It helps monitor its progress of the DCP and other government sponsored schemes. The Bank also has 14 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) where rural youth are provided with training and skill upgradation for running their micro enterprises. The Bank is also implementing Women's Self Help Group (WSHG) in 4 identified backward districts to empower women.



4. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Government of India launched 1st Phase of India's largest Financial Inclusion Programme – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Aug'14 with the aim to provide access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars: Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card, Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes. These pillars are to be implemented in two phases.

Phase 1 launched on August 28th 2014 aims to providing universal access to Banking Facilities with opening of Basic Banking Account for Saving, remittance and Rupay Debit Card with inbuilt accidental insurance cover of INR1 Lac. It also involves undertaking of Financial Literacy.

On the launch day i.e. August 28th 2014, the Bank had set a target to open 5 lakh accounts. Against this target, 8.96 Lac Accounts were opened.

Major highlights of our performance under PMJDY		
1	Total Villages covered	18,396
2	Sub Service Areas (SSAs)	5,407
3	Urban Wards	2581
4	Total Households Surveyed	72.34 Lacs
5	w/w a. Rural Households	45.54 Lacs
6	b. Urban Households	26.80 Lacs
Performance as of 31st March 2016		
7	Accounts opened as on 31st March 2016	58.21 Lacs
8	Rupay Cards issued as on 31st March 2016	55.34 Lacs
9	Balance in accounts as on 31st March 2016	₹ 858.07 Crores
10	Accounts opened under E-KYC under PMJDY	1,29,466



5. Financial Literacy:

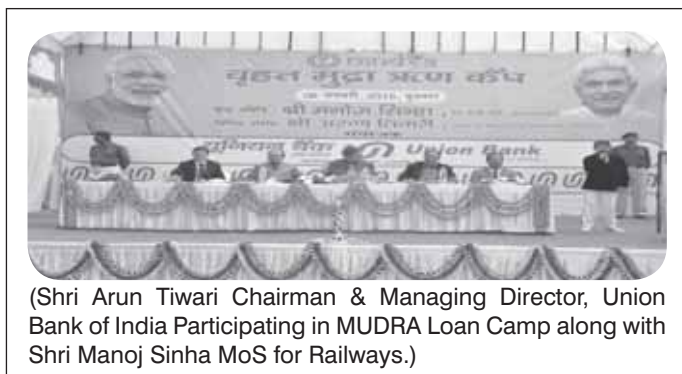
The Bank has been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through its 26 FLC Centers and Rural Branches. The Bank has published comic books as well as posters and other reading materials.

Union bank of India launched a unique initiative in this direction on 1st January 2015 and conducted 60 financial literacy camps in eastern Uttar Pradesh in collaboration with Indian School of Micro Finance for Women (ISMW). In these camps, the Bank had set a target of providing financial literacy to around 15000 participants of which 80% were women and to spread the awareness on linkages, benefits and entitlements under PMJDY. In these camps, the Bank disseminated following information about PMJDY

- 1) Use and benefits of having Rupay card
- 2) Aadhaar Card linkage and benefits
- 3) Insurance linkage under PMJDY
- 4) Loan and overdraft facility
- 5) Information's on Savings, borrowings and high cost debt
- 6) Mobile Banking and usage of technology

Each camp had participation of about 250-300 women and the duration of each camp was about 4 hours. The participatory tools and training aids included videos, films, plays, post-ers, FAQs etc. and were conducted by trained personal of ISMW. The participants were also provided some handbooks.

6. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):



(Shri Arun Tiwari Chairman & Managing Director, Union Bank of India Participating in MUDRA Loan Camp along with Shri Manoj Sinha MoS for Railways.)

- Under PMMY our Bank extends finance to the micro enterprises which are in the business of manufacturing, trading and service sector in rural, urban & metro areas.
- PM MUDRA Yojana opens door to various new & existing entrepreneurs to avail credit from banking channel. This leads to increased customer base for credit to the bank.

Position of Mudra Loan as on 31.03.2016.

(Amt in Cr)

Loan Category	Sanctioned		Disbursed	
	A/Cs	Amount	A/Cs	Amount
Shishu	135380	364.89	103009	339.75
Kishore	62871	1154.51	58736	1072.82
Tarun	6478	477.91	6061	428.49
Total	204,729	1,997.31	167,806	1,841.06

7. PHASE II OF PMJDY

The second phase of PMJDY involves the following

- Overdraft facility of up to INR 5,000/- after six months of satisfactory performance of saving / credit history.
- Micro – Insurance.

The Bank has disbursed overdraft for ₹ 163.54 lakhs in 7533 accounts under PMJDY as on 31st Mar, 2016. Bank has made OD under PMJDY facility available through ATM and SMS channels also. The Bank will be providing Micro Insurance & Pension to the poor and under privileged through the following three social security schemes as announced by the Hon'ble Finance Minister in the budget for 2015-16.

- **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana [PMSBY]:** It will cover accidental death risk of INR 2 Lacs for a nominal premium of INR 12 per year for age group 18-70 years.
- **Pradhan Mantri Jeevanjyoti Bima Yojana [PMJBLY]:** It will cover natural and accidental death risk of INR 2 Lacs. The yearly premium will be INR 330. It is for age group 18-50 years.
- **Atal Pension Yojana [APY]:** The scheme will provide defined pension to individuals depending upon the amount and period of contribution for age group 18-40 years.

Position of Social Security Schemes as on 31st Mar, 2016:

Scheme Name	Male Customer	Female Customer	Total Enroll-ments
Atal Pension Yojna	31604	18453	50057
Pradhan Mantri Jeevan Beema Yojna	685433	420076	1105509
Pradhan Mantri Suraksha Beema Yoj-na	1570385	1087589	2657974
Total	2287422	1526118	3813540

8. Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL):

Government of India is implementing direct credit of subsidy in the accounts of LPG beneficiaries. Union Bank of India is implementing both options of getting gas subsidy in all districts of the country. Under first option, a Gas consumer having Aadhaar gets the same seeded in the Bank account and also at his LPG Gas Distributor for availing direct credit of subsidy in Bank accounts through Aadhaar mechanism of NPCI.

Under second option, where consumers not having Aadhaar has been given the facility of seeding his / her LPG id into Bank account so that amount of subsidy can be credited in his / her account. The customer has to provide his Bank account details to LPG dealers who will send the same to Banks for confirmation of correctness of Banks details and further start sending amount to Banks for direct credit in Bank account. The position of LPG Subsidy received

through Aadhaar & credited in the Bank Account for FY 2015 – 16 is as under:

LPG Subsidy Credited in A/Cs through Aadhaar		
Period	No. of Transactions	Amt ₹ in lacs
Apr 15 to Mar 16	22034762	53330.56

9. Direct Benefit Transfer (DBT) Disbursement:

Government of India has started implementing Direct Benefit Transfer DBT in 43 districts from 1st Jan, 2013 which got extended to 78 more districts from 1st Jul, 2013. Union Bank of India has presence in 40+73=113 districts. The Government of India has launched 43 various Schemes under DBT and the fund received from Government is credited directly to beneficiaries' accounts as subsidy. The disbursements under the scheme in FY 2015 - 16 is as under:

Period	Transaction Initiated at Union Bank branches				Credit received from other Banks	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt ₹ in lacs	Success Records	Amt ₹ in lacs	Records received as Destination Bank	Amt ₹ in lacs
Apr 15 to Mar 16	36,839	1,547.82	15,208	552.12	22,034,762	53,330.33

10. IIBF Certification & Capacity Building of Bank Mitrs:

Indian Banks Association vide letter no. SB/CBC/1141 Dated 30th Jul, 2015 instructed all Banks for training and certification of Bank Mitrs by IIBF Trained. Trained and certified Bank Mitrs will be more dependable for Comprehensive Financial Inclusion. As on 31st Mar, 2016 total 2,618 Bank Mitrs are IIBF Certified.

11. Position of Aadhaar Seeding:

The progress of position of Aadhaar seeding as on 31.03.2016 is as under:

Period	Cumulative position of Aadhaar records seeded	Out of which Aadhaar records successfully seeded at NPCI Server since March 2015 onwards	No. of Aadhaar moved to other Bank	Final Aadhaar seeded to Union Bank
	(1)	(2)	(3)	(2-3)
Apr 15 to Mar 16	78,90,710	76,17,403	6,60,037	69,84,687

However position of Aadhaar seeded in PMJDY Accounts is as under:

Period	Cumulative position of PMJDY Accounts opened	Cumulative position of Aadhaar seeded in PMJDY Accounts
Apr 15 to Mar 16	58,21,379	17,43,376

New Initiatives during the year: 2015-16

- Automation of Overdraft through ATM & SMS.
- Financial literacy initiatives: In June 2015, the Bank organized 60 Financial Literacy Camps for woman in the Bank's Lead Districts in eastern Uttar Pradesh with help of Indian School for Microfinance for Woman (ISMW, Ahmedabad) & about 15000 persons were provided Comprehensive Financial Literacy through camps.

- Vide letter FID-49(D)/2015-16 dated 23rd Oct, 2015, NABARD has approved for the Sponsorship of conducting Mass awareness Camp in Lead Districts of Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh and Jharkhand in collaboration with ISWM. For the same NABARD has sanctioned a financial assistance of ₹ 17.40 Lacs to conduct 116 Awareness Camps in said mentioned states under this CSR activity under FIF (Financial Inclusion Fund).
- Disbursement of Bank Mittr Remuneration through Escrow Mechanism.
- Implementation of revised remuneration structure to BC model from October 2015 as per guidelines of DFS & IBA).
- Deployed 5407 Micro ATMs in the field which are capable

for doing AEPS & RuPay based transactions.

7. Developed Dashboard to monitor day to day activities of Bank Mitrs to ensure uninterrupted services to the last mile customers.
8. Financial Inclusion Conclave: The Bank organized Financial Inclusion Conclaves at Varanasi, Jaunpur & Azamgarh (all Lead Districts) in the month of August 2015. The objective of the discussion at these conclaves was to understand the government & regulators vision, the banks' experiences & perspective while implementing the various ways of financial inclusion, providing feedback to the government & regulators, on the challenges faced during implementation. The conclaves were attended by Government Departments, Regional Heads, branch heads, regional & local teams from financial inclusion departments of banks, IT service providers, business correspondents, and some micro-finance institutions as well.
9. The Bank's CMD is a member of Advisory board to NABARD's FIF committee.

Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives of the Bank:

Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this Bank has established Union Bank Social Foundation Trust in 2006. Major CSR activities of the Bank are being carried out through the trust. Its Board is headed by Bank's Chairman & Managing Director, with executive directors as Vice Chairman trustees, other trustees including Bank's General Managers and one independent trustee. Board provides directions in accordance with Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions are executed by Chief Executive with headquarters at Mumbai.

Aiming to support initiatives towards Social Upliftment & improving lives of underprivi-legged segments, Bank is focusing on assistance mainly in the following activities:-

Community Welfare:

The Bank has undertaken healthcare facilities through Bank's mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages benefiting more than 12000 people. The scheme is in existence since 2014.



The Bank has undertaken Cancer Detection camps across 5

cities namely Kottayam, Bhopal, Kolkata, Patna and Bangalore.



Union Bank of India, donated Bus to Society for Education of Cripples (SEC), Mumbai, a Registered Charitable Society. SEC has been undertaking pioneering work in the field of education for the orthopedically disabled and differently abled children in Mumbai. SEC runs School in Mumbai and has one residential School at Kanhe Phatta (Near Lonavala).



Education:

Union Bank Social Foundation has undertaken vocational training for 600 unemployed youth at Siliguri & Tirupathi. The youth were trained and given employment/self employment.



Health care-mental & physical disability:

World class integrated disabled rehabilitation center inaugurated by Shri Arun Tiwari, CMD, Union Bank of India in a land admeasuring 8000 sq.ft. at Airoli, Mumbai. A large number of differently abled children will get lifelong shelter in the Centre.



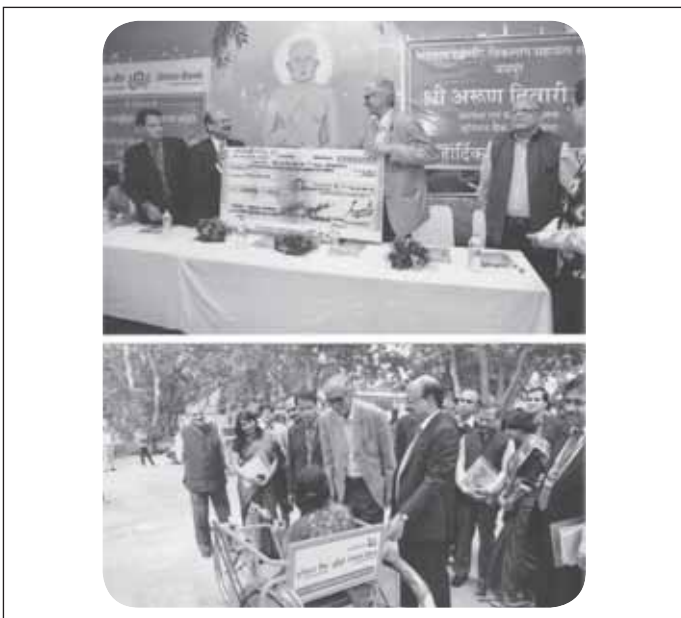
Girl child adoption & women empowerment

Cost of education, bicycles to 6500 girl children across the country. Seen in the photograph is Executive Director of the Bank handing over cheque to one of the recipients.



Mahavir Viklang Sahayata Samiti, Jaipur:

The Bank has donated more than 700 tricycles, artificial limbs to physically handicapped persons at a total cost of ₹ 30.00 lacs to Mahavir Viklang Sahayata Samiti at Jaipur. Our CMD Shri Arun Tiwari handing over cheque to the officials of the Samiti, and also helping in fixing artificial limb to a needy person.



Skill Development

The Bank gave a support of ₹55.00 lakhs to Centurion University of Technology & Man-agement at Bhubaneshwar for setting up of wood work labs and 100 computers. This work shop is conducted with batch of 150 students at any point of time. Seen in the photograph are deaf & dumb unemployed youth learning the wood work.



Rural Development & village adoption

Construction of school/community toilets. Installation of solar lights/lanterns in villages in Varanasi, Allahabad, Azamgarh and Jaunpur, Sikkim, Assam, West Bengal etc. During the reporting year, the following projects were approved which are either completed or in progress.

1. Project for conducting 120 mass awareness camps on financial literacy in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar & Jharkhand.
2. Construction of Tribal girls hostel at Warawatti Village, Bidar District, Karnataka at a total cost of ₹ 56.33 lacs.



3. Approval has been given for an amount of ₹ 195.00 lacs for implementing noble way of learning called "Pragna Plus" in 4 schools at Ahmedabad and one in Varanasi District over a period of 4 years to benefit more than 2500 under privileged children.

Vocational training

Project undertaken for training and placement of 600 unemployed youth from semi-urban, rural areas at Siliguri and Tirupathi



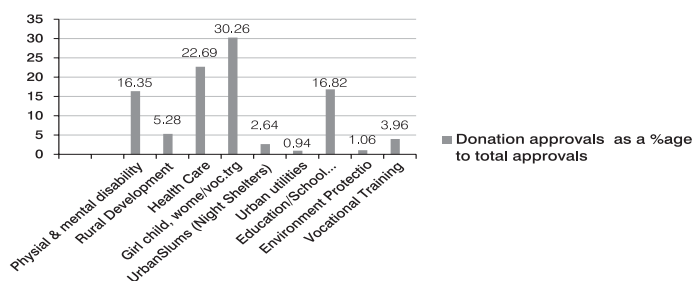
Environment protection

Bank undertook maintenance of Nana Nani Park at Mumbai. Seen in the photograph is CMD, ED and GM, SSD planting trees as a step towards environment protection.



Sector wise approval for CSR:

Sectorwise approvals as a percentage to total



Awards received for contribution to CSR:

Union Bank of India won the following awards under Corporate Social Responsibility:-

- Bank with Best CSR practices award was presented to Union Bank Social Foundation
- CSR Leadership Award for promoting Employment for the Physically Challenged
- CSR Leadership Award for best use of CSR practices in Banking Sector

- Excellence in Banking (PSU category)
- Best Bank in Public Sector under Banking Financial Services & Insurance category



OTHER AWARDS & ACCOLADES in FY 2015-16

- Skoch order of merit- India's Best Financial Inclusion Project - 2015.
- "Certificate of Recognition for project IMPS" by Elets Financial Inclusion & Payment Systems - 2015.
- The Economic Times- Flag Bearer's of Financial Inclusion-2015 & Certificate of Ap-preciation.
- Ashirvad (a renowned Literary Organization)
 - 1st prize for the excellent implementation of Official Language among PSBs for 2014-15.
 - Best Magazine Award for Bank's in-house Journal Union Dhara
- IBA Award 2015-16 for Financial Inclusion under Medium Banks Category.

Union Bank of India wins 6 IBA Banking Technology Awards 2015-16



Shri Arun Tiwari, CMD and Shri Rakesh Sethi, ED, along with Union Bank team receiving the award for Best Technology Bank of the Year.

- **Golden Peacock Award:** Union Bank of India was presented Golden Peacock Awards for excellence in HR practices during the 10th International Conference on Corporate Social Responsibility conducted by the Institute of Directors.



Smt. Hema Rajan, General Manager (PBOD) & Shri R.R. Mohanty, General Manager (HR) receiving the Golden Peacock Award from Smt. Pankaja Gopinathrao Munde, Hon'ble Minister of Rural Development and Water Conservation, Women and Child Development, Government of Maharashtra.

- **Annual Corporate Collateral Awards 2016 by Public Relations Council of India (PRCI)**
 - o Silver Award for the Corporate Magazine Union Dhara
- **ICE (In-house Communication Excellence Award) 2015 by Shailaja Nair Foundation**
 - o 3rd Prize for Bank's in-house magazine Union Dhara
- **ABCI Awards**
 - o Bank's in-house magazine Union Dhara bagged 7 prizes (2 Gold, 4 Silvers and 1 Bronze in various categories) alongwith Champion of the Champions Trophy
 - o Silver Medal for the Bank's in-house Hindi Magazine Union Srijan on 18th Mar, 2016
- **Rajbhasha Kirti Puraskar 2014-15**
 - o 2nd prize for Bank's in-house Hindi Magazine Union Srijan.



Shri Arun Tiwari, CMD receiving Rajbhasha Kirti Puraskar (Second Prize) for the year 2014-15 from Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee in the presence of Hon'ble Home Minister Shri Rajnath Singh, both Ministers of State and Secretary(OL)

- **National Awards for professional excellence** under the category "Competitions for House Journals / New letters by Public Relations Society of India (PRSI) Hyderabad Chapter Telangana State"
 - o 3rd Prize for the Best Corporate Magazine Union Dhara
 - o Special Jury award for the best message of CEO in the Corporate Magazine Union Dhara

Principle 9 – Customer Focus

The Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings and an effective customer redressal mechanism. Some of the initiatives of the Bank in this are:

Building a world class Customer Care Unit:

With a view to address customer grievances in an effective and timely manner, as well as creating a nodal agency for ensuring customer service excellence in matters dealing with customer grievances, the Customer Care Unit was set up.

Architecture of the Customer Care Unit:

The Customer Care Unit at the Bank has been designed to meet the following objectives:

1. Respond to requests in a fast, reliable and consistent way
2. Solve root causes of requests and complaints- setting up a continuous improvement process to reduce the volume of requests and complaints received by the Bank
3. Generate information to obtain better insights regarding the customer

Project 'Utkarsh'

The Bank has embarked upon a journey of business process transformation – Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives - enhanced customer experience, superior process efficiency and

improved employee productivity.

These objectives will be achieved through 6 key initiatives undertaken by the Bank:

1. UnionXperience : Revamping operating model and organizational structure of re-tail branches
2. Union Loan Points: Create specialized retail loan processing and acquisition unit in the form
3. SARAL: Establish independent best-in-class MSME processing units
4. Business Analytics Center: Harness the power of data and analytics to improve cross sell
5. Digital Channel: Maximize performance and returns from Multi-channel(e.g. ATM, internet, mobile)
6. Improved HR practices and employee processes through key initiatives like Shared Service Center, Succession planning, Employee enrichment and engagement programs

In the last one year, Project Utkarsh was launched in 7 regions across India covering 274 branches, 7 Sarals (for



MSME credit) and 13 Union Loan Points (for Retail Credit). Project has achieved significant results across most key metrics like CASA Acquisition, Retail Lending, Generation of Business Leads, bringing down Turn Around Time (TAT) for MSME as well as Retail credit decisions and an overall increase in Productivity. Riding on the success and the experience gained thus far, Utkarsh will be scaled to 20 new Regions in a phased manner in FY 2016-17.

Other Initiatives taken to improve Customer Service:

1. Streamlining of Call Centre, ATM, and other Alternate Channel operations: ATMs of the Bank not only dispense cash but recently, 3 remittance products were launched with ATM. The Bank also facilitates investment in mutual fund, income tax payment, and mobile top up as other product features through ATM and hence have been named as Sampoorana ATM. The Bank has a network of 6883 ATMs, of which there are 1685 Talking ATMs, which cater to the need of visually challenged.
2. Centralization of non-customer facing liabilities activities to a National Processing Centre (NPC).
3. To make the Grievance Redressal Mechanism more customer centric the bank has appointed an Internal Ombudsman who has the authority to look into cases which remain unresolved even after 30 days or if the customer is not satisfied with the bank's decision on his grievance.

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

लाभांश अधिदेश फॉर्म

भावी लाभांश के त्वरित, सुरक्षित एवं सही भुगतान हेतु यदि अधिदेश फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया है तो कृपया प्रस्तुत करें. यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डिमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें.

प्रिय महोदय,

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर - बैंक खाते संबंधित विवरण के अद्यतन हेतु

मैं/हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयरों का/के धारक हूँ/हैं

मैं/हम अनुरोध करता/करते/ हूँ/हैं कि मेरे/हमारे लाभांश का भुगतान प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच/एनईएफटी/आरटीजीएस/ईसीएस इत्यादि के माध्यम से नीचे दिये गए विवरण के अनुसार मेरे/हमारे खाते में करें -

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
फोलिओ क्र.(यदि शेयर्स डिमैटोरिलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी(यदि शेयर्स डिमैटोरिलाइज्ड किए गए हैं)	
ई-मेल आईडी	
मोबाइल नं.	

ए . प्रत्यक्ष जमा (केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए)	
1. पूर्ण खाता क्र. (15 अंक)	
2. खाते का नाम (जैसा पास बुक पर दर्ज है)	
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	

अथवा

बी. एनएसीएच/एनईएफटी/आरटीजीएस/ईसीएस इत्यादि	
1. बैंक का नाम	
2. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
3. पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4. खाते का प्रकार (कूट 10/11/13 सहित एसबी/सीडी/सीसी)	
5. एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक)	
6. आईएफएससी	

कृपया एक निरस्त किया गया कोरा चेक अथवा अपने बैंक द्वारा जारी किए गए एक चेक की फोटोकापी संलग्न करें ताकि बैंक खाता विवरण का सत्यापन किया जा सके.

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ कि बैंक के नियंत्रण के बाहर किसी अप्रत्याशित स्थिति में मुझे देय लाभांश भौतिक स्तर में भेजने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है जिससे लाभांश का प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच/एनईएफटी/आरटीजीएस/ईसीएस प्रभावित हो सकता है.

भवदीय,

दिनांक:

()
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

पंजीयक का पता : डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

प्लॉट न. बी -5, पार्ट बी , एमआईडीसी , क्रास लेन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400 093.

दूरभाष क्र. :022-66712151-60, फ़ैक्स क्र. :022-28213404, ई-मेल आईडी :ubiinvestors@dfssl.com

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Dividend Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. **{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/ electronic form}.**

Dear Sirs,

Subject: Equity Shares of Union Bank of India - Instruction to update the Bank Account details.

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit / NACH / NEFT / RTGS / ECS etc. to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail Id	
Mobile No.	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)	
1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NACH / NEFT / RTGS / ECS etc.	
1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Account No. with full digits (as appearing on Cheque book)	
4. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
5. MICR Code (9 Digits)	
6. IFSC	

Please attach a photocopy of cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your bank relating to your account for verifying the details.

DECLARATION

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit / NACH / NEFT / RTGS / ECS etc.

Yours Faithfully,

Date:

(_____)
Signature of the First/Sole Shareholder

Address of the Registrar:

Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No.B-5, Part B, Crosslane, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

• Tel. No.:022-66712151-60 • Fax No.:022-28213404 • E-mail Id:ubiinvestors@dfssl.com



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

प्रोक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

रजि. फोलिओ क्र.

(यदि डिमैटिरियलाइज्ड न हो)

डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी

(यदि डिमैटिरियलाइज्ड हो)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के निवासी
_____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी
श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____
जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **सोमवार, 27 जून, 2016** को प्रातः 11.00 बजे रामा
एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400020 में होने वाली यूनियन
बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए
अपना प्रोक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

_____ 2016 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाए

प्रोक्सी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रोक्सी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा जमा करने के लिए निर्देश

- कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
ए) एकल शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित स्म से प्राधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
बी) संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से प्राधिकृत करते हुए
हस्ताक्षर न किया गया हो,
सी) एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित स्म से प्राधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- प्रोक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर किया जाए किंतु जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाता है तो उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ प्रोक्सी
ए) मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार (यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
बी) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात् **बुधवार 22 जून, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे** जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जबतक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रोक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रोक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक, जिसने वार्षिक साधारण बैठक से संबन्धित प्रोक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत स्म से वोट देने के लिए पात्र नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio

(If not dematerialised)

DP ID & Client ID

(If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
of _____ in the district of _____
in the state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint
Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
Shri/ Smt. _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to
vote for me / us and on my / our behalf at the 14th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held
on Monday, 27th June, 2016 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M.
Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, 22th June, 2016.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:
register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar at their address given hereunder:

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712151-60
Fax No.: 022-28213404
E-mail ID: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

Date:

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

प्रिय महोदय,
मैं/हम _____ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया
कार्पोरेट गवर्नंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के
रूप में यूनिन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गये ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
_____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर: _____ ईमेल आईडी _____
मैं/हम इस आशय का वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई मेल के माध्यम से
प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये
दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन
देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें
सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनिन
बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को
उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712151-60
Fax No.:022-28213404
E-mail ID : ubiinvestors@dfssl.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank
of India in physical form, intend to receive all communication from Union
Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green
Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number: _____ Email ID: _____. I/We also
undertake that the communication received through my / our email ID will
be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us
by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold
Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees,
responsible in case the communication is not properly received at my / our
email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

टिप्पणियां/NOTES

[illegible]

डिजीपर्स 2 माह में
1,00,000
से ज्यादा डाउनलोड



डिजिटली स्मार्ट मोबाइल वॉलट

सुरक्षित
सुविधाजनक
स्मार्ट

मोबाइल
रिचार्ज

डीटीएच
रिचार्ज

टॉप अप

ऑनलाइन
शॉपिंग

बिल
भुगतान

फंड
ट्रांसफर

अब आपका
मोबाइल
भी एक संपूर्ण
वॉलट है

खास वर्चुअल प्रीपेड कार्ड
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए

यूनियन बैंक और अन्य बैंक
ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध

अधिकतम टॉप अप राशि-
₹10,000/ माह

मुफ्त डाउनलोड कीजिए



*शर्तें लागू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

ग्राहक सेवा केंद्र :

टोल फ्री नंबर : 1800 208 2244 और 1800 222 244 | 080-25300175 (चार्ज लागू)
080 2530 2510 (एनआरआई के लिए) | www.unionbankofindia.co.in

गौरवशाली सहयोगी



केंद्रीय कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

Central Office : 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

Helpline Nos.: **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable) | **080 2530 2510** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in